राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या : 22

शुक्रवार ;

28 अप्रेल, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार 4-5 मेरे प्रश्न पोस्टपोन करते जा रहे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या जवाब नहीं आया, या जवाब नहीं देना चाहते ? यदि वहां से जवाब नहीं आया है तो मैं समझता हूं बहुत शर्म की बात है। आपके पास ये अधिकारी वर्षों तक रहे हैं....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : प्रश्नकाल में आप कैसे बोल रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्नकाल में आप प्रश्न उठा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : और जिस प्रकार.. (व्यवधान) +++ को बचाने के लिये यह मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं...(व्यवधान) यह जानबूझकरके आपका वहां जिला कलक्टर +++ को...(व्यवधान) यह सरकार बचाना चाह रही है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस समय किस नियम के तहत बोल रहे हैं आप? ये कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ? मर्जी आये जब बोलने लगते हैं, प्रश्नकाल को चलने नहीं देते हैं। प्रश्नकाल में तीन क्वेश्चन भी नहीं आते। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति का। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इसलिये करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है, इसलिए मेरे प्रश्न का जवाब यह सरकार नहीं देना चाहती है। प्रश्न में भी...(व्यवधान) वह करोड़ों रुपयों का घोटाला...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। (व्यवधान) बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इस क्वेश्चन का, जवाब ये बोल रहे हैं। अगर ये इसी तरह बोलते रहे तो हमारे क्वेश्चन का नम्बर ही नहीं आएगा। (व्यवधान) यह गवर्नमैंट का क्या...(व्यवधान) हमारे प्रश्न के ऊपर... (व्यवधान)

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : दिलावरजी, बैठिये। बैठिये। (व्यवधान) बैठिये। प्रश्न...

श्री रामस्वरूप : और यह समय है सदन का। माननीय सदस्य, आप कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं? हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लगा हुआ है, रिजर्वेशन वाला मामला है, इसको आप नहीं आने देते और बीच में ही आप खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल से महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में भूख से लोग मर रहे हैं, अकाल राहत के लोग मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी पर्ची आ गयी है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : और मुख्य मंत्रीजी के जिले में मर रहे हैं, इससे ज्यादा चिन्ता की क्या बात हो सकती है। (व्यवधान) परसों यह सदन में चर्चा थी, परसों से पहले लोग भूख से मर रहे हैं उसके बावजूद भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की।

श्री रामस्वरूप : वह कोई भूख से नहीं मरे हैं राजस्थान के...(व्यवधान) हमारी संवेदनशील सरकार है, किसी को नहीं मरने दे रही है अकाल से। यह असत्य बात कह रहे हैं बिलकुल। यह मर गये, इनके मन मर गये, पब्लिक भूख से कहीं भी नहीं मर रही है। यह केवल सरकार की बदनामी करने की वजह से बात है। अकाल से मरना बताते हैं, कहीं भी अकाल से एक भी आदमी नहीं मर रहा किसी प्रकार से। माननीय मुख्य मंत्रीजी लगे हुए हैं, आदरणीय सोनिया गांधीजी पधार रही हैं, खुद अकाल के मामले में और ये कह रहे हैं मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बैठिये। (व्यवधान) प्रश्न। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार वहां पर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर महोदयजी, बैठिये। ऐसा है प्रश्नकाल है, शोकाभिव्यक्ति भी है, उसकी गरिमा को आप कम मत करिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है। हमारा निवेदन है आपसे आपका जिला भी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारी माननीय सोनिया गांधीजी पधार रही हैं, मुख्य मंत्रीजी पधार रहे हैं। उनको रात-दिन अकाल की चिन्ता हो रही है और ये लोग बदनाम करने के लिये सरकार को यह सारी कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी पर्ची है, सुन लूंगा मैं सबको...(व्यवधान) बैठिये। आपके लिये बोलने का...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह अकाल का प्रश्न लगा हुआ है इसको भी कंटीन्यू नहीं होने देना चाहते इस सदन के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : आपकी पर्ची आ गयी है, सभी माननीय सदस्यों की पर्ची आ गयी है, राजेन्द्रजी, इसलिये कृपया वह चुप कर लें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, परची की बात, मेरा निवेदन है लोग मर रहे हैं। जनता से...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आसन पैरों पर। आसन पैरों पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे परन्तु है बड़ी चिन्ता की बात कि आज राजस्थान के अन्दर अकाल राहत कार्य में लगे हुए श्रमिक तड़प-तड़प कर मर रहे हैं भूख से। मुख्य मंत्रीजी ने दिल्ली में जाकर बयान दे दिया कि राजस्थान से एक भी मजदूर का पलायन नहीं हो रहा है, इसलिए हमें तकलीफ है।

श्री रामस्वरूप : अकाल का प्रश्न लगा हुआ है उस पर बोल लेना आप। इस पर सप्लीमेंटरी कर लेना।

श्री सांवर लाल : लोग मर रहे हैं उनकी व्यवस्था कराइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आसन पैरों पर। डा. किरोड़ी लालजी, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा महत्वूपर्ण प्रश्न है जो इससे रिलेटेड था...(व्यवधान) 15 अप्रेल को जिसकी सूचना आ गयी थी उसको स्थगित कर दिया। चार सौ करोड़ का घोटाला है इस अकेले मामले में। सेल्स टैक्स में जो.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपसे बाद में बात कर लूंगा मैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जो घोटाले वाले मामले हैं उनको सरकार स्थगित कराती जा रही है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या-641

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री अमराराम चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री गुलाब चन्द कटारिया।

सांवरिया मन्दिर के विकास हेतु अवाप्त भूमि

642. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सांवरिया मंदिर मण्डल ने मंदिर एवं उसके परिसर के विकास की कोई योजना बनायी है ? क्या उसके लिये मंदिर के आस-पास की भूमि अवाप्त की गयी है ? यदि हां, तो अब तक अवाप्त भूमि पर कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा ?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) उक्त भूमि अवाप्ति जिस प्रयोजन से की गयी उस प्रयोजन को पूर्ण करने में अब तक क्या प्रगति रही है ? यदि नहीं, तो क्या कार्य शेष हैं ? अब कब तक उक्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि वहां से व्यापारियों और निवासियों को हटाया गया और उन्हें कहीं और दुकानें और मकान बनाने हेतु भूमि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो किन-किनको और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्रीमती इन्दिरा मायाराम) : (1) जी, हां। अब तक अवाप्त भूमि पर कुल रुपये 3,26,44,341/– (अक्षरे रुपये तीन करोड़ छब्बीस लाख चवालीस हजार तीन सौ इकतालीस) का भुगतान किया गया है।

(2) उक्त भूमि मंदिर विस्तार मंदिर परिसर विकास कार्य हेतु अवाप्त की गयी है, जिसमें से आवश्यकतानुसार तथा मंदिर मंडल के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की सीमाओं में रहते हुए मंदिर परिसर का समतलीकरण तथा यात्रियों की सुविधा हेतु परिसर में उद्यान विकास व उद्यान के मध्य आइल्स द्वारा पक्का पथ निर्माण, परिसर में लाइटिंग की व्यवस्था, परिसर के चारदीवारी, रेलिंग फोरलेन सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उक्त योजना में मूलतः दो बड़े कार्य मंदिर विस्तार तथा मंदिर परिसर विकास (कारिडोर निर्माण) कार्य करवाया जाना शेष है।

श्री सांवरियाजी मंदिर मंडल के पास उपर्युक्त आवश्यकता के अनुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही कार्य पूर्ण कराये जा सकेंगे।

(3) जी, हां। मंदिर के आस-पास स्थित मकानों, दुकानों को भूमि अवाप्ति अधिनियम के नियमानुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से मुआवजा भुगतान कर हटाया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि सांवलिया मंदिर मंडल जो ट्रस्ट है उसकी वर्ष 97-98, 98-99 व 99-2000 में कितनी आय हुई और उसने अपनी आय का व्यय कितना-कितना, किस-किस क्षेत्र में किया ? मैं इसलिये पूछना चाह रहा हूं कि राजस्थान में यह पहला ऐसा मंदिर है जिसने जनहित के लिये करोड़ों रुपया अपने यहां भी लगाया, चित्तौड़ का हास्पिटल बनाया, धर्मशालाएं बनायीं और सड़क का विस्तार, गांवों का विकास, 16 गांव जो आस-पास के हैं, उनकी सब सुविधाओं को इसने जुटाया। पैसा इसके पास है। इसलिये बात यहां से आएगी कि इसके पास तीन वर्षों में आय कितनी हुई और यह जो पिछला साल निकला है उसमें आय कितनी हुई और व्यय कितना किया, किस मद में किया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : निर्माण कार्य जैसे मैं बता रही थी, उसके लिये एक आर्किटैक्ट कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

चुकी है। मंदिर विस्तार एवं परिसर कारीडोर निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी जिसे बाद में श्री सांवलिया मंदिर बोर्ड द्वारा केवल कारीडोर एवं प्लिंथ निर्माण हेतु प्रवृत्त करके दरें प्राप्त की गयीं। पर्याप्त निविदादाताओं के नहीं आने तथा नियमों की पूर्ति के अभाव में तथा मंदिर निर्माण हेतु गठित तकनीकी कमेटी की राय के अनुसार बोर्ड द्वारा 31.12.1999 को निविदा दर निरस्त कर दिये गये। मंदिर विस्तार एवं परिसर कारीडोर हेतु निविदा आमंत्रित की गयी 18.6.1998, मंदिर प्लिंथ परिसर निर्माण हेतु संशोधित निविदा आमंत्रित करने की तिथि 15.7.98, निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 18.11.1999, निविदा अस्वीकार करने की तिथि 31.12.1999 नवीन बोर्ड गठित होने तक बोर्ड के समस्त कार्य करने हेतु अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को नियुक्त किया गया है, क्योंकि बोर्ड का समय खतम हो गया था।

श्री सांवरियाजी मंदिर मंडल द्वारा मंदिर परिसर एवं परिसर विकास के लिये प्रथम चरण में लगभग 47 बीघा 10 बिस्वा भूमि अवाप्त की गयी है जिसके लिये भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 एवं 6 की अधिसूचना पत्र क्रमांक 6/8/देवस्थान/93/10.7.96 एवं 10.9.96 से जारी की गयी है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत उप खण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के द्वारा की गयी है। आपको यह इसलिए बता रही हूं कि आपने कहा पैसा...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपकी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैंने जो पूछा है उसका अभिप्रायः यह है, आपने अपने प्रश्न के जवाब में यह दिया कि हमारे पास जब धन उपलब्ध होगा तब हम इस काम को कराएंगे। इसीलिए मैंने यह पूछा कि आप पिछले तीन सालों का यह रिकार्ड बताएं कि 1997-98, 1998-99, 1999-2000 में इस मन्दिर की आमदनी कितनी हुई और इस आमदनी को आपने किसमें खर्च किया। इससे यह निकलेगा कि आपके पास धन उपलब्ध है कि नहीं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यही बता रही हूं मैं कि यह धन हमने खर्च किया है,...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आया कितना, मैं यह जानना चाहता हूं पहले तो। खर्च तो बाद की बात है, इन तीन वर्षों में आपको आमदनी कितनी हुई, यह बताएं ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं आपको बताऊं, पचास करोड़ की योजना है और 78 लाख रुपये हमारे पास अभी हैं, जो हमने भूमि का पैसा दिया है वह खर्च किया है। 3,26,44,341 रुपये तो हमने जमीन के दिये हैं। कितना है वह भी बता रही हूं, सुन लीजिये पूरी बात। जो अभी बचा हुआ है पैसा, वह बता रही हूं आपको। इस वर्ष मंदिर के पास जो कुल जमा राशि है वह

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

78 लाख रुपये है, इस वक्त जो मौजूद है। वह आमदनी ही है जो उनके पास अभी मौजूद है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने यह नहीं पूछा। पता नहीं, मैं समझा नहीं पाया या मैं समझ नहीं पाया, मेरा आपसे निवेदन यह है कि इन तीन वर्षों की आमदनी अगर आप बताएं तो आपको निश्चित रूप से लगेगा कि जिसकी आमदनी करोड़ों रुपये की है, जिस मंदिर के लिये यह सारा पैसा है उसका उपयोग आप दूसरी जगह कर रहे हैं। जैसे आपके गर्ल्स कालेज, चित्तौड़ में पैसा सांवरिया ट्रस्ट का था, चित्तौड़ में एक करोड़ की धर्मशाला बनायी उसका पैसा सांवलिया ट्रस्ट का था, सड़कों का निर्माण किया उसका पैसा सांवलिया ट्रस्ट का है, जबकि महत्वपूर्ण काम यह है कि इस मन्दिर के विकास में, इसके परिसर के विकास में प्राथमिकता दी जाए और फिर उसके बाद आप दूसरे विकास के जनता के काम कराएं। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है।

इसलिए मैं यह जानना चाहता था कि 1999-2000 में इसकी आमदनी कितनी हुई है ? जब श्रद्धालु लोग इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उसकी एवज में उनकी मंशा रहती है कि उस मंदिर का भी विकास हो। इसलिए मैं जानना चाहता था कि वर्ष 1999-2000 में चढ़ावे से इस मंदिर को साल भर में कितने पैसे प्राप्त हुए ?

श्री मोहन लाल चित्तौड़िया (कपासन) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से कहना चाहूंगा कि यह सारा पैसा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहन लालजी, बाद में... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से....

श्री मोहन लाल चित्तौड़िया : कटारिया जी ने और उनकी पार्टी ने चित्तौड़ में ले जाकर....(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : यह तीनों वर्षों का जो खर्च हुआ है वह तो आपके सामने है, आपके माध्यम से ही सारा हुआ है।

श्री मोहन लाल चित्तौड़िया : सारा पैसा आपने ही लगाया है, कटारियाजी।

श्री रतन लाल ताम्बी : उस समय राजवी साहब थे। ये काम आपके ही थे, आपने ही किये हैं और आप ही पूछ रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल चित्तौड़िया : और हिसाब पूछ रहे हैं....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह क्या मतलब है....(व्यवधान)

श्री मोहन लाल चित्तौड़िया : अध्यक्ष महोदय, सारे पैसे का जो दुरुपयोग किया है...(व्यवधान) और सारा +++ मिलाया है

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मोहन लाल चित्तौड़िया)

सांवरियाजी का बी.जे.पी. के लोगों ने... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहन लालजी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि मैं कोई साथ लेकर नहीं गया न रिकार्ड लेकर गया न पैसे लेकर गया। मैंने जो भी किया वह आपकी फाइलों में है। जो पैसा है वह भी फाइल में है। मैं अपने साथ न तो कागज लेकर गया और न पैसे लेकर गया। मैं यह जानना चाहता हूं और इसमें से जो चीज आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि इस मंदिर की करोड़ों रुपये सालाना आमदनी है और श्रद्धालु उसमें पैसा चढ़ाते हैं, उस पैसे का उपयोग इस मंदिर के विकास के लिये प्रथम प्रायरिटी पर खर्च होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चित्तौड़िया : +++ कराया, तीन साल का हिसाब तो आपके पास होगा। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आप ही थे, आपने क्यों नहीं किया था उस वक्त ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्यों न... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आया है तो यह मामला तो वही का वही है सारा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने प्रश्न इसलिए पूछा कि कितनी कमाई हुई और कितना खर्चा किया ? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं पूछना चाहता हूं कि आपने वहीं मंदिर के आस-पास क्यों नहीं खर्चा किया ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमने उस स्थान के विकास के लिये....(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : यह परम्परा आपने शुरू की थी कि यह रुपया आपने चित्तौड़ में लगाया, इस इलाके में लगाया ही नहीं मंदिर के लिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह कोई तर्क-वितर्क का विषय नहीं है....(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : वहीं है, गलती वहीं से सारी हुई। (व्यवधान) आप देवस्थान मंत्री ही थे, आपने उस इलाके में पैसा खर्च नहीं किया, मंदिर के विकास का कार्यक्रम नहीं किया। चित्तौड़ में रुपया खर्च करने की परंपरा और कार्य तो आपने शुरू किया था। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे हिसाब से या तो आपको मंत्री बना दें और फिर आप....(व्यवधान)

श्री मोहन लाल चित्तौड़िया : सारा स्कूल में लगाया....(व्यवधान) सारा +++ करके चित्तौड़ में लगाया है....(व्यवधान) वहां के

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मोहन लाल चित्तौड़िया)

विकास के कोई काम बी.जे.पी. के राज में नहीं किये हैं....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह जानना चाह रहा हूं कि पिछले वर्ष आपको कितने पैसे इससे मिले और वह पैसा आपने कहां खर्च किया ? मेरी मंशा यह है कि मंदिर की आमदनी को मंदिर के विकास पर आप प्रायोरिटी से खर्च करें। हमने यह जो 20 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, इतने लोगों को वहां से हटाकर दूसरी जगह बसाया है। उनको मैक्सीमम पैसा दिया, तीन करोड़ रुपये से ज्यादा, उनको कहीं इतना पैसा नहीं मिलता, इतना मुआवजा हमने दिया। एक अच्छा कैम्पस विकसित हो गया, लेकिन सारा है उस मंदिर के आधार पर तो मंदिर को प्रायोरिटी दें। आपका जो पैसा कलैक्ट होगा उसमें आप प्रथम वरीयता मंदिर के निर्माण पर, उसके सुधार पर, उसके जीर्णोद्धार पर देंगे कि नहीं देंगे, यह जानना चाहता हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि जिस प्रयोजन से भूमि अवाप्त की गयी थी उसी प्रयोजन के लिये काम में ली जा रही है। आपने कहीं यह नहीं पूछा था कि सालाना आमदनी कितनी है। किसी सवाल में यह नहीं है कि सालाना आमदनी कितनी है। मेरी बात सुन लें....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे प्रश्न का जवाब....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय सदस्य, आप मेरी पूरी बात सुन लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय, अपने दिये हुए जवाब को भी पढ़ा करें। आपने दिया है कि सांवरियाजी मंदिर के पास उपयुक्त आवश्यकता के अनुसार वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही कार्य पूर्ण कराया जाएगा। मैं वही पूछ रहा हूं कि आपकी आमदनी क्या है और आप खर्च क्या करने जा रहे हैं ? मैं इससे कोई अलग पूछ रहा हूं ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं वही जवाब दे रही हूं....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो सवाल का आप जवाब दे रही हैं उसके बारे में भी आपको मालूम नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय सदस्य, मैं वही जवाब दे रही हूं आप सुन नहीं रहे हैं मैं क्या कह रही हूं। तकनीकी कमेटी की राय के अनुसार मंदिर विस्तार व कारीडोर निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ से अधिक लागत की योजना बनायी गयी है। अब आप जो जानना चाहते हैं उसमें हमारे पास कुल स्थायी जमा राशि 78 लाख है। उक्त वृहत् योजना को प्रारम्भ करने हेतु हमारे पास बहुत कम राशि है, इसलिए जैसे ही हमारे पास राशि उपलब्ध होगी, योजना जो बनायी गयी है, पूरी तैयारी की गयी है, मंदिर के नक्शे भी

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

बना लिये गये हैं, सारी चीज तैयार है, वह शुरू कर दी जाएगी। अभी हमारे पास 50 करोड़ में से सिर्फ 78 लाख रुपये ही मौजूद हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं नहीं पूछ रहा हूं या समझ नहीं रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि साल भर की उस मंदिर की आमदनी कितनी है ? उससे अंदाजा लगेगा कि इस मंदिर के विकास के लिये हमारे पास क्या बचेगा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय सदस्य जो जानकारी चाह रहे हैं, मंत्री महोदया, आप इनको सूचना भिजवा दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : ठीक है मैं आपको सूचना तुरन्त भिजवा दूंगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर भिजवा दें तो यहां +++ नहीं भेजा है। इस सदन में प्रश्न पूछने के हजारों रुपये +++ खर्च नहीं किये हैं। आप भिजवा देतीं तो मेरे घर वैसे ही भिजवा देतीं ना +++ खड़े होकर...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदया को आप +++ कह रहे हैं...(व्यवधान) वे भी यहां +++ नहीं आयी हैं।

श्री मदन दिलावर : बहुत गलत बात है इस तरह से कहना....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : वे भी जवाब देने के लिये आयी हैं....(व्यवधान) वे कोई छोटी-मोटी हस्ती नहीं हैं...(व्यवधान) वे भी आल इंडिया में सम्मानित होंगी, अभी दिल्ली जा रही हैं इनको वहां सम्मानित किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी, बैठिये, बैठिये।...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप कह रहे हैं कि +++ आयी हैं, ऐसे शब्द काम में ले रहे हैं यहां। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व देवस्थान मंत्री अगर मेरी परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं फेल नहीं होने वाली, मैं आपको जवाब दूंगी।

श्री रामस्वरूप : आप तो परीक्षा में पास होंगी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पूरा हिसाब दूंगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जाएं, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : आप तो दिल्ली जाएं आपको सम्मानित किया जाएगा।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जो आपने सवाल पूछा है उसका एक-एक का जवाब दूंगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह बात सही है कि आजकल की जैसी परीक्षाएं होती हैं बिना कागज में लिखे हुए, किताब में से लिखकर, वैसी अगर परीक्षा में पास होना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैंने पूरा बता दिया है कि 50 करोड़ की योजना बनाई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने पूछा है कि आमदनी कितनी है, वह आमदनी नहीं बताएं तो आप अपना कैसे बचाव.... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : पूरे 50 करोड़ की योजना बनाई है....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ऐसी परीक्षा आपने ही चालू करवायी है। ये तो विद्वान हैं– इंदिरा भी हैं, माया भी हैं, राम भी हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : 70 लाख रुपया हमारे पास है, 50 करोड़ की योजना है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : खाली कापी छोड़कर भी कोई पास हो जाए तो हो जाए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय सदस्य, यह सब ब्यौरा आपके कार्यकाल का है, वे तो विवरण दे रही हैं कि आपके जमाने में यह-यह हुआ। आप वही पूछ रहें हैं जो आपके समय में हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं 1999-2000 में नहीं था, 15 महीने पहले।

श्रीमती कमला : अपने कार्यकाल का तो बता दिया ना उन्होंने। (व्यवधान) पूछ रहे हैं....(व्यवधान)

श्री मोहन लाल चित्तौड़िया : अध्यक्ष महोदय, वह सारा हिसाब कटारियाजी जानते हैं, इनके पास हैं सांवरियांजी का .....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने बैलेंस शीट तो देखी होगी, बैलेंस शीट में कितनी आमदनी है। मैं कोई नयी बात तो पूछ नहीं रहा हूं, रिकार्ड आपके पास है, आपने साल भर में आमदनी कितनी की... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल चित्तौड़िया : निर्माण होने दिया, सारा पैसा ले गये चित्तौड़ और वहां सारा सफाया कर दिया। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछने के पहले...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवर लाल। मोहन लालजी, आप बैठिये।

श्री मोहन लाल चित्तौड़िया : सारा पैसा चित्तौड़ ले गये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह मंदिर कपासन के पास है शायद, मुझे याद पड़ता है कि इस पर कोई चर्चा भी पहले हुई थी।

श्री सांवर लाल : कपासन की भूमि में है।

श्री अध्यक्ष : अब आप यह कह रहे हैं कि 1999-2000 में आमदनी कितनी हुई है। अगर इनके पास यह इन्फार्मेशन नहीं है तो, मंत्री महोदया, आप यह इन्फोमेशन लेकर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अवश्य करा दूंगी इनको। वैसे इन्होंने पूछा नहीं था यह सवाल कि आमदनी कितनी किस-किस साल हुई, फिर भी मैं बता दूंगी।

श्री अध्यक्ष : अब सप्लीमेन्ट्री में आ गया इसलिए आप इसको....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। माननीय मंत्री महोदया, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवर लाल, क्या है ?

श्री सांवर लाल : एक सवाल करना चाहता हूं, एक सप्लीमेन्ट्री है।

श्री अध्यक्ष : काहे की सप्लीमेन्ट्री है ?

श्री सांवर लाल : इसी के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष : आपकी क्या सप्लीमेन्ट्री है ?

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदया, क्या आप यह बताएंगी कि यह जो सांवरिया मंदिर ट्रस्ट है, यह कपासन विधायक के क्षेत्र में है ? आज की तारीख में कोई भी विधायक आपने इसमें नोमिनेट नहीं कर रखा है, क्या आप मोहन लाल चित्तौड़िया, जो कपासन से विधायक हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं, उनको नोमिनेट करने का इरादा रखते हो ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि फिलहाल हमने अतिरिक्त कलक्टर को वहां लगा दिया है, जब हम बोर्ड बनाएंगे उस वक्त विचार करेंगे कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है।

श्री सांवर लाल : लोकल एम.एल.ए. को रखना।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री गोवर्द्धन कल्ला।

जिला जैसलमेर की बंजर-भूमि विकास योजना हेतु स्वीकृत राशि

643. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जैसलमेर में बंजर भूमि विकास की कितनी योजनाएं चल रही हैं ? स्वीकृत राशि तथा क्षेत्रफल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(2) क्या यह सही है कि तहसील जैसलमेर के नेहड़ाई गांव के पास एक योजना चलाई गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि नेहड़ाई बंजर भूमि विकास योजनां में 45 लाख रुपये की राशि का अपव्यय हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि नेहड़ाई बंजर भूमि विकास योजना हेतु फिर से राशि स्वीकृत की गई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि गांव मूलाणा में निजी क्षेत्र में बंजर भूमि विकास हेतु भूमि आवंटित की गई है ? संस्था का नाम तथा भूमि का क्षेत्रफल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि डेलासर गांव में जहां भूगर्भ में पानी उपलब्ध है बंजर भूमि के नाम से निजी व्यक्ति भूमि आवंटन के आवेदक हैं ?

(7) क्या यह भी सही है कि बंजर भूमि विकास के नाम पर भू-माफिया सक्रिय है तथा राशि अपव्यय हो रही है ?

(8) क्या सरकार उक्त योजना में हो रही राशि के दुरुपयोग पर पाबंदी लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जैसलमेर जिले में बंजर भूमि विकास हेतु नेहड़ाई में सन् 1992 से एक परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत राशि रुपए 170.30 लाख है। जिसमें से 24 मार्च, 1992 तक रुपए 29.40 लाख प्रथम किश्त स्वीकृत की गई एवं राजस्थान भूमि विकास निगम के माध्यम से कार्य कराने का विचार किया गया। कार्य 1994-95 तक होना था किन्तु 1993-94 में ही निगम द्वारा कार्य कराए जाने में असमर्थता प्रकट करने के कारण नवम्बर, 1995 से डी.आर.डी.ए. द्वारा यह परियोजना चलाई जा रही है। इसका क्षेत्रफल 1800 हैक्टेयर है। वर्ष 1996-97 तक रुपये 42.97 खर्च हुए। अक्टूबर, 1996 से दिसम्बर, 1998 तक कार्य बंद रहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट पैरा में मैंने तरमीम करके पढ़ा है। माननीय, आपसे माफी चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : तरमीम है, तरमीम। बिलकुल तरमीम कर दिया आपने।

श्रीमती कमला : (2) जी, हां।

(3) राशि का अपव्यय नहीं हुआ है अपितु परियोजना पर वर्ष 1995-96 में व्यय किए जाने के पश्चात् भारत सरकार से परियोजना कार्यों की राशि प्राप्त न होने के कारण पूर्व में कराए गए कुछ कार्यों को सुरक्षित नहीं रखा जा सका। जिसके कारण महालेखाकार ने अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 से 1995-96 के अनुच्छेद-1 (भाग-II अ) में 42.97 लाख रुपयों के निष्फल व्यय का आक्षेप उठाया है।

(श्रीमती कमला)

(4) जी, हां। भारत सरकार ने 7 जनवरी, 1998 को पुनः रुपयें 100.00 लाख की राशि (द्वितीय किश्त) स्वीकृत की है। मार्च, 2000 तक रुपये 129.40 के पेटे रुपये 80 लाख, 60 हजार व्यय हो चुके हैं।

(5) जी, हां। आर.एस.बी. प्रोजेक्ट, नई दिल्ली, जो कम्पनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, को कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज परियोजनार्थ, राजस्थान राजस्व नियम, 1996 के तहत ग्राम मूलाणा (वर्तमान में भीमसर) तहसील फतेहगढ़ के खसरा नम्बर 438 से 452, 455, 456, 1273, 1274, 1287, 1290 से 1294, 1297 से 1302 किस्म बंजर राजकीय सिवाय चक में से 500 हैक्टर भूमि का आवंटन दिनांक 24.1. 2000 को एग्रोबेस ओरिएन्टेड जोजोबा प्लांटेशन के लिए किया गया है।

(6) जी, हां।

(7) जी, नहीं।

(8) राशि का दुरुपयोग नहीं हो, इस बाबत् दिशा-निर्देशों में प्रभावी व्यवस्था है। राज्य स्तर पर शासन सचिव एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी हेतु समितियां बनाई गई है जिनमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि सदस्य हैं।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में कुछ भी नहीं कहना है, प्रश्न पूछना नहीं है। मंत्री महोदय ने कहा है कि राशि का अपव्यय नहीं हुआ है, जब अंकेक्षण में यह कहा है कि 42.97 लाख रुपये अपव्यय हुआ है फिर कैसे कह रही हैं कि नहीं हुआ है ? पहले जब कार्य प्रारम्भ किया गया, निगम ने असमर्थता बताई फिर भी चालू रखा गया। अभी एक करोड़ रुपये फिर स्वीकृत हुए हैं, कौनसे वृक्ष लगाए, कितने वृक्ष सरवाइव हुए ? रॉकी एरिया है, कुछ भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, वहां पूरी की पूरी राशि का अपव्यय हो रहा है, फिर मंत्री महोदया कह रही हैं कि अपव्यय नहीं हुआ। प्रश्न के पहले, दूसरे, तीसरे, खण्ड में मेरा प्रश्न है, चौथे खण्ड में है, जैसलमेर जिले में जमीन पर लोगों की निगाह है, वहां सरस्वती नदी का बैल्ट है, अण्डर ग्राउण्ड पानी है, 500 हैक्टेयर जमीन एक कम्पनी को अलॉट की गई बंजर भूमि के नाम से।

मेरा मंत्री महोदया से प्रश्न है कि आप बंजर भूमि किसे कहते हैं ? तो मुझे जवाब मिलता है कि बंजर भूमि वह है जहां 10 वर्ष कृषि नहीं हुई। जैसलमेर जिले में 1976 से कृषि भूमि का अलॉटमेंट बंद है; ऐसी भूमि बंजर घोषित करके अलॉट की जा रही है। फिर कह रही हैं कि दूसरी कम्पनी ने एप्लाई कर रखा है ? जी, हां। यह क्या ज़वाब दे रही हैं, मैं समझ नहीं रहा।

मेरा प्रश्न है, मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या यह सही है कि बंजर भूमि विकास के नाम पर भू-माफिया सक्रिय है तथा राशि का

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

दुरुपयोग हो रहा है ? खण्ड सात में मुझे कह रही हैं, जी, नहीं। अध्यक्ष महोदय, इन सारे प्रश्नों का उत्तर क्या है, मेरी समझ से बाहर है। कृपयां आप उसे देख लें, आप स्वयं ही इसका निर्णय कर लें, मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है माननीय सदस्य की जो चिंता है कि जैसलमेर जिले की भूमि और उसके बदलते रूप के कारण बहुत-से लोगों की वहां पर निगाह है और बड़े-बड़े कामों के परिप्रेक्ष्य में बहुत से आवेदन भी आते रहते हैं। 1992 में एक यह परियोजना स्वीकृत की गई थी, लेकिन जिस कार्य के लिए स्वीकृत की गई थी उस कार्य में अधिक प्रगति नहीं हुई और संस्था ने भी काम करना बंद कर दिया।

माननीय सदस्य के पूरे सवाल के परिप्रेक्ष्य से मैं यह समझ पाई थी कि जिन भू-माफिया के सम्बन्ध में आपने यह सवाल उठाया है उनको किस प्रकार से रोका जाय, जिन्होंने ली है उन्होंने क्या कारगुजारियां की हैं। इसके जवाब में देखा जाए तो यह वास्तव में सही है कि परती भूमि या बंजर भूमि की जो परिभाषा एक्ट में की हुई है, नियमों में वह सही नहीं है। मैंने जब उसको देखा था तो उसको तरमीम करने के लिए सुझाव दिया था। जिस भूमि को काबिल कांश्त नहीं माना जाए उसको तो परती भूमि माना जा सकता है लेकिन उसमें एक लाइन यह लिखी हुई है कि अगर 12 वर्षों तक उस जमीन पर खेती नहीं हुई है। तो अनेकानेक कारणों से 12 वर्षों तक किसी भूमि पर खेती नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब उसकी किस्म बदल नहीं जाती। इसलिए उसे उसमें से निकालने के लिए मैंने विभाग को निर्देशित किया है कि उसके कारण से हम कृषि योग्य भूमि को किन्हीं इस तरह की संस्थाओं को न दें।

माननीय सदस्य, आपने अपने पूरे सवाल में कहीं यह नहीं दर्शाया है कि जो पैसा दिया गया है, जो परियोजना दी गई है उसमें काम नहीं हुआ है। जिस काम के लिए दी गई उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। इसलिए इस ब्यौरे में मैं नहीं गई कि उसकी जांच कराकर उसके बाद में आपके सामने यह सारा प्रस्तुत करती।

लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूं कि सदन में आपने जो अभी बताया है कि वहां कुछ भी नहीं किया गया है, क्योंकि जो आरोप लगा है, रिपोर्ट के अनुसार वह सिर्फ यह है कि जो काम किया गया था वह निष्फल हो गया। उसके बारे में कहते हैं कि इसको चूंकि प्रोटेस्ट नहीं किया जा सका, बीच में यह कार्य बंद हो गया इसलिए जो काम किया गया है वह निष्फल हो गया। इसलिए यह दोनों तरह की चीजें हैं। इनकी पूरी तरह से जांच करवाकर जैसी भी स्थिति है, उस संस्था को 5,500 हैक्टेयर जमीन दी गई। इस तरह की बड़ी जमीन वृक्षारोपण

(श्रीमती कमला)

करके काम में लाई जा सकती है। छोटी जमीनों पर बड़ी और दीर्घकालीन योजना सफल नहीं हो सकती।

अभी मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूं कि कोई भी इस तरह की संस्था अनावश्यक रूप से जैसलमेर जिले में जमीन लेकर डालने का मंसूबा रखती है, वह हमने रोक लगा दी है। माननीय सदस्य, खुद मैंने 17 तारीख को मीटिंग ली थी जिसमें कृषि विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, आयुर्वेद विभाग, आयुर्वेद संस्थान, कोलोनाइजेशन, सी.ए.डी., इन तमाम के सैक्रेटरी, आयुक्त आदि को बुलाकर यह तय किया है कि जो भी बैल्ट है मोहनगढ़ से रामगढ़ तक, जो भी हार्ड पैन या सेमी हार्ड पैन है, सिर्फ वह ही इस प्रकार के कार्यों के लिए निर्धारित किया जाएगा। बाकी किसी भी जगह पर इस तरह के कामों के लिए कोई जमीन नहीं दी जाएगी और दी जाएगी तो उस प्रोजेक्ट का पूरा गहराई से विश्लेषण करके, उसकी क्षमता को आंक कर, उसके उपरांत ही ये जमीनें दी जाएंगी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री अमीन खान (शिव) : अध्यक्ष महोदय, भीमसर गांव की तहसील फतेहगढ़ मेरे क्षेत्र में आती है, बंजर भूमि की परिभाषा जो रिकार्ड में होती है उसको तो लोग मानते हैं लेकिन बंजर भूमि उसको कहा जाए जो धोरा हो, टीबा हो, उबड़-खाबड़ हो, नदी-नाला-खोला हो, जिस जगह हल चल नहीं सकता। वह जमीन काबिल-काश्त नहीं मानी जाती। भीमसर गांव फतेहगढ़ तहसील में पुराने मूल गांव से नया रेवेन्यू गांव बना है, वह जमीन बहुत समतल जमीन है। वहां हल नहीं चलने का कारण, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं जैसलमेर जिला 80 हजार वर्ग किलोमीटर है और उसमें अभी आबादी 3 लाख भी नहीं है। उसका पड़ौसी जिला बाड़मेर 28 हजार वर्ग किलोमीटर है जहां की आबादी 15 लाख है। तो स्वाभाविक है यह जमीन पड़त रहना मानेंगे, लेकिन इस जमीन को काबिल लोग, पढ़े-लिखे लोग, चतुर लोग आज हड़प करना चाहते हैं। वो बंजर के बहाने से करते हैं।

मेरे फतेहगढ़ तहसील के गांव भीमसर में 500 हैक्टेयर जमीन इन्होंने ली है जहां पर एक भी पौधा नहीं लगाया गया है। वह जमीन ओरण है, ओरण की जमीन में जो बोरड़ी इत्यादि चीज खड़ी हैं वह बता करके पैसा हड़प करन चाहते हैं। ऐसी जमीनों पर सरकार को सख्त निगरानी करनी चाहिए और ऐसे भू-माफियाओं को नहीं घुसने देना चाहिए जिससे वहां के लोगों का अहित हो।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहती हूं कि यह प्रोजेक्ट 1992

(श्रीमती कमला)

का स्वीकृत है। अभी एक और प्रोजेक्ट हर्षा लिमिटेड के नाम से आया था नीम लगाने के लिए और उसी संदर्भ में मुझे वह मीटिंग भी बुलानी पड़ी। वह भी उतनी ही भूमि मांगी थी, नीम लगाने के लिए तय किया था। उसको देखने के समय ही मुझे यह जानकारी हुई। (व्यवधान) सुनिए तो सही, अभी दिया ही नहीं है उनको।

मैंने उनकी स्थिति को, उनके प्रोजेक्ट को, उनके तौर-तरीकों को देखकर उसको स्वीकृत नहीं किया है। उसी संदर्भ में वह मीटिंग बुलाकर नया निर्णय लिया गया है कि बंजर भूमि की परिभाषा बदली जाएगी और इन सम्बन्धों को थोरोली एग्जामिन किया जाएगा और जो जमीन हार्ड पैन, सेमी हार्ड पैन आइडेंटिफाई की है उसको बहुत गहराई से अध्ययन के बाद में दिया जाएगा। अभी किसी को दिये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार अपने विचाराधीन रखे हुए नहीं है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा सैकिण्ड सप्लीमेंटरी है। मंत्री महोदया कह रही हैं निष्फल हुआ जबकि महालेखा अंकेक्षक वर्ष 1993-94, 1995-96 में खुला आरोप लगा रहे हैं कि 92.97 लाख रुपये निष्फल हुए। इसका मतलब वहां कुछ था ही नहीं। उसके बाद में कह रहे हैं कि यह अपव्यय नहीं हुआ।

दूसरा, अंतिम सातवें में इन्होंने कहा कि कमेटी बनी हुई है उसके अंदर जन-प्रतिनिधि हैं। 16 महीने मुझे विधायक बने हुए हो गये, कोई जन-प्रतिनिधि कमेटी में है नहीं। 1998 में एक करोड़ रुपया फिर सैंक्शन हुआ है, किसने मांग की, किसने रिपोर्ट दी ? वहां रॉकी एरिया है, एक भी पौधा जोजोबा का या जो वृक्ष बता रहे हैं विशेष नाम का, मेहरबानी करके बता दीजिए किस वृक्ष के लिए प्रोजेक्ट है ? उस वृक्ष का नाम बता दें। एक भी वृक्ष है नहीं और एक करोड़ रुपया अपव्यय किया जा रहा है। फिर जवाब दिया जा रहा है कि अपव्यय नहीं है, निष्फल है। मेहरबानी करके आप इसकी पूरी जांच कराएं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : पहले मैंने आपको बताया, 1992 का स्वीकृत प्रोजेक्ट है। इसके जवाब में जो मैंने जानकारी दी है और जो हमें आयी है उन सबको मिलाकर थोरोली इसकी जांच कराके आवश्यक हुआ तो इसके बाबत् में निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और आगे इस बाबत् ध्यान रखेंगे कि कोई भी इस तरह से भू-माफिया जमीन लेने की मात्र नीयत से राजस्थान की किसी भी जगह पर नहीं बसें।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : वृक्ष का नाम बता दें किस वृक्ष के लिए प्रोजेक्ट है।

श्रीमती कमला : जोजोबा।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : जोजोबा के लिए नहीं है, मैडम। अध्यक्ष महोदय, जोजोबा के लिए यह प्रोजेक्ट नहीं है।

श्रीमती कमला : नहीं है तो आपने कहा है कि वह नहीं है। आपने इसमें कहीं

(श्रीमती कमला)

सवालों में पहले रख दिया होता तो उसकी हम जांच करके आपके सामने रखते, लेकिन आपने सिर्फ यह पूछा कि अपव्यय हुआ। अब अपव्यय के लिए...

श्री गोवर्द्धन कल्ला : जोजोबा के लिए आप बता रही है, जोजोबा है नहीं।

श्रीमती कमला : मैंने मान ली है आपकी बात। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर. पी. शर्माजी बैठिए, पहले उनको जवाब देने दें।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : कहीं उनका उससे सम्बन्ध है, जांच कराकर जो ऑफिसर दोषी हैं..

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिए।

श्री आर.पी. शर्मा : जिन्होंने गलत तरीके से प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, वह भी मंत्री महोदय बताएं। क्योंकि यह सिलसिला जारी है, जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है उसमें खर्चा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : शर्माजी, बैठिए।

श्री आर. पी. शर्मा : उसकी जांच कराकर उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगी ?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि दिल्ली की कंपनी को 500 हैक्टेयर भूमि जोजोबा लगाने के लिए अलॉट की थी, वहां पर जोजोबा आज तक अगर नहीं लगा है तो जांच करके इस कंपनी को 500 हैक्टेयर जमीन जो अलॉट की गयी थी क्या इसको निरस्त करेंगे ? भूमिहीन किसान तो एक-एक इंच के लिए परेशान हैं और एक कंपनी को आपने 500 हैक्टेयर भूमि दी है, क्या इसको निरस्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया है, अमरारामजी, बैठिए।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिकली कहना चाहती हूं कि जांच करेंगे और जिस अधिकारी ने गलत तरीके से रिपोर्ट दी उसके खिलाफ भी जांच करेंगे और कंपनी ने वहां पर काम नहीं कर रखा है तो उसका अलॉटमैंट निरस्त करने की भी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री शिवनाथ सिंह।

राज्य के पशु चिकित्सालयों में रिक्त रहे पदों से बचत

644. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1999-2000 की अवधि में राज्य में कितने नयें पशु चिकित्सालय/उप केन्द्र खोले गये ?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(2) उक्त में से किन-किन स्थानों पर अभी तक डाक्टर/कम्पाउण्डर नहीं लगाये गये हैं ? उक्त स्टाफ के पदस्थापन नहीं करने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक व्यवस्था कर दी जाएगी ?

(3) अब तक उक्त स्टाफ नहीं लगाये जाने के फलस्वरूप कितनी राशि की बचत हुई ? क्या उक्त बचत राशि नये वर्ष में और चिकित्सालय/उप केन्द्र खोलने में व्यय किये जाने का सरकार विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन, (श्री हरिसिंह कुम्हेर) : (1) वर्ष 1999-2000 में प्रदेश में 100 नये पशु चिकित्सालय एवं 400 उप केन्द्र खोले गये।

(2) उक्त संस्थाओं में जिस-जिस स्थान पर डाक्टर/कम्पाउण्डर अभी तक नहीं लगाये गये हैं, उसकी सूची 'क' संलग्न है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.3.99, 30.3.99 एवं 02.12.99 के अनुसार नियुक्ति/पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कार्मिक एवं वित्त विभाग की स्वीकृति/सहमति की अनिवार्यता लागू किए जाने के फलस्वरूप रिक्त पदों की पूर्ति संभव नहीं हुई। कार्मिक एवं वित्त विभाग की स्वीकृति/सहमति प्राप्त होने पर रिक्त पदों की पूर्ति करने की प्रक्रिया यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दी जाएगी।

(3) वर्ष 1999-2000 में 100 पशु चिकित्सालय एवं 400 उप केन्द्रों में स्टाफ नहीं लगाने के कारण 850.00 लाख रुपये की बचत हुई। वर्तमान में नवीन पशु चिकित्सालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने जो संख्या और सूची दी है...(व्यवधान) उसके अनुसार 100 औषधालय खोले और 93 अभी तक खाली पड़े हैं। माननीय अध्यक्षजी, इसी तरह से 400 सब सेंटर खोले और उनमें 370 खाली पड़े हैं। ये खाली पड़े हैं इस कारण से 850 लाख रुपये की बचत हुई है।

माननीय अध्यक्षजी, मंत्री महोदय का जवाब जिस तरह से पेश हुआ है मैं उनकी तारीफ करता हूं कि पारदर्शिता की जो हमारी नीति है उसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया, कहीं भी उससे डिविएट होने की चेष्टा नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब पिछली साल का बजट आपके पास बच गया और अब आपका नया बजट पास हो गया। वित्त मंत्री महोदय भी यहां मौजूद हैं, जो सौतेला व्यवहार इस विभाग के साथ में किया गया है, एक भी पैसा खर्च करने को नहीं दिया गया है, एक डाक्टर, एक कम्पाउण्डर नहीं लगाया गया है जबकि दूसरे विभागों में, चाहे स्कूल खुली हों उनमें अध्यापक दिये गये हैं, औषधालय, हास्पीटल खोले हैं उनमें वैद्य दिये गये हैं। इस प्रकार का सौतेला

(श्री शिवनाथ सिंह)

व्यवहार, माननीय वित्त मंत्रीजी, इस विभाग के साथ में नहीं होना चाहिए। आज जो पशुधन की दुर्गति हो रही है उसमें यहां डाक्टर नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी असमर्थता थी वह अब कब समाप्त होने वाली है और कब तक डाक्टरों को लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा ? माननीय वित्त मंत्रीजी, थोड़ा-सा इसमें ध्यान दें और ये भी अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहें। पिछली साल का पूरा बजट बिना खर्च रह गया, इस साल का पूरा बजट कहीं ऐसे न हो जाए। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आप हमारे इस विभाग की थोड़ी मदद करें और कब से आप यह छूट देने वाले हैं, यह थोड़ा आप बताइये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष जी, 100 पशु चिकित्सालय और 400 उप केन्द्रों के लिए स्टाफ रखने के लिए इस वर्ष के बजट में प्रावधान वित्त मंत्रीजी ने किया है। पिछले साल भी प्रावधान था, लेकिन पिछले साल कर नहीं पाये। (व्यवधान) मैंने लिखकर दिया है आपके लिये, आपके शक व शुबहा क्या हो रहा है इसमें ? विचार नहीं कर पाये हम।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, शक यह है कि यह बजट आएगा और इस साल एक भी डाक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि लोक सेवा आयोग से 100 डाक्टर चयनित बैठे हुए हैं जिनको नियुक्ति आपने नहीं दी है। बजट में प्रोविजन होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय, आपके शासनकाल में तो हो जाएगा।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, पहले मेरा जवाब तो आ जाए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अब शक और शुबहा का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : पहले मेरा जवाब आ जाए उसके बाद मेरा सप्लीमेंटरी हो। उस जुबान में आप जुबान न डालें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी ने मुझे संकेत दिया है कि वह...

श्री यशवन्त सिंह रामू (नदबई) : संकेत ही दिया है या पैसा भी दिया है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, संकेत मिला है।

श्री यशवन्त सिंह रामू : क्या संकेत मिला है ? तीसरी बार उठ रहा है यह प्रश्न।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : संकेत दिया है कि वे इस सम्बन्ध में हमें पैसे देकर रिक्रूटमेंट की कार्यवाही यथाशीघ्र चालू

(श्री हरिसिंह)

करवाएंगे। यह मुझे संकेत उन्होंने स्वयं ने दिया है।

श्री यशवन्त सिंह रामू : कब तक दे देंगे ? (व्यवधान)

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय,, हमारे मंत्रीजी ने पश्चिमी राजस्थान में भी पशु चिकित्सालय खोले थे, वहां भी कोई डाक्टर नहीं है। जैसा कि मंत्रीजी ने फरमाया कि हम अब खोल रहे हैं...

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, दानदाताओं ने पैसे जमा करा रखे हैं ऐसी जगह पर हास्पिटल नहीं खोले।

श्री अध्यक्ष : श्री रतना रामजी। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि दानदाताओं ने 51 हजार रुपये आपके पास जमा करा रखे हैं हास्पीटल खोलने के लिए, आपके पास पैसे जमा हैं ऐसी जगह हास्पीटल नहीं खोला। आप 51 हजार रुपये न वापस दे रहे हो। 51 हजार रुपये जो जमा कराये हैं हास्पीटल खोलने के लिए या तो उनको वापस दिये जाएं या हास्पीटल खोला जाए। आपकी क्या मंशा है इसके बारे में, पशु चिकित्सालय खोलने के बारे में, माननीय मंत्री महोदय बताएं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, सवाल पशुपालन मंत्रीजी का है और वित्त मंत्रीजी को आ गया। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह छूट कब देने का विचार है और कब साधन उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यह आपसे सम्बन्धित हो गया इसलिए आप थोड़ा फरमा दीजिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पहले इन्होंने पूछा है, मैं इनका जवाब दे दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पहले मंत्रीजी पैसे तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : केसारामजी, बैठिये।

श्री केसाराम चौधरी : वहां हास्पीटल के लिए 51 हजार रुपये जमा करा रखे हैं और सैंक्शन्ड हैं, साहब, मगर वहां पर हास्पीटल नहीं खोला।

श्री अध्यक्ष : आसन से आप अनुमति लीजिये, आप बीच में खड़े कैसे हो रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहूंगा कि जिन सौ पशु चिकित्सालयों...

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपने इनको अनुमति दी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : हां, दे दी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अनुमति दी है, बिना अनुमति मैं बोलता नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अनुशासन की पालना करता हूं, बिना अनुमति मैं बोलता नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिन सौ चिकित्सालयों और चार सौ उप केन्द्रों को पिछले वित्त वर्ष में आपने खोलने की घोषणा की थी, क्या उनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति आपके पास थी ? अगर थी तो आपने उनमें अब तक एक भी राशि खर्च क्यों नहीं की, नम्बर एक बात ? नम्बर दो, क्योंकि चिकित्सालय खोल दिये आपने सौ, आपके पास वेटरिनरी डाक्टर हैं नहीं तो इनकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की या नहीं की ? अगर नहीं की तो आपकी नीयत बिलकुल साफ है कि आप थोथी घोषणा ही करना चाहते हो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष जी, जवाब दे दूं मैं। हमारे पास सौ नये चिकित्सालय और चार सौ उप केन्द्र खोलने की वित्तीय स्वीकृति भी थी और प्रशासनिक स्वीकृति भी थी, स्वीकृति के पश्चात् ही हमने ये खोले थे। लेकिन क्योंकि रिक्रूटमैंट पर बैन था इसलिए इनको भर्ती नहीं किया गया। दूसरा प्रश्न आपने पूछा था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको आप खोला हुआ मानते हो क्या ? चिकित्सालय जो आप कह रहे हैं कि इनकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति थी, आप इनको वास्तविक रूप से कार्यरत मानते हो, इनको खोला हुआ मानते हो ? इनमें कितने पशु चिकित्सक लगे, यह बता दो आप।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, पूछ लिया आपने।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : हमने जो खोले हैं, विधिवत् खोले हैं, वित्त प्रोविजंस के अन्तर्गत खोले हैं, प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत खोले हैं। अब आपने कहा कि स्टाफ हमारे पास में है या नहीं है ? हमारे पास में पब्लिक सर्विस कमीशन से आये हुए सौ सलैक्टेड डाक्टर्स की सूची मौजूद है, हमारे पास पशुधन सहायक जितने हमको रिक्रूट करने हैं उतने सब हैं। हमको जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, वैसे ही हम इनका रिक्रूटमैंट शुरू करके इनको भर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : जो आपने रिक्तियां बतायी हैं, क्या विभाग में इससे पहले भी स्वीकृत पशु औषधालयों और उप केन्द्रों की वैकेंसीज बाकी हैं ? जो स्वीकृत हुए हैं उनको एक साथ भरने का इरादा रखते हैं ? वित्त मंत्रीजी इसका आश्वासन दें, क्योंकि वित्त मंत्रीजी के संकेत से न तो डाक्टर लगेगा और न कम्पाउंडर लगेगा और राजस्थान के भयंकर अकाल में पशुधन का नुकसान हो रहा है। वित्त मंत्रीजी, केवल इससे काम नहीं चलेगा, कितने

(श्री अमराराम)

समय के अन्दर यह भरने की मंजूरी पशु-पालन विभाग को दे देंगे और उसके बाद मंत्रीजी का काम आएगा, वित्त मंत्रीजी बताएं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वित्त मंत्रीजी का संकेत कोई ऐसा पहला ही संकेत है क्या ? वित्त मंत्रीजी की कलम से राजस्थान का बजट चलता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पशुपालन मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री रतना राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बजट में एक भी चिकित्सालय खोलने का प्रावधान नहीं रखा है। गत साल खोले हैं पर इस साल एक भी नया कोई चिकित्सालय, औषधालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रतना रामजी।

श्री रतना राम चौधरी : एक भी खोलने का नहीं है इसलिए कृपा कर पशुधन की हालत को देखते हुए, अकाल की स्थिति को देखते हुए वहां अब खोलने का प्रावधान करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, रतना रामजी, प्रश्न पूछ लिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पशुपालन मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, आपने अभी जैसे कहा कि आपके पास चिकित्सक भी मौजूद थे, आपके पास कम्पाउंडर भी मौजूद थे और जो सौ चिकित्सालय आपने पिछली बार खोले थे उनकी वित्तीय स्वीकृति भी थी, इनमें से अकाल प्रभावित क्षेत्रों में कितने चिकित्सालय हैं जिनको यदि खोल दिया जाता है तो वहां पशु जो मरे हैं उनको मरने से बचाया जा सकता था ? कृपया बताएं।

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी ने पूछ लिया यह।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना है।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलालजी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, डाक्टर लगाये नहीं, कम्पाउंडर लगाये नहीं, दवाई भेजी नहीं तो क्या खोलने की प्रक्रिया की, क्या खोला, यह बता दीजिये ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : खोलने के बाद ही बात बता रहे हैं। स्टाफ लगाने की प्रक्रिया होती है, दवाई भेजी जाती है, यह प्रक्रिया अब हम करने जा रहे हैं। यह हमने लिखित में आपको...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह आपने लगाये नहीं, फिर खोले क्या ? यह बताइये आप तो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आपने कैसे अपने उत्तर में कह दिया कि आपने खोले हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कमरे खोले, मकान खोले, क्या खोले, यह तो बताएं आप, ताला खोला, क्या खोला ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : नहीं, सैंक्शन दी है खोलने की, स्टाफ लगाने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। यह तो आप मंत्री रहे हैं, आप जानते हैं किस प्रकार से कार्यवाही शुरू होती है। आप पहले आर्डर शुरू करते हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं हुआ, एक साल में ही कब हो जाएगी ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कब हो जाएगी, यह मैं बता रहा हूं आपके लिए कि वित्त मंत्रीजी ने संकेत दिया है कि वह जल्दी से कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब संकेत मिल गया इनको। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बता दें कि कितनी पोस्ट खाली हैं।

श्री केसाराम चौधरी : दो साल पहले के पैसे जमा हैं।

श्री अध्यक्ष : पूछ चुके हैं आप। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे दो साल से पैसे जमा हैं, आपने हास्पीटल खोलने के लिए पैसे जमा करवाये हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

राज्य में बिक्री कर प्रोत्साहन/आस्थगन योजना

645. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा बिक्री कर प्रोत्साहन/आस्थगन की योजना लागू कर रखी है ? यदि हां, तो कब से ? प्रोत्साहन/आस्थगन की योजना के तहत अधिकतम छूट कितने वर्ष तक की है ?

(2) प्रोत्साहन/आस्थगन योजना के तहत किसी व्यवसायी को अधिकतम कितने वर्ष तक लाभ उठाने की छूट दी गयी है ? क्या उक्त योजना के तहत कच्चे माल की खरीद पर क्रय करने में छूट देय है ?

(3) क्या सरकार ने वर्तमान में भी उक्त योजना को लागू कर रखा है ? यदि नहीं, तो कब से बन्द कर दिया है ? उक्त अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने दिनांक 24 जनवरी, 2000 को विभिन्न अधिसूचनाओं के जरिये मैसर्स काजरिया, सैरेमिक लिमिटेड, मैसर्स सैमकोर ग्लास लिमिटेड, मैसर्स बरून बेवरेजेज लिमिटेड एवं मैसर्स एस. कुमारस लिमिटेड को कर की छूट दी है ? यदि हां, तो कितने-कितने वर्ष के लिए एवं प्रत्येक को कितनी-कितनी कर राशि की छूट दी है ?

(5) उक्त फैक्ट्रियों को रीको द्वारा कितनी-कितनी भूमि किस-किस रेट पर

(डा. किरोड़ी लाल)

कहां-कहां एवं कब-कब आवंटित की गयी ? उक्त क्षेत्रों में रिजर्व दर क्या है ? आवंटन पत्र/मांग-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त फैक्ट्रियों से कितना-कितना रोजगार प्राप्त होगा ? क्या रोजगार में राजस्थान के ही लोगों को लिया जाएगा ? रोजगार देने के मानदंड क्या होंगे तथा इस पर राज्य सरकार का क्या कोई नियंत्रण होगा ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। यह प्रश्न स्थगित किया गया है क्योंकि वित्त विभाग ने इसको उद्योग विभाग को हस्तान्तरित कर दिया है। नहीं, इसका जवाब नहीं आया है।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रश्न 15 अप्रैल को बहुत आगे था।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसका जवाब नहीं आया है।

डा. किरोड़ी लाल : परसों रैफर किया है, आपके यहां कार्यालय में सूचना आ गयी है और सूचना आने के बाद...

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसकी सूचना नहीं आयी है।

डा. किरोड़ी लाल : आप इसको, अध्यक्ष महोदय, स्पेशल बुलेटिन के द्वारा...

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : यह तो उद्योग विभाग का है, उद्योग विभाग अपने टर्न पर जवाब दे देगा, उद्योग विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है।

डा. किरोड़ी लाल : यह स्पेशल बुलेटिन के द्वारा लगवा दें, बहुत महत्त्वपूर्ण है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत महत्त्वपूर्ण है, अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन सौ करोड़ का घोटाला है।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले ही मेरी जानकारी में लाया गया कि वित्त विभाग ने इस प्रश्न को उद्योग विभाग में ट्रांसफर कर दिया है। हमने आपके सचिवालय से निवेदन किया है कि जब भी मेरा रिप्लाई का डे हो उस दिन आप चाहें तो इसको लगा सकते है, मैं जवाब दे दूंगा। (व्यवधान) दो मई है न ? चाहें तो अध्यक्ष महोदय, लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : दो मई को लग जाएगा, दो मई के प्रश्न अगर मुद्रण...

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, दिलावरजी, कहां खड़े हो रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास।

जेल विभाग के सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण

646. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(1) डी.जी. पुलिस को जेल विभाग में लगाने के बाद जेलों से वर्षवार कितनी-कितनी फरारियां हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या उक्त फरारियों के कारणों पर विचार करके सुरक्षा खामियों को दूर किया गया ?

(3) क्या फरारियां रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों के पदों में बढ़ोतरी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या जेल विभाग के सुरक्षाकर्मियों के लिए प्रशिक्षण की कोई विशेष व्यवस्था की गई है ?

(5) जेल विभाग में कितने सुरक्षाकर्मी अभी भी अप्रशिक्षित हैं ? क्या सरकार अप्रशिक्षित कर्मियों को प्रशिक्षण दिये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्या इससे सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है ?

राज्य मंत्री, कारागार (मास्टर भंवरलाल मेघवाल) : (1) डी.जी. पुलिस को जेल विभाग में नहीं लगाया हुआ है, अपितु भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को वर्ष 1987 से कारागार विभाग में लगाये जाने के पश्चात् जेलों से वर्षवार फरारी की घटनाओं का विवरण निम्न भांति है :–

क्र.सं.	वर्ष	कुल घटना	बंदी फरारी
1	2	3	4
1.	1987	3	4
2.	1988	1	4
3.	1989	2	2
4.	1990	1	1
5.	1991	1	1
6.	1992	5	5
7.	1993	3	3
8.	1994	5	17
9.	1995	2	2
10.	1996	2	2
11.	1997	9	14
12.	1998	3	5
13.	1999	4	6
14.	2000	1	1

इस प्रकार 42 फरारी की घटनाओं में कुल बंदी 67 फरार हुए हैं। फरारी के सम्बन्ध में दोषी पाये गये कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध नियम 16 व 17 के तहत कार्यवाही की गई है।

(2) जी, हां, सुरक्षा की दृष्टि से भवनों की मरम्मत कराने, मुख्य दीवार ऊंची कराने के साथ-साथ सतर्कता सम्बन्धी निर्देश दिये जाते रहे हैं।

(3) जी, हां। आवश्यकता के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी पदों पर बढ़ोतरी की गई है।

(4) कारागार विभाग के सुरक्षाकर्मियों को प्रशिक्षण दिलवाये जाने की व्यवस्था

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में वर्ष, 1997 से की हुई है। जहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(5) वर्तमान में कारागार विभाग के 94 सुरक्षाकर्मी अप्रशिक्षित हैं, जिन्हें वर्ष 2000-2001 में प्रशिक्षण दिलाया जाना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, पहले खण्ड के जवाब में एक तो आप यह बताएं कि कुल कितने कर्मचारियों / अधिकारियों के खिलाफ 16 और 17 की कार्यवाही की है ? इन कर्मचारियों और अधिकारियों में कोई कोल्यूजन में पाया गया क्या ? तब तो 16 और 17 से काम चलेगा नहीं। इतने सारे केसेज हुए हैं, 14 और 17 भी एक साथ फरार हुए हैं, तो आपने कोई क्रिमिनल आफेंस केस रजिस्टर किया हो, किसी को अरेस्ट किया हो, एफ. आई.आर. दर्ज की हो, कोई मिलीभगत से फरार हुए हों, यह विवरण आपने नहीं दिया। एक यह बताएं।

दूसरा, आपने फरारी के कारण नहीं बताये। आपने कहा कि दीवार ऊंची करा दी, यह करा दी, उससे काम नहीं चलेगा, उससे पार नहीं पड़ेगी। जब इतनी बड़ी घटना होती है, जब 14 और 17 मुल्जिम फरार होते हैं तो उसकी निश्चित रूप से आपने जांच भी करायी होगी, कोई कारण भी लिये होंगे। उसके सुधार के लिए आपने क्या किया ?

तीसरा, आवश्यकता के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी की गयी। इन फरारियों के केसेज के बाद आपने क्या आवश्यकता अनुभव की और क्या आवश्यकतानुसार आपने बढ़ोतरी की ?

चौथा, आपने कहा है कि प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था की हुई है, अगर दिलवाने की की हुई है तो अभी तक 94 सुरक्षाकर्मी अप्रशिक्षित क्यों हैं ? अप्रशिक्षित कर्मचारियों को आपने क्यों लगा रखा है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, फरारी के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही 16 और 17 के तहत कुल 105 व्यक्तियों के खिलाफ की गयी है। उसमें अधीक्षक स्तर के 2, उप अधीक्षक स्तर के 4, कारापाल स्तर के 15, मुख्य प्रहरी स्तर के 24 और प्रहरी स्तर के 60, कुल 105 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ यह कार्यवाही की गयी। यह जो कार्यवाही की गयी है इसमें कुछ को दंडित कर दिया गया है, कुछ के खिलाफ कार्यवाही कर दी गयी है और जो बाकी रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी जाएगी।

अब आपने कहा कि ये भग कैसे गये, फरार कैसे हो गये। उसमें कुछ तो दीवार ऊंची नहीं थी, कुछ के तारबंदी नहीं थी। ऐसी स्थिति के अंदर कुछ जेल के अंदर से फरार हुए हैं। उसके लिए मरम्मत और नये भवनों का निर्माण कराया गया है। 1987 से लेकर अब तक कुल 4 भवन नये बनाने की

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

जेल विभाग ने व्यवस्था की है जिसमें आपके विधान सभा क्षेत्र मालपुरा का भी है जो 25.4.2000 को बनकर तैयार हो गया है और विभाग को पी.डब्ल्यू. डी. ने सुपुर्द कर दिया है। इसी तरीके से डीग, राजगढ़ और अटरू ये तीन बाकी हैं, उनको भी विभाग जल्दी से जल्दी कर देगा। इसके अलावा अतिरिक्त जो बैरक्स हैं उन अतिरिक्त बैरक्स को बनाकर व्यवस्था करेंगे ताकि बंदी भाग नहीं जाए।

इसके अलावा 1987 से लेकर अब तक हमारे जेल विभाग के जिन विभिन्न मदों में पैसे आये हैं उनके अन्दर जिला कारागार झुन्झुनूं, किशनगढ़वास, नोखा, सांगोद, ब्यावर, सूरतगढ़, नोहर, महिला जेल जयपुर, सीकर, कोटड़ा, झाड़ौल, बिलाड़ा, सागवाड़ा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, मेड़तासिटी, कोटपूतली, चूरू, बारां, डीग, राजगढ़, अटरू तथा मालपुरा का मैंने बता दिया है, यहां उस समय से अब तक नयी जेल का निर्माण कराया गया है। यह तो आपने फरारी की बात की है कि कैसे हो गयी, तो कहीं-कहीं तार नहीं लगे हुए थे वहां तार लगा दिये गये, दीवार ऊंची नहीं थी वहां दीवार बना दी गयी। इन कारणों से फरारी हो गयी है और अब बाकी व्यवस्था हमने कर दी है, यह मेरा निवेदन है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, मंत्रीजी, आप प्रश्न समझे नहीं। प्रश्न यह था कि आपने 105 कर्मचारियों/अधिकारियों का कहा, क्या किसी का कोल्यूजन मिला क्या ? मिलीभगत से कोई फरार हुआ हो, यह मिला क्या ? किसी के खिलाफ केस रजिस्टर किया क्या ? क्रिमिनल लाइबिलिटी तय की क्या किसी की ?

दूसरा सवाल, कितने कर्मचारियों के खिलाफ 16 की कार्यवाही की और कितने के खिलाफ 17 की कार्यवाही की ? सबसे ज्यादा सजा किसको दी आपने ? कितने लोग दंडित किये जा चुके हैं ? सिर्फ दीवार ऊंची करने का ही कारण मिला क्या आपको जांच में अब तक की दीवार छोटी थी इसलिए भाग गये। कर्मचारियों की मिलीभगत का मामला है या नहीं है क्योंकि 1994 में 15 प्रिजनर्स एक साथ भागे हैं और 1997 में 14 प्रिजनर्स एक साथ भागे हैं ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : जो हमारे बंदी जेल से फरार हुए हैं उनके सम्बन्ध में आपने यह पूछा है कि मिलीभगत से, यानि जेल के प्रहरी, कर्मचारी और बंदियों की मिलीभगत से बंदी फरार हुए हैं क्या। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे केस रजिस्टर हुए हैं जिनकी सूचना मेरे पास अभी नहीं है। इस प्रश्न में आपने यह नहीं पूछा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : हमने जो कार्यवाही की है..

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही की है न 16 और 17 सी.सी.ए. रूल्स में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, क्रिमिनल केस रजिस्टर होना कार्यवाही नहीं है ? सीधा सवाल है, क्रिमिनल केस रजिस्टर किया या नहीं किया किसी के खिलाफ ? सीधी बात बताओ न आप।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : इस क्वेश्चन में क्रिमिनल केस की बात आपने नहीं पूछी। इसमें नहीं है, मेरी बात सुनें। 105 के खिलाफ मैंने बोला है, दो अधीक्षक, 4 उप अधीक्षक, 15 कारापाल, 24 मुख्य प्रहरी और 60 प्रहरी, कुल 105 कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ केस रजिस्टर हुए हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है। जो कार्यवाही नहीं हुई है उनके खिलाफ कार्यवाही आगे विभाग करके उनके खिलाफ एक्शन लेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, एक बात बताएं कि ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनके कार्यकाल में एक से अधिक घटनाएं हुई हैं ? दूसरा, आपने 16 और 17 का वर्गीकरण किस प्रकार से किया ? किसी को 16 में, किसी को 17 में, इसका वर्गीकरण करने का क्या कारण रहा ? जो एफ.आई.आर. लॉज की है उसमें क्या हो रहा है, चालान पेश हुआ क्या किसी का ?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जेल मंत्री बनने के बाद बहुत-सी कार्यवाहियां मैंने चालू की हैं। यह मामला 1987 से पूछा है, कांफी पेंडिंग केस थे लेकिन मैंने एक साल के पीरियड में काफी केसों को निपटाने की कार्यवाही की है और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

ग्राम पंचायत, बस्सी (जयपुर) का नगरपालिका में परिवर्तन

647. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका बस्सी में कर्मचारियों को न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के बावजूद भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका बस्सी को पंचायत में बदल दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत, बस्सी को पुनः नगरपालिका का रूप देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश की अनुपालना में योग्यताधारी 2 पूर्व चुंगी कर्मचारियों को ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है।

(श्री सी. पी. जोशी)

(2) जी, हां। श्री मोहन मुकर्जी समिति ने उन नगरपालिकाओं को भंग करने की अभिशंषा की थी जिनकी वर्ष 1981 की जनसंख्या 15 हजार से कम थी तथा जिन्हें विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। तद्नुसार बस्सी नगरपालिका को भंग कर ग्राम पंचायत में परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी की गई।

(3) जी, नहीं।

(12 : 00 बजे)

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चुंगी कर्मचारी जो हैं, उनमें से चार व्यक्तियों ने कोर्ट में केस किया। चारों व्यक्ति कोर्ट के अन्दर जीत गये और कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको सर्विस लगाया जाए। लेकिन उनमें से खाली दो व्यक्तियों को लगाया गया। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोर्ट ने ऐसा कोई योग्यता का प्रतिबंध उसमें तय नहीं किया। वे जो दो कर्मचारी हैं, वे भी योग्यता रखते हैं, सीनियर हायर सैकण्डरी पास हैं तो उनको क्यों नहीं लगाया ? क्या मंत्री महोदय, इनको लगाने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमेंट्री पूछ लीजिये, प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है।

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में फैसला यह था– "However, keeping in view the fact that the applicant may have become over-age for the purpose of being appointed on the post of Sub-Nakedar or any other equivalent post in the department... " इक्विवेलेंट जो पोस्ट नाकेदार की थी, उसमें सीनियर हायर सैकण्डरी क्वालिफिकेशन जो ग्राम सेवक की है, उन एप्लीकेंट्स में दो आदमी थे, उन दोनों आदमियों को हमने ग्राम सेवक बना दिया कोर्ट के जो आर्डर है उसकी कम्प्लाइंस में।

श्री कन्हैया लाल : माननीय मंत्री महोदय, सीनियर हायर सैकण्डरी तो ये दोनों थे वे तो स्नातक थे जिनको लगा दिया। ग्रेजुएट थे आपने उनको लगा दिया, सीनियर हायर सैकण्डरी तो ये दोनों थे जिनको छोड़ दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्या इन दोनों को लगाने का विचार कर रहे हैं ?

साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत के अन्दर वर्तमान में 16 व्यक्ति और हैं जिन्होंने कोर्ट में केस नहीं किया। आज भी वे कार्यरत हैं, डेढ़ साल से उनको कोई वेतन नहीं मिल रहा है। क्या मंत्री महोदय उन कर्मचारियों को भी लगाने का या वेतन देने की व्यवस्था करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रेश्नकाल समाप्त। कन्हैया लालजी, विराजिये। प्रश्नकाल समाप्त। शोकाभिव्यक्ति।

श्री कन्हैया लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। इसका जवाब तो आने दें एक सवाल का।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, अकाल का भयंकर संकट है, अपना कर्त्तव्य सरकार निभा नहीं रही है। जोधपुर के सतलाना गांव में मोहनलाल मेघवाल, श्रमिक की मृत्यु हो गई है। यह जो शुरूआत हुई है, यह पूरे प्रदेश में इस प्रकार का संकट है। अध्यक्ष महोदय, यहां सरकार वक्तव्य दे देती है, अकाल पर...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न व उसका उत्तर

सब इंस्पेक्टर पद हेतु निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि

641. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर पद हेतु आवेदन-पत्र मांगे गये थे? यदि हां, तो उनकी लिखित परीक्षा कब तक आयोजित की जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि अन्य राज्यों में केन्द्र सरकार में सब इंस्पेक्टर के पद हेतु, आयु की अधिकतम सीमा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित की गई आयु से अधिक होती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार भी उक्त निर्धारित आयु सीमा को 23 से बढ़ाकर 25 वर्ष करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार वर्ष 1999 में मांगे गये सब इंस्पेक्टर पद हेतु आवेदन-पत्रों की विज्ञप्ति को खारिज कर नई विज्ञप्ति निकालने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्ष 1999 व 2000 में उत्तीर्ण स्नातक उम्मीदवारों को भी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की छूट देगी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी, हां। सब इंस्पेक्टर पद हेतु लिखित परीक्षा आयोजित कराये जाने का बिन्दु विचाराधीन है।

(2) राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद की निर्धारित आयु सीमा 23 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष करने संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग में विचाराधीन है।

(3) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशनर को इलाज कराने हेतु स्वतंत्रता

842. **श्री शंकर लाल अहारी** (चौरासी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 12.5.98 के आदेश के पैरा संख्या-11 के पेंशनर को यह विकल्प चुनने का अधिकार दिया गया है कि वह ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक अथवा होम्योपैथिक तीनों में से जिस पद्धति से इलाज कराना चाहता है उसके लिए विकल्प देना होगा, जबकि राजकीय कर्मचारी अपनी बीमारी की गंभीरता को देखते हुए किसी भी पद्धति से इलाज कराने को स्वतंत्र है ? यदि हां, तो पेंशनरों के साथ यह भेदभाव क्यों है ? क्या राज्य सरकार पेंशनरों को भी किसी भी पद्धति से इलाज कराने की स्वतंत्रता देने का विचार रखती है ? क्या इसके लिए कोई अलग से आर्थिक व्यय भार बढ़ने की आशंका नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अब तक कितने पेंशनरों ने आयुर्वेदिक अथवा होम्योपैथिक पद्धति से इलाज कराने का विकल्प दिया है तथा कितनों को स्वीकृति प्रदान की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के पैरा 4-डी के तहत जो पेंशनर गांवों में दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं और बहिरंग रोगी के रूप में निःशुल्क दवा नहीं लेना चाहता उनको 100/– रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है तथा मासिक भत्ता देने की प्रक्रिया जटिलतम है तथा कई जिला कलक्टरों ने दूरस्थ गांवों को सूचना भी नहीं दी है ? किन-किन जिलों में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने पेंशनरों को स्वीकृतियां जारी हुई व स्वीकृति जारी होने के बाद अब तक कितनी-कितनी राशि का भुगतान हुआ ? किन-किन जिला कलक्टरों ने अभी तक वांछित सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की है ? उक्त राशि का भुगतान पेंशनरों को नियमित रूप से किसके माध्यम से कराया जायेगा ? क्या राज्य सरकार इस प्रक्रिया का सरलीकरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 12.5.98 के आदेश के अनुसार स्कीम के पैरा-II बी के अन्तर्गत पेंशनर को एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक पद्धतियों में से किसी एक पद्धति से इलाज कराने का विकल्प है। राज्य कर्मचारी किसी भी पद्धति से इलाज करा सकते हैं। इस अन्तर को समाप्त करने के लिए पेंशनरों से मांग प्राप्त हुई थी, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

(2) अब तक 705 पेंशनरों ने आयुर्वेदिक एवं एक ने होम्योपैथिक पद्धति से इलाज कराने का विकल्प दिया है और सभी को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(3) यह सही है कि उपरोक्त आदेश के पैरा 4-डी के अनुसार दूरस्थ स्थानों पर निवास कर रहे पेंशनरों को बहीरंग रोगी के रूप में निःशुल्क दवा नहीं लेने की अवस्था

(वित्त मंत्री)

में 100/– प्रतिमाह का मासिक भत्ता मेडिकल डायरी पर कोषालयों द्वारा देय है। "दूरस्थ स्थान" संबंधित जिले के जिला कलक्टर घोषित करते हैं। अतः इस प्रकार मासिक भत्ता देने की प्रक्रिया जटिलतम नहीं है। जिलेवार पेंशनरों से प्राप्त प्रार्थना-पत्र स्वीकृति एवं दिनांक 31.3.2000 तक भुगतान होने की सूचना संलग्न है। जिला कलक्टर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, जोधपुर एवं जालौर से सूचना प्रतिक्षित है। उक्त राशि का भुगतान पेंशनरों को उप कोषालय/बैंक के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रक्रिया जटिल नहीं है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

बीकानेर के लेखाकारों/कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानान्तरण

843. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर के आदेश सं. 8/99-2000 दिनांक 18.6.99 एवं आदेश सं. 3 व 4/99-2000 दिनांक 24.6.99 के द्वारा लेखाकारों/कनिष्ठ लेखाकारों को बिना डी.पी.सी. किये ही उच्च पदों के वेतनमान में पदस्थापित किया गया था और गत 5 वर्षों में प्रति वर्ष की जाने वाली इस संवर्ग की डी.पी.सी. नहीं की गई है ?

(2) यदि हां, तो उक्त सूचियों में कोटा व जोधपुर संभाग के कितने लेखाकर्मियों को अपने गृह जिलों में रिक्त स्थानों तक वहीं पर उन्हें पद स्थापित किया गया तथा बीकानेर में सहायक लेखाधिकारी व लेखाकारों के पर्याप्त पद रिक्त होने के बावजूद बीकानेर के करीबन 10 लेखाकारों व 20 कनिष्ठ लेखाकारों को उनके समीप के जिलों में भी नहीं लगाकर बाड़मेर/जैसलमेर में पदस्थापित किया गया है ?

(3) क्या बीकानेर के उक्त लेखाकर्मियों के विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रस्तावित थी ? क्या उनके स्थान पर अन्य को भी नहीं लगाया गया ?

(4) क्या उक्त वर्णित स्थानान्तरण सूचियों में प्रभावित जिन-जिन को उनके कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया तो भी उन्हें बिना कार्यमुक्त किये स्वयं कार्यभार छोड़कर नये पदस्थापन स्थान पर जाने का आदेश दिया गया ? यदि हां, तो क्या एक अराजपत्रित कार्मिक ऐसा कर सकता है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? क्या राजस्थान सेवा नियम में अराजपत्रित को स्वयं कार्यमुक्त होने का प्रावधान है ? क्या ऐसे प्रावधान अन्य किसी सेवा में भी प्रभावी हैं ?

उत्तर

(1) आदेश संख्या 8/9-2000 दिनांक 18.6.2000 एवं आदेश संख्या 3 व 4/9-2000 दिनांक 24.6.99 के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत रिक्त उच्च पदों पर, लेखाकारों को सहायक लेखाधिकारी के पद के विपरीत एवं कनिष्ठ लेखाकारों को लेखाकार के पद के विपरीत पदस्थापित

(वित्त मंत्री)

किया गया था (परिशिष्ट-1, 2, 2(1), 3)। किन्तु यह सही नहीं है कि इन्हें उच्च पदों के वेतनमान में पदस्थापित किया गया था। वास्तव में इन्हें स्वयं की वेतन श्रृंखला में पदस्थापित किया गया था। प्रतिवर्ष की जाने वाली डी.पी.सी. परिशिष्ट-4(i), (iii), (iv), (v) में वर्णित कारणों के कारण नहीं की जा सकी।

(2) उक्त सूचियों में कोटा व जोधपुर संभाग के क्रमशः 4 व 1 लेखाकर्मियों को अपने गृह जिले में पदस्थापित किया गया तथा बीकानेर संभाग में 1 लेखाकर्मी को उसके गृह जिले में पदस्थापित किया गया। परिशिष्ट-5 द्वारा जैसलमेर, बाड़मेर व जालौर सहित कुछ अन्य जिलों में अधीनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पद प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिये गये थे जिनकी अनुपालना में उक्त जिलों में अन्य जिलों से लेखाकर्मियों के पदस्थापन किये गये। उक्त सूचियों में बीकानेर संभाग में ही हनुमानगढ़ जिले में एवं 6 को जैसलमेर जिले में पदस्थापित किया गया। इसी तरह लेखाकारों के रिक्त पद के विपरीत पदस्थापित 17 कनिष्ठ लेखाकारों में से 1 को बीकानेर जिले में, 7 को जैसलमेर, 8 को बाड़मेर एवं 1 को जालौर जिले में पदस्थापित किया गया। उक्त पदस्थापन से पूर्व राज्य में सहायक लेखाधिकारियों की औसतन 21.81% रिक्तियों के विरुद्ध बीकानेर संभाग में 21.26%, कोटा संभाग में 30.48% एवं जोधपुर संभाग में 37.87% रिक्तियां थी। इसी तरह राज्य में लेखाकारों की औसतन 18.47% रिक्तियों के विरुद्ध बीकानेर संभाग में 3.47%, कोटा संभाग में 28.16% एवं जोधपुर संभाग में 32.62% रिक्तियां थी। बीकानेर जिले में सहायक लेखाधिकारियों की 17.56% बाड़मेर में 33.44%, जैसलमेर में 68.42%, जालौर में 22.22% एवं लेखाकारों की बीकानेर जिले में 3.12%, बाड़मेर में 62.50%, जैसलमेर में 55.55%, जालौर में 40.00% रिक्तियां थी। जिन जिलों में ज्यादा रिक्तियां थी उन जिलों में पदों को भरना आवश्यक था।

(3) जी, नहीं। बीकानेर जिले के उक्त लेखाकर्मियों के विरुद्ध पदस्थापन के समय कोई विभागीय जांच प्रस्तावित नहीं थी। 5 लेखाकारों व 2 कनिष्ठ लेखाकारों के पदों पर पद समाप्ति/प्रशासनिक कारणों से अन्य का पदस्थापन किया गया।

(4) स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये लेखाकर्मियों को उनके कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त नहीं किये जाने की स्थिति में परम्परानुसार बगैर कार्यमुक्त हुए स्वयं कार्यभार छोड़कर नये पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने के आदेश निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा दिये गये थे। अनुशासन की दृष्टि से नियोक्ता अधिकारी के आदेशों की पालना सभी वर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा की जानी अपेक्षित है।

(सूची एवं प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर शहर में दो सम्प्रदायों के मध्य सम्पत्ति के क्रय-विक्रय पर रोक

844. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर शहर में जिला कलक्टर स्तर पर हिन्दू से मुस्लिम तथा मुस्लिम से हिन्दू के मध्य सम्पत्ति के क्रय-विक्रय पर रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो क्यों और किस कानून के तहत ?

(2) क्या ऐसे आदेश से अतिरिक्त कलक्टर मुद्रांक जयपुर को भी निर्णय पर अमल करने हेतु बाध्य कर रखा है ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे विक्रय पत्रों की जांच पुलिस द्वारा कराई जाती है ? क्या यह जांच कराई जाने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है ?

(4) उक्त शहर में ऐसे कितने प्रकरण हैं जिन्हें उक्त कारणों से रोक रखा है ? नाम व क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(5) क्या यह सही है कि ऐसी नाजायज रोक से दोनों सम्प्रदायों के बीच और अधिक दूरी को बढ़ावा मिल रहा है ?

(6) क्या उक्त रोक को कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) उक्त कारणों से कोई प्रकरण नहीं रोका गया है।

(5) जी, नहीं।

(6) लागू नहीं।

विद्याधर नगर सहयोग अपार्टमेंट के फ्लेट्स का रख-रखाव

845. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सहकारी आवासन संघ द्वारा विद्याधर नगर में सहयोग अपार्टमेंट टावर-1 एवं टावर-2 में निर्मित कतिपय फ्लेट्स की खरीद सरकार द्वारा वर्ष 1996 में की जाकर इनका आवंटन अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को आवासीय सुविधा हेतु किया गया है ? यदि हां, तो दोनों टावर्स में क्रय किये गये प्लेट्स की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक उक्त दोनों टावर्स में आवंटित फ्लेट्स के रख-रखाव एवं दिन प्रतिदिन की विद्युत, पानी, टूट-फूट आदि की मरम्मत हेतु गांधी नगर फ्लेट्स की भांति सार्वजनिक निर्माण विभाग की चौकी की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक कर दी जायेगी ?

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(3) उक्त फ्लेट्स की मरम्मत एवं पानी-बिजली, टूट-फूट तथा सफाई आदि की आम शिकायतों के निराकरण हेतु अब तक क्या व्यवस्था है तथा अब कब तक किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई एवं उनका कब-कब निराकरण करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त फ्लेट्स में वर्ष 1998 के बाद से अब तक एक बार भी सफेदी का कार्य नहीं करवाया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा अब कब करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। कुल 191 फ्लेट्स की सूची परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(2) विद्याधर नगर स्थित सहयोग अपार्टमेंट के रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य राज. राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा ही कराया जा रहा है।

(3) विद्याधर नगर फ्लेट्स की मरम्मत, पानी, बिजली सफाई आदि की शिकायतों का निराकरण राज. सहकारी आवासन संघ द्वारा ही किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-"2" पर है।

(4) यह सही है कि वर्ष 1998 के बाद कोई सफेदी कार्य नहीं कराया गया है। राज. राज्य सहकारी आवासन संघ के पास वित्तीय संसाधनों एवं तकनीकी स्टाफ की कमी से यह कार्य नहीं करवाया जा सका है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सफेदी का कार्य करवा दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

तहसील रायपुर (पाली) में प्रस्तावित नये राजस्व ग्राम

846. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नये राजस्व गांव बनाने के क्या मानदण्ड हैं ? नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने जिला कलक्टर व अधीनस्थ रेवेन्यू अधिकारीगण को आदेश देकर नये राजस्व गांव के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दे रखें हैं ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला पाली की तहसील, रायपुर के बड़े-बड़े मजरे, झीलड़ा, धोलीघेड वर में रेल बयासां, हाथीभाटा बोयानाड़ी व कुण्डाल देवनगर व शालाकोट कनेर, गोइन्दा, कालाटूक बाफोला तथा नाडी भेऊ समेल, चौकीटोला धोलीमगरी, तेजाजी का थान, सादों की प्याऊ तथा सोजत तहसील में बीजागुडा राजस्व गांव में सालरमाल व पोकरिया की नाड़ी खेडिया में भाडामगरा, चण्डावल स्टेशन में देवासियों

(श्री हीरासिंह चौहान)

की ढाणी दोनवड़ी में पुरोहितों की ढाणी, साडिया में रविया बेरा, रायपुर में रामगढ़ व हरिसागर, लवाध (रायपुर) में बलुपुरा, मालती से भैरूंनाथ इत्यादि मजरे व ढाणियां या बाड़िये रेवेन्यू गांव घोषित होने की श्रेणी में हैं ? अब सरकार कब तक जनता की मांग पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में जिन मजरें/ढाणियों की आबादी 250 व इससे अधिक है उन्हें राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के मानदण्ड निर्धारित हैं। परिपत्र दिनांक 4.10.96 की प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां। निर्देश दिनांक 12.4.99 एवं दिनांक 20.5.99 की प्रति संलग्न है।

(3) पाली जिले की तहसील रायपुर में मूल गांव लवाचा, से मजरा बलुपुरा, बिराटिया-खुर्द से मजरा झीतड़ा को नवीन राजस्व ग्राम घोषित कर अधि-सूचना दिनांक 28.10.99 जारी की जा चुकी है।

शेष मजरें/ढाणियों की आबादी निर्धारित मानदण्ड से कम होने के कारण राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की श्रेणी में नहीं है।

मंत्री मण्डल सचिवालय के परिपत्र दिनांक 19.7.99 द्वारा जनगणना 2001 तक की समाप्ति तक किसी भी राजस्व इकाई के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार/सीमा में परिवर्तन करना प्रतिबन्धित किया हुआ है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

दामोदरपुरा (जयपुर) की चरागाह भूमि के विक्रय से राजस्व प्राप्ति

847. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या एन.टी.पी.सी. दामोदरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की चरागाह भूमि का विक्रय किया गया है ? यदि हां, तो कब तथा कुल कितनी राशि वसूल की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राशि पंचायत खाते में जमा हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब उक्त राशि कब तक जमा करा दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। एन.टी.पी.सी. को ग्राम दामोदरपुरा एवं ग्राम भाखरी की निम्नांकित भूमि कुल 74 बीघा 03 बिस्वा का 400 के. वी. सब ग्रिड स्टेशन की स्थापना प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश क्रमांक आर.18ए(313)84/15918-23 दिनांक 31.12.86 से 9000/– रुपये प्रति बीघा की दर से कीमतन आवंटन किया गया।

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	ग्राम	ख.नं.	किस्म	आवंटित रकबा बी.बि.
1	2	3	4	5
1.	दामोदरपुरा	31	चरागाह	67.19
2.	भाखरी	122	चरागाह	1.09
		130	चरागाह	4.02
		129	सि.चक	0.13
		कुल :		74.03

इस प्रकरण में 74 बीघा 03 बिस्वा भूमि की कुल कीमत राशि रु. 6,67,350/– (अक्षरे छह लाख सड़सठ हजार तीन सौ पचास रुपये मात्र) वसूल कर जरिये चालान नं. 849 दिनांक 24.7.97 जमा की तिथि 10 अगस्त, 1987 से राजकीय मद 0029-भू-राजस्व में जमा कराई जा चुकी है। आवंटन आदेश तथा राशि जमा के चालान की फोटो प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी, नहीं, क्योंकि चरागाह का वास्तविक मालिकाना हक राज्य सरकार का है। जब उक्त भूमि राज्य सरकार की है तो राशि जमा कराने का प्रश्न ही नहीं है।

(छाया प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भीनमाल में दानदाताओं द्वारा सुपुर्द भवनों की देखभाल

848. **डा. समरजीत सिंह** (भीनमाल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि स्कूल/चिकित्सालय आदि के भवन निर्माण हेतु दानदाताओं/ट्रस्टियों को सरकार द्वारा रियायती दर पर भूमि उपलब्ध/आवंटित की जाती है ? यदि हां, तो निर्वाचन क्षेत्र भीनमाल (जालौर) में गत 20 वर्षों में किस-किस दानदाता/ट्रस्टी को कितनी-कितनी भूमि सरकार द्वारा किस-किस उद्देश्य से कहां-कहां आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इनमें से अधिकांश दानदाताओं/ट्रस्टियों को आवंटित शुदा भूमि पर भवन निर्माण कार्य भी पूर्ण करवा दिया और सरकार ने वहां पर स्कूल/चिकित्सालय भी खोल दिये ? यदि हां, तो निर्वाचन क्षेत्र भीनमाल के ऐसे भवनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भवनों में से सरकार द्वारा कितने भवनों को अपने अधिकार क्षेत्र (पजेशन) में ले लिया है ? उक्त भवनों की देखरेख का जिम्मा किसके पास है और शेष रहे भवनों को कब तक सरकार अपने कब्जे में लेने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। गत 20 वर्षों में निर्वाचन क्षेत्र भीनमाल में जिन-जिन दानदाताओं/ट्रस्टियों को राजकीय भूमि आवंटित की गई है, उसका विवरण परिशिष्ट-"अ" में संलग्न है।

(2) जी, हां। वांछित सूचना परिशिष्ट-"अ" के कालम संख्या-8 में उपलब्ध है।

(3) उक्त भवनों में से सरकार ने अपने कब्जे में कोई भवन नहीं लिया है। भवन निर्माताओं के पजेशन में हैं। उनका ही देखरेख का जिम्मा है। आवंटित भूमि पर बने भवनों का कब्जा सरकार द्वारा लेने की बाध्यता आवंटन नियमों में नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय की भोजन व्यवस्था का ठेका

849. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय के भोजन विभाग को भी अब ठेके पर दिये जाने का विचार है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा महानिदेशक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दो सौ बिस्तरों से अधिक क्षमता के चिकित्सालय में डाइटेटिक्स विभाग (भोजन विभाग) की स्थापना आवश्यक है ? यदि हां, तो इस सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उक्त निर्देशों को वर्तमान में भी चालू रखने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को नियंत्रित केलोरी और संतुलित भोजन उसकी बीमारी की प्रकृति के अनुसार उपलब्ध कराए जायें ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में इसकी पालना की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त निर्देशों की पालना करने का विचार रखती है ? राज्य सरकार की वर्तमान में निगरानी की क्या व्यवस्था है ?

(4) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि उक्त भोजन में पूर्ण नियंत्रित केलोरी और संतुलित भोजन नहीं उपलब्ध होने के कारण गांवों से दूरदराज से आने वाले मरीजों का उनको हल्का भोजन, दूध, दलिया, खिचड़ी एवं अन्य सामग्री नहीं मिलने के कारण उनके मरीज सही समय पर ठीक नहीं होते हैं एवं उनके ठहराव की मात्रा बढ़ जाती है ? क्या सरकार चिकित्सालय में सही शुद्ध उक्त सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु कोई मौकूल व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(5) उक्त चिकित्सालय में भर्ती मरीजों पर प्रति वर्ष किस-किस खाद्य सामग्री पर सरकार द्वारा खर्चा किया जा रहा है ? वर्ष

(श्री रामस्वरूप)

1998 से मार्च, 2000 तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त भर्ती मरीजों को वर्तमान में चिकित्सालय की तरफ से क्या-क्या खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध करवाया जा रहा है ? प्रत्येक मरीज को कितनी-कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री/पेय सामग्री दी जा रही है ?

उत्तर

(1) फिलहाल नहीं।

(2) जी, हां। महानिदेशक, चिकित्सा सेवाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निर्देशों के उद्धरण की प्रतियां परिशिष्ट-"क" सदन की मेज पर प्रस्तुत है। व्यवस्था चालू है।

(3) जी, हां। इसकी पालना की जा रही है। निर्देशों की अनुपालना कराना अस्पताल अधीक्षक का उत्तरदायित्व है।

(4) भोजन में पूर्ण नियंत्रित कैलोरी और संतुलित भोजन नहीं उपलब्ध होने के कारण मरीजों के अधिक ठहराव सम्बन्धी कोई प्रकरण/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को संबंधित चिकित्सकों के दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं बीमारी की प्रकृति के अनुसार नियंत्रित कैलोरी के अनुसार संतुलित भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(5) खाद्य सामग्री पर खर्च का विवरण निम्न प्रकार है :–

	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000
आटा	272595.00	234121.00
थूली	8186.00	6267.00
चावल दाल	142521.00	239220.00
वसा/घी	42120.00	76168.00
मसाला	46726.00	78074.00
फल सब्जी	267469.00	518161.00
दूध	2517099.00	4331304.00
तेल	402250.00	40500.00
चीनी	12112.00	6375.00
गैस	92597.00	115508.00
	3803675.00	5645698.00

(6) चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को वर्तमान में प्रति मरीज सुबह एवं शाम की खुराक बनाने के काम आने वाले खाद्य सामग्री की मात्रा निम्नप्रकार से है :

1. चपाती खुराक प्रति मरीज पर दोनों समय की खुराक बनाने के काम आने वाली खास सामग्री

आटा	460 ग्राम
दाल	80 ग्राम

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

मसाला	14 ग्राम
घी	10 ग्राम
सब्जी	200 ग्राम
दही	250 ग्राम
फल	250 ग्राम
तेल	20 ग्राम

2. खिचड़ी खुराक

चावल	180 ग्राम
दाल	100 ग्राम
मसाला	10 ग्राम
घी	20 ग्राम
सब्जी	200 ग्राम
फल	250 ग्राम
दही	200 ग्राम

3. चावल की खुराक

चावल	230 ग्राम
दही	500 ग्राम

4. चावल चीनी दही खुराक

चावल	230 ग्राम
चीनी	40 ग्राम
दही	500 ग्राम

5. डाइबिटिज खुराक : 300 ग्राम आटे से बनी चपाती के साथ अन्य खाद्य सामग्री चपाती डाइट के अनुसार दी जाती है।

6. दलियां डाइट

दलियां	25 ग्राम
चीनी	20 ग्राम
दूध	250 ग्राम

7. दूध डाइट :– 250 ग्राम दूध सुबह एवं 250 ग्राम सायंकाल

8. विशेष मांग-पत्र पर चाही गई डाइट :– दी जाने वाली डाइट में अण्डा, मक्खन, ब्रेड, बिस्कुट, फल, दूध आदि उपलब्ध करवाया जाता है।

भोजन विभाग में बनाने वाली डाइट प्रशिक्षित डाइटिशियनों की निगरानी में सुबह एवं शाम दोनों समय बनवाई जाती है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला पाली के चिकित्सालयों में पद स्थापित कर्मी

850. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जिला पाली के सरकारी/निजी चिकित्सालयों में कितने-कितने चिकित्सक व कम्पाउन्डर/नर्सें व कर्मचारी तथा चतुर्थ

(श्री आत्माराम मेघवाल)

श्रेणी कर्मचारी और ए.एन.एम. कार्यरत हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

जिला पाली में सरकारी चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सक व कम्पाण्डर/नर्से व कर्मचारी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ए.एन.एम. की संख्या सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

निजी चिकित्सालय विभाग के अधीन नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड का गठन

851. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 के बजट सत्र में सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड का गठन करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो अभी तक बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड गठन की मंजूरी विधि विभाग व वित्त विभाग से ले ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के मध्यनजर वर्ष 1999 में प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया जा सका।

(2) प्रारंभिक शिक्षा बोर्ड के गठन के प्रारूप का अनुमोदन विधि विभाग द्वारा कर दिया गया था लेकिन वित्त विभाग द्वारा बोर्ड के गठन की सहमति अभी तक प्रदान नहीं की गयी है।

मारवाड़ जंक्शन (पाली) के विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

852. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन, देवली आऊवाधनला, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मारवाड़ जंक्शन, खिवाड़ में व्याख्याताओं के पद लम्बे समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी, हां। कुछ पद रिक्त हैं। नियमानुसार पदोन्नति एवं सीधी भर्ती पर प्रतिबंध की समाप्ति के उपरांत उक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

शिक्षा विभाग के संस्थापन कर्मियों की स्थानान्तरण नीति

853. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(शिक्षा मंत्री)

1.	रा.उ.मा. विद्यालय छात्र	05
2.	रा.उ.मा. विद्यालय छात्रा	02
3.	रा.माध्य.विद्यालय छात्र	16
4.	रा.माध्य. विद्यालय छात्रा	01
5.	रा.उ.प्रा.विद्यालय	44
6.	रा.प्रा.विद्यालय	08
7.	रा.प्राथ.विद्यालय (पंचायत समिति)	103

विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(3) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है। नियमानुसार पदोन्नति के उपरांत एवं सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध हटने पर उक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जामियां उर्दू अलीगढ़ द्वारा जारी डिग्रियों को मान्यता

856. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या प्रदेश में पूर्व में जामियां उर्दू अलीगढ़ द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में दी जाने वाली डिग्रियां अदीबे कामिल (समकक्ष बी.ए.) तथा मौअल्लिम ए उर्दू (समकक्ष बी.एड.) की मान्यता थी ? यदि हां, तो उक्त मान्यताओं को कब और क्यों समाप्त किया गया ?

(2) क्या उक्त डिग्रियों की मान्यता खतम करने तथा एस.टी.सी. (उर्दू) की खराब स्थिति के कारण उर्दू अध्यापकों की कमी है ?

(3) क्या सरकार उक्त डिग्रियों को पुनः मान्यता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जामियां उर्दू अलीगढ़ द्वारा दी जाने वाली "अदीब कामिल" की डिग्री को पूर्णतया बी.ए. के समकक्ष मान्यता नहीं है। इसे मात्र उर्दू क्षेत्र में उपयुक्त उर्दू प्रयोजनार्थ मान्य किया गया था तथा मौअल्लिम ए उर्दू (बी.एड. समकक्ष) की डिग्री को राज्य सरकार द्वारा मान्य नहीं किया गया है।

(2) जी, नहीं। अजमेर एस.टी.सी. में 50 तथा टोंक में 15 सीटें उर्दू अध्यापकों के लिए रखी हुई है। इसी प्रकार बी.एड. में 15 सीटें उर्दू अध्यापकों के लिए अजमेर में हैं।

(3) जी, नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993

(शिक्षा मंत्री)

लागू किया गया है जिसके अनुसार बी. एड. की डिग्री को मान्यता/समकक्षता देने की कार्यवाही परिषद् द्वारा ही की जाती है।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के विरुद्ध जांच प्रकरण

857. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूंडवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), अलवर तत्कालीन वर्तमान उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), पंचायती राज विभाग, जयपुर के विरुद्ध विभिन्न शिकायतों के आधार पर जांच की गई है ? यदि हां, तो कब ? जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अधिकारी विज्ञान सामग्री व्यय किये जाने के कारण भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है ? क्या राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-1(49) कार्मिक/क-3/99 दिनांक 28.4.99 द्वारा सी.सी.ए. नियम 16 में आरोप-पत्र जारी किये गये हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त अधिकारी को निलम्बित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्रीमती अपेन्द्र कौर सोई तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, अलवर के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उप निदेशक (माध्यमिक), जयपुर के द्वारा दिनांक 8.6.95 को प्रारंभिक जांच की गई। जांच का प्रतिवेदन परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर राज्य सरकार के कार्मिक (क-3) विभाग द्वारा सी. सी. ए. नियम 16 के तहत आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) सामान्यतया: निलम्बन की कार्यवाही आरोपित अधिकारी द्वारा मामले को प्रभावित करने से रोकने हेतु की जाती है। ऐसा इस प्रकरण में नहीं है साथ ही प्रकरण में कार्मिक (क-3) विभाग द्वारा आरोप-पत्र देकर विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

गंगापुर (भीलवाड़ा) में स्वीकृत आई.टी.आई. भवन

858. **डा. रतन लाल जाट** (सहाड़ा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर (भीलवाड़ा) में आई.टी.आई. भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब, कितनी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि क्या थी ?

(डा. रतन लाल जाट)

(2) उक्त भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करने व पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण नहीं कराने में कौन दोषी है ?

(3) क्या सरकार उक्त भवन के स्वीकृत कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1995 में भवन निर्माण के कार्य हेतु रुपये 65.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। वर्ष 1995-96 में रुपये 36.00 लाख एवं वर्ष 1996-97 में रुपये 29.00 लाख भवन निर्माण कार्य हेतु राशि स्वीकृत की गई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार यह कार्य 2 वर्ष 6 माह में पूर्ण किया जाना था।

(2) आई.टी.आई. गंगापुर (भीलवाड़ा) के भवन निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया गया है तथा भवन निर्माण कार्य में वर्तमान में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूचना के अनुसार इस भवन निर्माण पर वह अब तक 53.21 लाख की राशि व्यय कर चुका है एवं वर्ष 1999-2000 में निर्धारित राशि का उपयोग कम रहने के पीछे यह कारण रहा था कि दिसम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक राज्य कर्मचारियों द्वारा हड़ताल में शामिल होने से निर्माण कार्य की प्रगति धीमी रही। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार देरी के लिये कोई भी दोषी नहीं है।

(3) जी, हां। अगले सत्र तक भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रयास जारी हैं।

राजस्थान/मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता

859. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सरकारों के मध्य बनी हाल की सहमति के बाद राजस्थान में चंबल के पानी पर आधारित करीबन 275 छोटी, बड़ी परियोजनाओं का बनाने का रास्ता साफ हो गया है ? यदि हां, तो दोनों सरकारों के बीच क्या सहमति हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चंबल से 6 बड़ी, 16 मध्यम तथा 263 लघु सिंचाई परियोजनाएं बनाई जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें। इनसे किस-किस जिले का, कितना-कितना एरिया सिंचित हो सकेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 3 जून, 1999 को मध्य प्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय नियंत्रण

(सिंचाई मंत्री)

मण्डल की 12वीं बैठक हुई थी। दोनों सरकारों के बीच आइटम 3 के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर सहमति हुई :

(अ) चम्बल बेसिन में बनाये जाने वाली परियोजना का जलग्रहण क्षेत्र दूसरे राज्य के जलग्रहण क्षेत्र में आता है तो अपने राज्य के जलग्रहण क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे राज्य के 10 प्रतिशत जलग्रहण क्षेत्र की जल आवक का उपयोग कर सकेगा।

(ब) सिंचाई परियोजना का जलग्रहण क्षेत्र स्वयं के राज्य में होने के फलस्वरूप दूसरे राज्य से सहमति की आवश्यकता नहीं है, परन्तु परियोजना का निर्माण वह राज्य तभी प्रारम्भ कर सकेगा जबकि परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट के साथ यह प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि दूसरे राज्य का क्षेत्र इस परियोजना के डूब क्षेत्र में नहीं आएगा।

(स) सिंचाई परियोजना के निर्माण से दूसरे राज्य का 5 प्रतिशत तक का डूब क्षेत्र आता है तो परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट दूसरे राज्य को सूचनार्थ हेतु भेजेगा। यदि दूसरे राज्य का 5 प्रतिशत से अधिक डूब क्षेत्र आता है तो दूसरे राज्य की सहमति आवश्यक होगी। परियोजना का निर्माण संबंधित राज्य तब तक प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक कि दूसरे राज्य से अंतिम सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है।

(2) चम्बल बेसिन में नवीनतम सर्वेक्षण के आधार पर 5 वृहद, 21 मध्यम एवं 340 लघु सिंचाई परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-"अ" संलग्न कर दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

पंचायत समिति, बामनवास के ग्रामों में स्वीकृत एनीकट निर्माण

860. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बामनवास के ग्राम बिछोछ में ज़िला विकास प्राधिकरण, सवाईमाधोपुर द्वारा सिंचाई विभाग के तहत कीरों की ढाणी में गोविन्दसागर एवं रामसागर पर एनीकट हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। यदि हां, तो उसमें कितना कार्य हो चुका ?

(2) क्या शेष बची राशि से एनीकट का कार्य प्रारंभ करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब से ?

(3) उक्त एनीकट का कार्य किस-किस कारण से कब से बंद है ? क्या उन व्यवधानों को दूर कर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति, बामनवास के ग्राम बिछोछ में कीरों की ढाणी, गोविन्दसागर एनीकट हेतु रुपये 4.9 लाख की स्वीकृति हुई। एनीकट के कार्य पर कुल रुपये 1.25 लाख का व्यय हुआ।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी, हां। जन प्रतिनिधियों के द्वारा बंद करवाये गये कार्य की पुनः सहमति होने पर कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

(3) जन प्रतिनिधियों के आग्रह पर माह जुलाई, 1998 से कार्य बंद कर दिया गया। जी, नहीं।

झालावाड़ की प्रस्तावित मनोहर थाना परियोजना

861. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला झालावाड़ की प्रस्तावित मनोहर थाना सिंचाई परियोजना विभाग द्वारा राज्य सरकार को भेजी हुई है ? यदि हां, तो कब ? उक्त योजना से तहसील अटरू व मनोहर थाना का कितना क्षेत्र सिंचित होगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना केन्द्रीय स्टेंडिंग कमेटी के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ? राज्य के मुख्य मंत्री व सिंचाई मंत्री ने इस हेतु क्या प्रयास किये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इसमें मध्य प्रदेश सरकार व्यवधान उत्पन्न कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की मनोहर थाना सिंचाई परियोजना का प्रारूप विभाग द्वारा वर्ष 1981 में तैयार किया गया था। परन्तु अन्तर्राज्यीय विषय पर मध्य प्रदेश की सहमति के अभाव में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। मूल प्रारूप के अनुसार उक्त परियोजना से तहसील अटरू एवं मनोहर थाना के लगभग सिंचित क्षेत्र का विवरण परिशिष्ट-"अ" संलग्न है।

(2) जी, नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में 3 जून, 1999 को मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मुख्य मंत्रियों ने अन्तर्राज्यीय बोर्ड की 12वीं बैठक के निर्णय के अनुसार इस परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत अब तखमीना बनाना संभव होगा।

(3) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) के बांधों की नहरें

862. **श्री जौहरी लाल** (राजगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) के बीगोता बांध में शिकायत करने के बाद भी उस बांध पर पथरीली मोटी गिट्टी डाली जा रही है, जिससे बांध में पानी का सिपेज होने का डर रहेगा ? उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के रेणी नवीन बांध व पुराना बांध की नहरों में पानी

(श्री जौहरी लाल)

खराब बहुत होता है ? क्या उक्त नहरों को पक्की बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बांध के कार्य हेतु मिट्टी उपलब्ध नहीं होने के कारण डिजाइन को परिवर्तित कर बांध का निर्माण करवाया गया है जो तकनीकी दृष्टि से उचित है तथा निर्मित बांध से क्षति एवं सिपेज होने की कोई संभावना नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(2) रेणी नवीन व पुराना बांध रियासत काल के निर्मित हैं। रेणी नवीन बांध से प्रस्तावित 547 एकड़ के विरुद्ध सम्पूर्ण सिंचाई अर्जित की जा रही है। अतः नहरों को पक्की करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

घासलान (टोंक) एनीकट के पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

863. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अतिवृष्टि/बाढ़ से क्षतिग्रस्त घासलान (टोंक) एनीकट के पुनः निर्माण हेतु सहायता विभाग द्वारा राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो किस आदेश द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) क्या उक्त क्षतिग्रस्त एनीकट का पुनः निर्माण हो गया ? यदि हां, तो कितना व्यय किया गया और उसमें से कितना भुगतान कर दिया है तथा बकाया भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। घासलाना एनीकट के पुनः निर्माण हेतु मुख्य अभियंता सिंचाई, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक टी/फ्लड/14/1511 दिनांक 3.4.97 एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिंचाई संभाग, जयपुर के क्रमांक टी/118/अमुअ/जेपी/96/2510-38 दिनांक 4.4.97 द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कार्यों के तहत राशि रुपये 3.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई।

(2) जी, हां। एनीकट का निर्माण पुनः हो गया है। कार्य आदेश राशि रुपये 2,50,015 के विरुद्ध रुपये 1,79,612 का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य की जांच उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के बाद शेष भुगतान किया जाना संभव होगा।

माही परियोजना हेतु नाबार्ड सहायता से स्वीकृत राशि

864. **श्री नानालाल नीनामा** (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या गत वर्ष राज्य सरकार को नाबार्ड सहायता के माही परियोजना के कार्य हेतु जगतपुरा, नरवाली, मूंगडा हेतु 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे ? उक्त राशि

(श्री नानालाल नीनामा)

का उपयोग क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार अब उक्त राशि का उपयोग करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, नहीं। नाबार्ड पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत फरवरी, 1999 में नरवाली एवं जगतपुरा वितरिकाओं के लिए 1048.41 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पर सहमति दी थी, परन्तु भूंगडा नहर इस स्वीकृति में सम्मिलित नहीं है। उपरोक्त निर्माण कार्य तीन वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है। इसके विरुद्ध फरवरी, 2000 तक नरवाली एवं जगतपुरा वितरिकाओं पर 332.06 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। अधिशेष कार्य आगामी दो वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है। सामान्यतया नहरों का निर्माण कार्य मौके पर स्थिति के अनुसार चरणबद्ध रूप से किया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के लघु सिंचाई बांध

865. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कुल कितने सिंचाई के लघु बांध हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांधों की भराव क्षमता कम होती जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) सरकार उक्त बांधों की भराव क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कोई प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त बांधों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक विभिन्न बांधों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में 20 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। वर्षा जल के बहाव के साथ सिल्ट आने के फलस्वरूप बांध के डूब क्षेत्र में जमा होने से भराव क्षमता में कमी होना प्राकृतिक एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है।

(3) जी, नहीं।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बांधों/तालाबों पर वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु व्यय की गई राशि निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)
1.	1997-98	3.25
2.	1998-99	2.20
3.	1999-2000	3.00

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

माही बजाज सागर परियोजना-बांसवाड़ा के नहरी क्षेत्र में आयी भूमि का मुआवजा

866. **श्री जीतमल खांट** (बागीदोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा में ऐसे कितने किसान हैं जिनकी निजी भूमि में से माही बजाज सागर परियोजना की नहरें निकाली गई हैं ? क्या अब तक उक्त किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त किसानों के मुआवजे के लम्बित प्रकरणों का भुगतान कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक निपटाने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? जिनका मुआवजा शेष है की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माही परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली नहरें, 10544 किसानों की निजी भूमि में से होकर निकाली गई है। इनमें से 9648 लोगों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है शेष 896 किसानों के मुआवजे भुगतान प्रकरणों को तैयार किया जा रहा है एवं सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरांत भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

(2) जी, हां। 896 शेष रहे लम्बित प्रकरणों का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 और 6 की कार्यवाही क्रमशः 316 एवं 537 प्रकरणों में की जा रही है। 43 प्रकरणों में अवार्ड जारी हो चुके हैं परन्तु 27 प्रकरण वित्तीय साधनों के अभाव में एवं 16 प्रकरण विवादित होने के कारण लम्बित हैं। उक्त सभी शेष प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण हेतु समुचित कार्यवाही की जा रही है। किसानों के मुआवजे के लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-'अ' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गांव विनायका, तहसील पीपल्दा, कोटा में माइनर की स्वीकृति

867. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार तहसील पीपल्दा, (कोटा) के गांव विनायका में चम्बल नहर (इटावा ब्रांच) माइनर निकाल कर किसानों की भूमि को सिंचित करने का विचार रखती है ?

(2) क्या इसके लिए माइनर स्वीकृति है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में गांव विनायका में इटावा ब्रांच, मुगैना डिस्ट्रीब्यूटरी एवं विनायका माइनर से सिंचाई की जाती है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) उपरोक्तानुसार माइनर पूर्व में बनी हुई है।

माही परियोजना, बांसवाड़ा के नहरी क्षेत्र में आई भूमि का पंचायतों को मुआवजा

868. **श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या** (बांसवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा में माही परियोजना की नहरों में कितनी ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक भूमि आ गई है ?

(2) क्या सरकार ने उक्त भूमि का मुआवजा पंचायतों को दे दिया है ? यदि हां, तो कब तथा नहीं, तो क्यों और अब कब तक देने का विचार है ?

उत्तर

(1) माही परियोजना की नहरें जिला बांसवाड़ा की 230 ग्राम पंचायतों में से निकलती है, जिनमें कुछ पंचायतों की सार्वजनिक भूमि नहर निर्माण के उपयोग में ली गई है, यह भूमि सरकारी भूमि की श्रेणी में है।

(2) ग्राम पंचायतों की सार्वजनिक भूमि जिनमें से नहरें निकाली गई है वह सरकारी भूमि है, अतः इनका मुआवजा नहीं दिया गया है। सरकारी भूमि होने के कारण मुआवजा भुगतान नहीं किया जाना है।

ग्राम पंचायत मोहनपुरा (बूंदी) के निर्माण कार्यों की अनियमितता की जांच

869. **श्री राम गोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, केशोरायपाटन, जिला बूंदी की ग्राम पंचायत मोहनपुरा के विरुद्ध गत 5 वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री व अन्य प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा कोई जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार उक्त पंचायत में वर्ष 1995 से 1999 तक कराये गये सम्पूर्ण निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। पूर्व सरपंच के विरुद्ध दिनांक 26.3.99 को शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, केशोरायपाटन से प्रारंभिक जांच कराई जा रही है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी, हां। ग्राम पंचायत, मोहनपुरा के निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, केशोरायपाटन द्वारा की जा रही है।

राज्य में जन सहयोग से निर्मित पाठशालाएं

870. **श्री राम प्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के अन्तर्गत राज्य में कितनी लागत के पाठशाला भवनों के निर्माण में कुल कितनी लागत आई ? जिलेवार संख्या सूची सदन के मेज पर रखें।

(2) उक्त भवन निर्माण में उक्त राशि किस-किस मद में कितनी-कितनी व्यय की गई ?

(3) उक्त भवनों के निर्माण में सामुदायिक आधार पर कितना जन सहयोग प्राप्त किया गया ? उक्त में से कितने भवन जन सहयोग से बने तथा उन पर कितनी लागत आई ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रखी दी गयी है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

पंचायत समिति, परबतसर में कार्यरत अध्यापकों की सेवा मुक्ति

871. **श्री रूपाराम** (डीडवाना) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, परबतसर में अध्यापक पद पर आदेश क्रमांक 2971 दिनांक 19.9.1985 द्वारा पदस्थापित किया जाकर आदेश 4 सप्र/शिक्षा/88 दिनांक 12.1.1988 द्वारा श्री रामावतार पारीक एवं भवानी सिंह शेखावत को अध्यापक पद पर स्थाई किया गया है ? उक्त सम्बन्ध में क्या-क्या नियम/आदेश/प्रक्रिया अपनाई जाती है ? उक्त आदेशों, एनेक्सरों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 15.5.1993 को अध्यापक पद पर कार्य करते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् उन्हें अध्यापक पद से मौखिक आदेशों की अनुपालना में सेवा से पृथक किया गया ? यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या नियम/आदेश/प्रक्रिया बनाई गई है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिला स्थापना समिति व पंचायत समिति की बैठक में इसका अनुमोदन

(श्री रूपाराम)

करवा लिया था ? यदि हां, तो कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इस प्रक्रिया/नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को कब तक दण्डित किया जाकर उक्त कर्मियों को अध्यापक पद पर पुनः बहाली के आदेश जारी करके लगा दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त गलत कार्यवाही करने वाले कर्मचारी/अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) जी, हां। अध्यापकों को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 288 के तहत स्थायी किया जाता है। नियुक्ति आदेश एवं स्थायी करण आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल सेवा अपील संख्या-7031/93 में पारित निर्णय दिनांक 16.11.93 की अनुपालना में उक्त दोनों अध्यापकों को बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण की न्यूनतम योग्यता न रखने के कारण विकास अधिकारी पंचायत समिति, परबतसर के आदेश क्रमांक 266-89 दिनांक 13.4.93 द्वारा दिनांक 15.5.93 को सेवा से पृथक किया गया।

(3) जी, नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदशों की पालना में उक्त अध्यापकों को सेवा मुक्त किया गया।

(4) जी, नहीं। उक्त प्रकरण में किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा गलत कार्यवाही नहीं की गयी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत, न्योलखी (हनुमानगढ़) द्वारा जारी अवैध पट्टे

872. **श्री मांगीलाल डागा** (मेड़ता) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजकीय गोचर भूमि पर आवासीय पट्टे जारी करना सरपंच के अधिकार क्षेत्र में आता है ? यदि नहीं, तो क्या भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत, न्योलखी, हनुमानगढ़ ने गोचर भूमि पर पट्टे जारी किये हैं ? यदि हां, तो उक्त पट्टों के निरस्त करने की अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों पर ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या उक्त जारी किये गये आवासीय पट्टों पर ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) भूतपूर्व सरपंच ने उक्त पट्टों को किस दर से जारी किया है तथा कुल कितनी राशि उक्त पट्टों से प्राप्त हुई ? उक्त राशि का व्यय ग्राम पंचायत द्वारा

(श्री मांगीलाल डागा)

किस प्रयोजनार्थ किया गया ? यदि नहीं, तो राशि कहां है ? क्या भूतपूर्व सरपंच द्वारा इस राशि का गबन किया गया ? यदि हां, तो उक्त सरपंच के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है और नहीं, तो क्या सरकार अब कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच द्वारा गौचर भूमि पर पट्टे जारी किये गये हैं। विकास अधिकारी ने अपने आदेश क्रमांक 99/5-1-2 दिनांक 12.8.99 के द्वारा उक्त पट्टों को निरस्त कर दिया है।

(2) जी, हां। उक्त पट्टों पर सचिव, ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(3) पूर्व सरपंच ने 40 पैसे से 2 रुपये प्रति वर्ग गज तक की दर से उक्त पट्टे जारी किये हैं। उक्त पट्टों से रुपये 101233.25/– की राशि पंचायत को प्राप्त हुई। उक्त राशि का व्यय अन्य निर्माण कार्यों पर किया गया। यह प्रकरण गबन का न होकर सरपंच द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करने का है। जिसके लिये नियमानुसार कार्यवाही प्रयोग में लाई जायेगी।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मन्दिर (बून्दी) के अध्यापक व कैशियर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

873. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मन्दिर, केशोवरायपाटन, जिला बून्दी में कार्यरत एक अध्यापक एवं कार्यवाहक कैशियर के विरुद्ध सरकारी राशि के गबन की शिकायतें जिला शिक्षा अधिकारी को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या-क्या शिकायतें थी ? क्या उक्त गबन के विरुद्ध विभाग ने पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कोई केस दर्ज करवाया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिकायतों के आधार पर दोषी अध्यापक ने जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी के आदेश क्रमांक 344-46 दिनांक 29 नवम्बर, 1994 के द्वारा कितनी-कितनी राशि किस-किस जगह जमा करवाई थी ? राशिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त दोषी अध्यापक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की थी ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त अध्यापक/दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग द्वारा उक्त शिकायत पर विभागीय जांच कराई गई। शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी, बून्दी के आदेश की पालना में उक्त अध्यापक ने

(पंचायती राज मंत्री)

64516 रुपये 40 पैसे की राशि पोस्ट आफिस में दिनांक 1.12.94 को जमा करायी।

(3) जी, हां। उक्त अध्यापक को सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत आरोप एवं आरोप विवरण पत्र दिये जा चुके हैं।

(4) तत्कालीन संबंधित अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रधानाध्यापक का स्वर्गवास हो चुका है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

चूरू महोत्सव की व्यय राशि का अंकेक्षण

874. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मार्च, 2000 में आयोजित चूरू उत्सव कार्यक्रम हेतु कितनी राशि स्वीकृत की व कितना-कितना चन्दा, किस-किस व्यक्ति से किस-किस ने एकत्रित किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उत्सव में कितने विदेशी व देशी पर्यटकों ने हिस्सा लिया व इससे कितनी आय अर्जित हुई ?

(3) क्या पूर्व में चूरू उत्सव के आयोजन के व्यय का आडिट करवाया गया है ? यदि हां, तो कब आडिट किया गया और नहीं, तो क्यों ?

(4) मार्च, 2000 में चूरू उत्सव में कितनी स्टाल किस दर से आवंटित की गई और उससे कितनी राशि प्राप्त हुई ?

उत्तर

(1) मार्च, 2000 में आयोजित चूरू उत्सव में पर्यटन विभाग द्वारा कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है, चूरू उत्सव आयोजन समिति, चूरू द्वारा आयोजित इस उत्सव में कोई चन्दा एकत्रित नहीं किया गया है। स्वैच्छिक विज्ञापन/सहयोग से रुपये 1,32,250/– प्राप्त हुए थे।

(2) उत्सव के दौरान आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या व उनसे प्राप्त होने वाली आय की सूचना विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(3) पूर्व में चूरू उत्सव के आयोजन में पर्यटन विभाग द्वारा व्यय की गई राशि/अनुदान का आडिट करवा लिया गया है।

(4) मार्च, 2000 में चूरू उत्सव में 16 स्टालें लगाई गई थी, जिनसे कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई।

ग्राम पंचायत, लालासर (चूरू) में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत दुकानों का निर्माण

875. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(1) पंचायत समिति, चूरू में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत कितनी दुकानों के निर्माण की स्वीकृति किस-किस गांव में कब-कब की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानों की स्वीकृति जारी करने के क्या मानदण्ड हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, लालासर में स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना अन्तर्गत 5 दुकानें स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो किस मानदण्ड पर।

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय, लालासर में उक्त योजना अन्तर्गत स्वीकृत दुकानों को ग्राम लालासर में निर्माण करवाने की जगह गांव गिनड़ी पट्टा राजपुरा में गोचर भूमि में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, चूरू में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विपणन की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 125 दुकानों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। ग्रामवार स्वीकृत दुकानों की सूची एवं स्वीकृति दिनांक का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) पंचायत समिति/ग्राम पंचायत के स्वामित्व की भूमि पर जहां दुकानें चलने की पूरी संभावना हो के मानदण्ड के आधार पर इनके निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है।

(3) जी, हां। यह सही है कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, लालासर में 5 दुकानों के निर्माण की स्वीकृति उपर्युक्त मानदण्ड के आधार पर जारी की गई।

(4) ग्राम पंचायत, लालासर के ग्राम लालासर में स्वीकृत दुकानों का निर्माण ग्राम लालासर की बजाय गिनड़ी पट्टा राजपुरा में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू के आंशिक संशोधन स्वीकृति पत्रांक 14079-90 दिनांक 29.3.2000 के तहत किया जा रहा है। उक्त निर्माण गोचर भूमि में नहीं किया जा रहा है।

राज्य सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवाकर कार्यवाही करने का विचार नहीं रखती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

ग्राम पंचायत, कैलाई (दौसा) में राशि स्वीकृति के बावजूद अपूर्ण कार्य

876. **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय की ग्राम पंचायत, कैलाई में वर्ष 1995 से 1999 तक

(श्री जसवन्त सिंह गुर्जर)

कुल कितने कार्य किस-किस योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये और इनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य किस-किस कारणों से अब तक अपूर्ण हैं ? सरकार उक्त अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में उक्त पंचायत में सड़कें, नालियां, एनीकट एवं खुर्रे की भी स्वीकृति सरकार से प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि स्वीकृति के बाद उक्त पंचायत में उक्त कार्य भी करवाये गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से कार्य किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी राशि के और क्या वे पूर्ण हो चुके हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पंचायत में सड़कें, नालियां, खुर्रे एवं एनीकट की स्वीकृति मिलने के बावजूद ग्राम पंचायत के सरपंच ने अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से उक्त कार्य पूर्ण नहीं करवाये हैं ? क्या उक्त कार्य कागजों में दिखाकर उक्त कार्य की राशि का भुगतान राज्य कोष से उठा लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं, जिनकी राशि राज्यकोष से बिना कार्य करवाये ही उठा ली गई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के व्यक्तियों ने उक्त झूठे कार्य न होने की शिकायत विभाग से की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त सरपंच से एवं संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से राशि वापस वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(7) उक्त अनियमितताओं में उक्त पंचायत में कौन-कौनसा कार्य किस-किस स्थानों पर कौन-कौनसे आदेशों के तहत करवाया गया ? क्या उक्त कार्य की राशि पूरी उठा ली और कार्य अब तक भी अपूर्ण पड़ा है ? क्या सरकार उक्त सभी कार्यों को वर्ष 2000-2001 में पूर्ण करवाये जाने का विचार रखती है ?

(8) उक्त पंचायत में वर्ष 2000-2001 में अब कौन-कौनसे कार्य करवाये जाने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय की ग्राम पंचायत, कैलाई में वर्ष 1995 से 1999 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 21 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, सभी कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं, उक्त 21 कार्यों का योजनावार एवं वर्षवार विवरण

(ग्रामीण विकास मंत्री)

तथा कार्य के लिये स्वीकृत राशि का विवरण संबंधित कार्य के सम्मुख परिशिष्ट-'अ' में अंकित है।

(2) जी, हां। संदर्भित अवधि में उक्त पंचायत में सड़क, नाली, एनीकट एवं खुर्रा निर्माण के कुल 6 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-'ब' पर अंकित है तथा उक्त कार्यों के स्वीकृति के आदेश परिशिष्ट-'स' पर अवलोकनीय हैं।

(3) जी, हां। उक्त स्वीकृत कार्यों के स्थान, स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विस्तृत विवरण संबंधित कार्यों के सम्मुख परिशिष्ट-'ब' में अंकित है। सभी कार्य पूर्ण करवा दिये गये हैं।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, नहीं।

(6) जी, नहीं। उक्त कार्यों में किसी तरह की अनियमितताओं की शिकायतें नहीं है।

(7) उक्त सभी कार्य स्वीकृति आदेशों के अनुरूप ही करवाये गये हैं। सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(8) वार्ड सभा एवं ग्राम सभा की बैठक माह मई, 2000 के दौरान आयोजित की जानी प्रस्तावित है। उक्त बैठक में ही वर्ष 2000 से 2001 में करवाये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किये जावेंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

कन्या महाविद्यालय, पाली को अनुदान

877. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला पाली में मरुधर महिला शिक्षा संघ/लीला देवी पारस मल संचेती कन्या महाविद्यालय विद्यावाड़ी शिमेल पाली में महिला शिक्षा जगत में अग्रसर है ?

(2) उक्त कन्या महाविद्यालय को अनुदान क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या सरकार अब शीघ्र ही उक्त महाविद्यालय को अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) अनुदान समिति की अनुशंसा तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को देखते हुए संस्था को अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अनुदान समिति ने लीला देवी पारस-मल संचेती कन्या महाविद्यालय विद्यावाड़ी रानी, पाली को 90 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की अनुशंसा की थी परन्तु वित्तीय संसाधनों के अभाव में अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

विधान सभा क्षेत्र चूरू के आयुर्वेदिक औषधालय

878. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कितने पद विभिन्न संवर्ग के कब से रिक्त हैं तथा कितना वार्षिक बजट दवाइयों हेतु आवंटित है। वर्ष 1999-2000 में कितनी दवाइयां कब-कब किस-किस चिकित्सालय को कितनी-कितनी राशि की भेजी है ?

(2) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर, 1999 में चूरू जिले के आयुर्वेदिक चिकित्सालय को भेजी जाने वाली दवाइयां रसायन शाला से भेजी गई तथा रतनगढ़ में बिना वितरण पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्यों और इसमें किसका दोष है ?

(3) क्या यह सही है कि रतन नगर आयुर्वेदिक चिकित्सालय के चिकित्सक श्री सीताराम शर्मा के माह अप्रेल, 1999 का अवकाश प्रकरण जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा निदेशालय को 5 माह पश्चात् भेजा गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त चिकित्सक भी प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की मानदेय राशि का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार कार्यरत स्नातकोत्तर उपाधि धारक आयुर्वेद चिकित्सकों की पदोन्नति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कैसे व कब तक।

(5) वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र चूरू के कितने आयुर्वेद चिकित्सालय का कब-कब निरीक्षण विभिन्न अधिकारियों ने किया तथा कितने कर्मी अनुपस्थित पाये गये ?

(6) दूधवाखारा (चूरू) में आयुर्वेदिक चिकित्सालय कब स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 1999-2000 में कितना बजट उक्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय को आवंटित हुआ ? इसमें कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पद-स्थापित किये गये ?

(7) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय रतन नगर के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अनधिकृत रूप से जिला आयुर्वेद अधिकारी ने अपने कार्यालय में कर रखी थी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों में वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है। वर्ष 1999-2000 में नवीन स्वीकृत आयुर्वेद औषधालय, आसलखेड़ी में आयुर्वेद चिकित्सक, नर्स/कम्पाण्डर एवं परिचारक का एक-एक पद रिक्त है। इस विधान सभा क्षेत्र में संचालित विभागीय औषधालय/चिकित्सालयों के लिये औषध सप्लाई की अधिकतम सीमा (बजट) वास्तव में सप्लाई की गई औषधियों की राशि व औषध सप्लाई दिनांक

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

की सूचना, परिशिष्ट-'क' में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चूरू जिले में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों हेतु औषधियां, रसायनशाला-जोधपुर से दिनांक 3.11.99 को राजकीय 'अ' श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय रतनगढ़ भेजी गई थी। इसमें से मात्र 8 औषधालयों की औषधियां अभी रतनगढ़ में रखी हुई हैं। चिकित्सक प्रभारियों को औषधियां ले जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। बजट व वाहन के अभाव में ऐसे निर्देश दिये गये हैं।

(3) जी, हां। चिकित्सक की सेवा पंजिका एवं अवकाश लेखां विवरण के अभाव में अवकाश प्रकरण देरी से निदेशालय भेजा गया। यह राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरू के मार्फत चिकित्सक को भेजी जा चुकी है।

(4) विभागीय स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र चूरू में आयुर्वेद औषधालय/चिकित्सालयों के किये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट-'ख' में संलग्न है। केवल एक औषधालय धीरासर में एक परिचारक श्री बुद्धमल अनुपस्थित पाया गया, जिसका एक दिन का वेतन रोका गया।

(6) ग्राम दूधवाखारा, जिला चूरू में आयुर्वेद औषधालय, ग्राम मेहरी से स्थानान्तरण पर स्वीकृत किया गया था। यह औषधालय ग्राम, दूधवाखारा में दिनांक 7.10.98 से आरंभ हुआ है। वर्ष 1999-2000 में इस औषधालय हेतु औषध सप्लाई सीमा (बजट) न्यूनतम रुपये 5000/– निर्धारित की गई थी।

इस औषधालय में वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सक के पद पर श्री ललित कुमार शर्मा कार्यरत है। कम्पाण्डर नर्स व परिचारक का पद इस औषधालय में स्वीकृत नहीं है।

(7) राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, रतननगर (चूरू) के कम्पाण्डर श्री मांगी लाल शर्मा को दिनांक 24.2.2000 से जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरू के कार्यालय में वेतन बिल बनाने में सहयोग करने हेतु लगाया हुआ है, क्योंकि उक्त चिकित्सालय में कम्पाउण्डर के दो पद सृजित हैं।

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल एवं आयकर विवरण तैयार न होने से, बकाया कार्य निपटाने हेतु उक्त कम्पाउण्डर की सेवाएं ली जा रही है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में किस्त वसूली समय में परिवर्तन

879. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में किस्त की वसूली माह जनवरी व जुलाई में की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों की फसलें पक कर विक्रय माह मई तथा नवम्बर में होती है ?

(3) क्या यह सही है कि किस्त चुकाने में काश्तकारों को कठिनाई होती है ?

(4) क्या सरकार किस्त चुकारा माह मई तथा नवम्बर में करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) विशेष आवंटन की किस्तें माह जुलाई व जनवरी में देय होती हैं जो रबी फसल व खरीफ फसल के पक कर बाजार में विक्रय होने के लगभग एक से दो माह के बाद देय होती है जिसके लिए किसानों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

(4) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में लंबित नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या नीति के निर्धारित लक्ष्य

880. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या परिवार कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नीति की घोषणा की है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये ?

(3) क्या उक्त लक्ष्यों को पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये जनसंख्या नीति की घोषणा की है। जनसंख्या नीति की प्रति संलग्न है।

(2) राज्य में प. क. कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार सामुदायिक आवश्यकता अवधारणा नीति के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अनुसार गर्भ निरोधक सेवाएं के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं तथा टीकाकरण के लक्ष्य वर्ष 1999-2000 के निर्धारित किये गये हैं जिनका विवरण एवं उपलब्धि निम्नप्रकार है :

टीकाकरण के लक्ष्य		(लाखों में) उपलब्धि 1999-2000
1	2	3
टी.टी.	18.77	15.58
डी.पी.टी.	15.61	14.55

(राज्य मंत्री, परिवार कल्याण)

1	2	3
ओ.पी.वी.	15.61	14.61
बी.सी.जी.	15.61	14.80
खसरा	15.61	13.70

गर्भ निरोधक साधनों की सेवाएं

नसबंदी	लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं।	2.25 लाख
आई.यू.डी.	" "	2.36 लाख
ओ.पी.	" "	5.16 लाख
सी.सी.	" "	5.93 लाख

(3) जी, नहीं। राज्य में जनसंख्या स्थायित्व के लिये गर्भ निरोधक साधनों की सेवाएं मांग के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही है, टीकाकरण के लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि दर को आधार मानते हुए निर्धारित किये गये हैं। जो वास्तविक संख्या से अधिक प्रतीत होते हैं, इसके अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने पर प्रतिकूल प्रभाव आया है, इस कारण निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में टीकाकरण व नसबंदी में आंशिक कमी रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

शोकाभिव्यक्ति

श्री राजाराम, पूर्व सदस्य के निधन पर

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति। शोकाभिव्यक्ति पहले। शोकाभिव्यक्ति की एक गरिमा है।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री राजाराम के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री राजाराम का जन्म 9 जनवरी, 1922 को श्रीगंगानगर जिले के गोविन्दपुरा ग्राम में हुआ। आपने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री राजाराम द्वितीय राजस्थान विधान सभा (1957-62) के लिए सूरतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप वर्ष 1957-58 में विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अपने क्षेत्र के विकास तथा जन समस्याओं के समाधान के लिए निरन्तर सक्रिय रहे। समाज सुधार तथा राजनीतिक एवं सामाजिक विकास के कार्यों के अतिरिक्त लेखन में भी आपकी विशेष रुचि रही।

श्री राजाराम का दिनांक 26 अप्रेल, 2000 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

मैं श्री राजाराम को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक सूचना है, सरदारशहर के पूर्व विधायक श्री राजवी रूपसिंह की चार दिन पहले मृत्यु हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : उसकी सूचना मैं प्राप्त कर लूंगा और उसके बाद में शोकाभिव्यक्ति इसी सत्र में सदन में रख दी जाएगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की आरे से जिला भरतपुर के कुम्हेर कस्बे की को-आपरेटिव बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से झालावाड़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक बदमाश द्वारा उप-प्राचार्य पर प्राणघातक हमला करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरीश कुमावत, सदस्य की ओर से नावां गैस सर्विस द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(4) प्रो. सांवर लाल एवं 17 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के प्राकृतिक आपदा कोष में राशि शेष होने के उपरांत भी राहत कार्यों के लिए राशि नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सदन में अकाल पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर अकाल का भंयकर प्रकोप है, मुख्य मंत्रीजी का जिला है और....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अकाल पर काम करने वाले श्रमिक मर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

(12:07 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, आपका जिला है। महोदय, जिस जिले से आप आते हैं....

श्री देवीसिंह भाटी : राहत कार्यों के ऊपर सतलाना गांव में एक मेघवाल हरिजन 54 वर्षीय मोहन लाल मेघवाल की मृत्यु हो चुकी है। यह जो शुरूआत है, उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : ......यहां सदन के अन्दर कई बार चर्चा हो चुकी है, कई बार आश्वासन दिये जा चुके हैं, उसके बावजूद भी हमने यह मुद्दा उठाया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ....केबिन में काम करने वालों के लिए छाया की, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ....उपाध्यक्ष महोदय, राहत कार्यों पर न तो आपने छाया की, न पानी की कोई व्यवस्था की। उपचार के लिए, दवाइयों के लिए अभी तक आपने कोई बजट नहीं दिया। इतनी भंयकर गर्मी पड़ रही है, जो शरीर से कमजोर हैं वे इन हालात में मजबूरी में मजदूरी करने आते हैं, जो बाहर जाकर मजदूरी नहीं कर सकते....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट विराजो। यह इश्यु हाउस के सामने, अभी आपने डिस्कशन की पर्ची दी हुई है, तब उस पर बोलना।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची का सवाल नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। चर्चा कभी भी हो, इतने संवेदनशील इश्यु के ऊपर। वहां पर लोग काम कर रहे हैं, 60 रुपये की मजदूरी के लिए जाते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तभी तो बोलेंगे। बोल लेना ना। आपको यही तो कह रहा हूं कि तब आप बोल लेना।

श्री सांवर लाल : ....उनकी छाया की, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग मर रहे हैं। एक केस आज अखबार में आया है, राजस्थान में पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं। 26 जिलों में 24,000 गांवों में अकाल पड़ा है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनके लिए छाया का, पानी का कोई इंतजाम नहीं है। वहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बात पर्ची पर बोलने की नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको कह रहा हूं, आप बोल लेना। मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री सांवर लाल : सरकार बैठी हुई है, क्या व्यवस्था कर रही है ? यह जानकारी हमको अखबार के माध्यम से उपलब्ध करनी चाहिए ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यही निवेदन कर रहा हूं कि यह प्रश्न हाउस के सामने है, उसी समय आप बोल लेना ना। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार अकाल राहत कार्यों के ऊपर क्या व्यवस्था कर रही है ? (व्यवधान) पूरे सदन में चिंता जाहिर की गई थी....(व्यवधान) सरकार को आगाह कर दिया गया था कि आप पानी की, छाया की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं.... (व्यवधान) यह व्यवस्था आप कर दें। ऐसे हालात में श्रमिक कैसे काम करेगा ?

श्री सांवर लाल : पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, छाया की व्यवस्था नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्य मंत्रीजी के जिले में ही ये हालात हैं तो....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अकाल के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, यह इससे पता लगता है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में बैठकर मुख्य मंत्रीजी गलतबयानी करते हैं कि लोग पलायन नहीं कर रहे हैं। यहां लोग मर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यहां राजस्थान की जनता को किसके भरोसे छोड़ दिया सरकार ने, यह तो बता दो, उपाध्यक्ष महोदय ? पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मज़दूरों को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। राज्य सरकार सिर्फ सदन में समय निकालने के लिए बार-बार यहां आश्वासन दे रही है लेकिन उन आश्वासनों की क्रियान्विति नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, न तो छाया की व्यवस्था है, न कोई पीने के पानी की व्यवस्था है। आपने अभी तक उपचार के लिए मेडिकल टीम तय नहीं की है, न आपने कोई दवाइयों के लिए पैसा दिया है। ऐसे हालात के अन्दर तो लोग रोज मरेंगे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है, लोग भूखे मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब तो हो गया ना।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, लोग मरेंगे, भयंकर अकाल है....(व्यवधान) एक तरफ तो भयंकर संकट है....(व्यवधान) बहुत स्थिति खराब है।

श्री सांवर लाल : अकाल की भयंकर स्थिति है या नहीं है, यह तो बता दें। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : उड़ीसा में जो मर रहे हैं, वह क्यों नहीं बताते हो ?

(श्री आर. पी. शर्मा)

केवल राजस्थान में ही नहीं, गुजरात और उड़ीसा में भी भयंकर अकाल है। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि सरकार....

एक माननीय सदस्य : शर्माजी, आप राजस्थान को उड़ीसा बनाना चाहते हो क्या ? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : यह दिल्ली की सरकार +++ में सो रही है। दिल्ली की सरकार समय पर चेती नहीं उससे राजस्थान, गुजरात, कोई भी प्रदेश है, उसमें गम्भीर स्थिति पैदा हुई। उनकी जिम्मेदारी है यह। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह रामू (नदबई) : शर्माजी, आप राजस्थान को उड़ीसा बनाना चाहते हो क्या ? (व्यवधान)

श्री आर.पी.शर्मा : गुजरात में, उड़ीसा में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी भयंकर अकाल है, आप उसको भी भूल गये ?

श्री यशवन्त सिंह रामू : इसको उड़ीसा बनाना चाहते हो क्या आप ?

श्री रतन लाल ताम्बी : बी.जे.पी. के एम.पी. वहां दिल्ली में सोते रहते हैं, वहां क्यों नहीं किया उनके लिए ? (व्यवधान)

श्री आर.पी.शर्मा : भारत सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है....(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : पैसा समय पर नहीं दिलाया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? (व्यवधान) ज्ञापन देने के बाद, टीम भेजने के बाद....(व्यवधान) दिल्ली की सरकार को सत्ता छोड़नी चाहिए, जिम्मेदारी उसकी है। पूरे देश में इतनी हालत खराब हुई है, समय पर कुछ कार्यवाहीं नहीं करे, पैसे दे नहीं, आखिर राजस्थान को इतनी मुसीबत में धकेलने की जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। एक मिनट।

श्री देवीसिंह भाटी : ....चार दिन बाद में अतिरिक्त कलक्टर को भेजा....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड (चूरू) : प्रावधान किया नहीं, पूरे राजस्थान में जहां श्रमिक काम कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : मर रहे हैं जिनका दर्द तो करो, आप। काम उनको देने के लिए कर रहे हैं, उनका करो पहले तो। सब मिलकर करेंगे तभी होगा यह। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजे। आप बिराजें।

श्री रतन लाल ताम्बी : दिल्ली की सरकार के +++ और अकर्मण्यता के कारण राजस्थान आज दु:खी है, उसको क्यों नहीं मानते ?

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं....(व्यवधान) ....माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : आपसे नहीं संभल रही है तो छोड़ दें सत्ता। सत्ता में जो रहेगा उसका दायित्व है। (व्यवधान)

श्री आर.पी.शर्मा : आपसे भी दिल्ली नहीं संभल रही, दिल्ली पूरे देश का दिल होती है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : राजस्थान की जनता ने हमको राज दिया है, हम कैसे छोड़ देंगे इस राज को ? यह राज तो बहुत कठिन मिला है हमारे लिये, कैसे छोड़ दें राज को ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य। बिराजिये प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, आज गुजरात के बारे में कहा जा रहा है कि गुजरात के अकाल पीड़ित.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जनता का विश्वास उठ गया है सरकार पर से, उपाध्यक्ष महोदय। न चारे का इंतजाम, न पानी का इंतजाम, न दवाई का इंतजाम, मवेशी मर रहे हैं और आदमी मरना प्रारम्भ हो गये हैं, श्रमिक मरना प्रारम्भ हो गये हैं, सरकार संज्ञा शून्य होकर बैठी है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा : और ये उल्टी बात कर रहे हैं। वहां पर इतने काम खोले हुए हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजे नं। आर्डर, आर्डर। बिराजिये प्लीज।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : राजस्थान के मुख्य मंत्री दिल्ली में यह कह रहे हैं कि कोई पलायन नहीं कर रहा है। पलायन हो रहा है, बराबर लोगों का पलायन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने दे रहे हैं न। आपको अभी अलाउ कर रहा हूं मैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : राजस्थान के मुख्य मंत्री अकाल पीड़ित क्षेत्रों में स्वयं जाकर स्थिति देख रहे हैं। अकाल राहत मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी पिछले सात दिन से लगातार अकाल के बारे में पूर्ण व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, मौके पर जाकर देख रहे हैं। व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। जब आप विधान सभा क्षेत्र में जाएंगे तब आप जाकर देखेंगे, पलायन नहीं हो रहा है, लोग काम पर जाने लगे हैं बड़ी तादाद में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजें। (व्यवधान) एक मिनट।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : फेमिन का कुछ प्लानिंग करके काम किया होता तो यह स्थिति नहीं होती। चारे की अभी तक पूरे राजस्थान में व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे पाली जिले में कोई भी डिपो चालू नहीं है। आज भी यह स्थिति है कि भूख से लोग मर रहे हैं, पानी से लोग दुःखी हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है।

श्री देवीसिंह भाटी : 29 तारीख से लोग धरने पर बैठे हैं अकाल राहत कार्यों की व्यवस्था सही नहीं करने के कारण से। यह संकट पूरे प्रदेश में फैलेगा। आखिर सरकार की मंशा क्या है ?

श्री हीरासिंह चौहान : यह प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि इस भीषण अकाल में पहले से तैयारी करते। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : इस मसले को आप रोज-रोज उठाते हैं। अकाल पर चर्चा हो गई, और सरकार ने अपनी नीति.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधीजी अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगी, आप सब लोग भी वहां पधारें। श्रीमती सोनिया गांधी आ रही हैं, अकाल के क्षेत्रों का दौरा करेंगी, पैदल चल-चल कर वहां जाएंगी, लोगों की व्यथा को सुनेंगी, मुख्य मंत्रीजी साथ रहेंगे, आप भी पधारें वहां। श्रीमती सोनिया गांधीजी पधार रही हैं, वे दौरा करेंगी गांवों का।

श्री रतन लाल ताम्बी : यह आपके ग्रामीण विकास मंत्री पटवाजी से मांगो आप चारा तो, उनके कारण सारा राजस्थान दुःखी है।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, प्लीज। माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, मैं आपसे यह निवेदन करने की कोशिश कर रहा हूं कि यह सब्जैक्ट हाउस के सामने है। अभी यह प्रश्न उठेगा, माननीय मंत्रीजी से आपको स्पष्टीकरण दिला देंगे। हाउस का बिजनेस चलने दें। इससे क्या फायदा होगा ? प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। आपको बोलने दूंगा I know my subject आपको अलाउ किया है। इसको निपटने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : नहीं, वह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : I know it. I know what you want to say.

श्री सुरेन्द्र व्यास : 295 के पहले लेना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद। I will allow you after that.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे अध्यक्ष महोदय ने जो डाइरेक्शन दिया है उसके अनुसार मैं आपको बोलने दूंगा इन स्पाइट आफ द फैक्ट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पन्द्रह मिनट से सदन के अंदर इतना शोर-शराबा हो रहा है, वह आप रोक नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या हुआ ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक महत्वपूर्ण मसला सदन के अंदर उठाना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : हां, उठाना चाहते हैं तो उठाने दूंगा न। I will allow you. You have been allowed by the Hon'ble Speaker, I will allow you. But I will allow you at the right time.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, 295 लें उसके पहले अलाउ करें।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you before that.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप उसकी ग्रेविटी समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : No. I will not allow you. As directed by the Hon'ble Speaker, I will allow you. आप बिराजिये, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you, I said. Before this, I will not allow you. As directed by the Hon'ble Speaker, I will allow you to speak. He has given you directions, he has given me directions. I will allow you to speak.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे अध्यक्षजी ने ये निर्देश दिये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे जो निर्देश दिये हैं वह मानूंगा कि आपके निर्देश मानूंगा मैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, कानून मैं जानता हूं। बिराजें आप प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कम्युनिकेशन गैप हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बिराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रेविटी समझिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you before this.

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन क्वेश्चन आवर की ग्रेविटी समझता हूं संभवतया, वरना यह क्वेश्चन आवर के पहले आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : No, I will not allow you. I said, I will allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना गंभीर प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : हां, गम्भीर है इसीलिए अलाउ कर रहे हैं न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कि यह प्रश्नकाल के पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं प्रश्नकाल की ग्रेविटी समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तब रख देते, मैं कहां मना कर रहा था ? आप बिराजें प्लीज। आप बिराजिये। आप कितना ही कर लें। I will not allow before 295.

श्री सुरेन्द्र व्यास : 295 के पहले ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, उसके बाद अलाउ करेंगे न, कह रहा हूं न मैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 295 के पहले।

श्री उपाध्यक्ष : पहले नहीं, बाद में। जैसा मुझे डाइरेक्शन हुआ है वैसा मैं करूंगा। आप बिराजिये। जैसा आप डाइरेक्शन लेकर आये हैं वह मैं करूंगा, आप बिराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या बात हुई।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री नन्दलाल बंशीवाल, सदस्य की ओर से सिकंदरा एवं बापी पुलिया पर मनमाना टैक्स वसूल करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य की ओर से जिला टोंक के थाना दूनी में दर्ज मारपीट की घटना के अभियुक्त को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर की पोकरण तहसील में मजदूरों को 60 रुपये से कम मजदूरी का भुगतान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री संजीव बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा में भादरा से लदेसर एवं भादरा से राजगढ़ सड़क की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से नगरपालिका, राजसमन्द के अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में।

श्री नन्दलाल बंशीवाल। (अनुपस्थित)

श्री अमराराम (धोद) : पढ़ा हुआ मान लो।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं बोल लूं ?

श्री उपाध्यक्ष : पढ़े हुए मान लें ? कहां मान लें पढ़े हुए ? एक मिनट, आप बिराजें। नम्बर से आ रहा है। श्री दिग्विजय सिंहजी। (अनुपस्थित) अब आप बोलें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पोकरण तहसील में राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को 60 रुपये से कम मजदूरी

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम, 295 के अन्तर्गत मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव है। जिला जैसलमेर की तहसील पोकरण में गत 19 अप्रेल से ग्रामीण व जन प्रतिनिधि 60 रुपये से कम मजदूरी के भुगतान के व चारा डिपो प्रत्येक पंचायत में नहीं खोलने के कारण लगातार धरने पर बैठे हैं। तहसील पोकरण में ग्राम फलासर में तालाब खुदाई के राहत कार्य पर गत पखवाड़े का भुगतान ग्यारह रुपये चुकारा करने के मस्टररोल पास किये गये हैं। इसी प्रकार ग्राम फलसूंड में बारह से पन्द्रह रुपये, राजमथाई में तेरह से अठारह रुपये का हफ्ता आया है।

इसी प्रकार अन्य तालाब खुदाई के कार्य पर भी कम भुगतान हो रहा है क्योंकि तालाब की पाल बहुत ऊंचाई पर होती है व मिट्टी डालने को महिलाओं को ऊपर चढ़ने में व पहुंचने में काफी समय लगता है। ग्राम फलासर के तालाब की पाल की ऊंचाई करीबन बीस फीट है। सहायता विभाग से मिट्टी डालने व ऊंचा चढ़ने की लीड का लाभ मजदूर को नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में इस प्रकार की सुविधा दी जाती रही है। मजदूरों को मिट्टी के अलग-अलग पिट्स दिये जाते हैं। जिसमें शारीरिक रूप से कमजोर व महिला वर्ग दूध पीते बच्चों वाली को विशेष छूट दी जानी चाहिएं। जैसलमेर के आधे हिस्से में चारे का संकट है। पोकरण तहसील की 36 ग्राम पंचायतों में से कुल 16 पंचायतों में चारा डिपो स्वीकृत किये गये हैं।

सरकार की घोषित नीति के अनुसार प्रत्येक पंचायत में चारा डिपो नहीं खोले गये हैं जबकि इस रेगिस्तानी क्षेत्र में गांव से गांव की दूरी को देखते हुए जहां दस से पन्द्रह किलोमीटर की दूरियां हैं, ज्यादा चारा डिपो खोले जाएं।

बीकानेर की तहसील कोलायत में ग्राम हद्दा में तालाब खुदाई का चार रुपये साठ पैसे का गत सप्ताह का भुगतान आया है। इसी प्रकार मढ़ व गुढ़ा गांव में 13 व 18 रुपये भुगतान आया है। पूरे पश्चिमी राजस्थान में तालाब खुदाई की कम मजदूरी की स्थिति है।

तहसील पोकरण में 26 अप्रेल को तहसील मुख्यालय पर ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में विरोध प्रदर्शन किया है। गत 19 अप्रेल से लोग व जन प्रतिनिधि धरने पर धूप में बैठे हैं, सरकार व प्रशासन समस्या का निदान कर नहीं रहे हैं। सहायता मंत्री समाधान कर जिला प्रशासन को भेज कर धरना देने वालों को धरने से उठावें वरना पूरे प्रदेश में व अन्य प्रदेशों में गलत संदेश जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल। माननीय सदस्य, विराजिये। 295 पढ़ लिया न आपने।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, 19 अप्रेल से अकाल के काम के लिए धरने पर बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां तो पढ़ दिया न आपने। विराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। आप सरकार के सब लोग बैठे हैं आपका धर्म है, आपका दायित्व है। जैसी भी परिस्थितियां बनें, आप किसी दानदाता को लाइये, +++ जिस प्रकार से कल माहिर आजादजी बता रहे थे, हम खुद योगदान देने के लिए तैयार हैं। मैं घोषणा करता हूं कि इस माह का मेरा वेतन मैं अकाल राहत कोष में दूंगा, यदि आपने कोई बना रखा है। मैं मुख्य मंत्री सहायता कोष में नहीं दूंगा। अगर आपने अकाल राहत के लिए सहायता कोष कोई बना रखा है, उसके लिए मैं मेरा इस माह का वेतन देने के लिए तैयार हूं। दे दिया समझिये। आज मैंने यह घोषणा कर दी है, लेकिन आप किसी प्रकार व्यवस्था तो कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न, विराजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, लोग धरने पर बैठे हैं सिर्फ मजदूरी के लिए। क्या वे लखपति बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं ? मजदूरी करके मजदूर आपसे कुछ राहत पाता है, उसका पशुधन भूखा है। आप किस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं ? उसमें क्या पढ़ा है, यह सिर्फ पढ़ देंगे। आपने कई बार आश्वासन दे दिये...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : जांच करवाऊंगा, मैंने कह तो दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : जांच नहीं कुछ समाधान कीजिये, सहायता मंत्रीजी। आप फरमाइये, क्या करेंगे ? 19 तारीख से बैठे हैं वे धरने पर।

श्री उपाध्यक्ष : बताएंगे-बताएंगे। आर्डर, आर्डर।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : माननीय मुख्य मंत्रीजी पोकरण में हैं, सारी व्यवस्था है वहां पर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन स्थानों पर मजदूरी कम देने का जिक्र कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह सूची मुझे तुरन्त उपलब्ध करा दें। अगर वास्तव में भुगतान में किसी प्रकार की गड़बड़ी की है और सही भुगतान नहीं किया तो मैं उसकी जांच करा कर सही भुगतान कराने के निर्देश दूंगा, नम्बर-1। दूसरा, जिला जैसलमेर में घास के डिपो को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं उसके बारे में मैं अभी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जिलाधीश से चर्चा करके उनकी क्या मांगें हैं उन पर विचार करके उनसे कहूंगा कि आवश्यकतानुसार चारा डिपो खोले जाएं।

मैंने तो जैसलमेर जिले के लिए विशेष रियायत दी है। एक जिले में चारा ट्रांसफर पर पहले कभी सब्सिडी नहीं देते थे लेकिन इस वर्ष मैंने उसकी दूरी को ध्यान में रखते हुए एक जिले में अगर चारा परिवहन करते हैं तो उस पर भी विशेष अनुदान देने का फैसला किया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की नीयत कम पैसा देने की नहीं है, मजदूरी पूरी देने की है। अगर टास्क भारी पड़ता है, हार्ड रॉक है, अगर इसको कंसीडर नहीं किया तो मैं इसकी जांच कराके निश्चित रूप से कराऊंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं लीड का ही निवेदन कर रहा हूं, लीड देते रहिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लीड हो, हार्ड रॉक हो और सब बातें हों।

भादरा से लुदेसर एवं राजगढ़ सड़क की मरम्मत

श्री संजीव कुमार (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र भादरा की भादरा से लुदेसर एवं भादरा से राजगढ़ सड़क पर स्वीकृति के पश्चात् भी मरम्मत कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा की भादरा से लुदेसर एवं भादरा से राजगढ़ सड़क बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिसको मद्देनजर रखते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वर्ष 1999-2000 में एम.एन.पी.एस.एम.एण्ड आर. हैड के अन्तर्गत भादरा-लुदेसर सड़क की मरम्मत हेतु 40 लाख रुपये तथा भादरा से राजगढ़ सड़क की मरम्मत के लिए 30 लाख रुपये स्वीकृत किये थे।

सड़कों की मरम्मत के लिये दिनांक 30.6.99 को निविदाएं आमंत्रित की गईं तथा चन्द्रा कन्स्ट्रक्शंस कम्पनी, बीकानेर को कार्य करने हेतु आदेश दिये गये। किन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण विभाग द्वारा ठेकेदार पर 2 प्रतिशत पैनल्टी लगाकर दुबारा दिनांक 18.1.2000 को निविदाएं आमंत्रित की गई। मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एम.एन.पी. कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के कारण विभाग द्वारा टेण्डर प्राप्त नहीं किये गये।

इसके बाद पुनः दिनांक 24.4.2000 को निविदाएं आमंत्रित की गईं लेकिन मुख्य अभियंता द्वारा टेण्डर लेने की स्वीकृति नहीं देने के कारण टेण्डर दुबारा दिनांक 26 मई, 2000 तक के लिए स्थगित कर दिये गये। सड़क की दुर्दशा के कारण विभाग द्वारा ये स्वीकृतियां जारी की गई थीं, किन्तु विभाग के अधिकारियों द्वारा बार-बार निविदाओं पर प्रतिबंध लगाने तथा स्थगित करने से सड़क का मरम्मत कार्य प्रारम्भ

(श्री संजीव कुमार)

नहीं हो पा रहा है जिसके कारण क्षेत्र की जनता में भयंकर असंतोष व्याप्त हो रहा है तथा जनता परेशान है।

अतः इस के माध्यम से मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु शीघ्र निविदाएं आमंत्रित कर शीघ्राति-शीघ्र मरम्मत कार्य प्रारम्भ किये जाएं तथा सड़कों की मरम्मत में विलम्ब करने वाले दोषी अधिकारियों को दंडित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

राजसमंद नगरपालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा पद का दुरुपयोग

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत नगरपालिका राजसमंद के अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में निवेदन है कि नगरपालिका, राजसमंद द्वारा आवासीय योजना के अन्तर्गत लाटरी पद्धति से तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को आवंटित किये गये भू-खण्ड के सम्बन्ध में निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा जांच करवाई गयी जिसमें तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को दोषी पाया गया है।

उक्त अधिकारी पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी वार्षिक आय का गलत ब्यौरा देना, आवंटित भू-खण्ड से अधिक का निर्माण कार्य करवाना तथा अपनी जमीन को नियमित करवाने हेतु स्ट्रिप ऑफ लैण्ड का पत्र पेश कर जमीन को नियमन करना तथा स्वयं द्वारा नक्शा भी पारित करवा लेना, इस तरह की गंभीर अनियमितताएं होने तथा अपने पद का दुरुपयोग करने के दोषी पाये जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न किया जाना अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का ही कार्य होगा।

अतः मैं माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐसे प्रकरणों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करें, जिससे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजस्थान में अकाल की वजह से लोगों का पलायन

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री सुन्दर लाल पटवा ने संसद के दोनों सदनों– लोक सभा और राज्य सभा में यह सूचना दी है कि राजस्थान से अकाल की स्थिति या अकाल की विभीषिका को देखते हुए कोई लोग पलायन नहीं कर रहे हैं और यह कहा है उन्होंने मुख्य मंत्रीजी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

द्वारा दिये गये फैक्स के आधार पर। जब से यह सदन चल रहा है लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि सब लोग अकाल से उद्वेलित हैं, परेशान हैं, पूरी जनता परेशान है और मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि यहां कोई पलायन नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी नहीं कहते हैं, आप कह रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो अखबार कह रहे हैं। अगर आपके पास मुख्य मंत्रीजी की आथेंटिसिटी है कि उन्होंने फैक्स भेजा है या कुछ भेजा है तो आप यहां रख दीजिये। अदरवाइज से कि अखबार के माध्यम से कह रहा हूं। मुख्य मंत्रीजी नहीं कह रहे हैं, You say that. You are referring to the newspapers. No.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अखबार का हवाला नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुख्य मंत्रीजी की कह रहे हो न ? मुख्य मंत्री कह रहे हैं तो उसकी आथेंटिसिटी दीजिये। आप कह रहे हो कि मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं। हां, कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Let us come out with some documents. आप अखबार के माध्यम से कह रहे हो कि सुन्दर लालजी पटवा ने राज्य सभा और दोनों हाउस में स्टेटमैंट दिया है उसमें कहा गया है कि मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि कोई पलायन नहीं हो रहा है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा उसकी आपके पास कोई आथेंटिसिटी हो तो रख दीजिये, यह मैं कह रहा हूं, अदरवाइज...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : मुख्य मंत्रीजी की सूचना आपके पास आयी है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाओ न, आप क्यों बोल रहे हैं ? आपके बस की बात नहीं है, आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उन्होंने नहीं कहा, आपके पास कोई सूचना आयी है क्या, साहब ? आप यह मुख्य मंत्रीजी के बिहाफ पर बोल रहे हैं। आप तो माननीय उपाध्यक्ष हैं व्यवस्था दे दी है, वे सही उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। आपके बस की बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में गया था और उस समय मेरे मन में यह बात थी कि हो सकता है कि यह समाचार सत्य नहीं हो। मैं चाहता था कि समाचार सत्य नहीं हो। संयोगवश माननीय वित्त मंत्रीजी वहां मौजूद थे, उनके सामने मैंने माननीय अध्यक्ष को यह समाचार पढ़वाया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मंत्रीजी ने सदन के दोनों सदनों– लोक सभा और राज्य सभा में यह सूचित किया है। इसकी ताईद आप मुझसे पूछते हैं डाकूमैंट के लिये ?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस में क्या हो रहा है। आपके माननीय संयम लोढ़ा, श्री रतन लाल ताम्बी और अन्य माननीय सदस्य लगातार इस बात को कह रहे है कि राजस्थान से कोई पलायन नहीं हो रहा है। छाया का इंतजाम हो गया है, सब काम का इंतजाम हो गया है, सबको पेमेंट हो रहा है, सब को मजदूरी मिल रही है, लगातार इस बात को कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी गंभीरता पर आप विचार करें। चार महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को रिपोर्ट गई है उसमें पलायन की बात कहीं गई है। प्रधान मंत्रीजी को संबोधित करते हुए यह प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर में माननीय मंत्रीजी ने यह जवाब दिया कि राजस्थान में अकाल की विभीषिका बहुत जबरदस्त है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। आज चार महीने बाद आपने स्थिति पलट दी।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप क्षमा करेंगे, आप मुझसे डाकूमैंट पूछते हैं, अकाल राहत मंत्रीजी यहां मौजूद हैं वे खड़े होकर कह दें कि यह बात गलत है। कांग्रेस के सदस्य श्री कर्नल सोनाराम, ताराचन्द भगोरा, भैंरूलाल मीणा, रामेश्वर डूडी इन सब लोगों ने इसका प्रतिवाद किया है और यह कहा है कि मुख्य मंत्रीजी जो बात कह रहे हैं यह गैर जिम्मेदारी की बात है और आधारहीन बात है। खुद कर्नल सोनाराम ने कहा है कि वे अकाल प्रभावित इलाके से आते हैं और उनकी निजी जानकारी में है कि भारी तादाद में लोग यहां से पलायन कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : केवल कर्नल सोनाराम ने ही यह बात कही है, बाकी लोगों के जो आप नाम बता रहे हो कि वे भी ऐसा कह रहे हैं, यह सही नहीं है। यह स्टेटमैंट केवल कर्नल सोनाराम का है, बाकी एम.पीज. का नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय कल्ला जी, कर्नल सोनाराम बी.जे.पी. के एम.पी. नहीं हैं, कर्नल सोनाराम भी आपके कांग्रेस के एम.पी. हैं। चार महीने पहले कर्नल सोनारामजी कह रहे हैं तो भी वे बी.जे.पी. के एम.पी. नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यही तो चाहते हैं कि अकाल राहत मंत्री जी यह कहें कि मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि नहीं कहा। यह क्लैरिफिकेशन ही चाहते हैं आप ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : सवाल यह नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, समाचार की सत्यता पर आप संदेह कर सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट असेम्बली की प्रोसिडिंग को फैक्चुअली रिपोर्ट करना पड़ता है अखबार को। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को फेस करता है। यह अखबार

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

में जो समाचार है वह कोई समाचार नहीं है, यह समाचार लोक सभा और राज्य सभा की प्रोसिडिंग का है जहां पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय सुन्दर लाल पटवाजी ने यह बात कही है।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह बात सही है कि बाड़मेर से लोग पंजाब, हरियाणा गेहूं काटने के लिये जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं चाहे जमाना कैसा भी हो। वहां उनको 80 और 100 रुपये मिलते हैं इसलिए वहां जाना रूटीन है। कोई नयी बात नहीं है। अकाल के कारण जा रहे हों, ऐसी बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार अकाल की विभीषिका को कितने सहज भाव से ले रही है यह जन स्वास्थ्य मंत्रीजी के जवाब से स्पष्ट हो गया। अकाल भी राजस्थान में रूटीन है। 50 साल में 40 साल अकाल पड़ा है इस प्रदेश में। इसलिए अकाल तो रूटीन है। मंत्रीजी, आप इंतज़ाम मत कीजिए, अकाल में अकाल का काम मत खोलिए, छाया का इंतजाम मत कीजिए, दवाई का इंतजाम मत कीजिए, मजदूरी मत दीजिए, भूखे मरने दीजिए लोगों को।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह किसने कहा ? यह हमने नहीं कहा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह आपने कहा है। आपने कहा है कि यह रूटीन है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह कोई आरोप नहीं है। काम नहीं खोलने का आरोप नहीं है। मैं तो लोगों के जाने की बात कह रहा हूं। काम तो बहुत खुले हैं, हजारों आदमी लगे हैं, वहां कोई शिकायत नहीं है। इस तरह की बात आपको नहीं कहनी चाहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, और पलायन किसको कहते हैं ?

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : वे कमाने के लिये इस मौके पर जाते हैं, यह पलायन नहीं है। यह यहां की परम्परा रही है। कोई दिल्ली जाता है, कोई हरियाणा जाता है, हर जगह जाते हैं।

श्री जुगल काबरा : रोजगार के लिये हमेशा हमारे यहां से लोग जाते रहे हैं। यह कोई नयी बात नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भयंकर अकाल पड़ा है, अकाल की बहस में शामिल नहीं किया। गंगावतजी, आप अकाल की बहस में शामिल नहीं थे। जिस दिन अकाल पर बहस चल रही थी, उस दिन आप सदन से गायब थे। थानागाजी के 32 गांवों में अकाल पड़ा हुआ है, आपके क्षेत्र में अकाल है और आप अकाल पर और पानी पर बोले नहीं। यहां +++ से बोल रहे हो कि वे कमाने जाते

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हैं। थानागाजी में 32 गांवों में अकाल पड़ा हुआ है उस दिन आप यहां थे नहीं, आप सदन से बाहर थे। आप अपने क्षेत्र की चिंता नहीं करते, यहां खड़े होकर यों ही भाषण मारते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो कुछ कहा है...

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me complete.

श्री उपाध्यक्ष : I will let you complete. इस सबका सार एक ही है कि एट फर्स्ट यह वैरिफाई करें कि मुख्य मंत्रीजी ने यह बात कही कि नहीं कही। Let the minister come with this statement and let him accept. Then we will discuss it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मुझसे वैरिफिकेशन अब मांग रहे हैं ? ट्रेजरी बैंचेज के माननीय सदस्य खड़े होकर लगातार कह रहे हैं कि कोई पलायन नहीं हुआ, माननीय जन स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां खड़े होकर कह रहे हैं, और आप क्या कैलैरिफिकेशन चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हाउस के सामने सदस्य क्या कह रहे हैं यह इश्यू नहीं है, हाउस के सामने यह इश्यू है कि मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा। We are discussing the Chief Minister, not the members of the House.

मैम्बर क्या कह रहे हैं, यह अलग बात है। आप यह इश्यू मैम्बर के खिलाफ थोड़े ही उठा रहे हो ? आप तो यह कह रहे हैं कि राज्य सभा में जो मिनिस्टर का स्टेटमैंट आया है उसमें मुख्य मंत्रीजी का हवाला दिया गया। यही तो इश्यू है, और क्या इश्यू है ? मैम्बर क्या कह रहे हैं उससे इसका क्या ताल्लुक ? Members can say whatever they like.

श्री यशवन्त सिंह रामू (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, वे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप बन जाओ जब कुछ भी कहना, आपको छूट है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के माननीय सदस्यों का कहना बहुत मायने रखता है, विशेषकर मैंने जिस बात का उल्लेख किया है कि माननीय वित्त मंत्रीजी वहां मौजूद थे। सदस्यों को जाने दीजिए, कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है, पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर खड़े होकर कह रहे हैं कि यह पलायन तो रूटीन है। गवर्नमेंट क्या पोजीशन ले रही है, यह उस बात का द्योतक है, उपाध्यक्ष महोदय, उसको समझने का कष्ट करें आप। चार महीने पहले इन्होंने कहा।

अब इन्होंने देखा कि अकाल बहुत प्रभावी है, आपको पता है फेमिन का हाइप हो रहा है। हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिल्ली से निकलने वाले जो अग्रणी अखबार हैं वह प्रेस कवर कर रही है लगातार। आप सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, गलत नहीं है, स्टेट के

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इंटरेस्ट में कराना चाहिये। उसकी मैं आलोचना नहीं कर रहा। पत्रकारों को आपको अकाल की समस्या से अवगत कराना चाहिये, घुमाना चाहिये, आप घुमाते है, स्टोरीज होती हैं।

प्रदेश में फेमिन का हाइप हो रहा है और दूसरी तरफ आप पोजीशन यह लेते हैं। फिर कहते हैं केन्द्र सरकार पैसा नहीं देती। अगर आप केन्द्र सरकार से छिपाना चाहते हैं, आप हमसे तो कहना चाहते हैं हां, अकाल की स्थिति बहुत खराब है। 500 करोड़ रुपया आपके पास था, आपने खर्च किया नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको यह अलाउ नहीं किया कि आप यहां अकाल पर भाषण दो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अकाल पर नहीं दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या कर रहे हो आप ? आप कह रहे हो 500 करोड़ आ गया, दिस इज नॉट इश्यू। आप पाइंट पर आइए, इश्यू पर आइए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इश्यू पर आ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मुख्य मंत्रीजी ने जो चार महीने पहले सूचना भिजवायी कि अकाल की विभीषिका के कारण से राजस्थान के लोग पलायन कर रहे हैं और अब जो फैक्स भेजा है, कृपा कर आप इस बात पर गौर करेंगे कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी का कथन असत्य नहीं हो सकता। कोई भी माननीय मंत्री यहां कथन करता है तो हम उसको असत्य नहीं मानते, यह मानते हैं कि किसी डाकूमैंट के आधार पर किया गया है।

उनका आधार था मुख्य मंत्रीजी का फैक्स। मुख्य मंत्रीजी ने फैक्स नहीं दिया हो, ऐसा नहीं कहा। कर्नल सोनाराम, भैंरूलाल मीणा, रामेश्वर डूडी, ताराचन्द भगोरा, रामप्रसाद चौधरी ये सब कांग्रेस के एम.पी. हैं, माननीय सदस्यगण, इसको समझने की कोशिश कीजिए, यह कोई बी. जे.पी. के एम.पी. नहीं हैं। इन्होंने आपके चीफ मिनिस्टर को कोंट्राडिक्ट किया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब आपकी कल्पना है। आप उस फैक्स को रख दो। If you have that fax, please put it here.

श्री सी.पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : He is citing press reports, what is the authenticity of this? Whatever he says, it should be authenticated.

उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है कि प्रेस रिपोर्टिंग के आधार पर हम इश्यू बनाना चाहते हैं। कोई आथेंटिक इन्फारमेशन उनके पास हो तो उसको लाइट करो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, मेरी टेबल पर अखबार जरूर पड़ा है।

श्री सी.पी. जोशी : It may so happen ....What is the authenticity here?

(श्री सी. पी. जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, रूल में यह प्रोविजन है कि अखबार के माध्यम से हम इश्यू उठाएं लेकिन पहले आथेंटिसिटी वैरिफाई कर लें उसके बाद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका सवाल केवल यह है कि आपने माननीय अध्यक्ष महोदय को जाकर यह निवेदन किया कि यह समाचार छपा है कि मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह नहीं कहा मैंने, समाचार सुनाया।

श्री उपाध्यक्ष : यह अखबार में छपा है ना ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : छपा है, छपने का मतलब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : छपाया है, यह नहीं कह रहा हूं मैं। 'छपाया' is not my subject. मैं तो कह रहा हूं कि अखबार में छपा है। यह फैक्ट है, छपा है और आपने अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन किया कि चूंकि...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं अखबार का हवाला नहीं दे रहा हूं, यह मेरी पर्सनल नॉलेज है।

श्री उपाध्यक्ष : काहे की पर्सनल नॉलेज ? अखबार हाथ में है और पर्सनल नॉलेज है, क्या फालतू बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये अकाल पर बोल रहे हैं, काहे पर बोल रहे हैं ? आप हमें तो फटकार देते हैं, इनसे कुछ नहीं कहते हैं। (व्यवधान) आधा घंटा खराब कर दिया। आप हमको तो फटकार देते हैं, इन्हें कुछ नहीं कहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, नीचे बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पर्ची इन्होंने दे दी और बोल रहे हैं मुख्य मंत्री के खिलाफ। मुख्य मंत्री के खिलाफ बोलने की छूट दे दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सिर्फ इस बात को पूछ लीजिये। (व्यवधान) I allow you. आप मंत्रीजी से पूछ लीजिये कि मुख्य मंत्रीजी का ऐसा फैक्स गया कि नहीं गया। (व्यवधान) That's all. That is the whole subject, otherwise there is nothing to be discussed here. (व्यवधान) विराजिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : पहली बात तो यह है कि अकाल की डिबेट शुरू करके कह दिया कि 500 करोड़ रुपये इनको दे दिये। किस तारीख को दिये, कहां से आये ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने अमाउण्ट बताया। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सुनिये, सुनिये, इन्होंने अमाउण्ट बताया। (व्यवधान) मैंने अमाउण्ट बताया 300 करोड़ रुपये

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जिसको प्रतिपक्ष के नेता ने स्वीकार किया। वे रुपये एक अप्रेल को ट्रांसफर हुए यह भी मैंने बताया। हाउस को मिसलीड करने की कोशिश मत कीजिये। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं अगर...(व्यवधान) आप विराजें। आप इसी कुर्सी पर यह बात कह रहे थे जो मैं आज कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप भी वही कहते थे, जो मैं आज कह रहा हूं। मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि किस तारीख का फैक्स है, उसकी डेट तो बता दीजिये। यह किस तारीख का फैक्स मुख्य मंत्रीजी का है उसकी डेट बता दीजिये। (व्यवधान) किस तारीख को मुख्य मंत्रीजी ने किसको फैक्स भेजा ? (व्यवधान) चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, दो मिनट। (व्यवधान) मैं दो बातें जानना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय। मैम्बर ने जो सवाल किया उसमें दो बातें जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने अगर फैक्स भेजा है तो किस तारीख को भेजा ? वह प्रधान मंत्रीजी को भेजा या पटवाजी को भेजा ? दूसरा मुख्य मंत्रीजी ने नहीं भेजा तो फिर चीफ सैक्रेटरी ने भेजा, फेमिन रिलीफ सैक्रेटरी ने भेजा ? इसकी जानकारी आप मुझे दें कि किस तारीख को भेजा। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आप इतना-सा बता दीजिये, फैक्स भेजा या नहीं भेजा ? (व्यवधान) आप इतना बता दीजिये कि फैक्स भेजा या नहीं ? (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : हर सरकार अपने-अपने एफर्ट करती है। (व्यवधान) यह कोई इश्यू नहीं है। आप जिसको आधार बना रहे हैं वह आधार नहीं है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि फैक्स भेजा या नहीं भेजा, यह मंत्री महोदय जवाब दे देंगे। मंत्री महोदय इसी बात के लिये खड़े हुए हैं, जैसा आपने कहा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में वे जवाब दे रहें हैं ना। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये जवाब दे देंगें कि फैक्स भेजा कि नहीं भेजा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फैक्स तो 50 जाते हैं, यह फैक्स भेजा है क्या कि यहां से पलायन नहीं हो रहा है, राजस्थान से पलायन नहीं हो रहा है ? (व्यवधान) यह फैक्स भेजा है क्या ? यही इश्यू है, और क्या इश्यू है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी, मुख्य मंत्रीजी ने शांता कुमारजी को भी चिट्ठी लिखी, सुन्दरलालजी पटवा को भी चिट्ठी लिखी और फैक्स इसी को परश्यू करने के लिए दिये हैं। लेकिन यह बता दें कि पलायन नहीं करने की

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

बात मुख्य मंत्रीजी ने कब फैक्स से भेजी थी ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ही बता दीजिये कि फैक्स में पलायन करने की बात नहीं लिखी है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सवाल करने वाला बताए कि मैं बताऊं ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उसको जाने दीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर ये डेट बता दें। (व्यवधान) इनकी जानकारी के आधार पर, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, एक सवाल मैंने इनसे पूछा, उसके लिये मैं एक मिनट के लिये कहना चाहता हूं, इन्होंने जिस सूचना के आधार पर यह सवाल खड़ा किया कि मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा फैक्स भेजा है जिसमें पलायन नहीं करने की बात कही है, वह किस तारीख को भेजा ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, उसमें क्यों जाते हो, आप तो गवर्नमेंट हो, आपके हाथ में फैक्स की कॉपीज हैं, आपके हाथ में लैटर जो मुख्य मंत्रीजी ने लिखे हैं, उनकी कॉपी है, फैक्स और लैटर के आधार पर बता दीजिये कि मुख्य मंत्रीजी ने कभी लिखा कि राजस्थान से पलायन नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : गवर्नेंस में एक स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को सूचना देती है यह There are number of ways to communicate it but it cannot be debated and discussed in the Legislature. इस बात का कोई सम्बन्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट अपना टाइम टू टाइम लिखकर भेजती है। (व्यवधान) It is a communication between the State Government and the Government of India. वह क्या भेजा, फैक्स का कन्टैन्ट क्या है, It cannot be like this.आप तो चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं.. (व्यवधान) इस तरह थोड़े ही होता है कि फैक्स भेजा कि नहीं भेजा। (व्यवधान) There are number of information which the Government sends to the Government of India. इसमें आप क्या पहले हरेक को चैक करेंगे ? (व्यवधान) I think we are setting very wrong precedent in the House.-

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशीजी, अगर यह लैटर कान्फिडेंशल है तो आप कान्फिडेंशल लैटर को डिसक्लोज मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : It may not be confidential but it cannot be used for political purposes. गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया से स्टेट गवर्नमेंट कम्युनिकेट करती है, इनफॉरमेशन देती है, That cannot be used for this purpose.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको यह जरूर डिस्कस करना चाहिये, क्या गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया और स्टेट गवर्नमैंट के बीच

(श्री सी. पी. जोशी)

में कम्युनिकेशन होता है, जहां नम्बर ऑफ इनफॉरमेशन शेयर करते हैं, उसको हम डिबेट करने के लिये आधार बनाना चाहते हैं ? एक तरफ तो माननीय सदस्य, सदस्य कहते हैं अखबार में रिपोर्टिंग है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह डिबेट हो सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : किसको ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया और स्टेट गवर्नमैंट...(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : We are not supposed to divulge it. We may communicate it but we are not supposed to divulge it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशीजी, इतना-सा झगड़ा है, इस झगड़े को खतम करो। यह कह दें कि मुख्य मंत्रीजी ने लैटर और फैक्स भेजे हैं, उनमें पलायन नहीं हो रहा है, इसका उल्लेख नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुख्य मंत्रीजी की प्रधान मंत्रीजी को, शांता कुमारजी और कृषि मंत्रीजी का चार्ज सुंदरलालजी पटवा के पास है उन सब की चिट्ठियों को अभी मैंने पढ़ा है, कभी इस तरह की बात नहीं कही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हो गई। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर, जिन लैटर्स का आपने रैफरेंस लिया है, हाउस की प्रोपर्टी हैं। जिस रैफरेंस के आधार पर आपने यह बात कही कि मुख्य मंत्रीजी ने इस प्रकार की बात का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि आपने उनको कोट किया है इसलिये वे हाउस की प्रोपर्टी हैं। All these papers should be laid on the Table of the House.

श्री सी.पी. जोशी : ऐसी बात कोई जरूरी नहीं है, ये तो खुद मुख्य मंत्री रहे हैं, एक्सपीरिएंड आदमी रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बस, समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा राइट है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना खतम। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : I will conclude.

श्री उपाध्यक्ष : You allowed him to speak, इन्होंने क्वेश्चन कर लिया, बात खतम हो गई। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बता रहा हूं, तारीख भी बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप विराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सब्जैक्ट क्लोज हो गया। (व्यवधान) I will not allow you. श्री गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : This is unfair. This is not fair.

श्री उपाध्यक्ष : बोल लिये, बहुत बोल लिये। श्री गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी बात समाप्त करने दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने इनको क्यों बोलने दिया ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने बोलने दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैंने नहीं बोलने दिया। (व्यवधान) आप विराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने बोलने दिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार का काम है कौन बोले और कौन नहीं बोले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया। बात खतम हो गई, आपकी बजाय इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया। I will not allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं क्या होता है, I said no. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपके आदेश की पालना कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I said no. (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने आदेश दिया कि मैं तारीख बताऊं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आदेश दिया, बात खतम हो गई। जो क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं, माननीय विपक्ष के नेता ने आपके माध्यम से पूछ लिया, जवाब आ गया। This is not a debate. यह डिबेट नहीं है, प्लीज। (व्यवधान) एक्सपंज कर दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोले जाइये, यह कोई रिकार्ड नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई एण्ड नहीं है, यह कोई डिबेट नहीं है। आपको दो मिनट अलाउ कर दिया इसका मतलब यह थोड़े-ही है कि आप बोले जाओ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपका जवाब मिल गया मंत्रीजी से, इसमें कोई सब्सटेंशल बात नहीं है। जो बात थी उसका जवाब मिल गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 23 अप्रेल की जो तारीख दी है, खंडन कर दें। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : फैक्स में क्या लिखा है, आप बता दीजिये ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जिस तारीख का हवाला दे रहे हैं, लैटर रख दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 23 तारीख के फैक्स में क्या भाषा लिखी हुई है ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप मत लिखो, एक्सपंज कर दो।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये, आप कहां से बोल रहे हो ? काहे पर बोल रहे हो ?

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : महत्त्वपूर्ण है तो उसको आप उठाओ कायदे से।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज, मैं इस इश्यू पर अब नहीं बोलने दूंगा, बात खतम हो गई।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोले जाओ, हम लिख ही नहीं रहे हैं, क्या फायदा है ?

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इनको कहो कि 23 अप्रेल का लैटर रख दें। इनको कहो कि रख दें यहां लैटर 23 अप्रेल का, तारीख बता दी तो। (व्यवधान) वे क्यों बताएं ? Why he ? नहीं आप रखिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप जिस लैटर का रैफरेंस दे रहे हैं, आप रखिये टेबल पर। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामस्वरूप : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये, कोई जरूरत नहीं है सदन के पटल पर रखने की।

आर्डर, आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, विराजिये, एक मिनट। आप बोलना किस पर चाहती हैं, यह बताइये ? आप किस पर बोलना चाह रही हैं, यह बोलें ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना किस पर चाहती हैं, यह बताइये ? काहे की सूचना ? आप पांइट ऑफ आर्डर या पाइंट ऑफ इंफार्मेशन, काहे पर बोलना चाहती हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब यह बोलो ना आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : पाइंट ऑफ इंफार्मेशन, यह बोला मैंने। वैसे तो आसन का अधिकार है, आप बोलने दें चाहे नहीं बोलने दें, आप अंकित करवाएं चाहे न करवाएं लेकिन इतना महत्त्वपूर्ण मामला है, इस सम्बन्ध में आप हमें कुछ बोलने भी नहीं दे रहे हैं, चर्चा भी नहीं करने दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह किसने कहा कि नहीं दे रहे हैं ? नहीं, कितना बोलने दें आपको ? बोलने दिया ना सबको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी कर्नल सोनारामजी से बात हुई है...(व्यवधान)। आप सुनें तो, आप सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान) मेरी कर्नल सोनारामजी चौधरी से बात हुई है जो आपके कांग्रेस के एम.पी. हैं, उन्होंने कहा यह बात सही है, सुन्दर लालजी पटवा ने हमें यहां पर संसद में बताया कि जो सूचना है, उसका आधार आपके मुख्य मंत्री का फैक्स है। फैक्स की तारीख बता दी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने। आप हमें यह कह रहे हैं कि आप फैक्स बताइये, वे बताएंगे, हम कहां से बताएंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : वे तो कह रहे हैं कि है ही नहीं, ऐसे क्या बताएं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : है इनके पास, कैसे नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप लाओ ना, जो इस डाकूमेंट को आप कोट कर रहो हो। It is your duty आप लाकर के बताओ। Why are you forcing that?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम क्यों लाकर रखेंगे ? वे रखेंगे। जब हम सुनाकर कह रहे हैं तो वे रखेंगे।

डा. के.सी. चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : Come out with the documents. यह तरीका नहीं है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कौन डिनाइ कर रहा है इसे ? इन्होंने कब कहा है, बताएंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अमीन खान : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूपजी, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमीन खान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, विराजिये प्लीज। बात हो गई आपकी, बात खतम हो गई। आपने दे दिया पाइंट ऑफ इंफार्मेशन, मैंने जवाब दे दिया, बात खतम हो गई। प्लीज विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात सुनिये, आपने यह कहा है कि कर्नल सोनारामजी ने आपको टेलीफोन पर सूचित किया है कि पलायन नहीं हो रहा है, इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी का फैक्स कहां भेजा है। आपने कहा हाउस आज बंद नहीं हो रहा है, आप कल फैक्स पेश कर देना, परसों कर देना। लाओ तो सही फैक्स। It is your duty. आप फैक्स पेश कर देना। यह क्या बात है ? आप कह रहे हो कि आपने फैक्स कर दिया तो Come out with the facts.

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप जिस डाकूमेंट को कोट कर रहे हैं, it is your responsibility to produce it, why should the Government produce it ?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। आप विराजिये प्लीज, माननीय सदस्य विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऑन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल 288 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

"If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table:

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest:

Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper, it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table.

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, इसमें क्या बात है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी पर बात कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने अभी कोई जिस्ट नहीं बताई है।

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस्ट नहीं बताई है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : न तो मैंने कोट किया है, मैंने जिस्ट...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे दोनों बात बता दें कि क्या यह लैटर सदन में पेश करना पब्लिक इण्ट्रैस्ट के इनकंसिस्टेंस में है ? यह लैटर सदन में पेश करना पब्लिक इण्ट्रैस्ट के लिये...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिस्ट बता दिया मैंने, लैटर को कोट नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : इसका सैकिण्ड पार्ट पढ़िये ना, इसका लास्ट पार्ट पढ़ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह पढ़ लिया मैंने, बता दिया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जिस्ट बता दिया, बात खतम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जिस्ट बताई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया। यह कहा है इन्होंने कि...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न तो इन्होंने तारीख दी है। (व्यवधान) देखिये, जिस्ट इस से नहीं होता है कि इन्होंने कह दिया कि लैटर में यह नहीं लिखा।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने यह कहा है कि इतनी चिट्ठियां हैं, जो मिनिस्टर को, स्टेट मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर साहब ने लिखीं। वह बता दें कि इन्होंने लिखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। प्रोविजो पहला है, उस प्रोविजो को देखिये आप, जिसमें लिखा है कि पब्लिक इण्ट्रेस्ट के इनकंसिस्टेंस में नहीं हो।

श्री सी.पी. जोशी : इसके बाद वाला प्रोविजो भी है, इसके बाद वाला भी देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाएं, आप यह रूल तो पढ़ लीजिये, हमेशा ध्यान रहेगा। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : इसके बाद वाला प्रोविजो आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बोलने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि पहले प्रोविजो में साफ किया है कि किस तरह के लैटर इस सदन की मेज पर रखे जा सकते हैं। इसकी एक ही शर्त है कि वह लैटर पब्लिक इण्ट्रेस्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। यदि वे नहीं रखना चाहते हैं तो यह कह दें कि ये लैटर्स पब्लिक इंण्ट्रेस्ट के इनकंसिस्टेंस में हैं, इसलिये मैं नहीं रखना चाहता हूं, नम्बर एक।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं, मैंने जो चीज पढ़ी ही नहीं है वह हाउस की टेबल पर कैसे रखूंगा ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने सब बताये हैं ना कागज, आपने हाथ में लेकर के... (व्यवधान) आपने यह कहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : I have not quoted anything. मैंने जिस्ट बताई है, नो, नो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह कहा है कि ये सारे लैटर मैंने पढ़े हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं, मैंने किसी लैटर को पढ़कर हाउस में कोट नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप उसकी जिस्ट तो बता सकते हैं।

श्री सी.पी. जोशी : आप जो कोट कर रहे हैं, सैकिण्ड प्रोविजो बहुत क्लीयर है, even if he says it राज पत्र के सारांश बता दिये, उसको ले-डाउन करने की जरूरत नहीं है। It is very clear. समझिये, समझिये आप इतने वरिष्ठ रहे हुए हैं, सरकार के मुख्य मंत्री रहे हुए हैं, आपको खुद को मालूम है कि इस, इसमें नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, आपको एक चीज की बात कर रहा हूं। (व्यवधान) नहीं, आपको तो, मैं वरिष्ठ नहीं हूं...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष गलत कोट कर रहे हैं। इनके प्रोविजो के ऊपर आप ला रहे हैं, मंत्री महोदय ने तो कोट किया ही नहीं। आप प्रारंभिक स्टेज के ऊपर ही गलत कोट कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने कोट किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने सुन्दरलालजी पटवा को कोट किया हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपने कोट किया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने कोट नहीं किया। मैंने तो कहा कि मुख्य मंत्रीजी ने शांता कुमारजी को, सुन्दर लालजी पटवा को, प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखे हैं।

श्री सांवर लाल : वे मेरे पास हैं।

श्री सी.पी. जोशी : हां, हैं ना। इसमें क्या है, इसमें क्या तकलीफ है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन लैटर्स में इस बात का उल्लेख नहीं है। आप व्यवस्था दे दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : दे दी ना। I disallow it. श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) प्लीज, अब खतम हो गयी बात। (व्यवधान) अब विराजो, अब आप काहे को खोलते हैं ? विराजिये।

नागौर के बियावड़ी गांव में बच्चे का अपहरण व उसकी हत्या के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : गृह मंत्रीजी, एक ऐसा केस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसको पढ़ने के बाद और जिसकी सारी पत्रावली देखने के बाद मेरा मन बहुत ही दुःखी है और कुंठित है। इस प्रकार का घटनाक्रम हो जाए कि जिसके घर का बालक, घर के सब लोगों की मौजूदगी में जबरन उठाकर जीप में डालकर ले जाया जाए। जैसे ही बालक को जबरन उठाकर ले गये, गली-मौहल्ले के आदमियों ने देखा। साढ़े सात बजे का समय था, क्योंकि उनकी रंजिश थी इसलिए घर वालों को डर था कि उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। (व्यवधान)

(13:00 बजे)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह कौनसी तारीख की घटना है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह बियावड़ी नागौर की घटना है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कौनसी तारीख की ? कौनसी तारीख की ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह बहुत पुराना है। वह आज दिन तक भटक रहा है लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाया है। मैं इसके तथ्य में इसलिए ले जाना चाह रहा हूं आपको, बाकी तो मैं भी नहीं उठाता इस विषय को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : कब के मामले कहां उठाते हैं ? माननीय सदस्य को निर्देशित किया जाए कि रीसेंट आकरेंस हो उसको सदन में उठाया जाए। कब के मामले कहां लाकर उठाते हैं और उसको इस तरह से सदन में लाकर रखते हैं कि जैसे आज ही घटना घटी है और पता नहीं क्या होने वाला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है कि वह और उसका परिवार...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। It has been allowed, उसके बाद क्या कह रहे हो ? माननीय सदस्य, मैंने अलाउ किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसका परिवार आज भी जयपुर में आपसे, हमसे, पुलिस के सब अधिकारियों से लगातार मिलता जा रहा है लेकिन उसकी अभी भी जिस प्रकार की सुनवाई होनी चाहिये वह नहीं हुई है। मेरे पास कोई कागज उस समय के नहीं हैं। अभी भी वह आप सबके पास आकर गया और आप सबने भी उस पर कागज लिखकर आगे की कार्यवाही करने के लिए सी.आई.डी. को दिया।

लेकिन इस घटनाक्रम को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, आधे घंटे के अन्दर-अन्दर उसके परिवार के लोग थाने पर पहुंच गये, बाधुकलां थाना है उस पर पहुंच गये। साढ़े सात, पौने आठ बजे की यह घटना है लगभग सवा आठ बजे घर वाले पहुंच गये। उन्होंने अपनी तरफ से एफ.आई.आर. लिखा दी– कौनसी गाड़ी, कौन व्यक्ति उसमें थे, कितने व्यक्ति थे, उनको लेकर गये हैं, मेरे इस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होगी और परिवार के लोग भी थाने में बैठे हैं। एफ.आई.आर. लिखी गयी है। उसी समय में एक सूचना टेलीफोन के माध्यम से उस थाने पर आती है, गायत्री वहां कोई चौक है, उस चौक में कोई लाश पड़ी हुई है। उस लाश को जाकर जब पुलिस ने देखा तो यह वही बालक था जो उसके घर से ले जाया गया था। उसके साथ मारपीट हुई। मारपीट होकर चूंकि कोई गाड़ी दिख गयी, उसकी लाइट के कारण से वहां से उसको एक बार फिर गाड़ी में डाला, डालने के बाद फिर पीट दिया और उसके बाद वहां डालकर चले गये।

मैं भी जानता हूं कि यह पुरानी घटना है लेकिन इसमें दो-तीन तथ्य बहुत ही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वेदनापूर्ण हैं। एफ.आई.आर. में जो लोग आये उनका नाम, गाड़ी का नम्बर, सब कुछ चीज है। स्वयं जिसके साथ यह घटना हुई उसका डाइंग डिक्लेरेशन है। घटना 19 तारीख की है। उसको जिस प्रकार की चोट लगी, पहले मेड़ता हास्पिटल में गये। मेड़ता हास्पिटल में कांस्टेबल और वहां के डाक्टरों के सामने उसका डाइंग डिक्लेरेशन है अपना सारा का सारा। उसने सारी घटना को अपने बयान से कहा है, क्योंकि उस समय तो वह ठीक स्थिति में था। उसने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि रात्रि के साढ़े सात बजे सतपाल सिंह, भंवर सिंह, यशपाल सिंह, बलवीर सिंह, ताज मोहम्मद और दीनदयाल जीप द्वारा मेरे घर पर आये। मुझे शक हुआ तो मैं भागकर मकान के चौक में गया। वहां सतपाल और ताज मोहम्मद मेरे पीछे भागे। मैंने भाग कर कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद करना चाहा तो दरवाजे पर धक्का देकर मुझे पकड़कर लात-घूंसों से मारते, घसीटते बाहर लाये और जीप में डालकर मेरा अपहरण कर लिया। मतलब उसे ले गये और उसके बाद सभी लाठियों से मारने लगे। सतपाल सिंह ने मेरे मुंह पर मारी, भंवर सिंह ने...यह सारा का सारा उसका डाइंग डिक्लेरेशन है। उसने इस प्रकार कहा कि मेरे को किस प्रकार की चोट हुई।

उसके बाद वहां स्वयं डाक्टर ने कहा कि मामला थोड़ा सीरियस है, इसको अजमेर रैफर किया। उसके बाद अजमेर गया, अजमेर हास्पिटल में रहा। अजमेर के डाक्टरों ने देखा कि यह केस हमारे यहां से ठीक नहीं हो पाएगा, आप इसे जयपुर ले जाइये। जयपुर चला गया। जयपुर आने के बाद 24 तारीख को इस बालक की हास्पिटल में डैथ हो गयी। मुकदमा आपने उसमें 302 में दर्ज कर दिया, तफ्तीश आपकी चालू हुई। 25 तारीख को पूरा का पूरा कस्बा इस कारण से बंद रहा।

जब उसकी लाश आयी और उसका दाह संस्कार हुआ, उस दिन पूरा का पूरा कस्बा बंद था। बंद होने के बाद समाज की बैठक हुई, सब कुछ हुआ। सारे तथ्य बिलकुल प्रमाणित थे लेकिन इस केस को कैसे टर्न दिया गया ? केवल चार लोगों को उन्होंने सरेण्डर किया 26 तारीख को, उन चार लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। इनका परिवार बराबर एस.पी., डी.आई.जी., जयपुर, आप सबके पास कई बार होकर गया कि इसके ये मुलजिम हैं, हमारी आपसी कोई पारिवारिक रंजिश थी उसके कारण से यह घटना हुई है। हम सब पहचानते हैं। दो नाम हैं जो इसमें नहीं पकड़े गये हैं। ये इसमें थे लेकिन उनको नहीं पकड़ा गया। उसके बाद जैसा एक टर्न हुआ इस सारे केस का, डाइंग डिक्लेरेशन एक खड्डे में जा पड़ा। 20-25 लोगों के बयान हैं जो चश्मदीद गवाह हैं, वे सारा का सारा घटनाक्रम एक-सा बताते हैं, किसी में कोई परिवर्तन नहीं।

लेकिन आपने देखा होगा, आपका डी-वाई.एस.पी. एक एफिडेविट के आधार पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपने बयान देता है कि ये जिन दो लोगों के नाम बता रहे हैं ये दोनों मेरे घर पर साढ़े सात बजे थे और मेरे यहां ही इन्होंने खाना खाया। डीवाई.एस.पी. के इस वर्शन के आधार पर इस केस को टर्न दिया और टर्न देने के बाद कहा कि ये दोनों तो थे ही नहीं। डीवाई.एस.पी. साहब कह रहे थे, तो क्या पुलिस के डीवाई.एस.पी. से इस प्रकार के बयान देकर अभियुक्तों को छुड़ाने का नया धंधा राजस्थान में प्रारम्भ जो जाएगा क्या ? अगर इसके आधार पर उस गरीब को न्याय नहीं मिलता है तो इससे ज्यादा दुःख, अफसोस नहीं हो सकता।

मैं यह नहीं कहता हूं कि कोई निर्दोष को आप पकड़ें और उसके साथ ज्यादती करें, लेकिन यह भी नहीं हो सकता। डाइंग डिक्लेरेशन है, सब लोगबों के बयान हैं, स्वयं पहुंचकर थाने पर पहले रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, थाने पर मौजूद हैं। आधे घंटे बाद घटनाक्रम पर जहां उसको पड़ा मिला वहां चौक से लाकर नौ बजे थाने लायी पुलिस और मेड़ता हास्पिटल में ले गयी। घर के, परिवार के लोग सब गवाह हैं। एक डीवाई.एस.पी. अगर इस प्रकार का बयान दे दें और सारे केस को खड्डे में डालने की प्रवृत्ति चालू हो गयी तो फिर तो मैं सोचता हूं कि शायद कोई नहीं बचेगा। फिर तो किसी को ही बचाना हो इस पुलिस की गिरफ्त से।

मैं इस केस में आपसे जानना चाहता हूं कि डीवाई.एस.पी. यह बयान देने का धंधा कब से करने लगे ? इसके आधार पर अधिकारी ने मुलजिम को अपराध से मुक्त कैसे किया ? ये दो बातें हैं इसलिए एक तो डीवाई.एस.पी. के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ऐसे तो पुलिस वाले कल पैसा लेकर इसी तरह का धंधा शुरू कर देंगे। चाहे जिसको निकालना हो तो पुलिस को ही पैसे दो, दूसरे किसी के बयान की कोई जरूरत ही नहीं, डाइंग डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं, हास्पिटल की जरूरत नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जरूरत नहीं, परिवार के लोगों की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष-दर्शियों की जरूरत नहीं।

मुझे अफसोस तो यह है कि गाड़ी नम्बर सहित, इसी व्यक्ति की गाड़ी पकड़ी गयी, लेकिन उसमें आपने नौकरों को पकड़ाकर वह मुलजिम मुक्त हो गया। एक-दो नहीं, 17 केस उसके खिलाफ हैं, 17 केस आपके यहां रिकार्ड हैं। 17 केस जिस पर दर्ज हैं, आप चाहें तो मैं उसमें से एक-एक केस को पढ़ सकता हूं कि कौन-कौनसे केस उसके ऊपर दर्ज किये हुए हैं। इस प्रकार का एक अपराधी जो पैसे से सम्पन्न और माफिया गिरोह का नेता है, वह इस प्रकार की वृत्ति करे और उसके परिवार के लोग आपसे निवेदन करें, विनय करें, आग्रह करें, भीख मांगे उसके बाद भी न्याय नहीं मिले तो निश्चित रूप से लोगों का मन उठ जाएगा, विश्वास खतम हो जाएगा। आपकी, मेरी, दोनों की और हम सब बैठे हुए सदन के सदस्यों की नैतिक जिम्मेदारी है।

अगर वास्तव में किसी गरीब के बच्चे को घर से उठा ले जाकर कोई उसको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मारे, मारने के कारण से बच्चे की मौत हो जाए, अपराधी दुनिया ने देखा है, उसके बाद उसकी बात को तो रद्दी की टोकरी में डालकर एक डीवाई.एस.पी. पैसे खाकर यह कह दे कि ये मेरे घर पर थे, मेरे यहां खाना खा रहे थे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा ? मेरी प्रार्थना है कि इसकी तह में जाकर इसके कागज आप स्वयं मंगाकर, जिसको बुलाना चाहें उसे बुलाएं, इस व्यक्ति और परिवार को न्याय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

अकाल राहत के तहत कार्यरत श्रमिक की मृत्यु

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गंभीरता के साथ अपनी बात कहना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो गंभीर ही उठाते हो, बाकी तो उठाते ही नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : जिस जिले से माननीय मुख्य मंत्री चुन कर आते हैं और माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, जोधपुर जिला, लूणी विधान सभा का सतलाना गांव।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोहन लाल पुत्र सोनाराम मेघवाल जो एक वृद्ध आदमी है, अपनी भूख को बुझाने के लिए अशक्त अवस्था में होते हुए भी अकाल राहत कार्य पर मजदूरी करने के लिए कई दिनों से जा रहा था। 24 अप्रेल को मजदूरी करते-करते गेंती से मिट्टी खोदते-खोदते उसको चक्कर आ गये। चक्कर आने के बाद वह मूर्छित होकर गिर गया और उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि मूर्छित होने के बाद वह मर गया, वहां दवा की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं हो पायी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि उसको चार दिन में ही भुगतान हो जाता तो चार दिन के भुगतान् होने के बाद वह अपने अन्न की व्यवस्था कर लेता, पानी की व्यवस्था कर लेता और मैं समझता हूं कि उसकी मृत्यु नहीं होती। श्रीमान्, कई दिनों से अकाल राहत पर अशक्त व्यक्ति लगा रहे, वह भूख के कारण से चक्कर खाकर गिर जाए और तड़प-तड़पकर जिस प्रकार से पशु मर रहे हैं, उस प्रकार से मर-जाए, यह राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए और हम सब के लिए, इस सरकार के लिए शर्म की बातं है।

ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। और एक पहलू क्या है इसका ? चार दिन तक अधिकारियों ने इसको छुपाये रखा, चार दिन तक अधिकारियों ने यह बताया नहीं कि कोई व्यक्ति राहत कार्य पर मजदूरी करते हुए, भूख के कारण से तड़प-तड़प कर मया गया है। जब उसके तीन दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद, क्रिया-कर्म करने के बाद उसकी पत्नी आकर जिला कलेक्टर को अपनी व्यथा सुनाती है। एक चिट्ठी

(श्री मदन दिलावर)

लिखती है कि मेरा पति जो अकाल राहत काम पर गया था, भूख और प्यास के कारण वह तड़प-तड़पकर मर गया है। तब जाकर जिला प्रशासन की आंख खुलती है। फंट दौड़ते हैं और भागते हैं। क्या होगा ? एक घटना तो यहं अकाल राहत कार्य पर काम करते-करते मौके पर मर गया, उसकी सामने आयी है।

मेरा आरोप है कि जब से अकाल प्रारंभ हुआ है तब से आज तक घरों में बैठे हुए लोग, चलते हुए लोग, अकाल राहत काम पर कार्य करते हुए लोग भूख से या बीमारी के कारण व्यथित होने से अस्पतालों में एक हजार से जयादा इस भुखमरी से मर गये हैं। मैं सूची लाया हूं– 30 लोग तो कोटा शहर में भूख के कारण तड़प-तड़प कर जो अपने बच्चों को नहीं देख पाए थे, उन्होंने सेल्फास की गोलियां खाकर, फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : कोटा शहर में तो अकाल ही घोषित नहीं किया गया, ये किसकी जानकारी दे रहे हैं ?

श्री मदन दिलावर : यदि 30 लोगों की सूची चाहिए तो मैं सदन के पटल पर रख सकता हूं, नाम हैं, गांव हैं। इस राजस्थान की सरकार के कारण मैं क्या कहूं, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं बहुत व्यथित हुआ हूं, मुझे ज्यादा परेशान मत करिये। राजस्थान की जनता तड़प-तड़प कर मर जाए और हम देखते रहें ? श्रीमान्, आज राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट के लोग भूख के कारण तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : गंभीर विषय है। जनतांत्रिक सरकार में प्रजा को बचाना सरकार का दायित्व है। (व्यवधान) भूख और पानी से मर रही है इससे ज्यादा चिंता की बात नहीं हो सकती। (व्यवधान) गरीब लोगों के लिए रोजी-रोटी की, पानी की व्यवस्थ कर...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इससे गंभीर कोई मामला राजस्थान में हो नहीं सकता।

एक माननीय सदस्य : +++

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : अकाल की स्थिति में लोग भूख के मारे मर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इससे बढ़कर क्या गंभीरता होगी ? (व्यवधान) इससे बढ़-कर क्या संवेदनशील सरकार होगी ? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये इतनी गंभीरता से कोई बात कह रहे हैं और उसके बाद हंस भी रहे हैं, यह कौनसा तरीका है इनका ? गंभीरता से भी बोल रहे हैं और हंस भी रहे हैं, यह क्या मतलब हुआ आपका ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारे गंभीर हो रहे हैं, कौन हंस रहा है ?

श्री रामस्वरूप : आप एक तरफ तो गंभीरता से बात कर रहे हो और एक तरफ हंस रहे हो इस बात को लेकर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजाक बना रखा है। या तो आप गंभीरता से लो किसी बात को। गंभीरता से भी ले रहे हैं और हंस भी रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं। रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। पता ही नहीं लगा दिलावरजी रो रहे हैं कि हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं दिलावरजी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई पीड़ा आपके मन में है कि नहीं है ? हंस तो उधर रहे हैं, यहां पर सब लोग दुःखी हो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्री का नाम कर ये हंस रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : फेमिन में अगर मौके पर किसी श्रमिक की मौत हो जाती है, सरकार उसको सहायता देती है क्या ? मंत्री महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि उस पीड़ित मृतक के आश्रित को आपने कोई सहायता दी कि नहीं दी ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सहायता से मरने वाला वापस नहीं आता, और कितने मरेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उन्होंने अपनी बात कह दी, पर्ची के माध्यम से अपनी बात कह दी। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं न तो इसको बहस का मुद्दा बनाना चाहता हूं, न ही मैं इसको राजनीति का मुद्दा बनाना चाहता हूं। तथ्य जो हैं अगर इनमें कोई गलती होगी और जो सूचना मुझे अधिकारियों ने दी है अगर उसमें भी गलती पायी जाएगी तो मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जो सूचना मेरे पास है वह यह है कि दिनांक 24.4.2000 को मोहन लालजी काम पर गये थे, और मजदूर भी काम पर गये थे। आजकल गर्मी की वजह से सुबह का टाइम कर दिया। दिन को खाना खाने की एक घण्टे की छूट देते हैं 10-11 बजे के आसपास। इस मोहन लाल ने खाना खाया, भूख से मरने वाली बात नहीं है। इसने खाना खाया और खाना खाने के बाद उठकर जा रहा था, गिर गया। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : कौनसी होटल से आया था खाना ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसके घर से लेकर आया था। होटल से नहीं आता है, मजदूर घर से लेकर आता है माननीय भाटी साहब, और दोपहरी करता है। आपको होटल सूझ रही है, अभी भी मजाक सूझ रही है। आप मजाक से हटकर सीरियसनैस पर आइये। होटल से नहीं आता, मजदूर सुबह अपनी रोटी साथ लेकर आता है और खाता है।

श्री देवीसिंह भाटी : रोटी कोई पहली बार वह नहीं खा रहा था, जो आप अभी इसको घुमाकर इस प्रकार से बताना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आपसे घुमाकर नहीं कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : दवा के उपचार के अभाव में नहीं मरा है, वह तो रोटी खाने से मरा है, यह कहना चाहते हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपसे क्या कहा कि जो सूचना मुझे मिली है उसके आधार पर मैंने ए. डी. एम. को जांच करने के लिए भेजा। उन्होंने जो सूचना मुझे दी है, अभी विस्तृत जांच बाकी है, उसके आधार पर उन्होंने जो सूचना दी है, वह मैं कह रहा हूं। अगर गलत है या आप कन्ट्राडिक्ट करेंगे तो मैं दुबारा इसकी जांच कराने को तैयार हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

लेकिन जब सब खाना खा रहे थे, इसने भी खाना खाया। और मजदूरों के स्टेटमैंट उन्होंने लिये होंगे, मैं उसकी कापी भी आपको मंगवा दूंगा। उसके बाद वह खड़ा हुआ और पानी पीने गया। खुद गिर गया। गिरने के बाद उसको घर ले गये। वह मरा हुआ साबित हुआ। अब यह बात है और आप कह रहे हो, भूख से मर गया। मजदूरी नहीं मिली उससे मरा। वह खाना लेकर आया था, उसने खाना खाया था, रोटी खायी थी। रोटी खाने के बाद उठा है और गिर गया है।

चूंकि उस वक्त किसी भी आदमी ने जिला प्रशासन को सूचना नहीं दी इसलिए हम उसका पोस्टमार्टम नहीं करा सके। इस तथ्य को मैं स्वीकार करता हूं, सदन में कोई छिपाने की बात नहीं है। लेकिन मैंने ए. डी. एम. को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उस वक्त जो मौके पर मजदूर थे, और लोग थे, उन सारे लोगों के बयान लेने के बाद जांच अधिकारी की रिपोर्ट आने पर मैं कार्यवाही करूंगा। लेकिन फिर भी मैंने मुख्य मंत्री सहायता कोष से तत्काल दस हजार रुपये की राशि उसको दे दी है।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, गर्मी के अन्दर व्यवस्था है कि अगर मौके पर मृत्यु हो जाती है तो बीस हजार रुपये तो आपके डिपार्टमैंट से मिलने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह जांच होने पर। आपसे मैंने कहा है, अभी तत्काल

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

सहायता के रूप में दस हजार रुपये दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : राहत कार्यों पर काम करते हुए श्रमिक की मृत्यु हुई है इसलिए बीस हजार रुपये तो आपको देने चाहिए। साइट के ऊपर मरा है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। इन्होंने यह थोड़े ही कहा है, बीस हजार नहीं देंगे।

श्री सांवर लाल : यह तो मांग रहे हैं साहब, फेमिन...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने कहा है कि ए. डी. एम. की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने यह कहा है कि तत्काल दस हजार रुपये दिये हैं।

श्री सांवर लाल : रोटी खायी, पानी पीया है। मौके पर काम किया, वहां पर उसकी मृत्यु हुई है। ये प्रावधान बहुत पुराने हैं इसलिए बीस हजार रुपये देने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। वह आदमी आपके फेमिन पर काम कर रहा था। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जांच रिपोर्ट आने पर आपके सुझावानुसार कार्य करूंगा, लेकिन तत्काल सहायता के रूप में उसको दस हजार रुपये दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, आप मान रहे हो कि वहां पर मौके पर मृत्यु हुई है, अब जांच में क्या रह गया इसके अन्दर, गरीब परिवार को बीस हजार रुपये देने में ? फेमिन में मौके पर मरा है, यहां इसको आप प्रेस्टीज इश्यू क्यों बना रहे हो ? इसमें जांच का कौनसा विषय रह गया ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने प्रारम्भ में कहा है, न तो राजनीति करना चाहता हूं, न मैं और कोई बात करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हमारा भी मकसद यह नहीं है, हम तो केवल...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आपने अभी कहा सारे मजदूरों के बयान लिये हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लिए होंगे, ऐसा मानता हूं। जांच अधिकारी नियुक्त किया है तो जो उस दिन काम पर आए हों, उन सब मजदूरों के बयान लिए होंगे। मैंने यह कहा है मैं उनका सारा रिकार्ड मंगवा रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही पूछ रहा हूं, जैसा आपने कहा कि वहां पर जिन मजदूरों के साथ उसने खाना खाया, उनके बयान लिये हैं। खाना खाया है इस बात की जांच करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणी के सतलाना गांव का मामला है। लूणी से सतलाना पांच किलोमीटर पड़ता है, डामर सड़क से जुड़ा हुआ है। लूणी तहसील हैडक्वार्टर है और सतलाना के अन्दर पांच हजार की आबादी है। चार-पांच ट्यूबवैल हैं, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। धान का केन्द्र वहां पर खुला हुआ है, चारा डिपो खुला हुआ है। सड़क है। लूणी-सतलाना के बीच की सड़क के ऊपर ये काम कर रहे थे। 54 वर्ष का यह आदमी है और खाना खाने के बाद उसकी मृत्यु हुई। गांव के 15-20 आदमी उसको घर ले गये और वहां उसके गांव में उसका दाह संस्कार कर दिया। उन्होंने जाकर कलक्टर को देरी से इत्तला दी कि इसकी मृत्यु हुई है, इसलिए इसको सहायता राशि दी जाए। कलक्टर ने उसी वक्त यहां भी बात कर ली और दस हजार रुपये उसको दे दिये।

इसके अलावा कोई नई बात इसमें नहीं है। न तो कोई भूख से मरा है और न कोई भूख वाली स्थिति है। इस तरह की बात है। आदमी जरूर मरा है, 24 तारीख को ही मेरे को मालूम हो गया था। 26 को जब बहस हुई थी उस समय ही जानकारी कर लेते। अब अखबार में जब आ गयी है, आपने पैदा कर दी बात को। यह बात ठीक नहीं है। आपको कम से कम सत्यता के ऊपर बात करनी चाहिए।

रूटीन में इस जयपुर के अन्दर कम से कम 100-150 आदमी मरते हैं, कोई भूख से मरते हैं ? कोई बीमार होता है, कोई टीबी पेशेंट होते हैं, कोई हार्ट पेशेंट होते हैं, कोई को कोई तरह की बीमारी होती है, काम करते हुए मर जाते हैं। खाना खाते हुए मर जाते हैं, खाना पड़ा रहता है तब मर जाते हैं। यह कोई नहीं बात नहीं है।

लेकिन भूख से मरने का प्रश्न नहीं है। भट्ट जो वहां के ए. डी. एम. हैं, वे वहां पर मौके पर गये हैं, जांच की है, उन्होंने रिपोर्ट दी है। उन्होंने लोगों के बयान भी लिये हैं। उन्होंने कहा है, साहब भूख से मरते तो हम आपको शिकायत उसी वक्त कर देते लेकिन रूटीन में इसकी मौत हुई है इसलिए हमने आपको शिकायत नहीं की थी, अब आप उसको पैसा दिला दीजिये। उसी वक्त कलक्टर ने जाकर उसको पैसे दे दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री देवीसिंह भाटी : भूख से मरने की क्या परिभाषा है ? जहां कैटल कैम्प खुले हुए हैं, गायें पहले से कमजोर हैं वहां आप खाखला भी डाल रहे हो, रोज के रोज सैंकड़ों गायें मर रही हैं, उसको क्या कहोगे आप भूख को ? (व्यवधान) अगर एक टाइम वो रोटी खाता है तो वो भूख से नहीं

(श्री देवीसिंह भाटी)

मरता ? पहले से वह कमजोर है, असहाय है, उसका विशेष ध्यान देने की जरूरत के लिए हम सरकार को बार-बार आगाह कर रहे हैं कि आप पानी की, छाया की व्यवस्था करें। दवाइयों की आप बिलकुल व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आपने दवाइयों के लिए कोई भी पैसों का प्रावधान नहीं किया है। जब कभी भी पिछले वर्षों में अकाल के काम खुले हैं तब दवाइयों के लिए बजट की अलग से व्यवस्था होती थी। आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं। कारण कोई भी हो सकता है। सहायता मंत्रीजी ने जांच का कहा है, जांच आ जाएगी लेकिन मोटे तौर पर आप स्वयं स्थिति जानते हैं कि अकाल के काम के ऊपर कौन जाता है। जिसकी मजबूरी होती है। सर के ऊपर मिट्टी की कड़ाई लेकर जो चले, यह कोई इज्जत नहीं होती उसकी, मजबूरी होती है। कम से कम मानवीय दृष्टिकोण अपना कर, कारण मत बताइये कि इस कारण से नहीं हो सकती, इस कारण से नहीं हो सकती।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, मौके पर मौत हुई है, मेरा निवेदन यह है कि आप 20 हजार रुपये क्यों नहीं देना चाहते ?

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न 20 हजार रुपये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हो गया अब ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी ने जो बात कही, कुछ तथ्य सदन के सामने आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के यहां से निर्देश दिये गये हैं कि अकाल राहत काम जहां खुले वहां छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इमरजेन्सी ड्रग्स की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न इन्होंने। कह दिया न, कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण के अन्दर जो मौत हुई है उस जगह छाया की व्यवस्था नहीं थी। बिलकुल छाया की व्यवस्था नहीं थी। पूरे दिन वह श्रमिक काम करता रहा है और काम करने के बाद जब धूप के अन्दर जब हीट स्ट्रोक हुआ, एक तरह से वह शारीरिक रूप से कमजोर था...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें अब आप, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, राजस्थान में आप वापस निर्देश जारी करें...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 8 सालों में जो काम हुए हैं वहां पर छाया थी क्या ? जहां पर मजदूरी करते हैं वहां पर कभी छाया नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं, अकाल राहत मंत्रीजी, आप वापस निर्देश जारी करें कि अकाल राहत कार्य की साइट पर थोड़ी छाया की व्यवस्था हो, पानी की माकूल व्यवस्था हो, कोई इमरजेंसी ड्रग की व्यवस्था हो। कागजों में सारी व्यवस्था चल रही है, वास्तविकता से बहुत दूर है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कह चुके 26 तारीख को, माननीय सदस्य, विराजो आप। अब आपको क्या कहना है ?

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब खड़ा हुआ हूं, इस अकाल पर बहस तो आपने चालू करा दी, मैं आपका एक मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो न, मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं। हां, हां, बोलो, कह रहा हूं बोलो।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार स्वयं ऐसे गैर-जिम्मेदाराना कृत्य को हाउस में इम्पोर्टेंस देती है। एक तो आपने पर्ची की ऐसी व्यवस्था कर दी कि चार नहीं निकलती हैं, तीन निकलती हैं। एक का टेण्डर तो अटरू से आने वाले माननीय सदस्य के नाम खुल गया, डेली बोलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस श्रमिक की मौत हुई है, इसका सदन को खेद है लेकिन यह भी कहा कि एक हजार आदमी आज तक भूख से मर चुके हैं। आप प्रोसिडिंग दिखवा लें। फिर मंत्रीजी बयान दे रहे हैं और आप उसको सीरियसली ले रहे हैं। पत्रकार साथियों को भी मेरा निवेदन है। सदन में ऐसे सदस्य जो सदन का समय जाया करते हैं उनका नाम लिख देते हैं। ये इसलिए बोलते हैं कि कल अखबार में नाम छप जाएगा।

श्री देवीसिंह भाटी : यह सही नहीं है। (व्यवधान) यह कौनसी आपकी +++ है क्या ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : यह आरोप सरकार पर लगाया है कि एक हजार आदमी भूख से मर गये हैं और आप जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) ऐसे +++ के वक्तव्य पर आप बयान दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ऐसी घटनाओं को मंत्री और सरकार, आप प्रोत्साहन देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज विराजिये। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : इसलिए मैं सदन को आगाह करता हूं कि ऐसे +++ जो एक हजार मौत बताता है... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे +++ लोगों को मंत्री बना दो जो सरकार की अधिकृत वाणी बोलें। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल, आप बोलना चाहते हैं या नहीं चाहते ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसे +++ लोगों को मंत्री बना दो, सरकार से मैं निवेदन करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज विराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : (व्यवधान) प्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है और सरकार भी जिम्मेदार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसे +++ लोगों को मंत्री बना दीजिये, सरकार से मैं रिकमंड कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सदस्य बोल रहे हैं, अब तो बैठो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं सरकार से सिफारिश कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे +++ लोगों को मंत्री बना दीजिये, ये मंत्री बन कर सरकार के अधिकृत... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ इनको मंत्री बनवा दीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी रिकमंडेशन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। प्लीज, आप विराजो न, हो गयी बात।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यहां रोये हैं, यहां उनसे बोला नहीं गया और आप उनको ऐसे मजाक के रूप में ले रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजो। डा. किरोड़ी लाल। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, +++ की भी हद होती है। माननीय सदस्य यहां पर कई बार ऐसे अपशब्द बोलते हैं, विपक्ष के नेता के लिए भी इन्होंने बोला कि +++ ऐसे नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, एक हजार आदमी कोटा में मरने का स्टेटमैंट दे रहे हैं, माननीय सदस्य रो भी रहे हैं, माननीय सदस्य ने कपड़े भी फाड़ दिये, माननीय सदस्य, रोज-रोज ऐसी हरकतें करते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, खतम करो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : जिम्मेदारी का +++ इन्होंने ही ले रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें आप। हो गयी बात। प्लीज। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ये जिम्मेदार हैं, बड़े जिम्मेदार हैं ये। इन्होंने +++ ले रखा है पूरा।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं सही बात बोलूं तो +++ करते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ करते हो, सही भाषा बोलते हो। जगमाल सिंहजी, आप +++ करते हो, मंत्री बन जाओ न। सरकार से रिकमंड कर रहे हैं विपक्ष के सारे एम. एल. ए.। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यहां पर नीचे पड़ गये और उस बात को आप मजाक में ले रहे हैं। अपनी व्यथा कही है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इतनी गम्भीर बात को मजाक में ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपके शब्द जो मेरी जुबान पर रखोगे वो नहीं बोले जाएंगे। आप मेरे बॉस नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : यह सदन किसी की +++ नहीं है। यह सदन आपकी +++ है क्या ? आप बॉस हैं क्या ? आप नहीं हैं मेरे बॉस, मैं उपाध्यक्ष महोदय से कह रहा हूं। आप बॉस हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप हमारे थानेदार हो क्या ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेरी मर्जी आये जो बोलूंगा, कोई बी.जे.पी. के भाषण नहीं बोलूंगा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप +++ क्या बोलते हैं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : जो मेरा जमीर कहेगा, जो मेरे मन में आएगा वो बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, हम रिकमंड कर रहे हैं कि इनको सरकार मंत्री बना दे, फिर अधिकृत रूप से +++

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मिर्धाजी, विराजिये। प्लीज, विराजिये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नहीं, नहीं। क्या +++ लगा रखी है इन्होंने, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो, प्लीज।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय +++ किसने लगायी है और किसका कितना जमीर है, इस पर एक घण्टे की बहस हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बहस आप बाहर करना, यहां नहीं होगी यह बहस। यह बहस कोई पब्लिक प्लेटफार्म पर करना, यहां नहीं होगी यह बहस।

श्री जगमाल सिंह यादव : किस का कितना जमीर है, उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान) +++

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने ही +++ ले रखा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ किसी के लिए भी कुछ कह देना, चाहे केन्द्र के मंत्री हों, चाहे विपक्ष के नेता हों। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ बन जाओ न मंत्री फिर खूब +++ बोलो। हम रिकमंड कर रहे हैं, सारा विपक्ष रिकमंड कर रहा है। सारा विपक्ष सिफारिश कर रहा है कि इनको मंत्री बनाया जाय फिर खूब +++

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये न।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय सदस्य रोये हैं, उनकी आंखों में आंसू थे, उससे बोला नहीं गया और उस बात के लिए कह रहे हैं +++

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ इतने गम्भीर मैटर पर +++ कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो विराजो, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए रोये कि इनके खिलाफ ए. सी. डी. में मुकदमा दर्ज हो गया। अटरू पंचायत में इन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया, फर्जी पट्टा जो सरपंच है सोनी, उससे लिया। (व्यवधान) मुकदमा दर्ज हो गया इसलिए इनको डर के मारे रोना आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीकजी, विराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : फर्जी नारे देकर सरकार में आ गये, उपाध्यक्ष महोदय, अब फर्जी दूसरों को कहे रहे हैं। पहले +++

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, विराजो।

माननीय सदस्य, यह जरूरी नहीं है कि आप जो बात समझो सब ठीक है। यह जरूरी नहीं है। माननीय सदस्यों को अपना बोलने का अधिकार है। उन्होंने अपनी बात

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

कही, आप अपनी बात कहो। आपको उसको काउंटर करने की कहां जरूरत पड़ रही है ? नहीं, यह तरीका नहीं है। प्लीज सिट डाउन। यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : लेकिन जो मेरे को उचित लगा वो मैंने कहा।

श्री उपाध्यक्ष : यह जरूरी थोड़े ही है कि आप बात कह रहे हो, सब सहमत हो सकते हैं। हाउस में आप जो बात कह रहे हो, यह जरूरी नहीं है कि सारा हाउस आपकी बात से सहमत हो। फिर भी सुन रहा है। उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने कह दी अपनी बात। आपको क्या एतराज है ? What objection have you got ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं कहां कह रहा हूं सहमत हों। उनकी बात से भी सब सहमत हों, यह भी जरूरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, बात खतम हो गयी। कोई यह जरूरी थोड़े ही है कि आप बात करें सब ठीक है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने मामला उठाया एक पर्ची के जरिये और एक व्यक्ति की मृत्यु का मामला उठाया। भावावेश में आकर आपने कह दिया एक हजार आदमी मर गये, कोटा शहर में मर गये। कहां मर गये, कहां कर गये ? मेहरबानी करके इस तरह के असत्य बयान बन्द करो। गलतबयानी कब तक करते रहेंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आपने कह दिया न कि लिस्ट दे दो मुझे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : गलतबयानी कर रहे हैं, इसका अफसोस है। एक हजार आदमी की सूची रखो यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। डा. किरोड़ी लालजी। (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : कोई प्रश्न करे तो भी खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य रोज खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ....(व्यवधान) +++ सदन को क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : इनकी बात में कोई सत्यता नहीं होती। ये रोज सदन में उठाते हैं, ये राजा हरिशचन्द्र हैं क्या ?

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मेरी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, अब क्या है ? आप विराजिए प्लीज।

श्री महेश जोशी : इस पूरे मामले में कुछ ऐसे शब्द आये हैं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, अब कोई सेंस नहीं है। बात खत्म हो गयी।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, असंसदीय शब्दों का प्रयोग हुआ है, कुछ शब्द रिकार्ड पर आ रहे हैं। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने +++ कहा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक आदमी बोलो। कुछ समझ नहीं पड़ रही है। एक बोलो तो समझ में आये न, क्या कहना चाह रहे हैं। (व्यवधान) एक-एक तो बोलो।

श्री अमीन खान (शिव) : ....(व्यवधान) +++ कहा, +++ ये शब्द कहे हैं। आप प्रोसीडिंग देख लें।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी भावावेश में आकर रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रति कई असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है, मेरा आसन से अनुरोध है कि उनको एक्सपंज करवा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या एतराज हो गया ? उनको तो कोई एतराज नहीं है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : असंसदीय शब्द है। आप प्रोसीडिंग दिखवा लें असंसदीय शब्दों का प्रयोग हुआ कि नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रोसीडिंग देख लेंगे उसमें कोई असंसदीय होगा तो। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जगमाल सिंहजी के प्रति असत्य आरोप लगाया है और आप कहते हो कि आपको क्या जरूरत है। सदन में किसी के ऊपर असत्य आरोप लगाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। आपने कैसे कह दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लालजी।

श्री श्रवण कुमार : आज जगमाल सिंहजी के ऊपर असत्य आरोप लगाये और आप कह रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है। एक हजार आदमी राजस्थान में कहां मरे हैं ? यह असत्य बात सदन में आपने नोट करवा दी।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री श्रवण कुमार : क्या विराजिए ? यही तो बात हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। एक हजार आदमी कहां मरे हैं राजस्थान में ? (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलत बात नहीं कही थी। मैंने यह बात कही थी कि अटरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि एक हजार आदमी मर गये हैं। (व्यवधान) और कांग्रेस के लोग स्वीकार कर लें। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न उनसे।

श्री श्रवण कुमार : एक हजार आदमी राजस्थान में कौनसे एरिये में मरे हैं, मुझे बताएं। राजस्थान में 32 जिले हैं, कहां मरे हैं एक हजार आदमी ?

श्री जगमाल सिंह यादव : ये तो भले ही स्वीकार कर लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कहां स्वीकार कर लिया ? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने कभी स्वीकार नहीं किया।

श्री श्रवण कुमार : छह आदमी मरे हैं। यह भी मजदूरी पर काम कर रहा था। मजदूरी पर काम करने के बाद सरकार का दायित्व नहीं बनता है। वह आदमी मरा है तो उसकी मेडिकल के लिए....(व्यवधान) बीस हजार रुपया देंगे, सरकार का दायित्व बनता है। एक हजार आदमी कहां मरे हैं राजस्थान के अन्दर ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रवण कुमारजी, विराजिए, बात खतम हो गयी।

श्री श्रवण कुमार : आपने सदन में नोट करवा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ उपाध्यक्ष महोदय।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में 25 अप्रेल को....

श्री राजेन्द्र पारीक : डा. किरोड़ी लालजी +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

कोटा में एक युवती के देह शोषण के आरोपित प्रमुख व्यक्तियों को सजा

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : देह शोषण की एक सनसनीखेज घटना घटित हुई है। 21 वर्ष की रेणु नाम की एक युवती जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश गयी थी, मध्य प्रदेश से उस युवती को कोटा की नजमा नाम की महिला कोटा में ले आयी और उस बालिका को देह शोषण करवाने के लिए मजबूर किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कुकृत्य के लिए उसको जिन्होंने मजबूर किया वे कोटा के शकील असरन, रईस, राजकुमारी और कान्ता हैं। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तारी के बाद यह मामला सामने आया। हमने भी पुलिस के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि इसमें तीन न्यायिक अधिकारी, दो फिल्म अभिनेता, प्रख्यात वकील, कोटा के बड़े व्यापारी एवं धनाढ्य व्यापारियों के पुत्र हैं। यह वहीं की घटना नहीं है, उसको बारां भी ले जाया

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

गया, नयापुरा भी ले जाया गया और जयपुर भी लाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, उसने जो बयान दिये हैं उन बयानों की पुलिस ने वीडियो कैसेट तैयार की है। उस वीडियो कैसेट में रेणु ने अपने बयानों में पुलिस को बताया कि उसे ले जाने वालों में दो फिल्म अभिनेता—मोहन कटारिया और एक सागर खान, बारां के अतिरिक्त न्यायाधीश एस.के.शर्मा, जयपुर के एक वकील, कोटा के व्यापारी मैसी, अरूण राजकुमार, रामगंज मण्डी के मजिस्ट्रेट, कोटा के एक मजिस्ट्रेट, उसका एक मित्र और कलेक्ट्रेट का एक चपरासी है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक लम्बी लिस्ट अपने बयानों में उसने कही है, वीडियो कैसेट टेप हुई है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो सनसनीखेज घटना हुई वह दबनी नहीं चाहिए। न्यायिक अधिकारी इन घटनाओं में लिप्त होने लग गये, फिल्म अभिनेता आने लग गये, बड़े-बड़े व्यापारी इन्वाल्व होने लग गये, बड़े पैसे वाले इन मामलों में आने लग गये तो मैं सरकार से इस मौके पर मांग करता हूं कि यह बहुत गम्भीर मामला है। जो कानून की रक्षा करता है, न्याय के लिए बैठता है वही ऐसे मामलों में लिप्त होने लग गये तो यह गम्भीर घटना है। गृह मंत्रीजी, जो भी व्यक्ति रिकार्ड पर आया है वह व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए। मैं राज्य सरकार से इस मौके पर आपके द्वारा यही मांग करता हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा की जिस घटना का जिक्र बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह घटना कल, परसों या चार-पांच दिन पहले की नहीं है। यह घटना कोटा में डेढ़-दो साल पहले से हो रही थी तब आपका शासन था और आपकी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। कम से कम धन्यवाद तो दे दीजिए कि इस केस को हमने पकड़ा।

डा. किरोड़ी लाल : आपने क्या पकड़ा।

श्री दिग्विजय सिंह : ये तो चाहते हैं कि नाम उजागर हों।

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्रीजी, मैं यही कह रहा हूं कि आप प्रभावशाली व्यक्तियों को पकड़ेंगे नहीं, प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव आप पर आ रहे हैं। वे अपने आपको गिरफ्तार नहीं होने देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इसको यही समाप्त कर दीजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गत डेढ़-दो साल पहले महाराष्ट्र से कोई लड़की लेकर आया था अज्ञात। उसका नाम रेणु है। ज्योंही हमारी पुलिस को इस बात का पता लगा, हमने इसको गिरफ्तार किया है। उसके 164 के बयान कोर्ट में आज होने को हैं, वह किन-किन के बारे में, क्या-क्या बातें कहती है, पुलिस

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

के बयान और 164 के बयानों में जो भी तथ्य सामने आएंगे मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे वे बड़े से बड़े व्यक्ति हों, उसको बख्शा नहीं जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री दिग्विजय सिंह, सभापति प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति, 2000 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री दिग्विजय सिंह (सभापति, प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति, 2000-2001 के द्वितीय प्रतिवेदन को सदन में उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। डा. करण सिंह यादव।

याचिकाओं का उपस्थापन

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाओं का सदन में उपस्थापन करता हूं :–

बहरोड विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मांढण में 132 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

(1) बहरोड विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मांढ़ण में 132 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना करने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

बहरोड विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गंडाला में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का जीर्णोद्धार

(2) बहरोड विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गंडाला में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का जीर्णोद्धार कर पुनः उसी स्थान पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

जिला अलवर के बहरोड़ से कुण्ड रोड के नवीनीकरण एवं चौड़ा करने हेतु

(3) जिला अलवर के बहरोड से कुण्ड रोड के नवीनीकरण एवं चौड़ा करने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (आबकारी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-8) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। नहीं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा इसमें नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 54 के पश्चात् एक नयी उपधारा 54 (क) को इस संशोधन के माध्यम से सरकार जोड़ना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन किसको फायदा पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है, सरकार की क्या मंशा है, यह बिलकुल स्पष्ट नहीं है। निश्चित तौर पर जब से यह शासन आया है और खास तौर पर आबकारी मंत्री का पदभार जब से माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने संभाला है, राजस्थान के अन्दर शराब का अवैध व्यापार बिना अंकुश के लगातार बढ़ता जा रहा है।

(13:40 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जो यह संशोधन सरकार लेकर आ रही है, इस संशोधन के माध्यम से आप उद्देश्यों और कारणों में तो यह कहते हैं कि अवैध शराब के व्यापार पर अंकुश लगेगा परन्तु इसको पूरा पढ़ा जाए तो यह लगता है कि यह संशोधन शराब के ठेकेदारों को, शराब माफियाओं को लाभ देने के लिए लाया जा रहा है।

सभापति महोदय, नई जो उप धारा जोड़ने जा रही है सरकार, उसमें प्रावधान यह है कि कोई भी वाहन जिसमें आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध घटित होना पाया जाए, यानि एक निश्चित मात्रा से ज्यादा चार बोतल शराब से ज्यादा पांचवीं बोतल पाई जाए तो उसके लिए दोषी होगा उस वाहन का मालिक। वाहन के मालिक को यह सिद्ध करना पड़ेगा और वह भी सक्षम न्यायालय के अन्दर कि जो यह अपराध घटित हुआ है इस अपराध में मैं लिप्त नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं।

इसका अर्थ यह है, सभापति महोदय, कि वाहन के मालिक का चालान तो निश्चित तौर पर होगा। सभापति महोदय, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, मैं समझता हूं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब अखबारों की सुर्खियों में यह नहीं छपता हो कि शराब के ठेकेदार समानान्तर सरकार की तरह व्यवहार कर रहे हैं। पुलिस शराब के ठेकेदार की रेड पार्टी की तरह से काम कर रही है। सभापति महोदय, होगा क्या ? जिस किसी को पकड़ना होगा उसकी गाड़ी रोकी और कहा कि पांच बोतल शराब तेरे से जब्त की गयी है और उस हिसाब से उसको इस कानून के शिकंजे में कस लिया जाएगा।

सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा कि इसी सदन के अन्दर महुवा थाने की एक घटना का जिक्र बामनवास से आने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वाले माननीय सदस्य ने किया था जिसमें एक स्वतन्त्रता सेनानी की पुलिस थाने में मृत्यु हुई थी। उसके पीछे कारण एक ही था, सभापति महोदय, कि वे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने आये थे। उनके वाहन चालक ने बिना उनकी जानकारी के शराब की 5-7-10 बोतलें रख लीं। पुलिस ने यह कहा, आर्डिनेंस सरकार ने पहले पास कर रखा है अब तो इसको कानून का अमली जामा पहनाने के लिए सरकार लेकर आयी है, चूंकि सरकार ने आदेश दे दिया है इसलिए आप दोषी हो। उस स्वतन्त्रता सेनानी को, उस वृद्ध व्यक्ति को, उन तीनों-चारों को थाने पर ले जाकर बैठाया गया और उसके पश्चात जिस तरह का व्यवहार उसके साथ किया गया उससे उस आदमी की मृत्यु हो गयी।

यह निवेदन मैं इसलिए कर रहा हूं सभापति महोदय, आपको मालूम होगा कि राजस्थान के अन्दर बड़ी संख्या के अन्दर लोग किराये के वाहन से अपनी आजीविका चलाते हैं। कई लोग उसमें वाहन चालक रखते हैं, कई स्वयं चलाते हैं। आज कितनी टैक्सी गाड़ियां चल रही होंगी, कोई टैक्सी दिल्ली से आ रही है, टैक्सी का मालिक कहीं जोधपुर में बैठा है और टैक्सी ड्राइवर के मन में आ गया कि सस्ती शराब मिल रही है, पांच-सात बोतलें रख लो। लालच तो वह कर रहा है, कानून का उल्लंघन तो जो ड्राइवर चला रहा है वह कर रहा है परन्तु दोषी उसके अन्दर साथ में हो जाएगा वाहन का मालिक। चाहे कहीं बैठा हो।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून बिलकुल गलत है और मंत्री महोदय, आपको इस पूरे कानून के बारे में दुबारा सोचना चाहिए।

अब इसके अन्दर जो सैक्शन 69 है, जिस 69 के अन्दर आप क्लाज 4 जोड़ने जा रहे हैं उस क्लाज-4 का आप क्या करना चाहते हैं ? पहले कोई वाहन जब्त होता था, सभापति महोदय, तो सक्षम न्यायालय में जाकर व्यक्ति उस सुपुर्दगी नामे पर या न्यायालय के अन्दर आवेदन-पत्र देकर कि मेरा वाहन गलत जब्त किया गया है, वह वाहन छुड़ा लिया करता था। परन्तु इस सरकार को न्याय पर तो विश्वास नहीं है। अन्याय के रास्ते पर चलने वाली सरकार न्यायालयों पर विश्वास कर भी नहीं सकती इसलिए यह नये संशोधन के साथ अधिकार दे रहे हैं। यह अधिकार दे रहे हैं एक्साइज कमिश्नर को, और अधिकार भी कितने असीमित दे रहे हैं ?

सभापति महोदय, कोई वाहन जब्त हुआ, वाहन को छोड़ेगा और कोई नहीं। न्यायालय नहीं छोड़ सकता। साफ प्रावधान किया गया है सैक्शन 69 की उप धारा-6 के अन्दर कि न्यायालय को कोई अधिकार नहीं। वह छोड़ेगा कमिश्नर और कमिश्नर उसमें पैनल्टी इतनी लगा सकता है जितनी कि वाहन की कीमत। कमिश्नर अगर चाहे, वह सैटिस्फाई हो जाए तो उसकी नीलामी भी कर सकता है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं ? सभापति महोदय, कमिश्नर के पास कोई वाहन चला गया और कमिश्नर ने कह दिया, मैं तो एक लाख रुपया जुर्माना करूंगा। यह हो रहा है। अब उसकी अपील कहां करें ? न्यायालय में अपील नहीं होगी, उसके लिए दूसरे नौकरशाहों के पास जाओ, डिवीजनल कमिश्नर के पास जाओ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी इस बात को गम्भीरता से लें। चूंकि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, इस सदन के अन्दर एक-दो बार नहीं, मंत्री महोदय, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब यह बात नहीं कही हो कि सरकार का खजाना खाली हो गया, सरकार के पास धन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार के पास अगर सबसे ज्यादा किसी हैड के अन्दर पैसा आता है तो, सभापति महोदय, वह है हमारा आबकारी राजस्व।

आपने 1180 करोड़ का लक्ष्य रखा था, उसमें रिजर्व प्राइस आपको आनी चाहिए थी 830 करोड़। आपके ठेके उठे 667 करोड़ के। 163 करोड़ रुपये का नुकसान इसलिए हो गया कि आपकी आबकारी नीति त्रुटिपूर्ण थी। इस आबकारी नीति के माध्यम से आपने शुरू से यह लक्ष्य कर लिया था कि मुझे अमुक अमुक आदमियों को कैसा लाभ देना है।

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सरकार ने बहुत से जिलों के अन्दर-विशेषकर गंगानगर और हनुमानगढ़, इस पूरे समूह को सरकार ने पहले ठेका इसलिए नहीं दिया कि रिजर्व प्राइस की पूरी की पूरी कीमत नहीं आई। फिर न जाने किस दबाव में, मंत्री महोदय, आप उस आरक्षित दर से चालीस प्रतिशत कम करके ठेके उठाने की इजाजत देते हैं। कम से कम यह तो सोचो, जिस पारदर्शिता की बात कर रहे हो उस पारदर्शिता में आर-पार क्या-क्या घोटाले हो रहे हैं। यह मंत्री महोदय, मैं नहीं कह रहा, यह राजस्थान की जनता को दिखाई दे रहे है।

बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में एक सवाल उठाया था। सभापति महोदय, शराब का ठेका उठता है, एक टेण्डर फ़ार्म सरकार जारी करती है। वह एक तरह से कान्ट्रेक्ट है, बिलकुल सरकार और ठेकेदार के बीच में वह अनुबंध है एक तरह से। उसकी शर्तों की पालना जो ठेका लेता है उसको भी करनी पड़ेगी और उसकी शर्तों से सरकार भी पाबन्द रहती है। अब सभापति महोदय, उसकी शर्तें क्या-क्या हैं कि ठेकेदार ने ठेका लेने के लिए अपनी निविदाएं दीं ? पांच प्रतिशत आरक्षित राशि वह टेण्डर फार्म के साथ लगाता है। फिर उसको ठेका छूट गया तो बारह प्रतिशत नकद राशि वह धरोहर राशि के रूप में जमा कराता है। 17 प्रतिशत धरोहर राशि, 15 प्रतिशत साल्वेंसी और 15 प्रतिशत जमानत यानि, सभापति महोदय, कुल राशि के 47 प्रतिशत का इन्तजाम सरकार करती है कि कहीं बीच में ठेकेदार चला नहीं जाए क्यों कि सरकार का सबसे बड़ा राजस्व है। परन्तु होता क्या है ? इसके साथ एक शर्त और है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हूं चर्चा है। माननीय आबकारी मंत्रीजी, आपने जो निविदाएं आमंत्रित कर ली हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : निविदाएं आपने 6 करोड़ में दे दी, आपने स्पष्ट आरोप लगाया है। मैं कह रहा हूं आप किसी के बताये हुए इस कथन को लिखकर लाये हैं और पढ़ रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, आप और मैं तो एक नाम राशि हैं और चूरू-सीकर में भी कुछ फर्क नहीं। कुछ आप जानते हो, कुछ मैं जानता हूं। इसलिए छोड़ो ये बातें। अपनी है। परन्तु उन धौलपुर वालों से यह तो पूछो कि यह महकमा चल कैसे रहा है। इस महकमे के अन्दर यह बात क्यों आ गई। आपने टेण्डर आमंत्रित कर लिये और यह बात बाहर चली गयी कि इतने करोड़ के अन्दर ठेका आवंटित हो गया। आप मालूम कर लेना, आपके विभाग के कर्मचारी बैठे होंगे, मैं जो बात कह रहा हूं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अगर यह बात असत्य साबित होती है तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप आरोप लगाकर धन्यवाद देते हैं। एक सांस में ही आप आरोप लगा देते हैं और एक सांस में ही आप धन्यवाद देते हैं। इनकी तो निराली माया है। जो कुछ चाहें कह दें सदन के अन्दर, रोकटोक तो है नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आप यही बात कहते हैं तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य राठौड़ साहब, एक मिनट विराजिये आप। माननीय सदस्य, आपने सदन में दो तरह की बात कह दी। आपने यह कहा कि मेरा आप पर आरोप है। मेरे ख्याल से तथ्यों के आधार पर यहां बात हो तो अच्छा रहेगा। आपने पहले कहा ठेका दे दिया, फिर कहा टेण्डर आमंत्रित हो गये। इस प्रकार की बातों से विवाद खड़ा होता है। कम से कम सोच-समझ कर आरोप लगाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान शाहपुरा-कोटपूतली की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसकी चर्चा यहां सदन में पहले हो चुकी है। आपको मालूम हैं कि 30.3.99 को टेण्डर हुए उसके अन्दर दो भागीदार थे, दो पार्टियों ने टेण्डर दिये। एक पार्टी थी राजाराम एण्ड कम्पनी, दूसरी पार्टी थी रणपाल एण्ड कम्पनी। राजाराम एण्ड कम्पनी का टेण्डर ऊंचा था, आपको मंजूर करना चाहिए था। आपने टेण्डर मंजूर नहीं किया। मंजूर इसलिए नहीं किया कि रणपाल ने एक एप्लीकेशन आपको दी। उसने कहा कि राजाराम सजा याफ्ता है। उसकी जांच कर लो, उसके बाद ठेका दो। जांच करने के अन्दर जितना विलम्ब हो जाएगा उसमें सरकार के राजस्व की हानि हुई तो उसकी भरपाई मैं करूंगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, यही नहीं कहता है, वह इस ठेके के अन्दर अपना टेण्डर डालता है 5 परसेन्ट 88 लाख का ड्राफ्ट डालता है और कहता है कि मेरे 88 लाख के ड्राफ्ट को आप इसमें समायोजित कर लेना, अगर नुकसान होगा तो, परन्तु आप इसको ठेका नहीं दें। अब होता क्या है, सभापति महोदय ? होता यही है कि राजाराम को ठेका नहीं दिया जाता। वह राजाराम दूसरे स्थान पर ठेकेदार लाइसेंसी, जिसको एक जगह कर दिया सजा याफ्ता है, क्योंकि न जाने क्या करना चाहते थे मंत्री महोदय उसके पश्चात्, मंत्री महोदय, आपके यहां से आपके एक्साइज कमिश्नर, 6.7.99 को एक डिमांड नोटिस निकालते हैं उस पार्टी को और कहते हैं कि एक करोड़ बियालीस लाख का नुकसान सरकार को हुआ है। भरपाई करो, उसी आदेश में लिखते हैं। मेरे पास वह कापी है, बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य मुझे दिखा रहे थे। उसी आदेश में ये लिखते हैं, सभापतिजी, कि 88 लाख रुपया तो वह जब्त किया जाता है जो पहले टेण्डर के साथ लगाया था। अब न जाने क्या होता है, वह डिमांड नोटिस जो सरकार जारी करती है, उसको कम करके इक्कीस लाख रुपये कर दिया जाता है।

मंत्रीजी, मैं कोई आरोप नहीं लगाता, अभी आप काफी नाराज हो गये थे, परन्तु यह जवाब आप मुझे जरूर देंगे जब आप जवाब देंगे कि इस तरह के कितने घोटाले हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो विभाग आपने संभाला है वह विभाग काली कोठरी है, उसके अन्दर सफेद कपड़े में घुसोगे और सावधानी नहीं करोगे तो इसी तरह शक के दायरे में आ जाओगे। यह जो संशोधन सरकार लेकर आई है, बेबुनियाद है, शराब माफिया के इशारे से सरकार ने संशोधन सदन में प्रस्तुत किया है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में सन् 1972 में जब भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री बने उस समय इस शराब का पापा काट दिया था राजस्थान में। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वापस सरकार कांग्रेस की आई 1980 में और इन्होंने शराब वापस चालू कर दी। सारे जो अपराध हो रहे हैं इस राजस्थान में...

डा. रघुवीर सिंह : आपकी जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं कि जनजाति बहुल क्षेत्र में, ट्राइबल सब प्लान एरिया में कांग्रेस के शासन में...(व्यवधान) दारू की दुकाने बंद थीं, परन्तु भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद चाय की थड़ियों की तरह दुकानें खुल गईं। क्या बात कर रहे हो, गांव में जाकर आप देख लो।

श्री सांवर लाल : आप आबकारी मंत्री को कह दें, आप काहे को तकलीफ कर रहे हैं।

डा. रघुवीर सिंह : मैं आबकारी मंत्रीजी से भी निवेदन कर रहा हूं कि बंद करवाएं जनजाति बहुल क्षेत्र में।

श्री सांवर लाल : मैं निवेदन कर रहा था कि सन् 1977 में राजस्थान में शराब-बंदी हो गई उस समय बिल्कुल अमन था, शांति थी। एक्सीडेंट भी नहीं हुआ करते थे, अपराध भी बहुत कम थे। परन्तु 1980 में जब आपका शासन आया उसके बाद में यह शराब वापस चालू की गयी। शराब बहुत बुरी चीज है, जो अपराध आज कल हो रहे हैं। ज्यादातर घटनाएं शराब पीकर ही होती हैं। मंत्री महोदय, यह अमैंडमेंट आप ला रहे हो इससे बेहतर तो यह होता, आपके पास तो वैसे ही एक हजार करोड़ इसका आ रहा है कि इसकी व्यवस्था और कहीं से कर लें। भारत सरकार से मांग लें। साढ़े बारह हजार करोड़ का कर्जा तो आपने एक साल में ले लिया। अगर एक-एक हजार करोड़ पांच साल में ले लेंगे तो भी कोई खास बात नहीं है।

राजस्थान की जनता की बहबूदी के लिये मेरा निवेदन है कि गरीब आदमी ज्यादा फंसते हैं। छोटे-छोटे कारखानों के मजदूर तनख्वाह मिलने के बाद पहला यही धंधा करते हैं। बेहतर तो यही होता कि शराबबंदी का ही प्रस्ताव लाते, तो उसका पापा भी कट जाता और जो अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि काली कोठरी है, सारी की सारी बातें बंद हो जातीं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें जो अमैंडमैंट माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तावित किया है, 54(ए) आपने जो एड किया है इसमें लिखा है :– Where any animal, cart, vessel, raft, motor vehicle or any other means of conveyance is used in the commission of an offence under this Act; and is liable to confiscation, the owner thereof except in case of a motor vehicle or other means of conveyance being owned by the Central Govt. or any State Govt. or any of their undertaking.

माननीय मंत्री महोदय, आज गाड़ी खुद मालिक नहीं चलाता है गाड़ियां टैक्सियों में भी चलती हैं, गाड़ी लेकर कोई ड्राइवर भी जा सकता है। उसमें कोई ओनर का इंटेंशन होता हो कि आप जाकर शराब की बोतलें भर लाओ, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने लालच कर लिया तो उसको तो आप दोषी ठहरा दोगे लेकिन मोटर विभाग का कोई आदमी है, सरकारी दफ्तर का है या किसी कारपोरेशन का है उसमें आप सरकार को नहीं फंसाओगे। तो आप क्या चाहते हो ? जो मालिक यहां घर पर बैठा है उसका ड्राइवर क्राइम कर दे उसमें आप दोषी बना रहे हैं मालिक को तो फिर आप क्यों नहीं बनना चाहते हो ? आप आबकारी मंत्री हो, आपके आबकारी इंस्पेक्टर की गाड़ी में अगर पांच बोतल शराब की मिल जाएं तो जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेते हो ? या आप यह चाहते हो कि राजस्थान की रोडवेज और सरकारी गाड़ियों में यह दारू की तस्करी हो ?

(श्री सांवर लाल)

इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसी परिस्थितियां मत पैदा करो कि उनको तो आप छोड़ रहे हो। कहीं लोग ऐसा नहीं करने लग जाएं कि अटैचियां भर-भर आपकी रोडवेज में रख दें और एक जगह से दूसरी जगह दारू ले जाने लगें। आप इन तीनों पर छूट दे रहे हो, आपकी सरकार होते हुए अपने दफ्तरों को, अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि आपको शराब नहीं लानी है। अगर गाड़ी पकड़ी गयी तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। उसमें आप जिम्मेदार नहीं बनना चाहते हो और कोई अगर प्राइवेट बसें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कोई साधन चल रहा है उनके मालिकों को आप सीधा जिम्मेदार बनाते हो और उसके साथ ही आप यह कहते हो कि गाड़ी नीलाम कर दी जाएगी, गाड़ी की कीमत के बराबर पैनल्टी कर दी जाएगी।

मेरा निवेदन यह है, मंत्री महोदय कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप सरकार के व्हीकल्स को इससे मुक्त मत करिये। सरकार होते हुए उनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकती है लेकिन एक प्राइवेट व्यक्ति जो टैक्सी चलाकर दो रोटी कमा कर खाता है, टैक्सी ड्राइवर के माध्यम से भेजता है और वह गड़बड़ कर देता है, उसको आप इस तरह की सजा देना चाहते हो। सरकारी पक्ष को इसमें आप प्रोत्साहित करना चाहते हो, अगर यह आपका उद्देश्य है तो हमारे समझ से बाहर की बात है।

बाकी, माननीय सभापति महोदय, दारू के ठेकेदार जिसको दारू बेचनी है, अगर इधर-उधर ले जाएंगे तो उनको ही कह दीजिये कि आप रोकिये, अपने एक-दूसरे के इलाके के अंदर अगर दारू बिकती हो। आप काहे को इनके लिये प्रोटेक्शन करते हो ? एक ठेकेदार के एरिये में दूसरा ठेकेदार माल भेजे तो उनके ऊपर छोड़ दीजिये, वे किस प्रकार अपनी व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करें, नहीं करें। यह आबकारी नीति है, उस नीति के हिसाब से बींद मरे, बींदणी मरे, आपका टका तो खरा है ना। आपको क्या तकलीफ हो रही है जो आप इस तरह का कानून बना रहे हो ? आपको जो उनकी शर्तें हैं उन शर्तों के हिसाब से पैसा देना है। धरोहर राशि हो, मिनिमम गारंटेड राशि हो, अगर माल भी नहीं उठता है तो आपकी तो हर महीने की एक निश्चित राशि होती है कि इतनी राशि सरकार को उनको देनी पड़ेगी। जो समय पर नहीं देता है उसके खिलाफ आप कार्यवाही करिये।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के कानून बनाकर आप आम जनता को परेशान करो, इसको मैं कतई उपयुक्त नहीं मानता हूं। ठेकेदार पीड़ित होगा और पीड़ित ठेकेदार के प्रभाव में अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो यह कतई उचित नहीं है। अगर मेरे घर की रखवाली मैं ही नहीं करूंगा और सरकार के भरोसे रहूंगा तो आप कहां तक मेरी सुरक्षा का प्रबंध कर दोगे ?

(श्री सांवर लाल)

इसलिये, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस सैक्शन में अमैंडमैंट की जरूरत नहीं है। कानून है दो बोतल, तीन बोतल, चार बोतल का, लेकिन किसी ने रख दी पांचवीं बोतल, सेल्समैन ने गलती से फंसाने के लिये रख दी, पांच बोतल की कोई गारंटी होती है क्या ? पांच बोतल तो कोई भी चैक करता-करता आगे-पीछे गाड़ी में रख दे। उसमें आज तक...

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य इससे मुक्त रहेंगे। आप चिंतित न हों, माननीय सदस्य मुक्त हैं। पांच बोतल ले जाने वाले माननीय सदस्य इससे मुक्त रहेंगे।

श्री सांवर लाल : पारीक साहब, आपको चाहिये तो सीधा ही आबकारी मंत्रीजी को आदेश दे दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो ? आज कल तो आधुनिक पंडितों ने ले लिया यह सारा धंधा हमारा...(व्यवधान) +++ और कोई बचा हुआ नहीं है। इसीलिये शराबबंदी नहीं हो रही है, नहीं तो कभी की हो जाती।

श्री राजेन्द्र पारीक : हम जो हैं शराब नहीं पीते, मृत संजीवनी दवा लेते हैं। आपकी तरह से शराब नहीं पीते।

श्री सभापति : बिराजिये। बिराजिये।

श्री सांवर लाल : आप कोई बोल तो दो। एक शब्द तो बोल देना कि इसको बंद कर दो।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बे-चौड़े विवाद की बात नहीं करना चाहता हूं। (व्यवधान) अपने मारवाड़ी में कहते हैं नशा नर का नाश है। माननीय मंत्री महोदय, यह नशा नाश कर देगा, एक हजार करोड़ के लालच में मत पड़ो। इसको बंद कर दो, भगवान बहुत पुण्य देगा। राजस्थान की जनता आपकी बहुत-बहुत कामनाएं करेगी और बहुत फल आपको मिलेगा। इसलिये इस कानून को अमेंड करने के स्थान पर दारू को ही बंद कर दीजिये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. किरोड़ी लाल।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी जो एक्साइज एक्ट में...

श्री राजेन्द्र पारीक : रात में एक नहीं बोलेगा, खाली दिन-दिन में ही बोलेंगे।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्रीजी को पता है इसलिये दिन में ही रखी है चर्चा, आप परेशान मत होओ।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : कुछ अमैंडमैंट ला रहे हैं। एक्साइज एक्ट में जो प्रोविजन डाल रहे हैं, बड़ा घातक है और ऐसा लगता है कि शराब के बड़े ठेकेदारों

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

और आबकारी विभाग के कुछ अधिकारियों ने मिलकर यह एक साजिश रची है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं एक साजिश है।

सभापति महोदय, तमाशा कितना बड़ा है ? एक ट्रक माना दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा है और कोई आमेर में हाथ देकर ट्रक में बैठ गया और कुछ शराब का कट्टा डाल लिया। माना उसको कहीं पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद एक्साइज कमिश्नर के सामने पेश होगा जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है। उसके पैनल्टी लगाने की कोई सीमा नहीं है। 500 रुपये, 5000 रुपये, 50,000 रुपये कुछ नहीं, सारी मनमर्जी एक्साइज कमिश्नर के ऊपर छोड़ दी। यहां तक कर दिया, अगर वह ट्रक या जो भी कोई वाहन है, उसकी कीमत माना पांच लाख है तो पांच लाख तक की पैनल्टी लगाने का अधिकार सरकार देने जा रही है।

मेरे यह बात समझ में नहीं आयी कि जो पहले एक्साइज एक्ट की कार्यवाही हुआ करती थी उससे आपको कौनसी परेशानी हो रही थी। आपने कोर्ट को बाई पास कर दिया। कोर्ट को बाई-पास करके एक्साइज कमिश्नर ही तो सुनेगा, वही पैनल्टी लगाएगा और वही वाहन को छोड़ेगा। जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है उसी का बाद में चालान होगा क्योंकि वह तो रसीद कटवा लेगा एक्साइज कमिश्नर से या जो भी सक्षम अधिकारी है उससे। तो जब रसीद कटवा लेगा अपने वाहन को छुड़ाने की तो उसने अपना क्राइम तो मान ही लिया, कबूल कर लिया। जब चालान करोगे तो जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है वाहन का, उसका चालान होगा। यह नैचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आप पैनल्टी भी लगा दो और उसका चालान भी कर डालो। यह कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ठेकेदारों के जो बड़े समूह हैं, उन्होंने साजिश रची है, षड़यंत्र रचा है और उनको पनपाने के लिये सरकार ने यह कार्यवाही की है।

सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से इसके बारे में ज्यादा तो इसलिये नहीं बोलना चाहूंगा कि मैंने पहले इस सम्बन्ध में एप्रोप्रियेशन बिल पर वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करा दिया था। उसका दुबारा रिपीटीशन नहीं करना चाहता हूं, पर वित्त मंत्रीजी से कुछ मैं सवाल करना चाहता हूं। वित्त मंत्रीजी, आपने टेंडर की शर्त 12/2 के अनुसार यह शर्त लगा रखी है कि दस दिन की चस्पांदगी के बाद अगर कोई धरोहर राशि, सोल्वेंसी या जमानत को जमा नहीं कराता है तो उसका आप टेंडर निरस्त कर देंगे, या उसकी राशि जब्त कर लेंगे। ऐसे कितने प्रकरण, वित्त मंत्रीजी, राजस्थान भर में हैं जिसने 12/2 की टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया और आपने उसमें कार्यवाही नहीं की ? एक जवाब मेरे को इसका मिल जाए।

सभापति महोदय, कुछ लोगों ने 5 परसेंट धरोहर राशि तो जमा करा दी, लेकिन कुछ की 12 परसेंट राशि अभी तक बकाया है।

(डा. किरोड़ी लाल)

12 परसेंट राशि बकाया होने के कारण हालत यह हो रही है कि करोड़ों रुपया सरकार का डूब रहा है। पहले तो लेट से ठेके उठे और लेट से ठेके उठने के कारण उन्होंने बेमेल समूह बना दिये। बेमेल समूह बना दिये, ठेके लेट से उठे। बार-बार मेला लगा डाला और बार-बार मेले लगाने से, बेमेल समूह बनाने के कारण सरकार को 168 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आबकारी नीति पहली बार आपकी लापरवाही के कारण से फेल हुई है। इसके लिये जिम्मेदार कौन है कि इतने ज्यादा समूह बना दिये और उन समूहों के बाद इतना पैसा सरकार का लेट से ठेके उठने के कारण डूब गया ?

सभापति महोदय, मैंने विधान सभा में प्रश्न किया था और माननीय मंत्री ने जवाब में एक लिस्ट दी थी 11 जिलों की, उन 11 जिलों में इस समय एक अनुपात एक की पालना नहीं हो रही है। मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन 11 जिलों के कुछ समूह ऐसे हैं, जिसमें टेंडर की जो पालिसी है, उसमें जो शर्त हैं उसमें एक अनुपात एक की पालना क्या आप कराएंगे ? वित्त मंत्री, अगर आप एक अनुपात एक की पालना कराएंगे तो राज्य सरकार का राजस्व बढ़ाएंगे।

सभापति महोदय, 12 परसेंट सोलवेंसी जिन पर बकाया है या 15 परसेंट टी.पी.ए. का बकाया है या 30 परसेंट जमानत और धरोहर राशि का जो इस वर्ष में ले लेना चाहिये था वह अब तक नहीं लिया। मैं वित्त मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि उस राशि को आप इन ठेकेदारों से कब तक वसूल कर लेंगे ?

सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछूंगा क्योंकि वित्त मंत्रीजी हमको यहां आश्वासन दे चुके थे कि हम पैसे को डूबने नहीं देंगे, सारा पैसा मय ब्याज के वसूल करेंगे। मैं वित्त मंत्रीजी के सामने एक मामला और रखना चाहूंगा कि आपने विधान सभा में हमको इस बात के लिये आश्वस्त किया था लेकिन 11.4.2000 को जयपुर के जिला आबकारी अधिकारी ने यहां के समूह जिस पर 21 करोड़ 45 लाख का बकाया था, उसका परमिट रोक दिया। यह परमिट रोक दिया उसके लिये तो हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।

लेकिन सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या कारण है कि 19.4.2000 को दुबारा उस ठेकेदार को जिस पर 21 करोड़ 45 लाख सरकार का बकाया है, आपके जिला आबकारी अधिकारी ने परमिट जारी कर दिया ? इसका क्या जवाब देंगे ? क्या उसने आपके यहां पैसा जमा करा दिया ? क्या बाकी धरोहर राशि जमा करा दी ? क्या जितना ब्याज का करोड़ों रुपया था वह जमा करा दिया ? क्या जमानत, सोल्वेंसी का पैसा जमा करा दिया ?

(डा. किरोड़ी लाल)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इनके जिला आबकारी अधिकारी ने 5.4.2000 को एक पत्र लिखा है सोल्वेंसी के बारे में और जमानतों के बारे में। वित्त मंत्रीजी, इस अकेले जयपुर समूह के ग्रुप पर सोल्वेंसी बकाया 1849.37 लाख वांछित थी। इसने जमा कराई है मात्र 519 लाख और अब शेष है 1285.37 लाख। इतना सोल्वेंसी का पैसा बकाया है और जमानतें 1849.37 लाख की वांछित थी जिसमें भी बकाया है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से धरोहर राशि का नोटिस भी जिला आबकारी अधिकारी ने दिया है। 5.4.2000 को नोटिस दिया उसमें लिखा है, वांछित धरोहर राशि 17 परसेंट 1822.57 लाख, धरोहर राशि जमा करायी 537.48 लाख, शेष रही 1285.09 लाख। वर्ष 1999 की वार्षिक एकांकीकार विशेषाधिकार राशि पर देय पूर्ण धरोहर राशि 1285.00 लाख तथा इस पर देय ब्याज मार्च, 2000 तक 313.56 लाख दिनांक 10.4.2000 तक आवश्यक रूप से जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता यानि कि जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करें। यदि नियत अवधि तक धरोहर राशि जमा नहीं करवायी तो अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने हेतु प्रधान कार्यालय को निवेदन किया जाएगा।

इसी प्रकार वर्ष 2000-2001 के लिये अंतर की धरोहर राशि भी अविलम्ब जमा करवाएं। यदि 2000-2001 की वांछित धरोहर राशि जमा नहीं करायी तो 4/2000 के पश्चात् परमिट जारी करने के पूर्व इश्यू पास, आबकारी शुल्क एवं धरोहर राशि एक अनुपात एक के अनुपात में वसूल करने के पश्चात् ही परमिट जारी किये जाएंगे। यह आपका जिला आबकारी अधिकारी लिख रहा है कि हम परमिट जारी नहीं करेंगे। सोल्वेंसी का पैसा जमा नहीं होगा, धरोहर राशि का पैसा जमा नहीं होगा, एक अनुपात एक की पालना नहीं होगी तो हम आपको परमिट इश्यू नहीं करेंगे, निरस्त कर देंगे। मैं तो वित्त मंत्रीजी आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि आपका जिला आबकारी अधिकारी एक आदेश तो यह कर रहा है और उसके बाद में 19 तारीख से लगातार परमिट जारी कर रहा है। ये परमिट जारी कर दिये जाने के कारण सरकार को 3 करोड़ 25 लाख का और नुकसान हो जाएगा।

मैं तो, वित्त मंत्रीजी, पूछना चाहता हूं कि किस योजना के तहत आप बराबर सरकार को घाटा देते जा रहे हैं, सरकार के खजाने को खाली करते जा रहे हैं ? मैं तो बहुत ही पाइंटेड क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं। पहले मैं बोल चुका हूं इसलिए यह मैंने जो प्रश्न किये हैं, मैं आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों का जवाब देंगे और सरकार के इस खजाने को भरने की दृढ़ इच्छाशक्ति सदन में प्रकट करेंगे।

हमारी तो यही शिकायत है कि सरकार का खजाना खाली हो रहा है, बड़े-बड़े

(डा. किरोड़ी लाल)

ठेकेदार पैसे को खा रहे हैं। वे पैसे को डुबोकर भाग जाएंगे और फिर सरकार के पास कोई रास्ता पैसे को भरने का या रिकवरी का नहीं बचेगा। यह जो आज प्रोविजन पेश कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। इससे माफिया पनपेंगे, ठेकेदार पनपेंगे और इंस्पेक्टर राज चालू होगा इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री मदन दिलावर। श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सभापति महोदय, एक्साइज एक्ट में अमैंडमैंट लाया जा रहा है। पूर्व में राज्यपाल महोदय के माध्यम से 3.1.2000 को स्टेट में यह कानून फोर्स में ऑलरेडी आ गया है, अब विधान सभा से इस बिल को पास करा रहे हैं। मैं, सभापति महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि एक्साइज एक्ट 1950 का बना हुआ है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय से पूछें।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, मंत्री महोदय से आपके मार्फत पूछ रहा हूं। 1950 से एक्साइज एक्ट बना हुआ है और अब सन् 2000 है, 50 वर्षों से किसी भी सरकार ने इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं की कि जो व्हीकल ओनर हैं, इनके ऊपर भी मुकदमा बनाया जाए। मैंने इसके उद्देश्य को देखा है, माननीय मंत्रीजी, इसमें साफ है कि किस प्रकार इल्लीगल मीन्स से लोगों से लूट-खसोट करके, वाहन मालिकों को परेशान करके राज्य के खजाने में पैसा लाया जाए। यह इनडायरेक्ट, इल्लीगल तरीका है, दिस इज नोट ए प्रापर मीन्स। क्यों प्रापर नहीं है ? सबसे बड़ा कारण है, जैसा मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने बताया, कि कोई भी यात्रा करता हुआ ड्राइवर है, 4-5 बोतल रख देगा, चार बोतल से अधिक बोतल रख देगा। अगर वह पकड़ में आ गया तो कभी-कभी तो, माननीय आबकारी मंत्रीजी, यह स्थिति होगी कि वाहन की नीलामी होगी क्योंकि आपके एक्साइज के अफसरों को जिस प्रकार से अधिकार दे रहे हैं उन अधिकारों के तहत वे क्या सुनवाई करेंगे ? कोर्ट का जो जूरिस्डिक्शन था आपने उसको डिबार कर दिया कि कोर्ट में इस प्रकार के मामले नहीं जाएंगे, इस प्रकार के मामले आपका विभाग सुनेगा।

इसलिए, माननीय आबकारी मंत्रीजी, इस पर थोड़ा-सा आप पुनः विचार करें। यह केवल ठेकेदारों का जाल है और आज राजस्थान का आबकारी विभाग और पूरा राजस्थान का पुलिस तंत्र इन ठेकेदारों के इशारों पर चलता है। आज की तारीख में भी यह स्थिति हो रही है, मोनोपोली है पूरे स्टेट में। मनचाहे जैसा धंधा कर रहे हैं, मनचाहे जिसको पकड़ा रहे हैं, मनचाहे जैसे तस्करी कर रहे हैं। माननीय आबकारी मंत्रीजी, मैं आपसे बहुत आशा रखता हूं, इस व्यवस्था में सुधार लाएं। इससे पूरा राजस्थान का शासन तंत्र हिल रहा है।

(श्री हीरासिंह चौहान)

आपका चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी है वह इनकी गिरफ्त में आता है और इनके सामने घुटने टेकता है। वह जो चाहता है उस प्रकार की व्यवस्था ये करवा देते हैं इसलिए इस व्यवस्था को बदलिये। हमारे यहां कल्याणकारी राज्य है, वैलफेयर स्टेट किसे कहते हैं ? आज हम लोग शराब बेचकर लोगों के स्वास्थ्य को गिरा रहे हैं, गरीब लोगों की जेब को लूट रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक-एक तहसील के अंदर 8-10 ठेके के स्थान स्वीकृत हैं। आज गांव-गांव में और ढाणी-ढाणी में कोई भी स्थान खाली नहीं बचा है जहां पर यह शराब नहीं बिकती है।

मैं आपका विश्वास करता हूं, मैं आपसे आशा करता हूं कि इस व्यवस्था को आप दुरूस्त करेंगे। आज गांवों में आये दिन झगड़े-फसाद होते हैं, आये दिन चोरियां होती हैं और इसके पीछे मुख्य कारण यह शराब है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि शराब का ठेका 10 किलोमीटर दूर हैं या पांच किलोमीटर दूर है, कहीं तीन किलोमीटर दूर है तो कोई आदमी अपना समय बरबाद करके शराब की बोतल खरीदने नहीं जाएगा, वह खाना खाकर सो जाएगा। लेकिन अब तो कोई भी स्थान नहीं बचा है, कोई भी ढाणी नहीं बची है।

मैं पिछले दिनों सेनणा में बैठा था, चिताड़ गांव में एक हाथी बैठक प्याऊ है। मैंने थानेदारजी को कहा कि सारे गांव वाले कहते हैं कि झगड़े की जगह बनी हुई है, चौराहा है, आए दिन हजारों झगड़े होते हैं। हम शिकायत कर रहे हैं कि वहां नाजायज शराब बिक रही है, क्या आप जाएंगे ? वे कहने लगे कि मेरा यह काम नहीं है। मैंने कहा कि आप एम्पावर्ड हैं, पावर आपमें निहित है, सब इंस्पेक्टर सब जगह जा सकता है, कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोशिश करूंगा, लेकिन आप एक्साइज वालों को क्यों नहीं कहते ? मैंने कहा, लेकिन आप भी तो अधिकृत हैं, एक्साइज वाले तो जब आते हैं तब आते हैं, पेट्रोलिंग करने आते हैं।

इसलिए, माननीय आबकारी मंत्रीजी, मेरा निवेदन करना है कि ये जो जगह-जगह नाजायज शराब के ठेके चल रहे हैं, कम से कम इन पर रोक लगा दीजिए। अगर आप इस पर रोक लगाएंगे तो मैं पूरे राजस्थान की जनता की ओर से, ग्रामीण जनता की ओर से आपको धन्यवाद करूंगा, बार-बार प्रशस्ति दिलाऊंगा कि आपने एक बड़ा माकूल और अच्छा काम किया। इस सारी व्यवस्था को सुधारो। अगर आप यह व्यवस्था सुधार लेते हैं तो बहुत बड़ी बात इस स्टेट में करेंगे। (व्यवधान) माननीय पंडितजी, क्या कह रहे हैं ?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : चौहान साहब, आप ऐसा सुझाव दो जिससे यह राजस्थान से खतम ही हो जाए। जितने अत्याचार, अनाचार, दुष्प्रवृत्तियां हो रही हैं राजस्थान में, ये सब इसी की देन है। आप तो यह कह रहे हैं कि उनको पकड़ो,

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

उनको पकड़ो। पकड़ो चाहे, लेकिन किसी को पकड़ना न पड़े, यह समाप्त ही हो जाए राजस्थान से, ऐसी कोई व्यवस्था दो, कोई ऐसा सुझाव दो।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, राजस्थान के प्रारम्भिक वर्षों में यह तय किया हुआ था, बहुत सारे जिले ड्राई कर दियें गए। उस समय जैसलमेर, बाड़मेर ड्राई हुए। उसके बाद माननीय भैरोंसिंहजी का शासन काल आया, पूरे राजस्थान में शराबबंदी कर दी गई। लेकिन कांग्रेस सरकार ज्यों ही 1980 में आई, सभापतिजी, इन्होंने तत्काल इस शराबबंदी को खतम करके वापस एक्साइज एक्ट के अनुसार शराब के ठेके देने शुरू किए। हमने तो 1980 में ही इस शराबबंदी को पूरे राजस्थान में लागू कर दिया था। उसके बदले तत्कालीन प्रधान मंत्री से माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब अनाज के कोठों की चाबी लाए थे और काम के बदले अनाज योजना चालू की थी। लेकिन आपकी सरकार आते ही इस व्यवस्था को वापस चालू कर दिया। मैं तो माननीय आबकारी मंत्रीजी से वापस कह रहा हूं कि अभी भी आपसे निवेदन है...

श्री जुगल काबरा (जोधपुर) : 1990 में गली-गली में शराब की दुकानें आपकी सरकार ने खोल दी थीं, कोई कस्बा नहीं छोड़ा था, कोई शहर नहीं छोड़ा था।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय काबरा साहब, मैं 1980 की बात कह रहा हूं, 1990 की नहीं कह रहा हूं। कुछ साहस कीजिए, कुछ इस प्रकार का इस एक्ट में संशोधन कीजिए ताकि इसका प्रचलन कम से कम हो सके।

मेरा एक निवेदन और है, आपने मोनोपोली बढ़ाने के लिए ठेकेदारों के समूह बना रखे हैं। जो गरीब ठेकेदार थे, पहले जो छोटे-छोटे ठेकों पर काम करते थे, वे बिल्कुल बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए इस मोनोपोली को खतम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तहसील सीमा बनाइए। आपको खतरा तो केवल यही है कि आपके ठेकेदार जो ठेका लेते हैं वह राशि समय पर जमा नहीं करवाते हैं। इस व्यवस्था को आप वापस कीजिए। आप कुछ हार्ड कैश ले लीजिए, आपकी अमाउण्ट भी छोटी रहेगी।

अभी जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, करोड़ों रुपये बकाया हैं और सरकार को करोड़ों रुपयों का चूना लगा दिया। यह बात निश्चित है कि इससे पिछले बजट वर्ष में, आबकारी वर्ष में सरकार को आबकारी के कारण से करोड़ों रुपयों का घाटा हुआ। अभी जालौर वाले की चर्चा माननीय राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ कर रहे थे, अभी तक आपके ठेके नहीं हो पाए। यह सारी अव्यवस्था बड़े-बड़े ठेकेदारों के समूहों को ठेके देने से पैदा हुई है। अगर तहसील स्तर पर आप ठेके देने की व्यवस्था को वापस चालू कर दें तो न तो सरकार को घाटा रहेगा और न मोनोपोली जो इस पूरे

(श्री हीरासिंह चौहान)

राजस्थान में फैली हुई है। इस प्रकार की धांधलेबाजी चल रही है कि बड़े-बड़े समूह ठेके उठाते नहीं हैं। सरकार को हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बार-बार एक्साइज कमिश्नर उनको बुलाते हैं, बार-बार टेण्डर कॉल करते हैं, उसके बाद भी वे लेते नहीं हैं। प्रति वर्ष आप भी 10 प्रतिशत ठेके की राशि बढ़ा देते हैं, ये सारी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसे जनमत जानने के लिए भेजा जाए।

यह जो वाहनों को पकड़ने का और उसके बाद एक्साइज कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, तीन-तीन, चार-चार जगहें अपीलें करने का प्रावधान है। अपील तो करेंगे, वाहन मालिक से मामूली बात के लिए हजारों रुपये का जुर्माना, कौन देना चाहेगा ? स्थिति यह हो जाएगी कि वह वाहन मालिक वाहन को छुड़वा नहीं सकेगा। इसलिए वाहन का आपने जो नया इन्ट्रोड्यूस किया है, मैं चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए। यह गलत प्रकार का कानून बनाया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय विधान की धारा 54 में जो संशोधन करना चाहते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। पहले गाड़ियों में जो शराब पकड़ी जाती थी, उसमें वह व्यक्ति जिससे शराब पकड़ी जाती थी, उसके खिलाफ केस दर्ज होता था। लेकिन अब इस धारा 54 (क) में संशोधन करके सरकार गरीब जनता को, जन मानस को इस काले कानून से भयभीत करना चाहती है, लोगों को फंसाना चाहती है।

आज एक ट्रक मालिक जिसका ट्रक केरल से चलकर दिल्ली जा रहा है उस पर राजस्थान के किसी एरिये में कोई व्यक्ति पांच बोतल या छह बोतल शराब लेकर बैठ जाए, उसे पुलिस या आबकारी विभाग पकड़ कर खड़ा कर देते हैं। तो पहले इसकी जमानत। छह बोतल शराब दो सौ, चार सौ, पांच सौ रुपये की होती है, पहले गाड़ी के मालिक पर गाड़ी पकड़ने पर केस दर्ज नहीं होता था, जिस व्यक्ति से शराब पकड़ी जाती थी, उसी व्यक्ति के खिलाफ अभियोग दर्ज होता था, लेकिन आज वह मालिक केरल में बैठा है, उसके खिलाफ केस दर्ज होगा। उसको यहां की अदालत में आकर, जुर्म नहीं किया, यह साबित करना पड़ेगा।

दूसरा, इसमें पहले गाड़ी कोर्ट में छूट जाती थी। पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि गाड़ी या उसके मालिक के खिलाफ केस दर्ज हो। आठ लाख की गाड़ी है अगर उसमें पांच सौ रुपये की शराब आज पकड़ी जाए तो इसमें यह है कि आठ लाख रुपये तक एक्साइज कमिश्नर जुर्माना कर सकता है। इसमें बीच में कोई ऐसा नियम नहीं है कि कितनी मात्रा में

(श्री धर्मपाल चौधरी)

शराब पकड़ी जाएगी तो कितना जुर्माना होगा। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को लूट का बहुत बड़ा साधन दे दिया गया है इसलिए इसे जनमत जानने के लिए भेजना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए।

श्री सभापति : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सभापतिजी, माननीय वित्त मंत्रीजी के साथ आबकारी मंत्रीजी, वैसे तो मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है कि आप शराब नहीं पीते हैं लेकिन शराब का डिपार्टमैंट आपके पास है, यहं बड़े दुर्भाग्य की बात है। (व्यवधान) क्योंकि मुझे प्रद्युम्न सिंहजी के बारे में पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं।

सभापतिजी, पिछले दिनों भी मैंने एक बार स्वयं की बनाई हुई पंक्तियां नशे के बारे में बोली थीं, आज फिर दोहराता हूं :–

"नो डार्लिंग, नो डियर, नो एग, नो बीयर।

नो स्मोक, नो चीयर। पत्नी के अलावा प्रेमिका नहीं,

चमचा और कुत्ता नहीं। अण्डा, मीट, मछली नहीं।

पान, सुपारी, जर्दा नहीं। बीड़ी और सिगरेट नहीं।

बीयर और शराब नहीं। चुर्री और गुटका नहीं।

व्यसन मुक्ति का जीवन मैं जीता हूं, यह मैंने पहले भी बोला था। परन्तु आप लोगों की हालत, सरकार और आबकारी विभाग चलाने वालों की हालत, सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।

यों तो बरसों से पी है साकी
पर मयखाना देखकर तबीयत बदल जाती है।

अब हालत यह है। हमारे संस्कृत के विद्वान आदरणीय जयदेव प्रसादजी इंदौरिया ने एक भावनात्मक बात कही है, एक-दो माननीय सदस्य भी बोले हैं कि वास्तव में तो राजस्थान जैसे प्रान्त में जहां दुर्भिक्ष है, जहां पानी नहीं है वहां शराब पर पूर्णतया पाबंदी होनी चाहिए; नशाबंदी होनी चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य है कि इस विभाग पर हमको यहां वाद-विवाद में पड़ना पड़ रहा है। इस विवाद में चूंकि अब शामिल हो ही गये हैं तो मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, जितना आपका घाटा है, यहां कई माननीय सदस्यों ने रखा था बड़ी गंभीरता से कि विधायक कोटा बढ़ाया जाए, आप विधायक कोटा बढ़ाएं या न बढ़ाएं, आप हमारी और सुविधाएं बढ़ाएं या न बढ़ाएं, आप निर्माण कार्य में पैसा कम लगाएं या ज्यादा लगाएं, आप हमको कहें तो हम केन्द्र से कहकर सारे विधायक जो हमारी पार्टी से संबंधित हैं, शराब के विरोध में सहयोग करेंगे, सब मिलकर केन्द्र सरकार से कहें कि ज्यादा पैसा किया जाए और उससे आबकारी विभाग के घाटे को

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

पूरा कर लिया जाए। इंदौरिया साहब ने कहा था कोई कंक्रीट सुझाव रखो, तो मैं कंक्रीट सुझाव रख रहा हूं कि शराबबंदी के लिए क्या हो सकता है। आप हमारा जो सहयोग चाहिए, जो बलिदान चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं।

हमारे सुरेन्द्र शर्मा, जो कवि हैं, उनकी पंक्तियां हैं, मेरी अपनी नहीं हैं इस शराब के नशे के बारे में। बात उस ढंग से कहने से गले उतरती है। कवि सुरेन्द्र शर्माजी की बनायी हुई चार पंक्तियां हैं :–

एक कार घर सूं चाली, वा पांच आदम्या कै ऊपरं चढ़गी।

पांच आदम्या न छोड़ बा एक साइकिल वाला के ऊपर चढ़गी।

साइकिल वालां न छोड़ सड़क कै किनारै कोई सूतो बींकै ऊपर चढ़गी।

बाद मां बा हड़बड़ाहट मैं जाकर ट्रक सूं जा टकरायी।

भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगां न पूछी, क्यों भाई ड्राइवर,

तनै कार चलानी कोनी आवै।

(व्यवधान) एक्साइज पर ही, शराब पर बोल रहा हूं। आपके ठेकेदार हैं इसलिए दर्द हुआ है। आप ठेकेदार हो इसलिए दर्द हो रहा है, जरा शांति से सुनिए। आगे है :–

जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो जनता ने कहा,

ड्राइवर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती ?

बोला, गाड़ी चलानी तो आती है, पर गाड़ी में,

पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल की बजाय गलती से ठर्रे की बोतल डाल दी है।

या म्हारी गाड़ी कभी अटक चले, कभी मटक चले।

अब जब गाड़ी की हालत यह हो गई तो शराब पीने वालों की हालत क्या होगी ? इसलिए शराबबंदी में हम आपका सहयोग करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप पर तो लागू नहीं होता है, बिराजें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, आपने पागल कुत्ते का प्रश्न लगा रखा है, एक मई को आ रहा है, उस दिन बताऊंगा। पागल कुत्ते कितने हो गये हैं यह एक मई को आपका प्रश्न आ रहा है, उस दिन बताऊंगा। उस दिन अपन डिस्कस करेंगे, माननीय रामस्वरूपजी, कि कितने पागल कुत्ते हैं और क्यों बढ़ गये। (व्यवधान) क्यों हल्का बोलते हो ? मैं यह चाहता हूं आपको प्यारपूर्वक लूं। जगमाल सिंहजी को लेकर बहुत हल्का बोलकर अपना जमीर और हैसियत मत दिखाओ।

जिस धारा के अंतर्गत यह संशोधन आ रहा है, गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

गाड़ी के मालिक को पकड़ लिया जाएगा या उस पर केस बन जाएगा। हम लोग विधायक हैं, पार्टी के किसी कार्यकर्त्ता ने हमको रिक्वैस्ट की और हमसे कहा एक यूनिक उदाहरण है, कि मेरे भाई या बेटे की शादी है, जरा आपकी गाड़ी दे दीजिये, हम ले जाना चाहते हैं। हमने उसको प्रेम-पूर्वक गाड़ी दे दी। बराती गये, बराती मौज-शौक में गये और 10-15 बोतलें ले लीं। वह गाड़ी पकड़ी जाए, विधायक के नाम की गाड़ी है, ज्ञानदेव आहूजा की, किसी और का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, मैं खुद के लिए बोलता हूं, गाड़ी ज्ञानदेव आहूजा के नाम की है इसलिए ज्ञानदेव आहूजा को पकड़ लिया जाए या उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाए, केस भी बना दिया जाए। इसलिए आपको पर्सनल रिक्वैस्ट करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, बड़ी गंभीरता के साथ कि कृपा करके इस संशोधन को आप निकालें, आप इसको जनमत के लिए भेजें।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तथ्यों पर आ रहा हूं।

श्री सभापति : तथ्य अभी बाकी हैं ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी तथ्य हैं।

ये ठेकेदार समानान्तर सरकार चला रहे हैं। पहले भी बात आयी कि पुलिस की मदद लेकर, पुलिस पर तो बहुत कहा गया इसलिए आज नहीं कहूंगा, लेकिन शराब के ठेकेदार समानान्तर सरकार राजस्थान में चला रहे हैं। (व्यवधान) सीकर जिले के माननीय विधायक मोदीजी बड़े गंभीर थे। इसको हंसी में मत उड़ाइए, राजेन्द्र पारीक, बाकी सब बातें अपन करते हैं, लेकिन इसको गंभीरता से लीजिए। सीकर में ही नहीं, राजस्थान में अलवर जिले में मेरे क्षेत्र सहित 10-20 घरों की ढाणियों में, गांवों में ठेके खोल दिये, खोखे खोल दिये। माननीय मंत्रीजी, यह तो कृपा करिये कि वे हट जाएं। अगर आप दुकानें चलाते हो तो वे चलें, अलग बात है, लेकिन शराब माफिया गिरोह ऐसी दुकानें चलाते हैं तो कृपा करके आप उनको रोकें।

गंगानगर शुगर मिल के अलवर के गोदाम से लाखों पाउच चोरी हो गए, उसका केस बना नहीं, कार्यवाही हुई नहीं। अखबारों में जरूर आया। माननीय मंत्री महोदय, आप कृपा करके नोट करें, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही आप करना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय, जो पाउच है उसको गरीब जनता खरीदती है। वह कहीं साढ़े पांच रुपये का है कहीं 16 रुपये का है। अगर आप बेच भी रहे हैं तो जनता के साथ यह क्या लूट है, क्या व्यवस्था है ?

माननीय मंत्री महोदय, "शराब के दामों में भारी कमी" यह लिखा हुआ होता है और कहीं 60 रुपये की, कहीं 100 रुपये की बोतल मिलती है। हरीसिंहजी हंस रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यह क्या व्यवस्था है ? सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, आप जैन है, ओसवाल जैन हैं, अहिंसा के पुजारी हैं तो कृपा करके कम से कम जैन मंदिरों, शिवालयों, हनुमान मंदिरों या अन्य मंदिरों, हमारे बच्चों के स्कूलों, छात्रा स्कूलों, गांव के मुहाने पर पहले कभी मंदिर हुआ करते थे अब शराब का खोखा पड़ा है– आप कम से कम उनको तो हटवा दीजिए जो मंदिरों के पास में हैं। राजस्थान में एक सर्कुलर निकालिए, प्रत्येक कलेक्टर के पास भेजिए। यह तो कम से कम आप कर सकते हैं जो आपके हाथ में है और कुछ आप नहीं कर सकते तो।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मामला गंभीर है। मैं आज बहुत कम बोलूंगा। मैं चार पंक्तियां और सुनाना चाहता हूं, वे बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

बेढंगी-सी हो गई, सत्ता की रफ्तार,

आश्वासन की चाशनी चटा रही सरकार,

चटा रही सरकार झूठे वायदे-नारे,

भाषण सुनकर हम-तुम फिरते मारे-मारे,

फटे हाल कविराय आजादी नंगी-सी,

सत्ता की रफ्तार राजस्थान प्रदेश में बेढंगी-सी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, इस चीज का इसी भाषा के अंदर उत्तर देना पड़ेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब जब ऐसी रफ्तार चल रही है तो मेरा अंत में फिर निवेदन यही है कि आप शराब कम्प्लीट बंद करें। इसमें हमारा सहयोग रहेगा। इस नशाबंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा सहयोग कैसे ले सकते हैं, इतना बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र व्यास। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, 24 तारीख को मंत्रीजी ने यहां चर्चा के दौरान कहा था कि 28 तारीख को एक्साइज आर्डिनेंस निकला था उसके ऊपर चर्चा होगी, उसको यहां पारित करने के लिए बिल आएगा तब मैं विस्तार से पाइंट्स का जवाब दूंगा। दो दफे चर्चा हो चुकी है इसमें, अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए आप। आपने खुद ने स्वीकार किया है। मैं अपेक्षा करता हूं संभवतया आज आप पूरी बात को साफ कर सकेंगे।

सभापति महोदय, यह कोई बहुत विवाद का विषय नहीं रह गया है कि मद्य निषेध किया जाए या नहीं किया जाए। बहुत जगह मद्य निषेध को लागू किया गया है। और सरकार विफल रही है मय निषेध पर। हरियाणा में बंशीलालजी आ गये और मद्य निषेध के ऊपर ही चले गये। आंध्र प्रदेश, गुजरात और पूरे विश्व के अन्दर कई जगह प्रयोग किया जा चुका है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आज तो मुख्य बात यह है कि मनुष्य की एक कमजोरी है और वह शराब पियेगा। अब शराब पीएगा तो उससे मैक्सीमम रेवेन्यू आप कितना जनरेट कर सकते हैं स्टेट के लिए और कितना उनको रेगुलेट कर सकते हैं एल्कोहल लिक्स को कि जो ह्यूमन लाइफ को एनडेंजर नहीं करे और सोसायटी को एट लार्ज हार्म नहीं करे। ये twin objects are there before the Government. मेरे ख्याल में, मंत्रीजी, आप इस बात से सहमत होंगे।

यह बात सही भी है कि आज इस स्टेट के पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सबसे बड़ा माध्यम एक्साइज है। जहां पर हजारों, करोड़ों रुपयों की डीलिंग होती है, ठेकेदारी होती है तो यह सामान्य बात है कि इतना होता है, डीलिंग भी होती है, बारगेन भी करना पड़ता है, कई काम करने पड़ते हैं। तो आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना और बात है, बिना तथ्यों के आरोप लगाना भी नहीं चाहिए। मैं कोई आरोप लगा भी नहीं रहा हूं। अनावश्यक संदेह के घेरे में आते भी हैं आप। You have got to live with it. आपका खुद का कांशस क्लीयर होना चाहिए। लेकिन आपका हैंडलिंग कैसा है ? अल्टीमेटली जो आप अकाउंटेबल हैं, वह इस पाइंट के ऊपर है कि आप स्टेट की रेवेन्यू को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। रेवेन्यू अगर आप कम करते हैं और लास आफ रेवेन्यू होती है तो आप निश्चित रूप से अकाउंटेबल हैं।

अब मंत्रीजी You will kindly correct me, पहले आप रिजर्व प्राइस तय करते हैं और उसका पांच परसेंट तो बिडर से ले लेते हैं पहले। वह 5 परसेंट तो आपका हो गया सेफ। 17 परसेंट जो हाइएस्ट बिडर होता है उससे लेते हैं। 50 परसेंट बाद में उससे और लेते हैं। इस प्रकार एक काम्प्लैक्स इश्यु है।, मैं बहुत डिटेल में इसको फालो नहीं कर पाया हूं। पर जितना-सा मैं समझ पाया हूं, आपको बता रहा हूं। 30 परसेंट 17+30....

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्योरिटी हो जाती है और अपनी सिक्योरिटी दे देता है प्रापर्टी वगैरह की।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अन्य प्रकार के टैक्स भी 20 परसेंट हैं तो कुल मिलाकर 50 परसेंट तो वह हो गया, 17 परसेंट वह हो गया। अब सभापति महोदय, 1999-2000 में आपने 67 समूहों में राजस्थान को बांटा है। अधिकांश जगह आपके ठेके उठे नहीं, मूल समस्या यह है। बहुत लम्बी-चौड़ी डिबेट हुई, मुझे मंत्रीजी बताएं, मेरे अन्य मित्रों ने यह सवाल उठाया था, मैं तो एक पाइंटेड दो सवाल खड़े करना चाहता हूं। जयपुर में राजाराम पार्टी का क्वेश्चन है, he was the highest bidder और आपने उसको दूसरे नैक्स्ट बिडर की एक एप्लीकेशन देने पर स्टे कर दिया। जो भी है वह मंत्रीजी सब जानते हैं। नैक्स्ट बिडर है रणपाल सिंह, रघुवीर सिंह एण्ड पार्टी। निवेदन है कि हमें मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार उक्त समूह का टेंडरदाता

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

श्री राजाराम फौजदारी जुर्म में सजायाफ्ता रह चुका है तथा सांगानेर जेल में बंदी रहा है। आबकारी कानून के मुताबिक ऐसा व्यक्ति लाइसेंस धारण करने योग्य नहीं हो सकता है। हमारा टेंडर दूसरे नम्बर पर है, हम पहले टेंडर के बराबर की रकम देने को सहमत हैं। अतः जांच कर उक्त टेंडर को रद्द किया जावे और जांच होने तक फैसला स्थगित रखा जावे। इस बीच गारंटी राशि की कोई भी भरपाई होगी वह भी हम करने को तैयार हैं।

कृपया सारे मामले की पुख्ता जांच करने के बाद ही निर्णय लिया जाए। आपने इस एप्लीकेशन के ऊपर उसके ठेके को स्टे कर दिया। आपने उससे जमा कराया कोई पैसा ? उसने कोई एवीडेंस प्रोड्यूस की कि वह कंविक्ट है, या वह जेल में रह चुका है ? कोई भी आदमी आकर इस तरह की एप्लीकेशन देगा और जहां पर इतना राजस्व आय का स्रोत है, और जब कि आप इस बात का अनुभव कर रहे थे कि पूरे प्रदेश के अन्दर विभिन्न स्थानों के ऊपर ठेके उठना मुश्किल हो रहा है, With this background, आप इसको स्टे कर देते हैं।

अब एक, सभापति महोदय, आयुक्त का आदेश है, वह आपकी अनुमति से मैं पढना चाहता हूं। "द्वितीय निविदादाता श्री रणपालसिंह एण्ड पार्टी ने दिनांक 31.3.99 को एक आवेदन प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को संबोधित करते हुए प्रतिलिपि विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (आबकारी) शासन सचिवालय, जयपुर एवं आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर को दी जिसमें निम्नानुसार कथन अंकित किया। "निवेदन है कि हमें मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार उक्त समूह का टेंडरदाता श्री राजाराम फौजदारी जुर्म में सजायाफ्ता रह चुका है तथा सांगानेर जेल में बंदी रहा है। आबकारी कानून के मुताबिक ऐसा व्यक्ति लाइसेंस धारण करने योग्य नहीं हो सकता है। हमारा टेंडर दूसरे नम्बर पर है। हम पहले टेंडर के बराबर की रकम देने को सहमत हैं। अतः जांच कर उक्त टेंडर को रद्द किया जावे। जांच होने तक फैसला स्थगित रखा जाए। इस बीच गारंटी राशि की कोई भी भरपाई होगी वह भी हम करने को तैयार हैं। कृपया सारे मामले की पुख्ता जांच करने के बाद ही निर्णय किया जाए"।

निविदा निर्णायक समिति ने प्रकरण की सम्पूर्ण जांच और समीक्षा के बाद यानी स्टे तो पहले ही हो गया था, निर्णय लिया और उच्चतम निविदादाता श्री राजाराम के पक्ष में स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जिसके आधार पर दिनांक 31.5.99 को मदिरा समूह शाहपुरा, कोटपूतली, विराटनगर की स्वीकृति राजाराम एण्ड पार्टी के नाम पर अनुपातिक आधार पर क्रमांक 1191 दिनांक 31.5.99 द्वारा जारी की गयी। उक्त प्रकरण की जांच एवं फैसले की अवधि के दौरान हुई राजस्व हानि की वसूली आवेदनकर्ता श्री रणपाल सिंह, रघुवीरसिंह एण्ड पार्टी के लिखित वचन के आधार पर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

दिनांक 1.4.99 से 30.5.99 तक की अवधि को प्राप्त होने वाली एकाकी विशेषाधिकार गारंटी राशि एक करोड़ 42 लाख 5 हजार 287 की मांग कायम की गयी।

सभापति महोदय, आप उसको गौर करेंगे कि एक सिम्पल एप्लीकेशन पर, मंत्रीजी, मैं नहीं जानता आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे, मेरा ज्ञानवर्द्धन करेंगे कि ये पावर्स एक्साइज कमिश्नर में निहित हैं या आपके एक्साइज सैक्रेटरी इसको स्टे कर सकते हैं ? और किसने एक्चुअली स्टे किया ? Whether it was within this competence to do it ? you kindly enlighten us on this subject. लेकिन उसके बाद कोई आपने सिक्योरिटी नहीं ली। सिम्पल एप्लीकेशन लेकर आपने उसको स्टे कर दिया और स्टे करके एक महीने का नुकसान पा लिया। नुकसान पा लिया तो एक करोड़ 42 लाख की मांग कायम हो गयी। निविदा समिति ने फाइनली उसको बिड छोड़ दी।

सभापति महोदय, जो गम्भीरतम बिन्दु है वह अब आता है। एक आर्डर दुबारा इश्यु होता है– इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.23(13)आबकारी/लेखा/99/215 दिनांक 6.7.99 द्वारा श्री रणपालसिंह पुत्र श्री किशनलाल, श्री रघुवीरसिंह पुत्र मंगेशसिंह एवं श्री भागमल पुत्र सुवालाल रणपाल सिंह, रघुवीर सिंह एण्ड पार्टी के विरुद्ध राशि रुपये एक करोड़ 42 लाख 95 हजार 287 की मांग कायम की गयी थी। जो डाक्यूमैंट मैंने, सभापति महोदय, अभी पढ़ा। राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ 4(12)वित्त/आबकारी/99/6 दिनांक 16.9.99 द्वारा उक्त मांग को कम कर मंत्री जी, यह सुनिये, मांग कम आप कर रहे हैं, I invite your attention, the hon'ble minister, यह आपसे सम्बन्ध रखता है। एक करोड़ 42 लाख 95 हजार 287 की मांग कायम की जाती है 6.7.99 को, यह तो सुन ही लिया आपने। अब यह नया सुनिये। अब आपकी राज्य सरकार ने यू आर राज्य सरकार, अपने पत्र क्रमांक एफ 4(12)वित्त/16.9.99 द्वारा उक्त मांग को कम कर रुपये 21 लाख 49 हजार 590 रुपये किये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः तदनुसार पूर्व में कायम की गई मांग राशि पर एक करोड़ 42 लाख 95 हजार 287 के स्थान पर राशि रुपये 21 लाख 49 हजार 590 की जाती है। अब सवा करोड़ का चूना आपने स्टेट एक्सचैकर को लगाया है। यू आर दी सरकार, आपके सैक्रेटरी ने लिखा होगा, फाइल पर एप्रूवल आपका हुआ होगा। पहले तो आपने उसको स्टे क्यों किया बिना किसी कोजेंट रीजन के, बिना किसी एविडेंस के और बिना किसी सिक्योरिटी लिए ? फिर आप उसको मांग कायम करते हैं। आपकी खुद की मांग के हिसाब से एक करोड़ 42 लाख रुपये की हानि आपको महीने भर में हुई है। फिर आपने सवा करोड़ कम कैसे कर दिया ? यह मामूली रकम नहीं है। यह वित्त मंत्रीजी, आपको सदन को बताना होगा। दोनों प्रश्नों के ऊपर मैं आपका स्पेसिफ़िक, क्लीयर और टू-दी-पाइंट जवाब चाहता हूं।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

दूसरा, एक और निवेदन करना चाहता हूं, मैं अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहता हूं। यह सही है कि राजस्थान में ठेके नहीं उठे और ठेके नहीं उठे इसलिए रिजर्व प्राइस को आपनें कम किया है। आपने 70 प्रतिशत पर दिया है, 50 प्रतिशत तक दिया है। रिजर्व प्राइस का कितना परसेंट कम किया आपने बाद में ठेके देने के लिए ? सभापति महोदय, उस विषय में चर्चा यह है कि पूर्व वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री चन्दन मलजी एक सीमा से आगे जाने को तैयार नहीं थे और उस विमति के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया। वे संभवतया 70 प्रतिशत पर एग्री करते थे। उनके एग्जिट के बाद फैसिलिटेट हो गया और आपने 50 प्रतिशत के ऊपर ठेके दे दिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I havenot issued any order, for your information, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं पूछ रहा हूं, आप बता दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं देखिये, एक दफे फैक्चुअल, यह मेरी ड्यूटी बनती है... वह रिकार्ड में चला जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I stand corrected.

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मार्च को मुझे यह डिपार्टमैंट अलाट हुआ है और मेरी कलम से मैंने न कोई ठेके में कमी की है, न बढ़ाया है, न घटाया है, यह मैं आपको जानकारी के लिए सदन में बता रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I stand corrected. Mr. Chairman, I have no objection if the hon'ble minister says that he never passed any order with regard to these contracts. लेकिन मेरा जो आरोप है वह यह है, आरोप उस परिधि में नहीं है मंत्रीजी। सेंसिटिव मत होना, आरोप सिर्फ पालिसी का है। यह चन्दन मलजी एग्री नहीं करते थे, उनको दबाकर कराये क्योंकि देखिये, कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी होती है। समहाऊ, वे एक बहुत देश के फाइनेंशियल बिजार्ड हैं और वे इसको प्रदेश के हित में नहीं मानते थे। पर मैं चन्दन मलजी का नाम लेकर भी कोई सहारा नहीं लेता हूं, मैं तो कहता हूं कि मैं इस बात को गलत मानता हूं और सदन यह जवाब जानना चाहता है कि यह इतनी राशि आपने कम क्यों की ? सरकार कंटीन्यूअल इंस्टीट्यूशन है, उसमें चन्दन मलजी नहीं होंगे, आप होंगे। तो आप इन दो मसलों के ऊपर हमारा ज्ञानवर्द्धन करें।

अंत में जो मेरे अमैंडमैंट्स हैं, चूंकि मैंने अमैंडमैंट्स दिये हैं, जो आप बिल ला रहे हैं तो अमैंडमैंट्स भी मैं आपको निवेदन करूंगा जो मुझे करना है। मुख्यतया ये नीतिगत बातें मैंने आपको अर्ज की हैं और मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं कि ठेकेदारों का कार्टेल बनता है, इसको भी मैं समझता हूं कि उस कार्टेल को ब्रेक करना पड़ता है। How precarious and delicate your job is, I can understand it, I can appreciate it.

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

लेकिन मंत्रीजी, उसके अन्दर ऐसी गफलत नहीं होनी चाहिए। आर.टी.डी.सी. की बीयर पर आपने सरचार्ज क्यों लगाया? क्या आपको यह जानकारी नहीं है कि आर.टी.डी.सी. का टोटल प्रोफिट सिर्फ बीयर और मिड-वे पर है ? अगर आप जो बहरोड़ वाला मिड-वे है इसको, Tourism Minister is not here, लेकिन, सभापति महोदय, बड़े अधिकृत रूप से इस सदन के सामने निवेदन कर रहा हूं कि आर.टी.डी.सी. का टोटल प्रोफिट बीयर की सेल पर और बहरोड़ वाले मिड-वे पर है। इस पर आपने सरचार्ज लगा दिया। कम्पेरेटिवली आर.टी.डी.सी. की बीयर सस्ती बिकती थी और चिल्ड बिकती थी, लार्ज स्केल पर सेल होती थी। ठेकेदार महंगी बेचते थे। अब आपने सरचार्ज लगाकर उसको महंगा करवा दिया। तो ठेकेदार को आपने फायदा पहुंचाया जो पहुंचाया, आपने अपने स्टेट एंटरप्राईजेज को डुबो दिया। वह तो वहां लॉस हो गया।

सभापति महोदय, इसी तरह से आपने जयपुर में बीयर बार भी बंद कर दी। तो ये कुछ पॉलिसी डिसीजन्स हैं जिनको आपको लेना पड़ेगा। आपको सिर्फ बैलेंस यह बिठाना होगा, संतुलन यह बिठाना है। मैं समझता हूं, इस सदन के माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि एक बहुत बड़ा स्रोत है राजस्व आय बढ़ाने का स्टेट का। इसलिए फालतू के जो अपन भाषण दें वह तो अलग बात है लेकिन मैक्सीमम रेवेन्यू आप कैसे जनरेट कर सकते हैं वह आप कीजिये। मैक्सीमम कैसे आप इसको रैगुलेट कर सकते हैं कि एल्कोहलिक जो फाल आउट हो वह नहीं हो। अब ये छोटी-छोटी बातें, इनको मंत्रीजी, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, बार से आपको लाभ है कि सड़क के किनारे बैठकर लोग ड्रिंक करते हैं इसकी जगह बार में बैठ जाएं। यह तो है नहीं कि आप इन बातों से अवगत नहीं हों लेकिन अगर रियलिटी को, जिसको आप नहीं रोक सकते हैं, उस पर आप कितना नियंत्रण कर सकते हैं, यह एक मुख्य बात है, how far you can regulate. मैं समझता हूं कि मंत्रीजी मेरे सुझाव को सही मायने में लेंगे। जो दो पाइंटेड क्वेश्चन है और यह एक पर्टिकुलरली जो सीधा-सीधा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आयेगा, इस पर मैं नहीं जाता हूं, इसका जवाब दें। धन्यवाद।

श्री सभापति : जरूर जवाब देंगे। माननीय श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के संशोधन का अधिनियम आज सदन के सामने है। जहां तक इस आबकारी के ठेकेदारों का सवाल है, आज पूरे के पूरे राजस्थान में जिस तरह से दूसरे प्रांतों में कोल माइंस के माफिया या भू-माफिया थे उससे कहीं भयंकर राजस्थान का शराब माफिया है। राजस्थान की पुलिस और आबकारी विभाग का जहां तक सवाल है, वह तो पूर्ण रूप से उनके नौकरी के हिसाब से आज चल रहा है।

(श्री अमराराम)

जहां तक अवैध व्यापार का सवाल है, सबसे बड़ा शराब का अवैध व्यापार करने वाले लोग हैं तो आबकारी विभाग के ठेके के ठेकेदार हैं। कोई भी ऐसा जिला नहीं होगा जहां लाइसेंसशुदा जितने दुकानें हैं उनसे चार गुना से आठ गुना दुकानें नहीं हों। यहां हाउस में दो दिन पहले उत्तर भी फर्माया था कि आप एडिश्नल कमिश्नर से जांच कराएंगे। मैं तो इस मौके पर मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम सरकारी कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी दें, इस बात के लिए हर गांव में आपने एक सतर्कता समिति बनायी है। उसमें जन-प्रतिनिधि भी हैं, सरकारी नौकर भी हैं, रिटायर्ड भी हैं। अगर आप उसके साथ यह जो अवैध व्यापार हो रहा है कि एक शराब की दुकान के लिए विभाग को 10 हजार रुपये ठेकेदार को जमा कराने पड़ते हैं, यह अवैध व्यापार जो राजस्थान में शराब के ठेकेदार कर रहे हैं, इसको आप अगर रैगुलर करना चाहते हैं, वे शराब बेच रहे हैं, आपसे रूकते नहीं, कम से कम इस बात के लिए उनको बाध्य किया जा सके कि...

सदन की कार्यवाही

गैर सरकारी कार्य हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट। मैं सदन की अनुमति चाहता हूं कि आज तीन से पांच बजे तक का नॉन ऑफिशियल बिजनस है, क्या सदन की अनुमति है कि पहले दोनों बिलों को पास कर दिया जाए उसके बाद में दो घंटे का समय रख दिया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

इसको जल्दी कर देंगे लेकिन दोनों बिल पास कर दें। जल्दी कर देते हैं हम।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य सचेतक महोदय, उप मुख्य सचेतक होंगे उनसे भी कमिटमैंट होना चाहिए वरना वे इस बात में हमारे प्राइवेट बिल को उड़ा दें कि नहीं, साहब, आधा बिजनस हुआ है।

श्री सभापति : दो घंटे आपको पूरे मिलेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह पूरा होना चाहिए।

श्री हीरासिंह चौहान : दो घंटा ही क्यों, इसका समय अधिक मिलना चाहिए। आपने प्राइवेट बिल 2-2 ले लिये हैं और मामूली समय दे रहे हैं।

श्री सभापति : वह सदन की इच्छा जो है उतना ही मिल जाएगा। पूरा मिल जाएगा, बिराजो।

(15.00 बजे)

विधेयक पर विचार

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अमराराम (धोद) : इसमें आपने जांच के लिए भी कहा था। इसमें आपका

(श्री अमराराम)

यह भी कहना था कि कलेक्टर की अध्यक्षता में जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी है। लेकिन उस कमेटी के पिछले 4-5 साल में जो अनुभव रहें हैं, सभापति महोदय, वे बहुत ही खराब रहे हैं। अगर आप इसको, जो अवैध व्यापार शराब के ठेकेदार कर रहे हैं उसके अन्तर्गत रख पाएं। हर गांव में जो सतर्कता समिति है वह राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में सर्विस करने वाले की अगर सिफारिश करके भेज देती है तो डिविजनल कमिशनर उस कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्यत्र जिले में कर सकता है। शराब के ठेकेदार को आप सतर्कता समिति के अधीन लाएंगे तो मैं समझता हूं, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं।

लेकिन जो आप संशोधन लेकर आये हैं, एक बहुत बड़ा हथियार विशेष तौर पर उनके हाथ में देना चाहते हैं, शराब माफिया उसका उपयोग करेंगे। जो अवैध व्यापार शराब के ठेकेदार, आबकारी विभाग और पुलिस से मिलकर कर रहे हैं उसके खिलाफ इसका उपयोग करने का यह संशोधन आप लेकर आये हैं। अकेले सीकर जिले में 28 इस विभाग में शिकायतें दर्ज हुई। 22 तो जिला कलेक्टर के माध्यम से हुई हैं और दो एस.पी. के माध्यम से हुई हैं। तमाम उस विभाग से तो विश्वास ही खड़ा हो गया। जितने भी मुकदमें बने हैं, आप उनको दिखवा लीजिये, सभापति महोदय, जितने भी आबकारी एक्ट में चालान हुए हैं, 90 प्रतिशत चालान ठेकेदार की सहमति से आबकारी विभाग में हुए हैं।

निश्चित रूप से जो आप यह संशोधन खण्ड (54) में कर रहे हैं, यह भयंकर है और उनको एक और कानूनी हथियार आप दे रहे हैं, इस अवैध शराब का विरोध करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ ही इसका सबसे बड़ा उपयोग होगा। यही उपयोग नहीं होगा, उनको आगे जमानत के लिए भी आपने क्लाजेज डाले हैं कि वह न्यायालय में नहीं जा सकता। वह अधिकार आबकारी अधिकारियों को आप देंगे। आबकारी अधिकारी की तो आज हालत यह है कि उसके पास कोई शिकायत लेकर नहीं आता है। आबकारी विभाग ने नाजायज केस भी बना दिया ठेकेदार से मिलकर तो ? मैं समझता हूं कि जो आप संशोधन लाये हैं, उसको प्रवर समिति को सौंपा जाए ताकि इससे जनता को तकलीफ नहीं हो और राजस्थान सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (आबकारी मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, क्यों कि यह आवश्यकता है, आर्डिनेंस आया, यह एक रिप्लेसमेंट बिल है, उसके बारे में सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूंगा। उसके उपरांत सम्माननीय सदस्यों ने कुछ दूसरे पाइंट यहां पर उठाये हैं, उनके बारे में निवेदन करूंगा।

अगर आप बिल के एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स देखें : The incidence of unauthorised transportation of excisable articles had increased in recent past and it was

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

noticed that owners of such vehicles were indulging in these activities with impunity. मोटे रूप में वाहनों का जो उपयोग हो रहा था, उन वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह बिल आया है, यह कानून बनाया गया है, श्रीमान्। दूसरे प्रांतों से अवैध शराब आ रही थी, गांव के लोग शराब को खरीदकर गांव में ले जाकर बेच रहे थे, ठेकेदारों में आपस में रेवेन्यू का वार था, एक-दूसरे के यहां फेंकने की प्रवृति थी कि अपने इलाके का माल उसके यहां, उसके यहां का माल वहां, फिर वह घाटे में आता है, पैसा देरी से देता है, इन सारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए यह कानून सरकार ने बनाया है, आर्डिनेंस बनाया है। यह तो आप सब माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि आजकल वाहनों के माध्यम से मदिरा का अवैध व्यापार बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। इससे सदन के सारे माननीय सदस्य सहमत होंगे। लेकिन यहां जो एप्रिहेंशन जाहिर किया गया कि इसका दुरुपयोग होगा, श्रीमान् यह शायद जनवरी के महीने में आर्डिनेंस के रूप में आया था, पहली जनवरी को आया था, जो अभी जानकारी मेरे समक्ष आई है उसके अनुसार इसके नतीजे बहुत अच्छे हैं।

सभापति महोदय, शराब के व्यापार में इतना पैसा हो गया है कि लोग न जाने कैसे कैसे किसी प्रांत से लाकर शराब बेचते हैं। नकली शराब बनती है बढ़िया शराब के नाम पर, वे चिप्पियां लगा लगाकर, लेवल लगाकर उस किस्म की शराब बनाकर बेचते हैं। इसके अन्दर अवैध, नम्बर दो का धंधा तो सुना था, सभापति महोदय, इसके अन्दर तीन नम्बर का धंधा भी सुनने में आया है। तीन नम्बर का धंधा इसके अन्दर सुनने में आया है कि तीन नम्बर की शराब बनती है।

डा. किरोड़ी लाल : अब आप इसको चार नम्बर मत बना देना।

(15.06 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो मेरी जानकारी में है, मुझे ब्रीफ कर रहे थे अधिकारी विभाग के कि तीन नम्बन की शराब भी होती है। तो मैंने कहा कि तीन नम्बर की शराब क्या होती है ? भाई, दो नम्बर की शराब तो हो सकती है लेकिन तीन नम्बर की शराब भी होती है ? उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि भुज की ट्रेजेडी के बावजूद शराब पाउच में बनने के बाद भी आज की तारीख में कच्ची शराब भी बनती है। कुछ वाहन पकड़े गये जिनमें कच्ची शराब ले जाकर बस्तियों के अन्दर पिलाते थे। पहले तो साइकिल-वाइकिल में या टायर-ट्यूब में जाते थे, अब तो वाहनों का इतना खुला उपयोग हो रहा है, मैं आपको आंकड़े देकर बताऊंगा, मेरे पास फिगर्स हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि एक-एक गाड़ी के अन्दर 2250, 2000, 1350, 3000, 2800, 9250 और अब

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तो स्कूटरों का उपयोग हो रहा है। बैठे, बोरी पैरों में रखी, पीछे रखी।

कहने का मेरा अर्थ यह है कि यह बहुत बड़ी लिस्ट है, जो केसेज अब तक हुए हैं, इनके आने के बाद। यों तो हर साल केसेज होते हैं लेकिन चूंकि अदालतों का जो नजरिया था, अदालतें हिसाब से मामूली तौर पर इन गाड़ियों की जमानत देती थी, केस चलते रहते, गाड़ी की जमानत दी उन्होंने। और गाड़ियां इसी काम के अन्दर प्रयोग आती थीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कानून खाली राजस्थान में ही नहीं है अपने यहां। इस प्रकार का कानून मैंने देखा है कि तमिलनाडू के अन्दर है, इस प्रकार का कानून उत्तर प्रदेश के अन्दर है और इसी प्रकार का कानून यहां तक मेरी जानकारी है, आंध्र प्रदेश के अन्दर भी है और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी विधान सभा के अन्दर बिल इन्ट्रोड्यूस किया हुआ है इसी पैटर्न के अन्दर कानून बनाने के लिए।

यहां पर एक बात रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही या माननीय हीरासिंहजी ने कही कि आपने यह कानून क्यों बनाया है जिसके अन्दर आपने सरकारी गाड़ियों को मुक्त रखा है। भाषा की ओर ध्यान दिया गया। अब रेल के अन्दर कच्ची शराब जा रही है तो रेल को थोड़े ही जब्त कर लेंगे ? ऐसे ही रोडवेज की गाड़ियों में। बाई एनी मीन्स आफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके अन्दर वह आती है। रोडवेज की बस है, अब रोडवेज की बसों के अन्दर 50 सवारियां बैठी हैं, किसी ने अपनी अटैची के अन्दर 60-100 पाउच रख लिये, ट्रंक में रख लिये, सरकारी गाड़ी है या जीप है, उसकी सूचना देने के बाद तो ड्राइवर की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो वही प्रोविजन लाये हैं, यह सारा स्टडी करके लॉ विभाग से। जो वाहनों का दुरुपयोग शराब की तस्करी के अन्दर हो रहा है, अन्तरराज्यीय हो रहा है, प्रांत के अन्दर हो रहा है, कच्ची शराब के लिए हो रहा है, ठेकेदारों की आपस की स्पर्द्धा के लिए हो रहा है, इसको रोकने के लिए मूल रूप से यह लाया गया है। यह तो रही मूल बात, पीछे की जो भावना है कानून बनाने की, यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

दूसरी बात शराबबन्दी की कही गई। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने खुद कहा कि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। 1977 के अन्दर राजस्थान के अन्दर नशाबन्दी मोरारजी देसाई साहब की सरकार जब केन्द्र में आई तो यहां लागू हुई। It failed अभी हरियाणा में किस्सा है। और पुराने विगत के अन्दर जाएं, पुरानी बातों के अन्दर जाएं तो अमेरिका में भी प्रोहिबिशन हुआ था एक दफा। आंध्र के अन्दर हुआ, कई प्रांतों में हुआ लेकिन वह प्रोहिबिशन कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ और इसकी वजह से इस शराब का अवैध व्यापार करने वालों की बन आई और जो पीने वाले लोग थे,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उन्होंने कच्ची-पक्की पीकर अपने जाने गंवाई और जो राज्य की राजस्व की आय होती थी वह राज्य की राजस्व आय समाप्त होकर शराब माफिया की जेबों में जाने लगी। तो इस प्रकार विभिन्न सरकारों ने अपने स्तर के ऊपर अलग-अलग प्रकार के निर्णय लेकर शराबबन्दी को समाप्त किया।

अब पुराने जो शराब के ठेके हुए 2000-2001 के, उसके बारे में यहां पर कई प्रश्न, इस बिल के बारे में तो चर्चा कम हुई, उस पूरे के बारे में ज्यादा चर्चा हुई यहां पर। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मार्च को यह महकमा अलाट हुआ और उसके बाद बजट बनाने के अन्दर सारा समय लगा। जितनी जानकारी इस महकमे को समझने के अन्दर ले पाया, जितना टाइम दे पाया, उसके हिसाब से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। यहां मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। जब ये ठेके उठे तो उससे पहले कुछ पूर्व वर्षों के ठेकों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा। जैसा मालपुरा से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने बिलकुल सही-सही विश्लेषण किया कि सरकार को समय-समय पर ठेके उठाने के लिए कंसेशन देने पड़े। मैं उस थ्योरी के ऊपर आ रहा हूं।

मैं रीसेंटली कहता हूं, 1997-99 के अन्दर, नाम नहीं लेता किसी पार्टी का, अलवर का ठेका लिया एक सज्जन ने, जयपुर का ठेका उठा नहीं था। अलवर का ठेका रिजर्व प्राइस से ऊपर गया, तीन करोड़ कुछ लाख रुपये ऊपर गया। फिगर करेक्ट कर दीजियेगा मुझे, मैं कहीं गलती कर रहा हूं तो। जयपुर का ठेका नहीं उठा था, उन्हीं ठेकेदार महोदय ने कहा पुरानी सरकार से कि आप हमको जयपुर का ठेका, अलवर के ठेके की बढ़ी हुई कीमत कम कर दें तो हम जयपुर का ठेका लेने को तैयार हैं। पुरानी सरकार ने उसको स्वीकार किया और वहां की तीन करोड़ रुपये की राशि कम कर दी और जयपुर का ठेका दे दिया। चलिये, कोई बात नहीं। अगर आप देखेंगे, जो पहले साल के अन्दर था हर दूसरे साल रिजर्व प्राइस पन्द्रह परसेंट बढ़ जाती है। कुछ अन्य जगहों की मेरे पास है। तो मैं सदन का समय नहीं लूंगा, आपकी सबकी जानकारी में है क्यों कि एक तो माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर जो आये हैं, चुन करके, इस व्यापार के बारे में उनको भली-भांति जानकारी है, अच्छी तरह की जानकारी है, इस व्यापार को वे समझते भी हैं।

श्री अमराराम (धोद) : करते भी हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ सिद्धांतन बात कर रहा हूं। I will not speak anything personal against anyone.

श्री देवीसिंह भाटी : व्यापार है यह तो, टेण्डर देकर लेते हैं, इसमें क्या बुरा है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो इसके बारे में जानकारी है, वे समझते हैं। अब हमारे जो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तत्कालीन वित्त मंत्रीजी थे, कार्टेल बना राजस्थान के अन्दर जब ये ठेके उठे। जब नई सरकार आई तो उन्होंने एक कार्टेल बना लिया, पूल बना लिया, एक सर्टेन रेट के ऊपर राजस्थान के ठेकों को लेना चाहते थे कि हमको दस प्रतिशत लैस के ऊपर 811 करोड़ की रिजर्व प्राइस थी, दस प्रतिशत लैस करके करीब-करीब हो गया 80 करोड़, करीब 81 या 82 करोड़ रुपये लैस करके आप हमको यह दे दें। तत्कालीन वित्त मंत्रीजी, जो स्वभाव था क्यों कि पूर्व में भी 72-77 के बीच में वित्त मंत्री थे, उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की थी और गंगानगर शुगर मिल के जरिये उन्होंने ठेके चलाये थे क्यों कि उनका मानना था कि अगर सरकार इस प्रकार से इन पूल वालों के आगे दबाव में आएगी तो सरकार के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। उसी नीति को उन्होंने मानते हुए किया, उनका जैसा स्वभाव था। आज कोई उन पर आरोप लगाये किसी किस्म का, वह मैं मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं। आज तत्कालीन वित्त मंत्री के ऊपर कोई आरोप और किसी किस्म का लगाये, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। सदन के अधिकांश सदस्य इसको स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : काहे के लिए लगाएंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, मैं बात कह रहा हूं, जो बात है उस हकीकत को। Let it come on the record, What is harm? उसमें नुक्सान भी कोई नहीं है अगर रिकार्ड के ऊपर यह बात आती है। उनके लिए मैं तारीफ के दो शब्द कह रहा हूं। अब जैसी उनकी प्रकृति थी कि मैं नहीं मानूंगा, उन्होंने कहा कि अगर आज हम दबेंगे तो हमको दबाते चले जाएंगे और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यह बात सही है कि 811 करोड़ की रिजर्व प्राइस थी, उसके खिलाफ एनुलाइज प्राइस 773 करोड़ की आयी और कुल पैसा आया शायद 680 के आस पास या ऊपर कुछ आया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 672.

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, 680 के आसपास। तो वह फिगर, मोटी-मोटी फिगर याद है, एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको नहीं दे रहा हूं।

ठेके देर से उठे। जो कि आम तौर से ठेके आप फरवरी में टेन्डर इन्वाइट करते हैं, फरवरी के टेन्डर एक अप्रैल से मार्च तक सब फाइनाइज होकर हो जाते हैं, वे ठेके नहीं उठे। बाद में कोई पांचवें महीने में उठा, कोई सातवे महीने में उठा। दो महीने चुनाव के आ गये बीच में, उसमें आचार संहिता के चक्कर में दो महीने ठेके नहीं उठे। एक या दो मामलों में जो रिजर्व प्राइस थी, समूहों का रिआर्गेनाइज करना पड़ा, समूह रिआर्गेनाइज किये। जितने थे उनसे ज्यादा बढ़ाये, कुछ प्रयोग हुए। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र को अलग किया गया। बहरहाल होते-होते बारहवें महीने के अंदर जाकर सारे के सारे समूह उठ गये।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इसके अंदर राजस्व की कमी, क्योंकि अनुमानित थी, सरकार ने तय किया था कि यह हमारा अनुमान है कि इस अनुमान के ऊपर हम अपने ठेकों को उठायेंगे और वह अनुमानित राशि सरकार को, जो एस्टिमेट था, बजट एस्टिमेट था, उतनी आमदनी सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

अब उसके तहत यहां पर, यह बात सही है कि कार्टेल बना। मैं फिर वहीं से शुरू करता हूं, अब कार्टेल बना तो कार्टेल में से कुछ लोग बाहर निकल आये। बाहर निकल कर उन्होंने टोंक का ठेका ले लिया पहले जाकर, कहीं और के ले लिये, उनमें फूट पड़ गई। जो लोग यह कह रहे थे कि हम अपनी मनमर्जी के मुताबिक ठेके लेने चाहते हैं, उन लोगों ने भी ठेके लिये फिर आखिर के अंदर। अब उन लोगों ने जब ठेके लिये, तो कहा तुम हमसे निकल के गये, उन्होंने कहा, तुम हमसे निकल के गये, तुमने गद्दारी की, तुमने धोखा दिया, मतलब मतभेद लोगों में आपस में पैदा हो गये। मतभेद जब लोगों में आपस में पैदा हो गये और देर-सवेर सारे ठेके उठे और राज्य के अंदर जो राजस्व अधिक से अधिक प्राप्त कर सकती थी सरकार। उस राजस्व को सरकार ने प्राप्त किया, चेष्टा की और राजस्व आया।

एक प्वाइंट बार-बार यहां आता है, यह बात सही है कि कोटपूतली का ठेका जिस व्यक्ति ने हायर रेट के ऊपर प्राप्त किया, उसमें और सैकण्ड बिडर के बीच में शायद दो लाख रुपये का फर्क था, जहां तक मेरी जानकारी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 5 लाख 46 हजार।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पांच लाख रुपये का फर्क था। हां, वह जो भी है। पांच लाख रुपये का फर्क था।

उन श्रीमान् ने जो हाइस्ट बिडर था, मैं किसी का नाम लेने के पक्ष में नहीं हूं। किसी आदमी का यहां पर नाम लेकर पुराने इतिहास को...(व्यवधान) मालूम है, ठीक है, लोग कयास लगायें। वहां पर कहा कि यह तो सजायाफ्ता है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि सजायाफ्ता है और अपना जो यह फार्म है, लाइसेंस की शर्त और एक्ट के अंदर भी प्रावधान है, अगर कोई सजायाफ्ता व्यक्ति है तो उसको नहीं दिया जाएगा। ऐसी जानकारी मुझे बताई गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे आपको टोकना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि जिस आदमी को आप सजायाफ्ता बता रहे हैं, आपकी हुकूमत ने 21, 4 को इसी आदमी को ठेका दिया अजमेर का, यह खुद लाइसेंसी है। और उसी आदमी को आप 30.5 को यह कहते हैं कि यह सजायाफ्ता है इसलिए इसकी जांच कर रहे हैं, इसको ठेका नहीं दिया जाएगा। मुझे एक चीज की प्रसन्नता है कि आप जो सदन में बात कह रहे हैं वह फैक्चुअल कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यह भी प्रसन्नता है कि आप इसमें कोई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चीज, कोई फैक्ट छुपा नहीं रहे। तो आप इसको भी कह दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बता रहा हूं न मैं आपको। अब आप बिराजिए।

श्री उपाध्यक्ष : सब फैक्ट है तो फिर पास करो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात तो स्वीकार की कि जो कुछ मैं कह रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : प्राइवेट मैम्बर बिल भी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्योंकि आज कोई चीज छिपी हुई नहीं है। आज वह सूचना का अधिकार जिसको आप कहते हैं, उसके बिना ही सारी सूचना उपलब्ध है लोगों के पास।

श्री उपाध्यक्ष : वह भी आने वाला है एक तारीख को।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी मजबूत हैं, कोई छिपाना चाहे तो छिपा नहीं सकता।

तो उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने शिकायत की। आरोप सही था, जेल हुई थी, करीब चार वर्ष की जेल भी काटी थी, यहां ओपन जेल में रहे थे। उसके बाद कांग्रेस के रिजीम में आने के बाद वह कोई कमेटी होती है सजा की जांच करने वाली, उस कमेटी ने उसको माफी दे दी थी।

एक माननीय सदस्य : बरी नहीं, रेमीशन दी थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Ultimately he was released. छोड़ दिया। रेमोशन देते हुए उसको छोड़ दिया। यह मुझसे स्लिप हो गया। अब, उपाध्यक्ष महोदय, यह हुआ इसमें। उन्होंने इसकी शिकायत की। एक्साइज कमिश्नर ने, यह बात सही है कि एक करोड़ कुछ लाख रुपये की उनके ऊपर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 46 लाख।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो भी फीगर है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह बताएं कि स्टे क्यों किया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, क्योंकि जब एक शिकायत आयी...

श्री सुरेन्द्र व्यास : शिकायत पर स्टे करें देंगे आप, बिना एवीडेंस के ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, अब जो हुआ मैं बता रहा हूं न। मैं फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूं How can I give justification? It was done. मैं जो आपको निवेदन कर रहा हूं बिलकुल फैक्चुअल पोजीशन है, इसमें न कहीं कोई नमक-मिर्च लगायी है न कुछ और। जो हकीकत है वही बता रहा हूं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मैं। उन्होंने कहा कि हम देंगे। इन्टरप्रिटेशन का सवाल हो सकता है। आप उसका इन्टरप्रिटेशन दूसरे हिसाब से कर रहे हैं, पहले वालों ने दूसरे हिसाब से किया। मेरा खुद का इन्टरप्रिटेशन कुछ हो सकता है। यह बात सही है कि उसी व्यक्ति को अजमेर का मिल गया था लेकिन जो कम्प्लेंड की थी वह शाहपुरा, कोटपूतली के बारे में थी। शाहपुरा, कोटपूतली के बारे में थी वह कम्पलेंड हो गयी। उस कम्प्लेंड के ऊपर वह मामला रोक दिया गया कि नहीं दिया जाए। फिर तय हुआ कि दे दिया जाए। इसी बीच हाई कोर्ट से दूसरी पार्टी ने स्टे लिया। पता नहीं पांच दिन का था या सात दिन का था।

श्री धर्मपाल चौधरी : एक दिन का भी स्टे नहीं था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं-नहीं, स्टे था। देखिये, धर्मपालजी, आप इस फैक्चुअल पोजीशन को गलत न कहें। स्टे था। जितने पीरियड के लिए होगा स्टे मिल गया। इसी बची गंगानगर शुगर मिल्स ने वहां पर फ्रैंचाइज के जरिये कुछ अपनी दुकानें खोल दीं।

श्री देवीसिंह भाटी : अब जो हुआ छोड़ो न उसको। आगे चलो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो साहब, मैं क्या करूं ? आपके माननीय सदस्य ने कहा तो जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आगे चलें तो फिर पास करो न इसको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपका अधिक समय न लेकर इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर एक रिप्रेजेंटेशन आया जिसमें कहा गया कि क्योंकि आपकी दुकानें चलीं, हाई कोर्ट का यह रहा, इतनी देरी रही इसलिए इस पैसे को कम किया जाए। आपके एक्साइज कमिश्नर ने मेरे ऊपर ज्यादा रकम थोप दी है जो मेरे ऊपर बनती नहीं है। सरकार ने निर्णय लिया और उस निर्णय के तहत उस रकम को सरकार ने कम कर दिया। एक बात यहां और कही....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितना कम कर दिया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो आप फीगर बता रहे हैं वह सही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, अब यह बात खतम ही कर दो। सरकार में यह निर्णय किस स्तर पर हुआ है, यह भी बता दें आप ? आप सारी बात बता रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बिलकुल सही कह रहा हूं, Till now I have not seen the file, at what level it has....Earnestly I am telling you, I will go through the file.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई बात नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I will got through the file. Till today I have not seen the file.

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : साहब, यह व्यापारियों का झगड़ा है इसमें क्यों सदन का समय जाया कर रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ पैसा कहीं बकाया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य हित में, जनहित में यह कानून बनाया गया है, इस कानून को प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है और बिना प्रवर समिति को भेजे ही इसको पारित किया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी नहीं कहा कि मंत्रीजी ने फाइल देखी है या नहीं देखी। इसमें सरकार लिखा हुआ है। जहां तक सरकार का मतलब मैं समझता हूं, मंत्री होता है, सैक्रेटरी नहीं होता है, एक बास। पहले स्टे किया। सैक्रेटरी ने। एक्साइज एक्ट में पूरा अथोराइज्ड एक्साइज कमिश्नर है, एक्साइज सैक्रेटरी ने कैसे कर स्टे दिया ? बिना किसी एविडेंस के स्टे किया और उसकी एप्लीकेशन पर उसके कमिटमैंट को मान लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : डाक्टर साहब, एक मिनट। ठेकों की एक कमेटी बनती है। हर बंदोबस्त, हर सैटलमेंट में, इन टेंडर्स को फाइनलाइज करने के लिए कमेटी बनती है और यह प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है। उस टेंडर फाइनलाइजेशन कमेटी ने इसको स्टे किया था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और यह कम किसने किया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने बता दिया न कि सरकार के स्तर पर हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार तो, मंत्री जी, आप हैं और आपने फाइल देखी नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Yes, I have not done it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने फाइल देखी नहीं तो आपका सैक्रेटरी दोषी है। सैक्रेटरी ने कैसे कम कर दिया। आपके सैक्रेटरी को कोई अधिकार ही नहीं है, सरकार तो आप हैं। सैक्रेटरी कोई सरकार नहीं होता। All right. If he is....(interruption)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सैक्रेटरी ने अगर अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है तो उसको देख कर जो नियमानुसार कार्यवाही होगी वह कार्यवाही करेंगे। देख लेंगे क्या हुआ है और किन आधार पर हुआ है। अगर सही हुआ है तो कार्यवाही करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, वह अलग बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर सही हुआ है, अगर न्यायसंगत हुआ है तो कोई कार्यवाही की इसमें आवश्यकता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने पहले कहा उस पर कायम रहिये। अगर उसकी कंपीटेंस से बाहर था तो कार्यवाही करेंगे। सरकार नहीं है सैक्रेटरी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 को जनमत जानने के लिए परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी, हमारा एक सवाल और है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइंटेड सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी और बाकी है, बहुत बाकी है। अभी आगे थर्ड रीडिंग आएगी। बहुत बाकी है अभी।

(अस्वीकृत)

विधेयक जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार। श्री भंवरलाल शर्मा। आप खंड-2 पर बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : आबकारी से आपका क्या लेना ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप क्यों झगड़े में पड़ रहे हो, साहब ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं तो आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। मेरे लिये थोड़े ही बोल रहा हूं। आप लोगों के लिए ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज।

श्री शांति कुमार धारीवाल : हमारा इंतजाम तो हम ही कर लेते, आप काहे को झगड़े में पड़ते हो ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है, अब भविष्य में ख्याल रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों का ही कोई लेना-देना नहीं है इससे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह मत कहें कि किसी का लेना-देना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उनका है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप अकेले का ही इंतजाम करेंगे या इधर भी कुछ ध्यान रखेंगे ?

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया है, मेरा नंबर तो देर से आया है लेकिन जितने माननीय सदस्यों ने विचार रखें सबने मेरे संशोधन को ही समर्थन दिया है और वह इसलिए दिया है कि इस क्लॉज में व्यवस्था यह कर दी कि ओर्नर ऑफ द व्हीकल भी इस परिधि में आ जाएगा। जैसे कि रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं। रास्ते में कोई महिला या कोई पुरूष मिल गया कि, साहब मेरी पत्नी बीमार है, इसको जरा हास्पिटल ले चलिये। अत्यन्त संवेदनशील माननीय सदस्य होने के नाते आप यह कह सकते हैं कि बैठ जाइये, आपको अस्पताल छोड़ दूंगा। आपने बैठा लिया उनको और ले आये। आगे नाका आ गया, चुंगी पोस्ट आ गई और वहां पकड़ लिया गया उनको और फिर कोई चीजें निकल गई दो बोतल या कुछ भी निकल गयी तो, आदरणीय सदस्यजी, आपकी क्या दशा होगी ? इस कानून में यह प्रावधान डाल दिया इसलिए भविष्य में कोई भी व्यक्ति अगर किसी से सहानुभूति भी रखेगा तो यह काम नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है, कई बार...

एक माननीय सदस्य : इनकी तलाशी नहीं होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हो जाएगी इसमें तलाशी। वे गाड़ी चलाएंगे तो हो जाएगी, पर्याप्त है।

श्री राजेन्द्र पारीक : दिल्ली के नंबरों वाली जिप्सियां मुक्त हैं इससे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो इनके पास वह नहीं है। ये तो सामान्य व्यक्ति हैं, दिल्ली का क्या लेना-देना इनसे ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई बार वार विडोज हैं, विकलांग हैं, वे अपना गुजारा करने के लिए टैक्सी या कोई गाड़ी, बस ले लेते हैं। वे गाड़ियां चलती रहती हैं, उनके जीविकोपार्जन का साधन होती हैं। यदि किसी ड्राइवर ने जाने-अनजाने में भी अगर यह अपराध किया तो वह व्यक्ति जो उसका मालिक है, वह विकलांग जो इसका मालिक है, वह वार-विडो जो उसकी मालिक है, उसको भी इस परिधि में आप ला देंगे। इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है कि आप गाड़ी को जरूर पकड़िए और उसके मालिक को भी पकड़िए पर मालिक को पकड़ने की शर्त यह है कि यदि यह अपराध उसकी जानकारी में है, उसको योजना से है, उसकी भागीदारी से है तब तो उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिये। इसलिए मैंने जो संशोधन दिया है उसमें यह लिखा है...

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : वह हम नहीं मानेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कल भी आपने यही कहा था। खेतसिंहजी, मैं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आपको यह चुनौती देता हूं, अभी तो आप मंत्री हो, कुछ दिनों का मामला है, फिर आप गाड़ी लेकर चलना, आपको ही इस धारा में नहीं पकड़ा दिया तो आप मुझे कह देना। मैं ही पकड़ा दूंगा आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको हम नहीं पकड़वांगे, आप चिंता मत करो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने इसमें लिखा है...If it is with connivance, consent and in the knowledge, इन तीनों बातों में से अगर कोई है तो निश्चित रूप से उसको परिधि में आना चाहिये वरना नहीं आना चाहिये।

फिर आपने आगे इसमें और कह दिया कि वह यह खुद साबित करे कि मेरी जानकारी में नहीं था। यह बड़ा उलटा कर दिया आपने। यह आप साबित करें कि उसकी जानकारी में था। क्रिमिनल कानून जो है, न्याय प्रक्रिया में यह सिद्धान्त है कि The burden of the proof lies on the prosecution. जो फरियादी है वह प्रूव करे कि मैंने अपराध किया है। आपने कह दिया कि आप साबित कीजिए कि आप अपराधी नहीं हो। पहले तो बिना मेरी जानकारी के मेरी गाड़ी पकड़ ली और अब मैं आपको साबित करूं कि मैं अपराधी नहीं हूं, यह और जोड़ दिया आपने इसमें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि ये दोनों बातें आपने ऐसी कर दीं जो हर व्यक्ति के लिये मुसीबत खड़ी करेंगे।

इसमें आगे व्यवस्था की है, यदि कोई गाड़ी पकड़ी गई, कोई अधिकारी पकड़ लेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें मृत संजीवनी पर तो कोई पाबंदी नहीं है, इतना पूछ लीजिये आप। उसके बाद आपका क्या लेना-देना ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आप पीते हैं इसलिए आपको पता, इनको क्या पता होगा ?

श्री राजेन्द्र पारीक : हम दोनों ही लेते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने इसमें यह लिखा है Where any means of conveyance. आपका अधिकारी गाड़ी पकड़ लेगा उसको या कोई भी अधिकृत व्यक्ति गाड़ी को पकड़ेगा। इमिजिएटली कमिश्नर या जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसको आप अधिकृत करेंगे। अब किसी दूर गांव में गाड़ी पकड़ ली आपने तो उसको वहां भेजने में कितना समय लगेगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अल्टीमेटली या तो क्रिमिनल पुलिस में आएगा या एक्साइज वाला होगा, They have to send the report.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने पुलिस को नहीं किया, मना कर दिया आपने। एक्साइज कमिश्नर या जिला आबकारी अधिकारी जिसको आप अधिकृत करेंगे,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

केवल उनके पास ही उनको जाना पड़ेगा। यह कितना मुश्किल हो जाएगा ? यह भी लिख दिया आपने कि केस बने चाहे न बने, अपराध साबित हो चाहे न हो, उसका प्रोसीक्यूशन हो चाहे न हो आप गाड़ी जब्त करेंगे ही। यह कैसे करेंगे ? माननीय मंत्री महोदय, आप ही तो फरियादी हो, आपका अधिकारी फरियाद करेगा और आप ही जज बन जाओगे, आप ही न्याय करोगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अपील का प्रावधान है कमिश्नर के यहां।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वही डिपाटमैंट हुआ ना ? पोता और बाबा का ही फर्क है। पोते ने पकड़ा और बाबाजी फैसला करेंगे। कोई दुविधा तो है नहीं। जुडिशियल आफिसर को यह दीजिए। शुरू में वह कर ले लेकिन आपने अंतिम अपील भी कमिश्नर को दे दी। मेरा सुझाव है कि इसको डी.जे. को दे दीजिए, ताकि कहीं न्याय तो हो। वरना आपने ही तो पकड़ लिया और कल यह भी हो जाएगा कि...

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : माननीय शर्माजी, यह कमिश्नरी व्यवस्था क्या है ? कमिश्नरी व्यवस्था जहां है वहां पुलिस वालों को जुडीशियल पावर है, वही तो पकड़ते हैं और वही फैसला करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हरिसिंह जी, आप तो एडवोकेट हो, यहां आप मजबूरी में बोल रहे हो। पुलिस तो चालान कर दे और आपके जो पुलिस कमिश्नर है न, डी.जी. है वही फैसला कर दें, कैसा रहेगा ?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : दिल्ली, बाम्बे और बड़ोदरा में है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वहां मर्डर केस सुनता है क्या ? वहां का डी. जी. मर्डर केस सुनता है क्या ? छोटी-मोटी बात छोड़ो। आप ही तो फरियादी आप ही गवाह और आप ही निर्णय करने वाले और उसके बाद कोई अपील भी करे तो वह भी आपको ही करे। These powers should be given to the D.J. डिस्ट्रिक्ट जज को दे दीजिए जो न्याय होना होगा वह हो जाएगा।

फिर आप गाड़ी पर जुर्माना कितना करेंगे ? जितनी गाड़ी की कीमत होगी। 10 साल गाड़ी चल गई तो कौनसी मार्केट रेट तय करोगे उसकी ? कौन तय करेगा ? यह कोई व्यवस्था नहीं की गई। मुकदमा जब तक चलेगा तो उस गाड़ी को कौन छुड़ाएगा ? पैंडिंग इन्क्वायरी, पैंडिंग ट्रायल में गाड़ी पड़ी रहेगी ? सी.आर.पी.सी. की धारा 451 और 452 में इस प्रकार के जो सामान या व्हीकल होते हैं उनके डिस्पोजल की व्यवस्था है। सी.आर.पी.सी. की धारा 451 में टैम्प्रेरी पैंडिंग इन्क्वायरी में आप डिस्पोजल कर सकते हैं और 452 में जब निर्णय हो जाए तब कीजिए। जो मामला चलेगा उसका निर्णय दो-तीन साल तक

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नहीं होता है तो उस गाड़ी की क्या हालत होगी ? उसकी सुरक्षा कौन करेगा ? तीन-चार साल बाद जब मुकदमा निबटेगा तब उसकी मार्केट प्राइज क्या होगी ? वह आप उनसे वसूल करोगे ? इसकी कोई व्यवस्था आपने नहीं की। पैंडिंग इन्क्वायरी है तो उसकी गाड़ी छोड़ो। जमानत दे दो, कुछ भी करो। वह भी व्यवस्था आपने इसमें नहीं की। आपकी मंशा साफ होगी, आप की नीयत कैसी भी होगी लेकिन जो आप कानून लाये हैं, सत्ता पक्ष के जितने भी माननीय सदस्य विराजमान हैं, आप क्या इस बात से सहमत हैं ? वोट पड़े तो आप कुछ भी करना, लेकिन आप इस बात से सहमत हो ? नहीं हो तो फिर बोलते क्यों नहीं हो ? इसमें कोई मत और बहुमत का सवाल नहीं है। हम एक कानून बना रहे हैं, जनहित में कानून बना रहे है।

मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपने न तो इसका टाइम तय किया कि इतने दिन में निबटारा हो जाएगा। जब तक निबटारा नहीं होगा तब तक क्या होगा, प्राइस कैसे लगेगी ? फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आपने अभियुक्त पर डाल दिया, वह साबित करेगा। सामान्य सिद्धान्त है, न्याय के, उनके विपरीत आपने यह सब कर दिया। सी.आर.पी.सी. की धारा 452 और 451 में तो न्यायालय को अधिकार है, वह भी आपने छीन लिया। अब वह धारा 451 और 452 में अपनी गाड़ी नहीं छुड़ा सकेगा। You have reserved the rights of the courts also, जो आप कर नहीं सकते। सी.आर.पी.सी. का प्रोविजन लॉ आफ दी लैण्ड है, उसको आप कैसे स्क्रैप कर सकते हैं ? मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इसको कानूनी दृष्टि से भी देख लीजिए और व्यावहारिक दृष्टि से भी देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि यह बात सही है तो कल जैसे लोगों ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था कि हम तो यही पास करेंगे, आपसे कम से कम यह आशा नहीं है।

मेरा ऐसा खयाल है, विश्वास है और आपसे निवेदन भी है कि जो विसंगतियां इसमें आ गई हैं, इस कानून के पास होने के बाद जो संकट खड़ा होगा उससे इसको बचा लीजिए। मैं मेरा संशोधन इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब तक ओनर की जानकारी में, उसकी मिलीभगत से और उसके षड़यन्त्र से नहीं हो तब तक उसको दोषी नहीं माना जाए और बर्डन आफ प्रूफ उस पर नहीं रखा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में मेरा निवेदन है कि इसमें पहले ही हमने If he has taken the due care. डालकर मालिक को काफी राहत पहुंचाकर उसको सेफ्टी प्रदान की है, प्रोटैक्ट करने की कोशिश की है। अगर उसने ड्यू केयर ली है तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। If it is with conviance, consent and in the knowledge, अगर इन तीनों चीजों को इसमें डाल दें तो इसकी मूल भावना है वह अपने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आप में नष्ट हो जाएगी। मेरा निवेदन सुनिये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कैसे हो जाएगी, यह बताओ, साहब ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपकी बात बड़े धैर्य से सुनी है।

जहां तक मेरा खयाल है, यह इसकी मूल भावना नष्ट कर देगा इसलिये इसे स्वीकार करना मेरे लिये संभव नहीं है।

जहां तक आपने अपील आदि के बारे में कहा, उसको ड्यू अपोर्चुनिटी दी जाएगी, उसको सुना जाएगा। अभी तक जितने केस आये हैं जुडीशियस वे में एक-एक होते देखा है, इसके अन्दर। जुडीशियस वे के अन्दर हुए हैं, संख्या भी बहुत ज्यादा है। आप ताज्जुब करेंगे, जो माल पकड़ा गया, विपक्ष के नेता महोदय, माल भी बहुत बड़ी तादाद के अन्दर है अधिकांश में। अब तो स्कूटरों के अंदर 20-20, 25-25 थैलियां बोरियों में भरकर रखते हैं। बोरियों में जा रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इसके लिये जो कानून बनाया बहुत सोच समझकर बनाया और इसके अच्छे परिणाम हैं। अभी तक इसका कोई किसी किस्म का दुरुपयोग होने की शिकायत किसी भी कोने से नहीं आई है। अगर आएगी, अगर किसी अधिकारी ने उसका दुरुपयोग किया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जो आप कानून बना रहे हैं, अधिकारी बीच में कहां से आ गया ? इसमें जो कानून हैं अधिकारी तो उसकी पालना कर रहा है। अगर उसी ईमानदारी से पालना करेगा इसके अन्दर। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसकी शिकायत नहीं आई है, मैंने यह कहा है। इसके दुरुपयोग की कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह तो शिकायत इसलिए नहीं आती कि कोई सुनने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : साहब, आप छोड़िये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : शिकायत कहां आती है ? आपने कहा आपने बड़ा ध्यान रखा है, तो क्या ध्यान रखा है वह आपने जवाब नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस कानून के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो इन्नोसेंट ओनर है वह कैसे बचेगा, यह बता दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो इन्नोसेंट ओनर है वह बचेगा ही, If he has taken due care. आप मुझे एक बात बता दीजिये, आज बस का मालिक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : रतन लालजी ताम्बी बस के मालिक हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप रतन लालजी को छोड़िये, आप अपने आपको देखिये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये तो बस के मालिक हैं, रतन लालजी बस के मालिक है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज एक प्राइवेट बस जा रही है और उस प्राइवेट बस के अन्दर एक इनडिविजनल कुछ थैलियां लेकर जा रहा है, तो मालिक के ऊपर क्या दोष है ? क्योंकि टिकट खरीदकर वह उसके अन्दर बैठा है उसमें दोष कहां से आ जाएगा ? यह उम्मीद की जाए कि वह कह रहे हैं, सही बात है लोगों ने अब क्या कर रखा है, मालिक को मालूम है ड्राइवरों को दे दी गाड़ी फिक्स किराये के ऊपर चलाते हैं। अब चलाते हैं, ऐसे अवांछनीय तत्वों को गाड़ी सौंप दी है तो भुगतना पड़ेगा। मालिक गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। But he has to pay the fine. आप कहेंगे, कुछ कम्पनियों के अंदर, फाइनेंस कम्पनियों के अंदर गाड़ी की ज्वाइंट ओनरशिप है। ज्वाइंट ओनरशिप है तो जिसके नाम है, खाली बेचने के ऊपर प्रतिबंध है, कोई फाइनेंस कम्पनी वाले को थोड़े ही पकड़कर ला रहे हैं ? ड्यू केयर अगर उसने ली है तो उसको कहीं कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस कानून के जरिये किसी को परेशानी और हरेसमैंट की बात भी नहीं है। (व्यवधान) कोई हुआ हो तो गृह मंत्रीजी बता देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक बात तो सदन के सामने यह स्पष्ट की कि उस वक्त उन्होंने फाइल पर कोई दस्तखत नहीं किये हैं। मैं उनकी बात फेस वैल्यू पर लेता हूं। I have no reason to disbelieve him. लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : I will not touch the issue. आपने जो अमेंडमैंट पेश किया कृपया उसी पर बोलिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं उसी पर बोल रहा हूं मैं उसी पर बोल रहा हूं। यह बड़ा गम्भीर विषय है, मंत्रीजी, उत्तेजित मत होइये। सवा करोड़ का नुकसान गवर्नमैंट

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

को लगा है अनअथोराइज्ड, गवर्नमैंट को कोई पावर नहीं है, लोकायुक्त ने अपनी डिबेट यहां से मंगाई है। This is my personal information. नहीं, नहीं मैं आपकी कम्पलीसिटी नहीं मान रहा हूं, मैं कहीं अलैज नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं, आपने फाइल पर दस्तखत नहीं किये होंगे लेकिन इसके अन्दर बहुत बड़ा बंगलिंग हुआ है। आप कोई इंक्वायरी आर्डर करेंगे इसकी यह कोई मामूली नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : जब तक मैं पत्रावली का स्वयं अध्ययन नहीं कर लूंगा, जब तक मैं अध्ययन नहीं कर लूंगा पत्रावली का.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने 24 तारीख को यह कहा था....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जब सब बात पहले आप कह चुके हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मामला आ गया, सदन के अंदर सवाल कर लिया और अब तक आप जैसे आदमी ने पत्रावली नहीं देखी, मैं समझता हूं, यह नहीं हो सकता। आप तो यह बता दो कि पत्रावली नहीं देखी तो कब तक देख लोगे ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : 24 तारीख को आपने डिबेट में कहा है कि मेरा बिल आएगा बिल पर मैं पूरा जवाब दूंगा। आपके कहने की वजह से ही आज यह चर्चा उठी है वरना सम्भवतः मैं एक ऐसा सदस्य हूं तो इस चर्चा को भी नहीं उठाता। बिल की परिधि से बाहर नहीं जाता मैं। लेकिन, मंत्रीजी, आपने खुद ने ही इस बात को कहा है माननीय किरोड़ी लालजी, राजेन्द्र राठौड़जी के इश्यू पर डिबेट होते वक्त पर कि यह बिल आएगा आर्डिनेंस आएगा, मैं उस वक्त पूरा जवाब दूंगा। और आज आप तैयार नहीं हैं। (व्यवधान) आप इस बात को कमिट करते हैं क्या ? आज तारीख हुई है, दो सिटिंग बाकी हैं। आप मण्डे को स्टेटमैंट देंगे इस इश्यू पर ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई स्टेटमैंट नहीं दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या बात हुई ? इतना सीरियस मैटर है। अगर आपने फाइल पर दस्तखत नहीं किये और आप करप्शन को शील्ड करना चाहते हैं तो आप काहे की परिधि में आएंगे ? आप इस बात पर विचार कीजिये। आपने खुद ने दस्तखत नहीं किये होंगे और एक अधिकारी ने या किसी ने भी अनाधिकृत रूप से दस्तखत किये हैं और राजकोष के ऊपर सवा करोड़ का नुक्सान पहुंचाया है और आप उसको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं तो, मंत्रीजी सन्देह की....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो जवाब दिया उसमें यह बताया कि गवर्नमेंट ने एक करोड़ 43 लाख में से 21 या 22 लाख कर दिये ? (व्यवधान) गवर्नमेंट को पावर्स है क्या ? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : गवर्नमेंट को पावर्स क्यों नहीं है ? गवर्नमेंट के पास में रिप्रजेंटेशन आता है, Sovereign power vests with the Government.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नमेंट में पावर्स नहीं है। एक्ससाइज एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट को पावर्स नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : गवर्नमेंट के अंदर सोवरीन पावर्स वेस्ट करेंगे। It is the Govt. who delegates the powers to the excise Commissioner. जो पावर है, गवर्नमेंट डैलीगेट करती है एक्साइज कमिशनर को। गवर्नमेंट के पास सोवरीन पावर है। एक्साइज कमिश्नर के क्वासी जुडीशियल के अलावा कई निर्णयों को सरकार बदल सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका जो एक्साइज कमिश्नर है उस कमिश्नर की अपील लाई करती है डिवीजनल कमिश्नर को, गवर्नमेंट कहीं भी पिक्चर में नहीं आती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस कानून में जो प्रावधान डाला है....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौनसे कानून में ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह जो इस वक्त कानून मैं बना रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस कानून में नहीं है, मैं तो आपने जो पुराना काम किया उसके बारे में पूछ रहा हूं। आप केवल यह बता दीजिये कि एक्साइज कमिश्नर की अपील केवल डिवीजनल कमिश्नर को होती है, गवर्नमेंट कही पिक्चर में नहीं आती है, यह मैटर गवर्नमेंट के....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर स्टे हुआ। जो टेण्डर फाइनेलाइजेशन कमेटी थी उसके सामने उसने दरख्वास्त दी थी, उस दरख्वास्त के ऊपर उस टेण्डर को रोका गया, नम्बर एक। उसने कहा था कि अगर पैनल्टी होगी तो मैं दूंगा। जब एक्साइज कमिश्नर ने उसकी पैनल्टी की वह गवर्नमेंट के सामने आया और उसने अपनी फरियाद उस....(व्यवधान) टेण्डर फाइनेलाइजेशन कमेटी जो कुछ अधिकारियों की मिलकर बनती है उसके पास आया, उसने कहा कि गवर्नमेंट के लेवल पर मामला एग्जामिन हुआ है, एग्जामिन करने के बाद मैरिट के आधार के ऊपर उस राशि को सरकार ने कम किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, टेण्डर फाइनेलाइजेशन जो कमेटी बनी हुई है उसका यह अधिकार क्षेत्र नहीं आता है कि वो एक्साइज कमिश्नर ने जो शक्ति इम्पोज की है उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय ले ले।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये देखिये, इसमें फर्क इतना है कि Whether it was a penalty or not. एक मिनट सुनिये आप। Because he made a commitment. मेरा आप निवेदन सुन लीजिये, विपक्ष के नेता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

महोदय, उसने यह कहा था कि अगर मेरी बात गलत निकलती है, तो मैं इस घाटे की भरपाई के लिये तैयार रहूंगा। उसकी बात गलत नहीं निकली, वह सजायाफ्ता निकले। उसने यह कहा था कि मेरी बात गलत निकले तो इस घाटे की भरपाई मैं करूंगा। जिसके खिलाफ शिकायत की वह आदमी सजा याफ्ता निकला। जब एक्साइज कमिश्नर ने उसके ऊपर पैनल्टी लगाई तो वह सरकार के पास आ गया कि एक्साइज कमिश्नर....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्साइज कमिश्नर ने जो पैनल्टी इम्पोज की है या जो रुपये उससे वसूल करने का आदेश निकाला, गवर्नमेंट को अपील सुनने का अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार है डिवीजनल कमिश्नर को। यह आप बीच में कहां से आ गये। गवर्नमेंट कहा से आ गयी इसमें ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा इसके ऊपर यह कहना है कि गवर्नमेंट को सोवेरीन पावर है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नमेंट ने अपने पावर डैलीगेट कर दिये। अण्डर दी एक्ट, पावर डैलीगेट कर दिये और डैलीगेट करके डिवीजनल कमिश्नर को फाइनल अथोरिटी बनाया है। यहां गवर्नमेंट कैसे पिक्चर में आयी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपको बार-बार कहा। आप बार बार उस सवाल को पूछ रहे हैं, मैं बार बार उसका उत्तर दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह उत्तर नहीं है तो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं आप कह रहे हैं नहीं है ना। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये, उत्तर नहीं है। इसलिये उत्तर नहीं है....(व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये। 24 तारीख को यह मामला उठाया। उस समय आपने खड़े होकर हाउस में कहा कि इसका जवाब, जिस दिन एक्साइज अमेंडमेंट बिल आ रहा है उस दिन मैं दूंगा। उस समय देना....

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, उस दिन समय हो गया था, मैं उस दिन देता। एक मुद्दा नहीं उठा था हाउस में वह, उस रोज एक्साइज के सम्बन्ध में कई मुद्दे उठे थे और मैंने यह निवेदन किया था कि बिल आ रहा है मैं उसके ऊपर जवाब दूंगा। जितनी मेरी जानकारी थी, टू दी बेस्ट आफ माइ एबिलिटी, मेरी जानकारी के आधार पर जितना मैं जवाब दे सकता था उतना जवाब मैंने इस सदन के मार्फत सभी लोगों को दिया है। यह बात दूसरी है कि आप मेरे उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। फार दैट, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है कि मैं सभी को सन्तुष्ट कर सकूं अपने जवाब से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें संतुष्ट का सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जो एक्साइज कमिश्नर ने आर्डर दिया उस आर्डर को बदलने का एक्ट में अधिकार केवल कमिश्नर को है। गवर्नमेंट कहीं पिक्चर में नहीं आती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ठीक है, आप कह रहे हैं तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, क्या गलत है क्या यह ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कब कह रहा हूं ? देखिये, मैं जो कह रहा हूं, मैंने अपनी बात कह दी। आप उस बात को बार-बार दोहराये जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बार-बार रिपीट नहीं, मैं आपके एक्ट को....

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां तो पढ़कर सुना दें। इसे पढ़कर सुना दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह पढ़कर सुना देता हूं। यह अच्छा काम किया आपने। An appeal shall lie to the Excise Commissioner on any order passed by an Excise Officer under this Act. यह जो नोटिस दिया है एक्साइज कमिश्नर ने, वह इसी एक्ट के अन्तर्गत दिया है और इस एक्ट के अन्तर्गत कोई भी रिवीजन अगर लाई करेगा तो एक्साइज कमिश्नर के यहां जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे निवेदन किया ना कि पहले factual एक कमिटमैंट किया था Neither it was a revenue nor a penalty. न तो वह पैनल्टी थी, न वह रेवेन्यू थी। उसने कहा था कि मेरी बात गलत निकले तो इस पैसे का देनदार मैं हूं। एक आरोप लगाया था उसने दूसरे ठेकेदार के ऊपर जिसके लिये उसने यह कहा कि यह सजायाफ्ता है। अगर मेरी यह बात गलत निकले तो मैं उस घाटे का जिम्मेदार हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, वह सही है, कुछ भी हो। यह जो आर्डर है, वह एक्साइज कमिश्नर का है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह जरूरी है कि हर क्वैरी की रिप्लाई दी जाए ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, यह बात नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और क्या है, इतनी रिप्लाइज दे दीं आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जवाब दे दिया होता तो समझ में आ जाता। (व्यवधान) लेकिन आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं दिया उन्होंने।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, तो आप विराजो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बार-बार कह रहा हूं प्रतिपक्ष के नेता महोदय, It was purely an administrative order. यह शासकीय आदेश था, यह एक्साइज एक्ट के तहत

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। उसने कमिटमेंट दिया था कि अगर मेरी बात गलत निकले तो इतने पैसे भर दूंगा। वह तावबाजी गांव में होती है कि मेरी बात गलत हो तो मैं भरूंगा, वह दे दिया उसने। उसी के हिसाब से उसने कैलकुलेट करके छोड़ दिया था कि तुमने हां की थी। उस प्रशासनिक आदेश के खिलाफ वह सरकार के पास आया।

श्री उपाध्यक्ष : वह हो गया ना। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, इसका मतलब यह है कि एक्साइज कमिश्नर का आर्डर उसके पावर्स के अन्तर्गत नहीं आता था और उसने आर्डर इश्यू कर दिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Apparently it appears. प्राइमा फेसी ऐसा लगता है देखने में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, देखने में क्या लगता है, आप बताओ, आर्डर गलत था या सही था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ना, प्राइमा फेसी लगता ऐसे ही है तभी सरकार ने उसको पलटा। नहीं तो पलटते क्यों ?

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : वित्त मंत्री महोदय, टैक्निकली उसमें ना उलझते हुए सवा करोड़ का जो चूना इस प्रदेश को लग गया उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको कुछ कहना है, और कुछ कहना है आपको ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसी की बात है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : यह सवा करोड़ का घाटा क्यों भुगता ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने पास ऑन कर दिया, उधर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतना पूछना है, एक्साइज कमिश्नर ने जो आर्डर दिया...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, आपको इजाजत दे दी इसका मतलब थोड़े ही है कि सबको इजाजत दे दी ? आप थर्ड स्टेज पर पूछ लेना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय मंत्रीजी बहुत इम्फेटिकली, कैटेगरीकली सदन में बार-बार कह रहे हैं कि मैंने फाइल में कुछ भी नहीं किया। राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक एफ. 4(2)वित्त/आबकारी/99/6 दिनांक 16.9.99 द्वारा उक्त मांग को कम कर 21, 49, 590 किये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं। अब राज्य सरकार क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार में तो मंत्री आता है, राज्य सरकार में दूसरा कोई

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि रिप्लाई हो गया, ऐसे रिप्लाई नहीं हुआ करता, पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब कि आप सचिव से मर्जी आये जैसे करवा लो, जबकि वह आपकी जिम्मेदारी है। आप राज्य सरकार हैं। यह सवा करोड़ की जो कम की है मांग और सवा करोड़ का आपने पब्लिक एक्सचैकर को नुकसान पहुंचाया है वह गवर्नमैंट ने पहुंचाया है और गवर्नमैंट का मतलब आप गवर्नमैंट हैं। आपने फाइल पर साइन नहीं किये होंगे, वरबली कह दिया होगा सैक्रेटरी को, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपने किया कि नहीं किया, अब यह एक जांच का विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये अगर आप उसकी जांच करवा सकें तो अच्छा है। You should come clean before the House and before the people. अदरवाइज संदेह के घेरे में तो आप हैं, आपने बहुत बड़ा नुकसान किया है।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना जांच कराएंगे, कह दिया ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लोकायुक्त ने मंगवा लिया, लोकायुक्त अपने आप देख लेंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लोकायुक्त, किसने कहा ? (व्यवधान) आप तो यह कह रहे हैं कि फाइल लोकायुक्त मंगवा लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, आपने कहा यहां पर। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, सम्मानीय सदस्य ने कहा कि लोकायुक्त ने पत्रावली मंगा ली है। यह कहा है यहां पर। (व्यवधान) जब मुझे कहा कि आप जिम्मेदार हैं, उसके ऊपर मैंने यह कहा है, आपने तो यह बात कही है। मैं बहुत आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन यह कर रहा हूं, लोकायुक्त ने फाइल मंगवा ली तो क्या हाउस में ये उस चीज की जानकारी नहीं ले सकते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने बता दिया ना आपको। इसमें मैंने आपको सारी बात बता दी, कोई चीज छिपाई नहीं। It was an administrative order. एक्साइज कमिश्नर का एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर था, उस आदमी ने कहा था कि मेरा आरोप असत्य निकले तो...

श्री सुरेन्द्र व्यास : कम किसने कहा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : किया ही। आप रूकें जाइये। नो, गवर्नमैंट ने किया, मैं कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गवर्नमैंट तो आप हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां, मिनिस्टर के लेवल पर, (व्यवधान) अभी जानकारी ली है, मिनिस्टिर के लेवल पर डिस्कशन हुआ, सैक्रेटरी लेवल के ऊपर और चन्दन मलजी के उस फाइल के ऊपर दस्तखत हैं, बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : किसके दस्तखत हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : पूर्व, तत्कालीन वित्त मंत्रीजी के।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पूर्व वित्त मंत्री के ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी हां।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I beg to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना पूरा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अभी अमैंडमेंट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी मैंने जानकारी ली है, It was discussed in the presence of the Minister. और इसको उन्होंने अप्रूव किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब छोड़िये वह, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अब कह दिया ना, अब चन्दनमलजी के खिलाफ आपको बोलना ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, अब अमैंडमैंट पर।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं तो विराजो ना आप, अमैंडमैंट क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही बात निवेदन करता हूं, एक मिनट, मंत्रीजी थोड़ा-सा आप बिल की ड्राफ्टिंग के वक्त में मंत्री की हैसियत से ही विचार मत करें, जो प्रभावित पक्षकार हैं, पब्लिक के लोग हैं उनसे पूछें। उसके हिसाब से भी विचार करें आप। कल आप मंत्री नहीं रहेंगे, साधारण नागरिक रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमैंडमैंट क्या हैं, यह बताएं ना आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अमैंडमैंट यह है, सर, ड्यू केयर हटाना चाहता हूं मैं। यह जो लिखा है इन्होंने कि "And he had exercised due care in the prevention of the Commission of such an offence." हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ज्यादा उसको सेफ गार्ड करके कहा कि...(व्यवधान) इतना मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एब्यूज हो सकता है। यह तो आपने पूरी जिम्मेदारी उस पर डाल दी तो he had taken due care. That is going too far. अब इतना अगर आप उस पर बर्डन डालेंगे, भंवरलालजी कह रहे थे कि मैं फंसा सकता हूं, वे नहीं फंसा सकते हैं लेकिन आप उनको जरूर फंसा सकते हैं। किसी के सूटकेस में मान लीजिये 4 बोतलें पड़ी हों और वे आपके मित्र हों और मिलने वाले हों, आप बैठ जाएं, ड्यू केयर है, वह गलत है। आप थोड़ा-सा इस पर विचार करें और इसको आप अगर विदड्रा कर सकें तो वह ज्यादा उचित रहेगा। यह अननैसैसरीली एक बहुत ज्यादा बर्डन उस पर डाल दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-3 में जो संशोधन श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

(16:00 बजे)

श्री प्रद्युम्न सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह (आबकारी मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-8) को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई माननीय सदस्य ? नहीं, नहीं, माननीय सदस्य, फरमाइये।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो।

श्री वृद्धिचन्द जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गैर-सरकारी संकल्प के बारे में जो भी निर्देश दिये गये हैं वे बिलकुल उचित नहीं हैं। मैं लोक सभा का भी सदस्य रहा हूं और लोक सभा में तीन बजे का टाइम होता है तो फिर बाद में सब काम रूक जाता है और फिर गैर सरकारी संकल्प लेते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो टाइम बढ़ा दिया, आपको ध्यान नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : टाइम आगे नहीं होता है। तीन बजे था तो तीन बजे ही...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो हो गया। आप विराजिए। इसको होने दो न, क्यों लेट कर रहे हो आप ? और लेट कर रहे हो आप इसको यह कह कर। विराजिए प्लीज।

श्री वृद्धिचन्द जैन : लेट नहीं, यह गलत परम्परा हो रही है। गलत परम्परा कायम मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टाइम तो तय होना चाहिए। एक बार दिया पूरे सत्र में। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह बात सही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जो बात कह रहे हैं वह बिलकुल सही है लेकिन आप कोई फालो करने के लिए तैयार नहीं हो, प्राब्लम यह है। आप एक-एक घंटा, एक-एक घंटा कहां से लाऊं ? टाइम तो जो है जो है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जीरो आवर, दो बिल नहीं रखने चाहिए थे। आज दो बिल काहे को रखे आपने ? गवर्नमैंट को दो बिल नहीं रखने चाहिए थे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह नियमों में भी है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : जीरो आवर कर्टल करना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह लोक सभा का हवाला दे रहे हैं, लोक सभा का सुनना चाहते हो आप ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : हां, सुन लेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे ?

श्री हीरासिंह चौहान : हां, सुन लेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे ? बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : सुनो। "In exceptional cases, discussion on private members' resolutions may be taken up earlier or later than the scheduled hour on an allotted day." यह लोक सभा का फैसला है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इस बारे में यहां ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : May be taken earlier. उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि as an exceptional case, it may be taken earlier.

श्री उपाध्यक्ष : And later also.

श्री शिवनाथ सिंह : दोनों हैं और सदन की...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : As an exceptional case.

श्री उपाध्यक्ष : एक्सेप्शनल मान लो न इसको आप। एक्सेप्शनल की क्या परिभाषा है ? एक्सेप्शनल यह है कि आप सब मैम्बर बोलना चाहते हो इसलिए टाइम बढ़ा दिया।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : बात यह है कि टाइमिंग पर हम लोग स्ट्रिक्ट करना नहीं चाहते हैं। टाइमिंग स्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं। उसकी वजह से यह हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस ने असैप्ट कर लिया, हाउस की सैंक्शन है, उसके बाद क्या प्राब्लम है ? बोलना भी चाहते हो और टाइम भी नहीं बढ़ाना चाहते तो क्या करें ?

(श्री उपाध्यक्ष)

आपको पूरे दो घण्टे प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर चाहे कोई भी टाइम हो, देंगे। दो घण्टे ही तो लोगे ?

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान एक्साइज अमैंडमैंट बिल के बारे में...(व्यवधान)...माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल को विचारार्थ पेश करते वक्त माननीय मंत्री महोदय ने जो कारण बताये कि किन कारणों से इस प्रकार का बिल लाना जरूरी हुआ और ओर्डिनेंस हम लाये, उन्होंने कहा कि कुछ इस प्रकार की एक्टीविटीज यहां होने लग गयी जिससे शराब...(व्यवधान)...माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यहां जो ठेकेदारी की व्यवस्था है, शराब के ठेके दिये जाते हैं, उस अव्यवस्था के कारण से यह बिल लाना पड़ा। आज जगह-जगह समूह बनाकर ठेकेदारों को ठेका देते हैं। एक ठेकेदार शिकायत करता है कि दूसरे ठेकेदार एरिया में शराब ले जाकर डालते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था के चलते हुए आज राजस्थान में इस प्रकार का एक गिरोह पनप गया, ठेकेदार एक माफिया के रूप में और पैरेलल गवर्नमैंट के रूप में पनप रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, जितनी भी पुलिस फोर्स है वह उनके दबाव में है और किसी की भी कोई शिकायत पुलिस फोर्स सुनने के लिए तैयार नहीं है। नाजायज शराब की बात आप कह रहे हैं लेकिन यह तो उन लोगों को प्रोटेशन है, एक ठेकेदार को प्रोटेक्शन है, दूसरे ठेकेदार को प्रोटेक्शन है। उस एरिया में शराब का आवागमन होता है इसलिए, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ठेकेदारों को प्रोटेक्शन करना चाहिए। आप वह करें लेकिन इंनोसैंट आदमी इसमें फंसेंगे। इस बिल में बहुत सख्त प्रावधान आपने किये हैं कि व्हीकल जब्त होगा और व्हीकल की मार्केट वैल्यू के बराबर जुर्माना हो सकता है। वह भी आप कीजिए लेकिन, माननीय उपाध्यक्षजी, यह कोर्ट्स का जूरिस्डिक्शन आपने बाहर किया है, जबकि कत्ल के बराबर कोई मुकदमा नहीं होता है, कत्ल में भी कोर्ट्स का फैसला माना जाता है। दूसरे जो इस प्रकार के आफेंसेज हैं, आपने इस बिल में ही पहले जो आफेंस था उसको ट्रायल करने की मजिस्ट्रेट को पावर्स थीं। आज उसे कानून की व्यवस्था में आपने बाहर किया है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के कौनसे हालात पैदा हो गये, कहां आपकी जूडीशियरी, कहां आपकी मजिस्ट्रेसी इतनी निकम्मी हो गयी कि वह कोई न्याय नहीं कर सकती और आपका कमिश्नर और जिला आबकारी अधिकारी न्याय करेंगे। आपका विश्वास जूडीशियरी से क्यों उठ गया ? कोई भी कारण अपने नहीं दिया है कि जूडीशियरी से बाहर क्यों किया ? आपने पकड़ने की बात तो कही है लेकिन मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही मेरे ख्याल से

(श्री शिवनाथ सिंह)

किसी बिल में और मिलेगी नहीं। उसके बाद भी आपने सभी ट्रिब्यूनल्स को, कोर्ट्स को बाहर कर दिया। आपने कमिश्नर को आर्डर कर दिया कि एक्साइज कमिश्नर आर्डर करेगा। उसकी अपील कमिश्नर को होगी, लेकिन उसके बाद कोई भी रिट नहीं कर सकता, हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। यह व्यवस्था चलने वाली नहीं है। लोग बाग रिव्यू में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था से लोगों को परेशानी होगी।

आज तो माननीय मंत्री महोदय, आपका आर्डिनैंस है, आर्डिनैंस के बाद इस बिल को पास करना जरूरी है, मैं भी इस बात को मानता हूं कि दूसरी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती लेकिन इसको थोड़े दिन बाद देखिये। आर्डिनैंस से किसी भी रूप से जो इसमें हार्ड प्रोविजन आपने रखे हैं उनको थोड़-सा सरल करने की चेष्टा कीजिए। आज पांच-पांच, सात-सात लाख की गाड़ियां हैं, कहीं गलती से हो गया। किसी प्राइवेट ओनर की गाड़ी है और वह जा रहा है तो उसकी तो पांच-सात लाख की गाड़ी चली गयी। आपका जो कमिश्नर है या डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर है उनको आपने ये पावर्स दिये हैं। यदि आपको पावर्स देना ही है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें लोएस्ट लेवल पर दीजिए ताकि लोग बाग कम में सलट जाएं और अधिक उनके ऊपर भार नहीं पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बिल को तो पास आज करना है...

श्री उपाध्यक्ष : खतम करो न, अब काहे को ? बोलना है जो बोलना है और कोई मतलब तो है नहीं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अभी तक तो एक्साइज कमिश्नर के पास ही ये पावर्स हैं लेकिन इस कानून के अन्दर प्रावधान है कि और भी किसी अधिकारी को जो सर्टेन रैंक्स के नीचे का नहीं होगा, उनको भी डैजिगनेट सरकार कर सकती है। इस बारे में शीघ्र निर्णय लेगी यह सरकार कि किसको डैजिगनेट करना है इस प्रकार के मामले को सुनने के लिए एक्साइज कमिश्नर के अलावा जिससे लोगों को दौड़कर बार-बार उदयपुर नहीं जाना पड़े। इसके बारे में शीघ्र निर्णय लेकर नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, यही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि इसको पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : वह वहां कह देने से फायदा क्या हुआ ? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बताना

(श्री श्रवण कुमार)

चाहता हूं कि यह आपका आबकारी विभाग पहले तो भ्रष्ट था ही, यह पावर देकर आप कमिश्नर और डिवीजनल कमिश्नर और आबकारी अधिकारियों को और ज्यादा भ्रष्ट बनाना चाहते हो। ये अधिकारी आपके बस की बात नहीं रहेंगे। किसी गाड़ी वाले के पास वे पांच लाख रुपये का जुर्माना सुनाएंगे और जुर्माना सुनाते ही वह एक लाख रुपये रिश्वत दे देगा। कमिश्नर उसके पचास हजार रुपये कर देगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सही बात कह रहा हूं कि यह आपका आबकारी विभाग भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है और माननीय मंत्रीजी, इस भ्रष्टाचार के अन्दर आप लिप्तता और बढ़ा रहे हैं। अगर कमिश्नर किसी भी गाड़ी वाले को कहेगा कि पांच लाख रुपया जुर्माना हो गया तो वह डर के मारे उसको एक लाख रुपया धर जाएगा और उसके पचास हजार रुपये हो जाएंगे। इसलिए यह भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। आप गरीबों को मत मारो, आप गरीबों की दलील सुनने के लिए विधान सभा में आये हो, यह गलत, काला कानून पास मत करो, इससे ठेकेदारों को प्रोत्साहन मिलेगा और गरीब के साथ अन्याय हो जाएगा। ठेकेदार किसी का बदला निकालने के लिए उसकी गाड़ी में पांच बोतल शराब की रख देंगे और उसका बदला निकल जाएगा।

इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप जो कानून बना रहे हो इसमें थोड़ा संशोधन करो। इससे किसी गाड़ी वाले के ऊपर अन्याय होगा। यह जो काला कानून आप बना रहे हो, इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पैसा कम किया गया है, सवा करोड़ इससे...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : इससे काला कानून और क्या होगा ? आपका आबकारी विभाग तो वैसे ही भ्रष्ट है और अब आप दूसरा भ्रष्टाचार और बढ़ा रहे हो इनका। आपका कमिश्नर एक लाख रुपया सुनाएगा और अगला डर के मारे पचास हजार रुपये धर दे आएगा, उसके पचास हजार रुपये बच जाएंगे। इससे क्या होगा ? इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सिर्फ एक सैन्टेंस कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आप संशोधन करते नहीं हो और जो आप कानून बना लाये उसको पास कराने में लगे रहे। यही सब पंचायती राज में हुआ, यही आबकारी में हुआ। आप जो कानून बना लेते हो वही पास करा लेते हो। मेरा निवेदन यह है कि हम...(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रस्ताव को पारित करने के लिए हां, ना करवा दी, अब कोई चर्चा...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं करवायी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हम आपसे निवेदन करते हैं कि कानून बनाने से पहले आप जनता की तरफ देखें। ये जनता के नुमाइंदे हैं, यह जो काला इसका कानून बना रहे हैं यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आबकारी विभाग तो स्वतः ही अपने आप में भ्रष्ट है। दो-दो, तीन-तीन, चार-चार लाख तो कमिश्नर जुर्माना करेगा, डिवीजनल कमिश्नर उसकी अपील सुनेगा। यही हालत आपके रेवेन्यू में हुई, कलेक्टर की अपील को आर. ए. ए. सुनने लग गया। हिन्दुस्तान के तख्ते पर आर. ए. ए. से ज्यादा भ्रष्ट कोई अधिकारी नहीं बैठे हैं। आपके कलेक्टर के जो फैसले थे, उनको आर. ए. ए. ने सुना और सारी की सारी रेवेन्यू भूमि पर कब्जे हो गये। रेवेन्यू में हुए, यही हालत आपके आबकारी में होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार को कम करने के लिए यह जो कानून बना रहे हैं, इसमें संशोधन करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2000 को पारित किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि मंत्रीजी ने हाउस को मिसगाइड किया है। वह टेबिल पर रखिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड कम की गयी है वह टेबिल पर रखिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह टेबिल पर रखिये जो डिमाण्ड कम की है। आप अगस्त के बाद रख दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) और मैं निवेदन करना चाहता हूं जो धरोहर राशि, जिन ठेकेदारों की बकाया है, राजस्थान के अन्दर 60 करोड़ से ज्यादा...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास : ×××

विधेयक पर विचार

कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, विधेयक, 2000

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, कृषि विश्वविद्यालय पर बोलिये। और कोई बात नहीं। कृषि विश्वविद्यालय पर बोलना हो तो बोलो।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस चीज की तकलीफ है इस सदन के अन्दर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और कुछ नहीं, आप कृषि विश्वविद्यालय पर बोलना चाहते हो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन के अन्दर हम जनता से अधिकार लेकर आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, पहले जवाब देना आप। कृषि विश्वविद्यालय पर बोल रहे हो, किस पर बोल रहे हो ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जनता हमें इसलिए चुनकर भेजती है कि हम इस सदन में आकर जन कल्याण के लिए बात करें और इसके साथ-साथ सरकारी धन का अगर कहीं दुरुपयोग हो रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात। आप मेहरबानी करके कृषि विश्वविद्यालय पर बोलिए। मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं। यह रिकार्ड नहीं होगा। अब दूसरा सब्जैक्ट टेक-अप हो गया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टेंड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दूसरे सब्जैक्ट पर बोल लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों आप। बोलना है तो उस पर बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : करोड़ों रुपये का घोटाला करने वाले लोगों को संरक्षण मिला है आज।

श्री उपाध्यक्ष : Doesn't matter, आप बोलो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : 300 करोड़ का घोटाला...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 300 करोड़ का घोटाला करने वाले लोगों को संरक्षण मिला है, उपाध्यक्ष महोदय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2000 सरकार लेकर आयी है, इसको कह सकते हैं कि बोतल तो नई है परन्तु शराब पुरानी है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1961 में उदयपुर में विश्वविद्यालय खुला और उस विश्वविद्यालय के अन्दर एक कृषि संकाय भी खुला। उस विश्वविद्यालय के अन्दर एक कृषि संकाय भी था। सरकार ने राजस्थान के अन्दर कृषि की आधुनिक तकनीक राजस्थान का किसान समझे...

श्री उपाध्यक्ष : समय का थोड़ा ध्यान रखना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस उद्देश्य को लेकर बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि इस सरकार को थोथी वाहवाही लेने की आदत पड़ गयी, पारदर्शिता के नाम पर इस सरकार के आर-पार क्या चीजें दिख रही हैं, इसका नजारा तो थोड़ी देर पहले आपने सदन में देखा, इन्होंने घोषणा कर दी कि उदयपुर के अन्दर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होगा। हिन्दुस्तान के अन्दर जहां भी कोई विश्वविद्यालय स्थापित हो उसके निश्चित मापदण्ड हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने निश्चित मापदण्ड तय कर रखे हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए उसका अलग से परिसर होना चाहिए, उस विश्वविद्यालय के अन्दर मल्टी फैकल्टीज होनी चाहिए, उस विश्वविद्यालय के अन्दर विश्वविद्यालय का एक एक्ट बना हुआ है उस एक्ट के तहत सारी की सारी मैनेजमैंट बॉडी से लेकर सारी कार्यवाही होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक को लेकर सरकार आयी है और जिस तरह का कृषि विश्वविद्यालय यह सरकार बनाना चाहती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय के पास न तो अपना कोई परिसर है। उसी पुराने उदयपुर विश्वविद्यालय में जिसको कभी हमने उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम पर, कभी सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नाम पर बांटने का काम किया, उसी विश्वविद्यालय परिसर के उसी पुराने किसी संकाय के अन्दर इस विश्वविद्यालय को सरकार स्थापित करना चाहती है।

सरकार कितनी गम्भीर है ? इस अधिनियम के साथ वित्तीय ज्ञापन लगा रखा है इसमें विश्वविद्यालय के लिए 1999-2000 में मात्र 25 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। अब 25 लाख रुपये का जहां वित्तीय प्रावधान 1999-2000 में सरकार करती है तो सरकार किस तरह का विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, यह मेरे समझ के बाहर की बात है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके सैक्शन-11 के अन्दर इन्होंने प्रबन्ध बोर्ड जो सर्वोच्च संस्था है, जो विश्वविद्यालय को संचालित करेगी, उसका गठन करने का प्रावधान रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बोर्ड में कुलपति, शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिव पशुपालन और उसके अलावा कृषि और पशुपालन, चिकित्सा, विज्ञान क्षेत्र के सरकार द्वारा निदेशित दो वैज्ञानिक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पूरा देख लें, यू लगता है कि जो सरकार स्वायत्तता की बात करती है, यह प्रबन्ध बोर्ड के गठन का प्रावधान सैक्शन-11 में है, इस तरह का अगर यह गठित हो गया तो इसके अन्दर स्वायत्तता कहीं दिखेगी नहीं। यह लगेगा कि विश्वविद्यालय के पूरे मैनेजमैंट का सरकारीकरण हो गया है। इसमें न तो निर्वाचित शिक्षक प्रतिनिधियों का प्रावधान है, न निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रावधान है। अतः, उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता तो पहले ही समाप्त कर दी। यह पहली सरकार है जिसने विश्वविद्यालय के कुलपति को इसके लिए बाध्य किया कि कुलपति आकर

(16:16 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

सरकार के सामने घुटने टेककर एक एम. ओ. यू. पर दस्तख्त करे। एम. ओ. यू. पर यह दस्तख्त करवा लिये इस सरकार ने कि छात्रों की फीस दस गुना बढ़ाएंगे, छात्रावास का शुल्क बढ़ाएंगे, नई भर्ती नहीं करेंगे। नई भर्ती करें, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना परन्तु फैसला कुलपति के स्तर पर होना चाहिए। जिस संस्था में एक भावी नागरिक का निर्माण हम करते हैं, हम कहते हैं कि एक स्वायत्त संस्था होगी, कुलपति उस संस्था को संचालित करेंगे, उस संस्था के अन्दर एम. ओ. यू. के नाम पर इस सरकार ने जितनी दखलदांजी की है, उसका आज तक कोई सानी नहीं रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आनन-फानन में जिस उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का सपना सरकार देख रही है, वह सपना साकार नहीं होगा।

बिना कैम्पस के, बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के और बिना कुछ बजट प्रावधान के एक विश्वविद्यालय के टुकड़े करके इसमें जो वित्तीय ज्ञापन अटैच किया है उसमें मात्र 25 लाख रुपये का प्रावधान था पिछले वर्ष यह सरकार क्या करना चाहती है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृषि मंत्रीजी, आप किसान के दर्द को समझते हैं, इसलिए आपको मालूम है कि हिन्दुस्तान के अन्दर नित नई तकनीक आ रही है। कृषि के क्षेत्र में इस नित नई तकनीक से राजस्थान के किसानों को लाभ मिले, इसके लिए बहुत आवश्यकता है कि हम कृषि के क्षेत्र में इस तरह के विषय को लेकर आवें, ताकि हमारे आज के छात्र जो कल आधुनिक किसान बनें, उनको ज्ञान मिले। परन्तु आप यह अधूरी बात कर रहे हैं। आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं हैं। मैं समझता हूं आपको दुबारा विचार करना चाहिये।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। उदयपुर के अन्दर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो, उदयपुर के अन्दर सुखाड़िया जी के नाम पर विश्वविद्यालय हो सकता है, लेकिन सभापति महोदय, आज राजस्थान का इतिहास गौरवान्वित इस बात से है कि राजस्थान की धरती पर महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर पैदा हुए थे जिन्होंने इस हिन्दुस्तान के अन्दर वह लड़ाई लड़ी। कर्नल टॉड जैसे इतिहासकार ने कहा था कि राणा प्रताप ने अपने जीवन में जो इतिहास रचा वह इतिहास शायद दुबारा इस हिन्दुस्तान की धरती पर नहीं हो। त्याग, तपस्या और स्वतन्त्रता के पहले सेनानी थे। आज उनके नाम से अगर विश्वविद्यालय का नामकरण कर दें मंत्री महोदय, तो मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समझूंगा, आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरणा लेगी। इसलिए अधिक समय नहीं लेते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप कई सूबों में मंत्री रहे हैं, आपके पास लम्बा अनुभव है, आप वास्तव में अगर यह कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं तो आपके बजट में प्रावधान नहीं, आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो मापदण्ड हैं उनको आप पूरा नहीं करते हो आप इस पूरे विश्वविद्यालय के नाम पर खिलवाड़ मत करो। खिलवाड़ मत करो आप। एक विश्वविद्यालय के टुकड़े करके आप जो सपना देखने का काम कर रहे हो, कृपया इसको नहीं करें और इस पूरे विधेयक को वापस ले लें। इसको कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाएं। दुबारा बैठकर सारी चीजें हो जाएं, अलग से कैम्पस हो जाए और इस विश्वविद्यालय के साथ महाराणा प्रताप का नाम लग जाए, तब लेकर आओ तो मैं समझूंगा, उचित होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सांवर लाल। (अनुपस्थित), डा. किरोड़ी लाल। (अनुपस्थित), श्री धर्मपालजी चौधरी। (अनुपस्थित), श्री मदन दिलावर। (अनुपस्थित), श्री हीरासिंहजी चौहान। (अनुपस्थित), श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए तो सरकार को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, मैंने उस समय भी दिया था, कि आपने उदयपुर के लिए नया कृषि विश्वविद्यालय फिर से खोलने की घोषणा की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं कह रहा हूं न। यह कृषि विश्वविद्यालय खुल नहीं रहा है...(व्यवधान)...इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्योंकि उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय तो पहले से ही था। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में प्रारम्भ से जब से सुखाड़ियाजी ने इसे प्रारम्भ किया, तब से लेकर 1987 तक यह उदयपुर में काम करता रहा। इसका सारा कैम्पस और जो कुछ भी डवलपमैंट है वह सब उदयपुर में था। लेकिन यह उदयपुर का दुर्भाग्य है कि 1987 में इसको बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा। उस समय यदि एक नया कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में खोलते तो किसी को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन पता नहीं किन कारणों से आपने बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय बनाकर इस उदयपुर के सारे कैम्पस को भी उसके साथ जोड़ा जबकि वहां वेटरिनरी और बाकी एक-दो ब्रांचों के अलावा और कोई ब्रांच नहीं थी, सारी ब्रांचें उदयपुर में स्थापित थीं। बहुत लम्बे समय से विश्वविद्यालय चल रहा था, उसकी अपनी गतिविधियां थीं। लेकिन उसके बाद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने जो गलती 1987 में की थी, उसको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वापस सुधार लिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जब से यह कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर से गया था तब से लेकर निरन्तर वहां की जन भावनाओं में बराबर मांग चल रही थी। मैं आपको याद दिलाता हूं कि 28 जुलाई के दिन जब उस समय की सरकार के वित्त मंत्रीजी ने अपने एप्रोप्रिएशन बिल के समय जवाब दिया था उस समय भी इस बात को उन्होंने मेन्शन किया था। तो एक तरह से जन भावना की जो मांग थी वह निरन्तर उस समय से चलती रही। मैं उसका एक पोर्शन पढ़ता हूं। यह नहीं है कि आपने कोई आज ही विचार प्रारम्भ कर दिया। आपने लॉ की यूनिवर्सिटी खोली, 28 जुलाई, 1998 का जवाब था उसमें ये दोनों बातें हैं। जोधपुर, उदयपुर विश्वविद्यालय तथा संघटक महाविद्यालयों के द्वारा विधि अध्ययन की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है, वहीं 15 राजकीय एवं 6 निजी महाविद्यालयों द्वारा भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। लेकिन विधि अध्ययन विकास के उद्देश्य से सरकार जोधपुर शहर में एक विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार रखती है। इस उद्देश्य से इस वित्तीय वर्ष में एक करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। यह उनका जो एप्रोप्रिएशन बिल पर जो जवाब था वह मैं कोट कर रहा हूं जो मैंने उसमें से निकाला है।

मान्यवर, प्रदेश के कृषि अनुसंधान और विकास को ध्यान में रखते हुए जहां 1962 में उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी थी, कुछ वर्षों बाद उदयपुर की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय को सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालय में परिवर्तन कर दिया गया और 1987 में बीकानेर में अलग से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कर उदयपुर विश्वविद्यालय का कृषि संकाय भी बीकानेर विश्वविद्यालय को स्थानांतरित कर दिया। लेकिन उदयपुर की जनता द्वारा स्वतन्त्र कृषि विश्वविद्यालय की मांग निरन्तर बनी रही। इस मांग को ध्यान में रख कर सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया जा रहा है। इसकी अनुशंसा के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इस मद में चालू वित्त वर्ष में एक करोड़ रुपये का प्रावधान है। मैं इसलिए आपको थोड़-सा इससे आगे पढ़ रहा हूं, मैंने वह रैफरेंस क्यों दिया, इसके पीछे मैं आपको बता रहा हूं। यह जो आपका फाइनेंशल मैमोरेंडम आपने दिया है इसको थोड़ा इस रैफरेंस में पढ़िये तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप केवल मात्र अभी घोषणा घोषणा में ही हैं, वास्तविकता के धरातल पर अभी नहीं उतरें हैं। मैं पढ़ रहा हूं, आप इसे पढ़ें :–

"The establishment of the University shall involve expenditure out of the consolidated funds of the State in a phased manner. Overall expenditure for establishment of the University is

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

estimated to Rs. 6268.05 lacs. Out of which Rs. 3606.85 lacs will be needed for establishing the new University and Rs. 2661.20 lacs for removing deficiencies caused to Rajasthan Agricultural University, Bikaner by creation of the new University at Udaipur. At present, a provision for a sum of Rs. 25.00 lacs has been made during the Financial Year 1999-2000. Provision of remaining funds will be considered in subsequent years in a phased manner."

इससे यह है कि आपने वाह-वाही बहुत लूटी। लोगों ने आपको धन्यवाद भी बहुत दिया। शायद उससे आप दब गये होंगे और आपको लगा होगा कि हमने बहुत बड़ा कीर्तिमान मार लिया, लेकिन मात्र 25 लाख रुपये का पिछले वर्ष के बजट में आपने प्रोविजन रखा है। कागजों में हम दो विश्वविद्यालयों के रूप में जरूर बन गये हैं लेकिन उस दृष्टि से हमको जो आगे बढ़ना चाहिए था वह हम नहीं बढ़ पाये। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष के बजट में प्राथमिकता देते हुए आप निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उदयपुर विश्वविद्यालय की जो फैकल्टीज हैं वे वहां पहले से ही काफी विकसित हैं, उनकी थोड़ी-सी मदद के बाद से वे निश्चित रूप से और आगे बढ़ सकती हैं। कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अपनी जगह काम करे। दोनों का जो जोग्राफिकली वातावरण है उसमें बहुत बड़ा फर्क है, दोनों के जो क्रॉप पैटर्न हैं उनमें भी फर्क है, उनकी सोइल में भी फर्क है, सब प्रकार का फर्क है।

मैं यह सोचता हूं कि आज राजस्थान के पास और तो कोई बहुत बड़ा आधार बचा नहीं, हमारे पास अगर कोई आधार है तो एग्रीकल्चर है या थोड़ा बहुत ट्यूरिज्म है। इण्डस्ट्री की दृष्टि से राजस्थान ने कोई बहुत अधिक तरक्की नहीं की। इसलिए हमारा यह एक फील्ड है, अगर हम इस पर अपनी दृष्टि से अधिक ध्यान दें तो निश्चित रूप से राजस्थान के किसान की आमदनी बढ़ सकती है, उसकी खेती में विस्तार हो सकता है और उसका और उसके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। इसके कारण से प्रारम्भ से हम इस बात को कह रहे थे कि इसका एक विश्वविद्यालय हो कोई जरूरी नहीं है। ऐसे इस देश में कई राज्य हैं जिनमें एक के बजाय चार-चार कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे यहां भी दो कृषि विश्वविद्यालय हों।

मैं इस को जनमत जानने के लिए भेजने की जो बात कह रहा हूं उसके पीछे मैं सोचता हूं कि शायद जनमत जानने को भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि मंत्री महोदय मेरी बात को थोड़ा-सा गौर करेंगे। इस एक्ट में कोई तरमीम करने वाली बात नहीं क्योंकि यह तो पहले से जो एक्ट है उसके आधार पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बना हुआ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें दो-तीन चीजें जो मैं जोड़ना चाहता हूं उसको आप थोड़-सा ध्यान करें।

एक तो यह है कि उदयपुर का जो भी गौरव हैं वह निश्चित रूप से महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। वहां का कण-कण और उसकी एक-एक रज-रज को उस महापुरुष ने अपने पैरों के तले घूमते हुए उस समय अपने जीवन को जीया और आजादी की लड़ाई लड़ी। ऐसे महापुरुष के नाम पर हो। जब उस विश्वविद्यालय का नाम रखा, हमने तो उस समय भी मांग की थी और उससे पहले भी जब यह विश्वविद्यालय नहीं बना था तब भी उदयपुर के लोगों की यह बराबर मांग थी कि उदयपुर में जब भी कोई विश्वविद्यालय बने तो उसका नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय के नाम पर जरूर हो। वह शायद संभव नहीं हो सका। वह सुखाड़ियाजी के नाम से है उससे हमें कोई एतराज नहीं। उस व्यक्ति का भी अपना योगदान है राजस्थान के विकास में, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व था उनके नाम के साथ उसको जोड़ा। हमें कोई एतराज नहीं हो सकता लेकिन आज एक अवसर फिर आ गया। आज एक अवसर आ गया कि नया विश्वविद्यालय बन रहा है, कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर के स्थान पर मेरी तरफ से आपको आग्रह है, मैं यह चाहता हूं कि इसका नाम महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय हो। मुझे अब एक और शब्द इसमें जोड़ना पड़ रहा है, वैसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको स्वयं कर लेना चाहिए था, वह है प्रायोगिक। मतलब टैक्निकल दृष्टि से हम इस कॉलेज में अगर इस शब्द को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से सारे विश्वविद्यालय में इस प्रकार की भावना है।

अगर हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे जाएं और केवल कृषि विश्वविद्यालय की डिग्री लेकर, ये जो हमारे टैक्निकल कॉलेज हैं, चाहे वो सी. टी. आई. हो, चाहे और हो, उनके बच्चे जब अपनी डिग्री लेकर देश के विभिन्न कोनों में जाएंगे तो डिग्री देखकर हरेक को यह लगेगा कि यह कृषि विश्वविद्यालय से आया है इसलिए इस कृषि विश्वविद्यालय के नाम के साथ मैंने आपको आग्रह किया है प्रायोगिक, हिन्दी का शब्द है 'प्रौद्योगिक' शब्द इसके साथ जोड़ दिया जाए। केवल नाम में परिवर्तन है, एक शब्द जोड़ना है और मैं सोचता हूं कि इस पर आप ज्यादा ध्यान देकर इस शब्द को जोड़ेंगे। देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके साथ यह जुड़ा हुआ है। जैसे जी. बी. पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंत नगर, इसी तरह से शेरे कश्मीर कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, इसी तरह से कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, इसी प्रकार से चन्द्र आजाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के साथ शब्द जुड़ा हुआ है। सबके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हमारे इसके साथ भी हम इस शब्द को जोड़ देंगे तो हमारे बच्चे, देश के विभिन्न भागों में जब जाएंगे तो उनको निश्चित रूप से रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि इसमें बहुत बड़ी दुविधा वाली बात नहीं है। हमारे यहां आलरेडी टैक्निकल कालेज चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कालेज हैं, सी.टी.आई. वहां है। कृषि विषय भी वहां चल रहा है और भविष्य में कुछ बनेगा। इस विश्वविद्यालय के साथ यह नाम जोड़ने से विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ेगा और बच्चे भी जब उसकी डिग्री लेकर जाएंगा तो उसे देश के विभिन्न स्थानों पर ठीक प्रकार का रेस्पांस मिलेगा। मेरे इस अमैंडमैंट के आधार पर तो करेंगे नहीं, आप अपनी तरफ से इसको जोड़ लें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

इसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहता हूं उदयपुर का कृषि विश्वविद्यालय आप बना रहे हैं इसमें जो आपने एरिया तय किया है मैंने इस एरिया को बढ़ाया है। जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन उस क्षेत्र की है, सारे स्थानों को अगर जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर उन स्थानों को भी और उस क्षेत्र के किसानों को भी उस विश्वविद्यालय से पूरा लाभ मिलेगा। सिरोही इसमें है, उदयपुर के पांचों जिले इसमें हैं और कोटा डिवीजन के चारों जिले भी इसमें हैं।

इसके अतिरिक्त मैं चाहता हूं कि आप जालौर और पाली इन दो को जोड़कर अजमेर को भी इसके साथ जोड़ें। भीलवाड़ा पहले से ही जुड़ा हुआ है। इन जिलों को मिलाकर इसका क्षेत्र अगर आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता को लाभ होगा। जालौर में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए बीकानेर जाना बहुत दूर पड़ेगा। उदयपुर से सिरोही साथ लगा हुआ है, पाली बिलकुल लगा हुआ है। मुश्किल से 100-125 किलोमीटर है, एक-दूसरे की सीमाएं टकराती हैं। अगर आप इस क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। उस क्षेत्र का क्राप पैटर्न भी लगभग समान है। मैं चाहता हूं कि जालौर में जिस प्रकार...

श्री सभापति : मंत्रीजी को मैं निवेदन करूंगा कि आप टोंक पर भी विचार कर लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा अगर वास्तव में टोंक को भी इसके साथ जोड़ा जाए। कारण क्या है कि आखिर राजस्थान के... (व्यवधान)

श्री सभापति : डिवीजन की बात आ रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बहुत जिले हैं हमारा किसी से कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति : आपने सुना नहीं किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार का हमारा क्राप पैटर्न है, अगर आप चाहें तो आपके एक्सपर्ट से दिखा लें। जहां समान क्राप पैटर्न हो, जहां खेती का तरीका समान हो, जहां रिसर्च वर्क्स एक्स्ट्रा होते हों, रिसर्च वर्क्स

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के आधार पर नयी क्राप का प्रयास करें। ऐसी कंडीशन जहां मिलती है उन क्षेत्रों को अगर उदयपुर के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय को भी ताकत मिलेगी और वहां के विद्यार्थियों का भी इस बारे में हौसला बुलन्द होगा।

इसमें खण्डवाइज जब विचार होगा उस पर मैं बोलूंगा लेकिन मैं आपसे फिर एक बार विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, कृषि मंत्रीजी। आपने नये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की उसके लिए उस समय भी मैंने बधाई दी और आज भी मैं आपको बधाई देता हूं अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की जनता की ओर से। आग्रह केवल दो ही बातों पर करता हूं, चूंकि नया विश्वविद्यालय बन रहा है इसके साथ महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के नाम को जोड़ लें। महाराणा प्रताप को तो इसका पता भी नहीं होगा कि मेरे नाम को भी किसी ने जोड़ा होगा लेकिन हम लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। आगे आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है वह निश्चित रूप से उस महापुरूष के साथ जुड़कर कार्य करने की सीख लेकर आगे बढ़ेगी। जब तक आप यह अमैंडमैंट लेकर नहीं आएंगे हमारे कहने का कोई अर्थ नहीं रहेगा और केवल बोलने के लिए बोलने वालों में से हमारी आदत नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से पुनः कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का वहां का क्राप पैटर्न है उस क्राप पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नक्शे पर जहां पर आपकी लाइन गिरती हो वहां आप लाइन डालें। इसके आधार पर अगर इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाएं तो निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय का अपना गौरव बढ़ेगा।

श्री सभापति : श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)। (अनुपस्थित) श्री ज्ञानदेव आहूजा। (अनुपस्थित) श्री केसाराम चौधरी।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, मेरा नाम था।

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा था, आप थे नहीं। आप विराज जाएं। पहले ये बोल लें। जो बोलने वाले हैं उनको उत्सुक रहना चाहिए।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस बिल के ऊपर आकर्षित करना चाह रहा हूं। कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर जो खोला गया इसको अगर आप पाली जिले में करते तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती। माननीय मंत्री महोदय, जब उदयपुर में इस विश्वविद्यालय को खोल दिया...(व्यवधान) हां, खारची में अच्छी व्यवस्था होती क्योंकि जंक्शन है, सभी लोगों को आने-जाने में सुविधा रहती। पूरे राजस्थान का सेन्टर

(श्री केसाराम चौधरी)

पाइंट है। मगर जब आपने उदयपुर में इस विश्वविद्यालय को खोल दिया है तो मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2000 रहता तो अच्छा रहता। एक प्रतिभावान व्यक्ति जो देश में ख्याति प्राप्त है उदयपुर ज्यादातर महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाने वाला शहर हैं, वहां महाराणा प्रताप के ऊपर इस विश्वविद्यालय का नाम करना चाहिए ताकि नाम से ही राजस्थान का विश्वविद्यालय जाना जा सके।

इस बिल के अन्दर पेज 6 पर "विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए व्यक्तिगत आचरण" इस प्रकार का जो शब्द लिखा गया है इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी वहां भर्ती होगा उसके व्यक्तिगत आचरण की क्या व्यवस्था होगी ? उसमें सुधार करना चाहिए। इसके साथ आपने पेज-7 में लिखा है–"उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों और अन्य प्रवर्गों" इसमें ओ. बी.सी. को भी जोड़ना चाहिए ताकि ओ. बी.सी. वाले विद्यार्थियों को प्रवेश में रिजर्वेशन मिल सके। इसके बाद इसके पेज-11 पर प्रबन्धन बोर्ड के गठन में लिखा है "राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य"। इसके स्थान पर दो सदस्य रखने चाहिए, दो सदस्यों में से एक सदस्य विधान सभा के पक्ष का और दूसरा सदस्य प्रति-पक्ष का रहना चाहिए। पैरा-8 पर लिखा है इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता से सरकारी दो सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रगतिशील किसान"। यह प्रगतिशील किसान एक सदस्य नहीं, प्रगतिशील किसान दो सदस्य करना चाहिए। उसमें 32 जिलों से एक-एक सदस्य को लेना चाहिए, मतलब बारी-बारी से लेना चाहिए। उसको जिलेवार रोटेड करना चाहिए ताकि उसकी सदस्यता का अलग-अलग जिले से वापस नम्बर आ सके।

इसी तरह पेज-12 पर है कि "बोर्ड की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों से होगी परन्तु यदि बोर्ड की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी जाती है तो कार्य करने के लिए बुलायी गयी अगली बैठक में कोई गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।" गणपूर्ति आवश्यक होनी चाहिए, नहीं तो जो मर्जी हो फैसला उस बैठक में लिया जा सकता है। इसलिए "गणपूर्ति नहीं" के स्थान पर आवश्यक गणपूर्ति पूरी होने पर ही बैठक को मान्यता देनी चाहिए। इतना ही मैं मेरी तरफ से निवेदन करूंगा कि विधेयक में सुधार करना चाहिए। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा था। माननीय सदस्य, एक मिनट। आपके

(श्री सभापति)

पांच सदस्य अनुपस्थित थे। आपकी तरह दूसरे सदस्य भी इस बात के लिए कहेंगे। केवल आप ही बोलेंगे।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। (व्यवधान) मैं आपकी भूमिका निभा लूंगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1991 में एक प्राइवेट बिल लाया गया था। अजमेर के लोगों की बहुत बड़ी इच्छा थी कि अजमेर में जो विश्वविद्यालय खोला जा रहा है उसका नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती रखा जाए। मैं तत्कालीन हाउस के सारे सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात की जबर्दस्त पैरवी की और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने हमे आश्वासन दिया था और मैंने प्राइवेट बिल विथड्रा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं आश्वासन देता हूं कि यू. जी. सी. से इसकी इजाजत लेकर इसका नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। मैं इस समय पूर्व सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अजमेर का नाम महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती से जुड़ा हुआ होने के कारण काफी विख्यात रहा है और सभी जगह इसकी प्रशंसा की जाएगी।

उदयपुर में हम कृषि विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं। उदयपुर तो पूरा क्षेत्र ही मेवाड़ वीरों की धरती रहा है और महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। मैं, माननीय सभापति जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब हम राजस्थान के लोग कहीं भी जाते हैं, दक्षिण भारत में या अन्य राज्यों में जाते हैं तो हमें कहते हैं कि वीरों की धरती से आए हो आप। कई जगह हमें इस प्रकार का सुनने को मिला, हमको बड़ा गर्व हुआ। महाराणा प्रताप तत्कालीन परिस्थितियों में एक ही ऐसा हिन्दुत्व का वह रहा था जिसने पूरे हिन्दुस्तान में अपना एक प्रभुत्व स्थापित किया था। ऐसे महान् पुरूष के पीछे, बहादुर और ऐतिहासिक पुरूष के पीछे इस विश्वविद्यालय का नाम जोड़ा जाना बहुत आवश्यक है।

मैं बहुत ही कम बोलूंगा। मेरा एक निवेदन है कि जिस समय उदयपुर से बीकानेर ट्रांसफर किया गया विश्वविद्यालय, उस समय उदयपुर के कर्मचारियों को भी बीकानेर में लगाया गया था। रहने वाले सभी इस तरफ के थे। अब जब यह विश्वविद्यालय खुल ही रहा है तो मेरा, माननीय कृषि मंत्रीजी, आपसे निवेदन है कि जो पहले उदयपुर से ट्रांसफर करके बीकानेर लगाये गये थे उन सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को उदयपुर में वापस लगाइये ताकि उनका परिवार ठीक ढंग से रह सके क्योंकि दूर-दराज जाने में उनको काफी समस्या होती है।

मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कृषि मंत्रीजी कि इस विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय

(श्री हीरासिंह चौहान)

रखा जाए। जो आपने गत वर्ष इसकी ग्रांट दी है, बड़ी हंसी आती है। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थापित किया और उसकी राशि क्या दी ? पच्चीस लाख रुपये। आज उसका कैम्पस नहीं है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए कमी आ रही है। इस साल के बजट में आपने राशि बढ़ाई होगी तो सभी प्रकार की सुन्दर व्यवस्था करके इस विश्वविद्यालय को ठीक ढंग से संचालित करें।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री तैय्यब हुसैन (कृषि मंत्री) : माननीय सभापतिजी, कटारियाजी से ही अर्ज कर देता हूं। जो जनमत वाली बात कही है इसमें आर्टिकल-213...

श्री त्रिलोक पूर्बिया : मेरा नाम भी है।

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है। होता तो खुद पुकार लेता।

श्री तैय्यब हुसैन : दी कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया...(व्यवधान)...सब सैक्शन 2 (ए) :– "An ordinance .... shall be laid before the Legislative Assembly of the State, or where there is a Legislative Council, before the both Houses, and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from the reassembly of Legislature... " यानि अगर इसको जनमत को भेजने की बात हो या पब्लिक ओपीनियन लेने की हो तो इसका मतलब है, अब तक जो भी कोशिश की गयी है वह लैप्स हो जाएगी क्योंकि 3 मई को छह हफ्ते पूरे हो रहे हैं। माननीय सदस्य कटारियाजी अगर आप चाहते हैं भेजना तो बोलिये। आप चाहते हैं कि जो कोशिश हुई है उसको बैकलाग पर धरकर रख दिया जाए तो आप कहें कि जो जनमत की बात आपने कही....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारे चाहने से अगर आप मानते हो तो अभी कहें और आप मानने वाले तो हो नहीं। हमें मालूम है।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं जवाब दे रहा हूं। जब आप महामंत्री थे पार्टी के तो आपने 26 फरवरी, 1992 में शेखावत साहब को खत लिखा था कि यह होना चाहिए। मुझे खुशी होती, जो बात आज आपने कही है महाराणा प्रतापजी की उसमें कोई दो राय नहीं है कि महान हस्ती हैं, तारीख का हिस्सा हैं लेकिन उस वक्त आपको नहीं ध्यान आया कि इसको आप अपने खत में लिख दें। यह आपका खत है। मैं तो अर्ज कर रहा हूं मुझे खुशी होती। पोजिशन यह है कि जब आदमी शुरू में कोई बात कहता है तो उस वक्त भी कहनी चाहिए थी यह बात। मुझे खुशी होती। आज पोलिटिकल बात कहने के लिए और सिर्फ कहने के लिए आप यह बात कह रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : महाराणा प्रताप राजस्थान में सबसे महान विद्वान हुए हैं इसलिए यह राजनीति की बात नहीं है।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अटरू से आने वाले सदस्य, यह आपकी समझ से बाहर की बात है। माननीय बड़ी सादड़ी वालों से बात हो जाने दीजिए।

श्री मदन दिलावर : महाराणा प्रताप को इस देश का बच्चा-बच्चा समझता है, मैं क्या। इस देश का बच्चा-बच्चा समझता है, मैं क्या। आपके बस की बात नहीं है, आप राजस्थान के नहीं हैं। इस देश का बच्चा-बच्चा समझता है।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय अटरू से आने वाले सदस्य, आपकी समझ से बाहर की बात है यह, इसलिए यह हो जाने दीजिए। यह सीरियस सब्जैक्ट है।

मैं यह अर्ज कर रहा हूं, 1987 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीकानेर बनी। उस वक्त किन हालात में बनी। कैसे बनी लेकिन तकरीबन यह है कि उसके फौरन बाद से और खास तौर से 1992 से उदयपुर के लोगों की जन भावनाएं रही हैं कि यह यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। इसमें बहुत-सी पत्रावलियां हैं, बहुत-सी खतो-कितावत हुई है। आई.सी.ए.आर. से भी हुई और उस समय की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी हुई। उन्होंने कहा कि हम एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए आई.सी.ए.आर. से मदद दे सकते हैं, दूसरी से नहीं दे सकती। इस तरह की बात रही, उसके बाद यह मामला चलता रहा। जुलाई, 1998 में जब एग्रीकल्चर डिमांड की बहस चल रही थी तो माननीय तत्कालीन हायर एजुकेशन के मिनिस्टर साहब ने भी इंटरवीन किया कि हां, हम करेंगे, यह कहते हैं। उस वक्त के कृषि सचिव श्री एम.एल. मेहता साहब, उन्होंने भी खतो-कितावत की और उन्होंने 27 जुलाई को इस तरह के खतूत लिखे 1992 में। लेकिन उनके खतो-कितावत तक ही बात रही और इसके बाद सारी खोखली बात रही।

उसके बाद माननीय तत्कालीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने 28.7 को जिसके लिए माननीय सदस्य रैफर कर रहे थे, कहा कि हां, इसको करना चाहिए। एक कमेटी बनी जिसके खुद माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर.

(16.48 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तत्कालीन चीफ मिनिस्टर साहब उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद हमारी तरफ से जब उनके बयान सारे हो लिये, जवाब हो लिया तो हमारे उस वक्त के चीफ व्हिप साहब जो आज चीफ व्हिप हैं, इन्होंने भी कहा कि यह तो बिलकुल इस तरह का एलान निकला कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। यह रिकार्ड की बात है। माननीय हैं नहीं रामस्वरूप जी, उन्होंने भी शुबहा किया था, लक्ष्मण सिंहजी ने भी उस वक्त यह बात कही थी, शक्तावत साहब ने भी कही थी। तो सिवाय खोखली बातों के कोर्ट अमली काम नहीं हुआ। जो आपने फरमाया कि एक करोड़ की बात कही गयी, वह कागज भी महदूद है। कहीं कोई प्रोविजन नहीं किया गया किसी तरह का भी। सिर्फ कागज पर रही। मैंने भी बहुत दूरबीन से लगाकर

(श्री तैय्यब हुसैन)

सारे कागज ढूंढे कि कहीं वह एक करोड़ का जिक्र मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कागज ही लाया हूं।

श्री तैय्यब हुसैन : मैं भी कागज की ही बात कर रहा हूं। माननीय सदस्य, मैं बिलकुल कागजों की बात कर रहा हूं। इधर-उधर की बात करने की मुझे आदत नहीं है। मैं तो जो सीधी बात है, टू पुट द रिकार्ड स्ट्रेट वे बातें आपसे अर्ज कर रहा हूं।

जहां तक यह एक्ट हम लाये हैं, यह आर्डिनेंस था, आई. सी. ए. आर. का यह तमाम हिन्दुस्तान के लिए माडल एक्ट है, उसको करीब-करीब हमने इसमें लिया है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें मैनेजमेंट में यह होना चाहिए, यह होना चाहिए। उसकी बात नहीं है। जहां तक यह कहा गया है कि एस.सी., एस.टी. का है, खुद अगर आप आगे पढ़ें उसमें लिखा हुआ है, the State Government can notify from time to time. खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, वे उसे आगे पढ़ लें कि उसमें लिखा हुआ है, State Government can notify it.

इसी तरह से इसमें जो स्टूडेंट की बात कही वह इस तरह से है कि जो अच्छे तालिबे में दाखिल हों, इनिमिकल हों, टू दी यूनिवर्सिटी। उसमें वर्ड इनीमिकल है। ये सब चीजें हैं जो आपके सामने कहीं। इसमें जहां तक यूनिवर्सिटी के जूरिस्डिक्शन का ताल्लुक है वह बिलकुल एक्सपर्ट्स की... (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं अर्ज तो कर दूंगा, जरा सुन लीजिए। उसमें जो आम तरीका रहा है, यूनिवर्सिटी के स्टाफ को, सबको आप्शन दिया जाएगा, स्टेट्यूट में भी बात आ जाएगी। सारी चीजें एक्ट में नहीं आएंगी, स्टेट्यूट के लिए भी कुछ चीजें आप छोड़ेंगे। इसी तरह से जो टैरिटोरियल जूरिस्डिक्शन रखा गया है...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो कर दिया परन्तु राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, अधिनियम, 1987 में किसी बात के होते हुए कृषि विश्वविद्यालय और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कर्मचारियों के इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर अपनी सेवाएं एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय को अंतरित करने के लिए विकल्प देने का अवसर दिया जाएगा, आपने मैंशन किया है।

श्री तैय्यब हुसैन : कहा है, मैं तो खुद ही अर्ज कर रहा हूं। रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य की यह बात थी। यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट्स जो रखे गये हैं वे बाकायदा जोन के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से रखे गये हैं। यह सारा बारिश का वर्णन है मेरे पास, जहां 650 से 1000 मिलीमीटर बारिश होती है वह उदयपुर में रखा गया है। बाकी में 160 से 500 और 520 से 690 तक के हैं तो यह बाकायदा

(श्री तैय्यब हुसैन)

एक्सपर्ट्स की राय लेकर सब कुछ किया गया है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, मान लीजिये, किसी फसल पर रिसर्च बीकानेर में पोसीबल है तो वह वहां की जाए, उदयपुर में है तो वहां की जाए। बजाय इसके कि उसको हम डबल कर दें। यानी बाइफरकेशन कर दें और उसका नतीजा रिसर्च वगैरह का कुछ ना निकले। इस तरह की सारी बात हमने कर दी है। इसमें जहां तक कही गई नाम वाली बात कि नाम यह हो जाए....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज की कार्यसूची तक।

श्री हरिसिंह : बढ़ा देंगे। प्राइवेट मैम्बर्स बिल तो आना है आज।

श्री उपाध्यक्ष : प्राइवेट मैम्बर बिल तो दो घंटे, दो घंटे बाद यह चलेगा नहीं। आज की कार्य सूची क्या होती है ?

श्री हरिसिंह : उसके तो दो घंटे फिक्स हैं, वह तो आना ही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जितना भी समय लगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं।

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री तैय्यब हुसैन : "Agriculture" includes the basic and applied sciences of, :–

Soil and water management ; crop improvement and production; herticulture, i.e. fruits, vegetables, floriculture, spices and medicienal plants; veterinary science etc. fisheries; forestry,.....; engineering and technology;......" सैक्शन 2 सब सैक्शन 7 और इसी तरह से सारे के सारे जितने भी कवर हैं, अब ये 14 आइटम हैं, हरेक का आप नाम रखेंगे तो यह कैसे होगा ? एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी का मतलब है कि सब चीजें उसमें आ गई। और कोई ऐसी बात की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आब्जेक्ट्स में है। सैक्शन 5 में, वह भी क्लीयर है। ये सारी चीजें बिलकुल मुकम्मिल और सही तौर पर हैं, इसमें कुछ करने की...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसमें टैक्नोलोजी शब्द साथ में जोड़ लें एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलोजी तो जाकर इसका सही रूप बनेगा। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय, मैं अर्ज कर रहा हूं, 14 फैकल्टीज हैं तो 14 फैकल्टीज का नाम रखा जाएगा क्या ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसके अन्दर है। (व्यवधान) टैक्नोलोजी के अन्दर सब आ जाते हैं। यह एग्रीकल्चर ही....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कटारिया जी साहब, आपका अभी और आगे है ना। उसमें बोल लेना।

श्री तैय्यब हुसैन : जहां तक नाम वाली बात है, मैं यह समझता हूं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। महाराणा प्रताप का हिन्दुस्तान में अहम मकाम है, उन्होंने अपने उसूल और उसके लिए सारी बातें कहीं। मुझे इस बात को कहते हुए फर्क है, जैसा आपको सबको मालुम है कि हसन खां मेवात राणासांगा के साथ पानीपत के मकाम पर लड़े। बलवन ने मेवात के ऊपर जुल्म किये। दिल्ली से इतने नजदीक होते हुए भी हम लोग आज तक पिछड़े हुए हैं, इसी बात से कि हमने उस राज को कभी कबूल नहीं किया।

इस तरह की सारी चीजें हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है और जब भी कोई मौका आएगा तो ऐसी बात नहीं है, महाराणा प्रताप किसी के नाम के मोहताज नहीं हैं, वह इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि हिन्दुस्तान में उनका एक मकाम है। अपने उसूल के खातिर सारी उम्र जंगल में रहे और जिस तरह की परेशानी झेली, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इसमें सम्मिलित कर लो न उनका नाम। माननीय मंत्रीजी, मैं तो आपका कायल हो गया। (व्यवधान) महाराणा प्रताप के बारे में आपके विचार देख कर। आप खड़े होकर कह दो, मैं इस विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ स्वीकार किया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार

खण्ड-2 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3, गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं अपनी बात पहले ही कह चुका, फिर आग्रहपूर्वक कह रहा हूं कि महाराणा प्रताप के कार्यों से और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आपने जो बात कही है इसको जद्दो-जहद में मत डालिये। कारण क्या है कि यही अवसर आते हैं कि एक नया विश्वविद्यालय बना। अगर यह नया विश्वविद्यालय नहीं बनता तो शायद हम भी आपके सामने यह बात आज नहीं रखते। लेकिन बना है, यह समय है, इस समय पर हम इसमें यह संशोधन करके महाराणा प्रताप का नाम इस खण्ड में जोड़ सकते हैं। यह मेरा आपसे आग्रह है। इसमें कोई जिद की बात नहीं है।

मैं समझता हूं आप चाहें तो अपनी पार्टी में फिर से विचार कर लें, बातचीत कर लें। कोई मेरा आग्रह नहीं है पर मेरा आपसे निवेदन है कि ये ही अवसर होते हैं जब किसी महापुरूष के साथ उसका नाम जुड़ता है और सम्पूर्ण देश में हमारी एक पहचान और ख्याति बनती है। महाराणा प्रताप को उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया उससे हम कुछ ले सकते हों और अगर हमारी लेने की मानसिकता हो तो हम निश्चित रूप से लें। मैंने रख दिया इसलिए इसमें एडामेंट होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से लेकर आ जाओ, हम तो उसका भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

लेकिन आप निश्चित रूप से इसके साथ महाराणा प्रताप का नाम जोड़ें और टैक्नोलोजी इसके साथ जोड़ें, मेरा आग्रह है। हमारे बच्चों की डिग्री को देश के बाकी जगह के लोग यह समझेंगे कि कोई खेती-बाड़ी से आया होगा। जैसा देश के बाकी विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ा हुआ है, यह अवसर है जब हम यह शब्द जोड़ेगें तो जुड़ जाएगा, नहीं तो बाद में शायद इसको जोड़ने के लिए भी हमको बहुत परेशानी आएगी। इसलिए आप इस पर निश्चित रूप से विचार करें, यही मेरा संशोधन है।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं तकरीबन सारी बातों का जवाब दे चुका हूं, जो नाम के बारे में है मैं समझता हूं जो माननीय सदस्य की भावना हैं मेरी भी वही हैं, मैं कोई उन भावनाओं से अलग नहीं हूं। इसके बारे में मुनासिब मौके पर जब आएगा तब उस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड तीन में जो संशोधन श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

काहे को टाइम खराब करते हो ?

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4, श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : खण्ड चार में भी वही बात है। मैंने कहा है कि आप बूंदी के बाद में जालौर, पाली और अजमेर इनको जोड़ें। बात मैंने उठा ली उसके कारण से शायद आपको ठीक नहीं लग रही हो। ये जो क्षेत्र हैं ये उदयपुर से बिलकुल जुड़े हुए हैं....(व्यवधान)...उदयपुर की जलवायु से जुड़े हुए हैं, हमारा फसल पैटर्न लगभग एक सा है। उसके कारण से इतनी दूरी बढ़ाकर, उस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से उस यूनिवर्सिटी को आप जितना स्ट्रेन्थन करेंगे, मुश्किल से 107 किलोमीटर पर पाली आ जाता है। जालौर है, मैं सोचता हूं कि जैसा आप ठीक समझें, निश्चित रूप से इन स्थानों, इन जिलों को इसमें जोड़ें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : खण्ड-1 पर मेरा भी संशोधन था। आपने मेरा नाम काल नहीं किया, मैं इन्तजार कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड-1 आएगा जब ना।

(17:00 बजे)

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

खण्ड-5 से 10 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-5 से 10 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 से 10 स्वीकार किये गये।

खण्ड-11 श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-11 में प्रबन्ध बोर्ड और उसका गठन, उसमें आपने कुलपति, शासन सचिव और सारे लोगों को जोड़ा है जिसकी आपने एक सूची दे रखी है दस तक। इसमें दो जगह परिवर्तन करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं। एक तो यह है कि हमेशा विश्वविद्यालय में अध्यापकों में से निर्वाचित दो अध्यापक आपके इस प्रबंध बोर्ड में रहते थे शिक्षा के और उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। अगर अध्यापकों का प्रतिनिधित्व आपके इस बोर्ड में रहेगा तो निश्चित रूप से उनके सुझावों से विश्वविद्यालय को लाभ होगा और विश्वविद्यालय में जो कार्यरत अध्यापक हैं उनका भी ठीक प्रकार से उनमें प्रतिनिधित्व हो सकेगा।

इसी प्रकार से मैंने एक और सुझाव इसमें अपनी तरफ से जोड़ा है कि दो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व भी उनके अन्दर हो। निर्वाचन के आधार पर दो प्रतिनिधि होने चाहिये। सारे सरकारी अधिकारियों की जो आपने एक पूरी फेहरिस्त रखी है, उसके साथ ही अगर ये लोग भी सम्मिलित होंगे तो जब कभी भी विश्व-विद्यालय के बारे में विचार होगा, विषय आएगा, चर्चा होगी तो इन लोगों का भी उसमें योगदान रहेगा। विश्वविद्यालय की यह सुप्रीम बाडी है इस में निश्चित रूप से ठीक प्रकार से निर्णय हो सकेगा, मेरा यह आग्रह है।

दूसरा मैं यह कह रहा हूं कि यह आपने 6 पर राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला एक सदस्य रखा है। यह हमेशा दो सदस्य होता था, पहली बार आपने एक सदस्य किया है। नहीं, पहले हमेशा विश्वविद्यालय में दो होते थे। दो होते हैं, आप फिर पता कर लीजिये। हमेशा विश्वविद्यालय में दो हमारे यहां के अध्यक्षजी के द्वारा...

श्री उपाध्यक्ष : बीकानेर में कितने हैं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बीकानेर में, अपने उदयपुर विश्वविद्यालय में, बाकी विश्वविद्यालय में हमेशा पहले दो रहते थे।

श्री उपाध्यक्ष : बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, इनसे पूछ रहा हूं कि दो हैं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दो हैं। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, बीकानेर में भी देख लें आप, दो होते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : एग्जामिन करवा लीजिये इसको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दो हैं, आप फिर दिखवा लें। आप। बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में देख लें...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कह दिया ना। मैं आपकी ही मदद कर रहा हूं।

श्री तैय्यब हुसैन : मेरा खयाल है कि जो फरमा रहे हैं वह भी सही है। इसलिए कि जो दूसरे एम.एल.ए. वहां हैं वे एज ए रिप्रजेंटेटिव आफ दी फार्मर्स हैं नाट एज एन एम.एल.ए.। एम.एल.ए. सिर्फ एक ही है। नहीं-नहीं पहले हमेशा ही एम.एल.ए. एक ही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप वैरीफाई कर लेना।

श्री तैय्यब हुसैन : नहीं, मैंने मालूम कर लिया। अभी पता कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री हरजीराम बुरड़क : खुद रहा हुआ हूं मैं। यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट में दो एम.एल.ए. होते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दो हैं, आप इसको दिखवा लें। सारे विश्वविद्यालय में हमारे यहां के जो स्पीकार साहब हैं, वे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपने दो प्रतिनिधि एम. एल. एज. में से भेजते हैं।

श्री तैय्यब हुसैन : यह रहा, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे One Member of the Legislative Assembly is nominated by the Speaker. यह जो आर.ए.यू. का एक्ट है 1987 का, उस समय यह प्रोविजन है। पता नहीं यह दो का कहां से वहम हो गया ? मैं अर्ज कर रहा हूं कि असल में पहले जो दो मैम्बर रहे हैं, एक एज.ए.फार्मर और एक इस तरह से। यह है बात, उसको कन्फ्यूज कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। (व्यवधान) आप बिराजो ना।

श्री श्रवण कुमार : एम.एल.एज. से घृणा हो गयी आप लोगों को। कह दिया ना...

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा होता नहीं। विराजो ...(व्यवधान) आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार : एम.एल.ए. को तो आप कहीं टच करना ही नहीं चाहते हो। केवल एक नाम ही करना चाहते हो कि यह आपका जल्दी से हो जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बाकी विश्वविद्यालय में दो हैं। मेरा जो ध्यान है उदयपुर विश्वविद्यालय में भी...

श्री तैय्यब हुसैन : मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर की बात पर कहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अगर इसमें दो जोड़ लें तो कौनसी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी ? मेरा सुझाव है, आप मानें या न मानें, यह आपकी इच्छा पर है...

श्री उपाध्यक्ष : हां, ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा आग्रह है इन दो बातों के ऊपर। एक तो जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, इनके निर्वाचित दो कोई से भी मैम्बर और विद्यार्थियों में से भी दो मैम्बर इस बोर्ड में रहें, यह मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो दे दिया ना जवाब।

श्री तैय्यब हुसैन : हां, दे तो दिया।

श्री उपाध्यक्ष : एक ही होगा। आपने कह दिया, बात खतम हो गयी।

श्री तैय्यब हुसैन : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-11 में जो संशोधन श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-11 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-11 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड-12 से 22 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 से 22 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-12 से 22 स्वीकार किये गये।

खण्ड-23 श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : खण्ड-23 में जो अधिकारी हैं इसमें सातवां है छात्र कल्याण अधिकारी, आज दिन तक कभी इसका नाम नहीं रहा। यह निदेशक, छात्र कल्याण के नाम से जाना जाता है। शायद लिखने में कहीं हमारी भूल हुई है।

श्री तैय्यब हुसैन : भूल नहीं हुई, ठीक लिखा है। (व्यवधान) खूब सुन रहा हूं, पूरे ध्यान से सुनता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे हिसाब से निदेशक, छात्र कल्याण इस शब्द को किया जाए।

श्री तैय्यब हुसैन : नहीं, इसमें कोई बात है नहीं। हमने जो लिखा है इसे सोच-समझकर ही लिखा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-23 में जो संशोधन श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-23 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-23 स्वीकार किया गया।

खण्ड-24 से 51, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-24 से 51 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-24 से 51 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि...

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ यही प्रस्ताव था कि इस विश्वविद्यालय द्वारा जो डिग्रियां दी जाती हैं उसमें अगर तकनीकी शब्द नहीं जुड़ेगा तो राजस्थान के बाहर जो लोग डिग्रिया लेकर जाएंगे उनको बड़ी कठिनाई आयेगी। जैसा मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं उस हिसाब से मेरे को यह उम्मीद नहीं है कि ये किसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी यह ड्यूटी समझ रहा हूं कि जो सही बात है वह हाउस के सामने रखूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विश्वविद्यालय की जो डिग्री दी जा रही है उसमें बी.ई. (माइनिंग), बी.ई. (इलैक्ट्रिकल),

(श्री हरजीराम बुरड़क)

बी.ई. (मैकेनिकल) है। अब मैकेनिकल, माइनिंग या इलैक्ट्रिकल की डिग्री लेकर कोई छात्र राजस्थान से बाहर जाएगा, उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही शब्द होगा तो उस डिग्री का महत्व अपने आप ही कम हो जाएगा।

इसलिए मेरा यह निवेदन था कि इसके साथ में टैक्निकल शब्द जरूर जोड़ना चाहिये। यह जिद की बात नहीं है, दूसरे प्रान्तों में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में टैक्निकल शब्द जुड़ा हुआ है। जे.बी. पंत यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एंड टैक्नोलोजी, पंत नगर, कश्मीर यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्निकल, श्रीनगर। उड़ीसा यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्निकल, भुवनेश्वर। नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्निकल फैजाबाद, यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलोजी, कानपुर। इसमें न तो आपको कोई खर्चा करना पड़ता है न आपको यूनिवर्सिटी में इसकी कोई अलग से व्यवस्था करनी है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक नाम जोड़ना है।

आप यह कहें कि जयपुर यूनिवर्सिटी में नहीं है, अजमेर में नहीं है तो मेरा इसमें निवेदन यह है कि जो जनरल यूनिवर्सिटी हैं उनमें कहीं जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें चाहे कोई डिग्री हो। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के पीछे जुड़ा हुआ नाम है, एग्रीकल्चर। स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के लिये यह यूनिवर्सिटी है, अगर इसमें यह टैक्निकल नाम नहीं जुड़ेगा तो, इस यूनिवर्सिटी से जो लाभ आप छात्रों को देना चाहते हैं वह लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। बाहर जाकर ऊपर कोई डिग्री दिखाए तो यह डिग्री वैसे ही लगेगी जैसे कि कोई फर्जी डिग्री हो या यूं ही कोई कोर्स करा दिया हो।

इसलिए इसमें आपको जिद नहीं करनी चाहिये और इस नाम को जोड़ने की घोषणा करनी चाहिये। इसमें ना तो आपको अलग से कुछ खर्च करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, नाम में केवल टैक्निकल जोड़ना है। दूसरों ने जोड़ रखा है, आपकी इसमें क्या जिद है ? आप कहेंगे कि बीकानेर में नहीं है तो बीकानेर में जोड़ दें, हम आपको कब मना कर रहे हैं ? एग्रीकल्चर है इसलिए इसमें टैक्निकल जोड़ना जरूरी है। जनरल यूनिवर्सिटी चाहे वह पी.जी. की डिग्री देती हो, उसके लिये जोड़ना जरूरी नहीं है।

इसलिए आप कृपया इस बहस को ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाएं। अब ज्यादा संशोधन इसी पाइंट पर आएंगे इसलिए आप कृपा करके हां भर लें। तीन स्टेट के आप मंत्री रहे हैं, तीन स्टेटों का आपको जो अनुभव है उसका भी राजस्थान को फायदा मिल जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह रावत।

श्री श्रवण कुमार : जो हमारे मंत्री महोदय हैं वे चार स्टेटों के मंत्री रहे हुए हैं, हिमाचल भी पहले साथ था। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप बड़े सीजंड हो,

(श्री श्रवण कुमार)

आप बड़े मंत्री रहे हो, हम लोगों को क्या हां, ना करवाने के लिए बैठा रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, और क्या करना है ?

श्री श्रवण कुमार : हमारी बात सुना करें।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या कर सकते हो आप ?

श्री श्रवण कुमार : जैसे अभी आपसे हरजीरामजी ने कहा, यह बात आज ही नहीं, कल पंचायत का आपने घोटाला कर डाला, आबकारी घोटाला, आप हमारी बात को कुछ ध्यान में तो रखें।

श्री उपाध्यक्ष : सुन रहे हैं ना।

श्री श्रवण कुमार : हम एम.एल.एज. की कुछ गरिमाएं होती हैं। मंत्री बनना ही कोई भगवान की कोटि नहीं है, एम.एल.ए. की भी कुछ गरिमा होती है। एम.एल.ए. से ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं, एम.एल.ए. से ही अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, हमारी गरिमा को भी रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री श्रवण कुमार : अगर हां और ना के लिये बैठा रखा है तो...(व्यवधान) यह क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री श्रवण कुमार : आप लोगों ने हां-ना के लिये...(व्यवधान) हम इस बात के लिए नहीं हैं, मैं यह कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप हां कह दो ना... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हां-ना करवाने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप हां कह दो ना... (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, प्लीज विराजें।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हां विराज जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया विराजें, श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि हमारे सम्मानीय बुरड़क साहब ने यह कहा कि उनको उम्मीद नहीं है फिर भी वे अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री महोदय सदाशयता के साथ-साथ में राजस्थान के और उदयपुर संभाग के जो विद्यार्थी हैं उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करेंगे और निश्चित रूप से हमारी बात मानेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि रिपीटीशन है, लेकिन जैसे कि एक कहावत है– Keep repeating a lie, it will be accepted as truth. मैं तो ट्रूथ को रिपीट कर रहा हूं

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

इसलिए निश्चित रूप से इसका असर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जैसा कि सर्वविदित है, चार कालेजज हैं। कालेज आफ एग्रीकल्चर, कालेज ऑफ होम साइंस, कालेज आफ डेयरी एण्ड फूड साइंस और कालेज आफ टैक्नोलोजी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इसमें से जो टैक्नोलोजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है इसमें चार सब्जेक्ट्स हैं– माइनिंग, इलैक्ट्रिक, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर जिनके डिग्री प्रोग्राम यहां पढ़ाये जाते हैं। इसके साथ-साथ कालेज आफ डेयरी एण्ड फूड साइंस में दो डिग्री के सब्जैक्ट्स हैं जिसमें कि बी.टैक डेयरी टैक्नोलोजी और बी.टैक फूड टैक्नोलोजी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां का कोई भी विद्यार्थी बाहर डिग्री लेकर जाएगा उसके ऊपर लिखा रहेगा उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डिग्री। उसने डिग्री ली है हकीकत में माइनिंग की या उसने डिग्री ली है इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल या एग्रीकल्चर की। इस विषय पर निश्चित रूप से वह बहुत ही डिसएडवाटेजि यस पोजिशन में रहेगा। यह उसके भविष्य के लिये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को हम डिसएडवाटेजियस पोजिशन पर रखें तो आप विचार कर लीजिये। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय कभी भी उदयपुर संभाग के या राजस्थान के स्टूडेंट्स को इस प्रकार से पिछड़ने नहीं देंगे। यह उनके भविष्य का सवाल है, यह उनके जीवन का सवाल है इसलिए इस विषय पर गंभीरता से विचार करें।

यह नहीं है कि ऐसा कहीं और नहीं है, बुरड़क साहब ने जो कहा उसको मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी, पंतनगर में उसके साथ में एग्रीकल्चर और टैक्नोलोजी है, शेरे-कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और टैक्नोलोजी, श्रीनगर में है। इसी प्रकार से उड़ीसा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और टैक्नोलोजी भुवनेश्वर के अंदर है जबकि नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलोजी फैजाबाद में है और पांचवीं सी.एस.ए. यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलोजी कानपुर के अंदर है। जब देश के अंदर पांच इस प्रकार की एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलोजी यूनिवर्सिटी हो सकती हैं तो क्या राजस्थान के अंदर इस प्रकार की छठी यूनिसवर्सिटी नहीं हो सकती है ?

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कल्याणकारी सरकार के अंदर हमारे कृषि मंत्रीजी who has got tonnes of experiences जो कि मेरे ख्याल से देश में ऐसे एक ही एग्जाम्पल होंगे कि तीन राज्यों में आप बहुत महत्त्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। इसलिए आपके अपने रूतबे के अनुसार, अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप और हमारी इस सरकार की कार्य प्रणाली के अनुरूप आपसे पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि आप कृपा करके इस चीज को सुधारेंगे। अगर नहीं सुधारेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य में जो

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

अपॉर्चुनिटी है उनके ऊपर तुषारापात होगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप इस चीज को स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजें। गुलाब चन्दजी कटारिया, आप बोलेंगे इस पर ? आपका इसमें संशोधन है, इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बात तो वही है, पहले कह दिया ना।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को सुन रहा था। इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको उद्धृत करके बताया, पंतनगर की यूनिवर्सिटी गोविन्द वल्लभ पंत के नाम से है जो देश के अंदर एग्रीकल्चर में एक हस्ती रहे थे। उसी प्रकार से श्रीनगर की यूनिवर्सिटी शेरे-कश्मीर के नाम पर है, निश्चित रूप से वे भी वहां की एक हस्ती थे। नरेन्द्र देव यूनिवर्सिटी फैजाबाद में आचार्य नरेन्द्र देव के नाम पर है। आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि महाराणा प्रताप हमारे देश के एक बहुत ही बड़े नेता थे जिन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया हमारे देश के लिये। मेवाड़ तो उन्हीं के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ के तो वे आदर्श रहे ही हैं, वे पूरे देश के भी आदर्श हैं। इसलिए आप कृपया महाराणा प्रताप का नाम भी उसमें शामिल करें तो हम उसके लिये आभार व्यक्त करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी। माननीय मंत्रीजी।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही सारी बातें अर्ज कर चुका हूं और उसमें अब रिपीटिशन से कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूं कि मैंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष : यह टैक्निकल शब्द जोड़ने में आपको क्या आपत्ति है ?

श्री तैय्यब हुसैन : नहीं, वह आपत्ति की बात नहीं है। यह एक माडल एक्ट है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसके लिये आप जिद क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें कोई दिक्कत हो, कोई आर्थिक भार पड़ता हो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Let him answer.

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसमें आपका क्या नुकसान हो जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब देने दो ना उनको। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : टैक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : 14 फैकल्टी हैं... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह तो आपके ही पास रहेगा। इसलिए आपको सूचना... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपको नुकसान क्या हो रहा है, आप यह बताएं टैक्निकल कर देने में ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें आप नुकसान बताओ, हमको संतुष्ट करो। (व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : यह माडल एक्ट है इसके तहत ही इसको रूप दिया गया है। (व्यवधान) जो गवर्नमैंट आफ इंडिया का माडल एक्ट है उसके तहत ही इसको बनाया गया है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पांच जो और यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर क्यों बनाया गया है ? (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय यह बताएं कि व्हाट आर यू लूजिंग ? (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : कृषि मंत्री जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि यह गवर्नमैंट आफ इंडिया का है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट। मंत्री महोदय ने अभी कहा, उससे पहले भी कहा कि गवर्नमैंट आफ इंडिया का जो एक्ट है उसमें नहीं है तो फिर उसी पर चलो, यहां पास कराने की कहां जरूरत है ? माननीय मंत्री महोदय, थोड़ा सोचकर बोलो, यह क्या तरीका हुआ ? आपने बीच में और कहा कि उसमें नहीं है, अगर उसमें नहीं है तो आप उसी से चलाओ फिर। अगर उसी को मानना है तो यहां लेकर ही क्यों आये इसको ? फालतू बात नहीं करनी चाहिये, आपको थोड़ा सोचना चाहिये। यह क्या चीज हुई ? आप कहें हम उसी में हाथ खड़े करें ? क्यों करें, हम नहीं करेंगे। यह क्या तरीका हुआ ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह कैसे होगा, What is the reason ? हमें बताइये आप What are you losing? आपको क्या नुकसान होता है ? क्या स्टेट के ऊपर एक भी पैसे का असर पड़ता है ? किस कारण से ? Please do not be obstinate. Please be liberal minded. अफसरों ने जो कह दिया है, We will not accept it. उसको फालो मत कीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है ? आप क्यों बताना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : कृपया अलग से कर दें, इस पर वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मेवाड़ के छात्रों के हितों के ऊपर यह कुठाराघात करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : उसमें वित्तीय प्रभाव भी अलग से नहीं पड़ेगा...(व्यवधान) डिग्री की गरिमा और महत्त्व बढ़ेगा... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मेवाड़ के छात्रों के हितों पर आप कुठाराघात करना चाहते हैं...(व्यवधान) We will not accept it.

श्री रतन लाल ताम्बी : पांच राज्यों ने इसी आधार पर लिया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : किसी किस्म का कोई बर्डन नहीं है...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : इससे डिग्री की गरिमा और महत्त्व बढ़ेगा...(व्यवधान) और पिछड़े क्षेत्र के छात्रों को इससे लाभ मिलेगा...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : देश के पांच राज्यों के उदाहरण मौजूद हैं इसलिए इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आप हमें यह बताएं कि नुकसान क्या हो रहा है ? राज्य का क्या नुकसान हो रहा है ? हमने आपको बता दिया कि राज्य को क्या फायदा हो रहा है। आपकी लीगल इसके अंदर कोई शार्ट कमिंग्स हों, कोई कानून की बाधा हो तो आप बताएं। अगर आप सिर्फ जिद के अंदर ऐसा करना चाहते हैं तो मंत्री महोदय, यह स्वीकार नहीं होगा। आप जस्टिफिकेशन बताएं, आप ग्राउंड्स बताएं। This is not all. We will not accept it. आप हमारे मेवाड़ के स्टूडेंट्स का गला घोंटना चाहते हैं, उनके भविष्य को अंधकार में करना चाहते हैं। या तो आपको कोई...(व्यवधान)

श्री तैय्यब हुसैन : मैं समझता हूं कि यह ठीक बात नहीं है। मौजूदा अशोक गहलोत सरकार ने उदयपुर की जो पुरानी भावना चली आ रही थी 1952 से लेकर आज तक, उसको पूरा किया है। यह नाशुक्री की बात है।

श्री श्रवण कुमार : एक नाम और जोड़ दो।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक नाम जोड़ने से क्या फर्क पड़ता है ? लेकिन इससे आपकी भावना का पता चलता है। एक नाम जोड़ने से भावना को कहां आघात लग रहा है ?

श्री तैय्यब हुसैन : यह नाशुक्री की बात है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उसके लिए हम धन्यवाद दे चुके हैं। आप इसके अंदर बांधा क्यों बनना चाहते हैं ? हमारी सरकार ने अच्छा कार्य किया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई है, उसके लिए हम सरकार के आभारी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक नाम और जोड़ दो।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उसके लिए तो आपका सदन ने शुक्रिया अदा

(श्री देवीसिंह भाटी)

किया है। इसमें ऐसी क्या एतराज करने वाली बात है, जब देश के अंदर ऐसे उदाहरण हैं ? आप मना कर दीजिए, या तो वे गलत हैं...

श्री तैय्यब हुसैन : मैंने कहा कि वहां 14 सब्जैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मैंने पढ़कर बताये हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : टैक्नोलोजी के सारे सब्जैक्ट नहीं होते।

श्री देवीसिंह भाटी : टैक्नोलोजी भी है, एग्रीकल्चर भी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको उससे क्या फर्क पड़ रहा है ? एग्रीकल्चर और टैक्नोलोजी, दोनों वर्ड जोड़ दीजिए। यह क्या बात हुई ? एग्रीकल्चर में भी लेटेस्ट टैक्नोलोजी अपना रहे हैं तो फिर एग्रीकल्चर और टैक्नोलोजी शब्द जोड़ने में क्या हर्ज है ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सारे सब्जैक्ट टैक्नोलोजी के नहीं होते, माननीय मंत्री महोदय, Please, don't try to misguide us.

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, बैठिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : आसन के सुझाव को सरकार हमेशा मानती आई है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन ने आदेश नहीं दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुझाव, सुझाव।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव दिया है। You will consider it. यह आज फैसला करना जरूरी थोड़े ही है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : वही तो अर्ज कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो, आपकी भावनाओं को मैंने सरकार तक पहुंचा दिया है। मैं आपकी मदद कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके माध्यम से गवर्नमैंट से निवेदन कर रहा हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसके जोड़ने में तक़लीफ क्या है ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, कोई डिफिकल्टी हो तो एश्योरेंस दे दें। इसको तुरन्त करने में कोई डिफिकल्टी या प्राब्लम है तो एश्योरेंस दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट विराजो। इसमें आपकी सबकी भावना मैंने सरकार तक पहुंचाई है। इसमें टैक्निकल डिफिकल्टी यह है कि इसको खण्डशः स्वीकार करके जो संशोधन आए उनको अस्वीकार कर दिया।

एक माननीय सदस्य : कहां कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : कर दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : खण्ड-1 को नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : कर दिया। आप विराजो, एक मिनट। इसलिए आपकी भावनाएं सरकार तक पहुंचा दीं। Give him an opportunity in time to come. इस पर विचार करके जोड़ेंगे। अब इस स्टेज पर तो जोड़ नहीं सकते, आप समझिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, नाम, सूत्र आदि बाकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नाम अलग चीज है। टैक्निकल वाला शब्द है, इसका खण्ड-3 आप इसको अस्वीकार कर चुके हैं। बात समझिए। आपकी भावनाओं को मंत्रीजी और सरकार नहीं समझे, यह तो कोई ऐसी बात नहीं है। (व्यवधान) विचार कर लेंगे। कह दिया न कि विचार कर लेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आपकी बात मान ली, लीगली आप उसको पारित कर चुके लेकिन सरकार यह तो कह सकती है कि इस पूरे सदन के पक्ष और विपक्ष और आसन की भावनाओं को देखते हुए हम तत्काल इसमें टैक्नोलोजी वर्ड जोड़ देंगे। इतना तो कहे। क्या इसमें भी गिर रहा है मान-सम्मान ? कह दें, यह क्या बात हुई ?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। There should be an assurance from the Government side that they will consider it sympathetically.

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर भी आश्वासन तो दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विचार करेंगे इस पर, आगे बात करेंगे।

श्री तैय्यब हुसैन : ठीक है। जो माननीय सदस्यों ने भावना व्यक्त की है, उस पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बस ठीक है। बात खतम हुई। इतनी ही तो बात है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : What for we are sitting here? सिर्फ जिद ही जिद के अंदर, सिर्फ आफिसरों के कहने के अंदर इतना मत आओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि में जो संशोधन किया गया, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री लक्ष्मण सिंह रावत...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हमारी बात मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप काहे को इतना उत्तेजित हो रहे हो ? लक्ष्मण सिंहजी, माननीय सदस्य, विराजो प्लीज। माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हो, तसल्ली रखें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : तसल्ली क्या रखें ? This is no assurance.

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क, श्री लक्ष्मण सिंह रावत, श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री तैय्यब हुसैन, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2000 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री तैय्यब हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-12) को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : ताम्बी साहब, आप बोल रहे थे ना ? (व्यवधान) बोलना चाहते हैं तो कैसे बैठा दें ? आप बोल लिए, उनको नहीं बोलने दें ? यह क्या बात हुई ? ऐसा नहीं होता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, विराजो। ताम्बी साहब, एक मिनट विराजो। क्या पाइण्ट आफ आर्डर है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बिल की थर्ड रीडिंग है। बिल के सब खण्डों पर विचार होकर पारित हो गया, अब अगर ट्रेजरी बैंचेज से कोई सदस्य थर्ड स्टेज पर बोलता है वह तो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराता है। ट्रैजरी बैंचेज से बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या पता कि वे क्या कहना चाह रहे हैं ? वे बोलेंगे तब पता पड़ेगा, पहले ही एप्रिहेंड क्यों कर रहे हो ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह कन्वेंशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वे जो कहना चाह रहे हैं, सुन लो उसको। बाद में कह देंगे कि विदड्रा करता हूं, कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसको पार्लियामैंट्री प्रैक्टिस के हिसाब से अलाउ करें, एप्रिशिएट करें।

श्री उपाध्यक्ष : उनको विचार व्यक्त करने दो। आप बोलिए, ताम्बी साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : थर्ड स्टेज पर ट्रेजरी बैंचेज के लोग कैसे बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : उनकी भावना समझने दो न ? क्या तकलीफ है ?

श्री रतन लाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, भावनाएं जो सदन के समक्ष व्यक्त हुईं, मंत्री महोदय ने समस्या को समझकर आश्वासन दिया है। मैं समझता हूं कि साइन्स और टैक्नोलोजी के युग में इस विश्वविद्यालय के साथ टैक्नोलोजी शब्द जोड़ना और इसकी

(श्री रतन लाल ताम्बी)

डिग्री की महत्ता बढ़ाना, यह हम सबकी भावना थी। मंत्री महोदय ने इस बात को, मैं समझता हूं, समझा है। चाहे बीकानेर की यूनिवर्सिटी हो या उदयपुर की हो, इसमें टैक्नोलोजी शब्द जुड़ता है तो निश्चित रूप से डिग्री की महत्ता बढ़ती है। जैसा अभी उदाहरण दिया गया, पांच यूनिवर्सिटीज के नाम के साथ एग्रीकल्चर के साथ टैक्निकल शब्द जुड़ा हुआ है। इसका पाठ्यक्रम और डिग्री दी हुई है, वह भी इंजीनियरिंग और साइन्स से जुड़ी है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इन भावनाओं को पूरा किया जाए। यही मेरी भावना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री त्रिलोक पुर्बिया।

श्री त्रिलोक पुर्बिया (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी और कृषि मंत्रीजी के प्रयासों से उदयपुर में पृथक् कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना गत नवम्बर, 1999 में जरिये आर्डिनेंस की गई थी। उसका अनुमोदन आज सदन में किया जा रहा है। यह कृषि विज्ञान के विकास में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000 का मैं स्वागत करता हूं और उसको पारित करने का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं अधिनियम के नाम में आंशिक संशोधन किए जाने के लिए अपने सुझाव देना चाहूंगा।

आज जैसा कि देश में टैक्नोलोजी का बहुत बड़ा योगदान है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हो गई न वह बात।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : मैं अपने विचार तो रखूंगा साहब, पहले मुझे बोलने तो दो। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों में मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के साथ टैक्नोलोजी शब्द जोड़ दिया जाए। इससे फाइनेंशल बर्डन भी नहीं होगा और इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी जो डिग्री लेकर देश के दूसरे भागों में जाएंगे, उनको भी लाभ मिलेगा।

इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के साथ चार महाविद्यालय चल रहे हैं। प्रायोगिक कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर, डेयरी एण्ड फूड्स महाविद्यालय, उदयपुर, कृषि महाविद्यालय, उदयपुर और गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर। इन चारों महाविद्यालयों के साथ टैक्नोलोजी शब्द जुड़ा हुआ है। इसके साथ भी इसको जोड़ दें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, यह न केवल उदयपुर के लिए बल्कि देश के विभिन्न प्रान्तों में भी एग्रीकल्चर के साथ टैक्नोलोजी शब्द जुड़ा हुआ है, उन यूनिवर्सिटीज के नाम के साथ टैक्नोलोजी शब्द जुड़ा हुआ है। जी. बी. पंत कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप केवल टैक्नोलोजी की बात कर रहे हैं। आपने जो बात कही है, वे सारी बातें लक्ष्मण सिंहजी ने कह दीं, आप उसी को रिपीट कर रहे हैं। कुल में आप यह चाहते हैं कि टैक्नोलोजी शब्द जोड़ें। यह प्रश्न समाप्त हो चुका है, इसके अलावा कोई बात कहिए।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : इसके अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके कार्य क्षेत्र का उल्लेख जो अधिनियम में किया गया है उसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां और सिरोही जिले हैं। राजस्थान के दो जोन हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी जोन में ये जिले आते हैं। किन्तु इसके साथ ही पांच जिले ऐसे हैं अजमेर, पाली, टोंक, जालौर और सवाई माधोपुर, क्योंकि यहां की जलवायु भौगोलिक संरचना, फ़सल आदि इसके अनुरूप हैं, इसलिए इनको भी इसके साथ जोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा और इस यूनिवर्सिटी का सही स्वरूप सामने आएगा।

इसके साथ-साथ मैं अपने सुझाव और देना चाहूंगा। जिस तरह से युनिवर्सिटी का गठन किया गया था कई परिस्थितियां सामने आयी थीं, फाइनेंशियल दिक्कतें भी थीं। उस वक्त जिस हालात में आपने घोषणा की उसके लिए तो मैं राज्य सरकार, कृषि मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, किन्तु अब जबकि बजट एलोकेशन होने जा रहा है, इस विश्वविद्यालय ने जो वहां से बजट भेजा है 33 करोड़ का, उसमें अगर इतना अभी नहीं हो पाए तो फिलहाल 15 करोड़ का बजट प्रावधान फिक्स किया जाए ताकि 2000-2001 में इस विश्वविद्यालय का प्रशासन और सारे कार्य ठीक ढंग से चल पाएं।

इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि कृषि विश्वविद्यालय के अन्दर पद काफी रिक्त पड़े हुए हैं। उन्हें भरने के लिए भी आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर में लगभग 147 प्राध्यापकों के और 19 अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं जिसके कारण चारों महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य समुचित ढंग से सम्पन्न नहीं हो रहा है। इससे शिक्षाकर्मियों में भारी असंतोष पनप रहा है। इन पदों के कारण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसलिए निवेदन है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन को उक्त पदों को भरने के लिए निर्देश दे। (व्यवधान) बिल को पारित करने के लिए मैं समर्थन कर चुका हूं, लेकिन मेरा सुझाव है कि ये पद रिक्त पड़े हुए हैं इनको भरें। बजट एलोकेशन होगा तभी ये हो पाएंगे।

इसके साथ-साथ तीसरा मेरा सुझाव है कि कर्मचारियों से अन्तरमहाविद्यालय

(श्री त्रिलोक पुर्बिया)

स्थानान्तरण हेतु विकल्प-पत्र भराने चाहिए क्योंकि बीकानेर में यह यूनिवर्सिटी बनी उस वक्त में उदयपुर से स्थानान्तरण हुए थे, काफी कर्मचारियों को नौकरी के लिए वहां जाना पड़ा। वे अपने परिवारों से करीब 700 किलोमीटर दूर रहते हैं, आने-जाने में असुविधा होने से वे अपने परिवार से वंचित हैं। उदयपुर में एक नया कृषि विश्वविद्यालय बन गया है तो एक विकल्प इसके साथ में दिया जाना चाहिए ताकि स्वेच्छा से जो आना चाहे वह यहां आ सके और जो रहना चाहे वे रह सकें। (व्यवधान)

इसके साथ-साथ मेरा अनुरोध है कि नाथद्वारा में पशुपालन महाविद्यालय, जो इसके साथ खोला गया है, उसमें 12 करोड़ की स्वीकृति जारी करनी है। पशुपालन महाविद्यालय नाथद्वारा में खोलने की घोषणा की गई, इसके लिए 16 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, इसमें से 3 करोड़ रुपये श्रीनाथ मंदिर मण्डल द्वारा देना प्रस्तावित है। अतः मैं चाहूंगा कि इस राशि को भी जारी करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बिल से इसका कोई लेना-देना नहीं है। आपको किसी ने लिखकर दे दिया और आप पढ़ रहे हो। इस बिल से इसका कोई लेना-देना नहीं है, समझो उसको।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : लेना-देना इसलिए है कि बजट एलोकेशन के साथ में यह माननीय कृषि मंत्रीजी की नालेज में नहीं आएगा तो किस तरह से होगा ? इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी के नालेज में ला रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको लिखकर दिया है वही पढ़ रहे हैं। इनको हरिसिंह जी महुवा ने लिखकर दिया है।

श्री त्रिलोक पुर्बिया : अन्त में आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : माननीय कृषि मंत्री महोदय, मैं संक्षेप में अपनी दो-तीन बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी की सिण्डीकेट और मैनेजमेंट बोर्ड का मैम्बर होने के नाते मैंने यह महसूस किया कि इन यूनिवर्सिटीज में जब भी कहीं सलैक्शन की बात आती है, आम तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय होता है। उस अन्याय को दूर करने के लिये मेरा सुझाव यह है कि आपकी जो सलैक्शन बाडीज हैं उसमें यह सुनिश्चित करें कि एक मैम्बर उस सलैक्शन बाडी का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हो, एक मैम्बर उसका अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।

क्योंकि ऐसे अक्सर अवसर आये हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में तीन हिन्दी के प्रोफेसर के पद हैं, उनका एडवरटाइज किया जाता है, एक प्रेमचन्द पीठ, एक

(डा. करण सिंह यादव)

सुब्रह्मण्यम भारती पीठ और एक प्रोफेसर आफ हिन्दी, एक ही डिपार्टमैंट के तीन पदों को, 5 पदों को अलग-अलग भागों में बांटकर जिससे कि रोस्टर पूरा नहीं किया जा सके। इसलिए जरूरी है कि यूनिवर्सिटीज में सामाजिक न्याय का संकल्प इस सरकार ने लिया है। इस बात को सुनिश्चित करें और सलैक्शन बाडीज में जब भी आप अमैण्डमैंट लाएं, आप जब भी इस बात पर विचार करें तो इन वर्गों के प्रतिनिधि उसमें होने चाहिए।

अब जब राजस्थान सरकार ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर कालेज में, इंजीनियरिंग कालेजेज में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन लागू कर दिया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह एक्ट बनते वक्त क्लाज-2 के अन्दर Subject to the provisions under sub-section (1), the University shall reserve seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes. इसके आगे अदर बैकवर्ड क्लासेज भी जोड़ा जाए, इसमें यह अमैण्डमैंट करें।

जहां तक यूनिवर्सिटी का प्रश्न उठता है सिरोही, टोंक, पाली, उसमें मेरा निवेदन है कि 11 जिलों से मिलकर उदयपुर यूनिवर्सिटी साइंटिफिक कमेटी के आधार पर बनी हुई है। पहले हम इसका एक्सपीरिएंस देखें, अगर यह यूनिवर्सिटी बढ़िया चलती है, जैसा कि मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से यह यूनिवर्सिटी अच्छा काम करेगी। हो सकता है राजस्थान में आने वाले समय में आपको और सरकार को यह सद्बुद्धि आए कि एक यूनिवर्सिटी और खुले। सारे क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी है, आपके खुद के क्षेत्र अलवर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, भरतपुर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। सवाईमाधोपुर के क्षेत्र में किसी यूनिवर्सिटी की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यह अर्द्धशुष्क जोन है जिसमें 520 से 690 मिलीमीटर तक बरसात होती है, अगर भविष्य में कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और खुलने की बात हो तो, माननीय मंत्री महोदय अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, अजमेर, जयपुर इन इलाकों को मिलाकर एक यूनिवर्सिटी खोलें। इन्हीं तीन सुझावों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं। एक तो सैक्शन 26 में आपने यह कहा है "परन्तु कुलपति ऐसे अधिकारियों की अस्थायी उपायों के रूप में नियुक्तियां विश्वविद्यालय सम्बन्धित प्राधिकारी को सूचित करके छह माह की कालावधि के लिए कर सकेगा।"

मैं इस बारे में यह चाहता हूं, यह चाहे कुलपति हो या कोई भी हो, चाहे जैसे सलैक्शन करके यूनिवर्सिटी में किसी को भी नहीं रखा जाए। जो भी किया जाए वो सलैक्शन की पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही व्यक्ति को काम पर लगाया जाए। नहीं तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सारे विश्वविद्यालयों का जिस प्रकार का हाल हुआ है, ये ही ऐसी गलियां हैं जिन गलियों में से घुसने के रास्ते बनते हैं और उसके आधार पर बाद में उन सबको रैगुलराइज करना पड़ता है यह कहकर कि वे 15 साल से हैं, 20 साल से हैं। जो भी सलैक्शन की आपकी प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया के आधार पर ही विश्वविद्यालय में नौकरी दी जाए, यह टैम्परेरी 6 महीने या 4 महीने के लिए भी प्रोविजन नहीं रखा जाए।

दूसरा, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि 1987 में पहले जो कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर था, बीकानेर विश्वविद्यालय बनने के कारण से, इन वर्षों में जो स्टाफ प्रमोशन के कारण से ट्रांसफर के कारण से इधर से उधर हो गया, आपने इसमें प्रोविजन तो कर रखा है लेकिन इस प्रोविजन की पालना तुरन्त होकर उनसे आप्शन मांग लिया जाए। उस आप्शन के आधार पर आप इनको जितना जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकें वो निस्तारण करें ताकि दोनों की समस्या का समाधान हो सके। वो किये हुए हैं, डेढ़ साल की अवधि है वो खतम हो जाएगी। यह तो कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री तैय्यब हुसैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनको मुनासिब वक्त पर मुनासिब गौर कर लिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बढ़िया। प्रश्न यह है कि कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक, 2000 पारित किया गया। गैर सरकारी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्री सुरेन्द्र व्यास, प्रभारी सदस्य राजस्थान शुफा (निरसन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : इसमें टाइम अलाटेड है, दो घण्टे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें टाइम ही नहीं है, इसमें तो दो मिनट है, विराजें आप।

श्री देवीसिंह भाटी : सबमें ही ?

श्री उपाध्यक्ष : वो आगे की बात है।

अशासकीय विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान शुफा (निरसन) विधेयक, 2000

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान शुफा (निरसन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं. पी-1) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान शुफा (निरसन) विधेयक, 2000

(श्री उपाध्यक्ष)

को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी सदस्य विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान शुफा (निरसंन) विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक सं. पी-1) को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय Hon'ble Law Minister may kindly respond of it. उनके पास कापी है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें रेस्पोंड का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं यह कर सकते हैं। Government can always do it.

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : आपने पुरःस्थापित कर दिया और जब कभी बारी आएगी तब इस पर बहस कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, आपने इसको एक्जामिन कर लिया, मंत्रीजी, ऐसे क्या करते हो आप ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज विराजिये।

गैर सरकारी संकल्प।

माननीय सदस्य, दो घंटे का टाइम इसके लिए निश्चित है। पांच बजकर 40 मिनट हुए हैं, सात बजकर 40 मिनट पर..

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसका टाइम बढ़ाओ, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बढ़ाएंगे। आप विराजिये प्लीज। श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य विधान सभा संकल्प प्रस्तुत करें और विचार भी व्यक्त करें।

अशासकीय संकल्प

राज्य में प्लास्टिक थैलियों के निर्माण, विक्रय व प्रचलन पर रोक

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं। "यह सदन संकल्प करता है कि राज्य सरकार राज्य में प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण, विक्रय तथा प्रचलन पर प्रतिबंध लगाये।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय इतना गंभीर है और इतनी बड़ी समस्या है कि इससे पूरा सदन परिचित है। रोज इसके परिणाम देखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र के अन्दर और कस्बाई क्षेत्र में पूरी की पूरी ड्रेन में इन पोलीथिन की थैलियों ने रूकावट कर सारे सिस्टम को पैरेलाइज कर दिया है। ड्रेन सिस्टम की आज जो समाज के अन्दर परिस्थिति बनी है, कोई भी अपना दायित्व निभाता नहीं है। चाहे स्वच्छ कर्मी

(श्री देवीसिंह भाटी)

हो, चाहे और किसी का दायित्व हो, उन ड्रेन्स की कतई सफाई समय पर होती नहीं। चाहे सड़क का निर्माण हो ताजा ही, चाहे अन्य नाली का निर्माण हुआ हो सारी की सारी उस अव्यवस्था के कारण से क्षतिग्रस्त हो जाती है। शहरी क्षेत्र में ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में भी बड़ी समस्या हो गयी है कि थैलियां हम बाजार से लाते हैं, उपयोग में लिया और फेंक दिया। आज हम खेतों में जाकर देखें, खेतों के अन्दर थैलियां मिलेगी। रोई और जंगल में जाएं, चारों तरफ थैलियां बिखरी हुई नजर आएंगी। जहां कहीं भी थैली स्थापित हो जाती है, जगह बना लेती है और उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी आ जाय उसके बाद में घास तक नहीं निकलती।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा संकट हो गया है, इसके परिणाम के बारे में काफी गहराई से हमें चिन्तन करना चाहिए। हमारी खेती की उपज दिनों–दिन कम होती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो यह संकल्प प्रस्तुत कर दीजिये। एक मिनट, इसकी प्रक्रिया आप समझ लीजिये। उसके बाद मंत्रीजी बोलें, उसके बाद आप 30 मिनट बोलेंगे, आपके जो विचार हैं। अभी आप संकल्प प्रस्तुत कर दें। (व्यवधान) आप भी बोलेंगे, मना थोड़े ही कर रहा हूं ? आर्डर प्लीज, मैं आपको तरीका बता रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पढ़ लिया 111, 112 को।

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात, आप तो बहुत होशियार हो, इनको बता देने दो, क्या तकलीफ है ? आपसे निवेदन है कि आप संकल्प प्रस्तुत कर दीजिये। इनका एक संशोधन है, ये बोल लें, मंत्रीजी बोल लें, उसके बाद आपको वापस 30 मिनट बोलने का मौका देंगे इसलिए आप अभी... (व्यवधान) ये भी बोलेंगे, फिर जो बोलना चाहें बोलेंगे लेकिन आपको यह सुझाव दे रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, अब मैं समय नहीं लेना चाहता। अगर आपकी अनुमति हो तो संकल्प तो मैं पढ़ चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, उसको आप छोड़ो। अब संक्षेप में आप अपने विचार रख सकते हो, मैं तो आपको रोक नहीं रहा हूं। You will get another opportunity of speaking at length.

श्री देवीसिंह भाटी : हां, तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प जिसके लिए मैं सोचता हूं कि कोई भी व्यक्ति इससे भिन्न मत नहीं रखता, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे बाहर की बात करें और चाहे, जिससे इस विषय पर चर्चा की जाए। लोगों ने अपनी थोड़ी सी सुविधा के कारण से प्लास्टिक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। उस समय बहुत अच्छा लगा लेकिन आज स्थिति यह है कि कोई परिवार, कोई व्यक्ति इसकी तकलीफ से अछूता नहीं है।

जैसे संकल्प प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह समस्या शहरों में तो एक तरह से विकराल रूप लेकर खड़ी हो गयी। आज शहरों में अगर गन्दगी का सबसे बड़ा कारण है और अगर सफाई की सबसे बड़ी बाधा कोई है तो प्लास्टिक है। कोई नाली, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां इसके कारण से विकराल रूप बनकर नहीं आ गया। उदयपुर एक दर्शनीय स्थल है, वहां की झीलों को देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटक आते हैं कुछ खाया और उसके बाद सारा तालाब में फेंक दिया। वे थैलियां तालाब में तैरती रहती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पूरा का पूरा तालाब थैलियों से भर गया। उसकी सारी सुन्दरता नष्ट हुई है। और वे गलती नहीं है। जानवरों की इसके कारण से बेरहमी से मौत हो रही है, क्यों कि स्वाभाविक है, किसी भी चीज को खाने के लिए वह उसको मुंह लगाता है और उसके साथ ही वह भी उसके पेट में जाती है। चाहे आपके घर में कोई जानवर हो, चाहे मेरे घर में हो, साल, दो साल में जब कभी बीमारी के कारण से आपरेशन कराते हैं तो पूरी की पूरी थैलियां, 5-5, 6-6 किलो का वजन उसमें से निकलता है। यह की यह स्थिति आज गांवों में हो गयी है।

कम से कम शहरों में नगरपालिका के पास इतना पैसा तो है कि वहां सफाई के लिए कुछ कर्मचारी रखे हुए हैं, वे थोड़ी बहुत झाडू निकाल देते हैं। लेकिन अगर आप गांवों में जाकर देखें तो क्यों कि वहां इस प्रकार न तो पैसा है पंचायत के पास, केवल थैलिया ही चारों तरफ भरी रहती है। गन्दगी अभी यहां, थोड़ी देर बाद उड़कर वहां चली जाएगी, फिर वहां चली जाएगी, कितना भी परिश्रम करो। थैलियों के कारण से जिस प्रकार का आज प्रदूषण फैल रहा है और जिस प्रकार से नुक्सान हो रहा है, आज या कल हमें निश्चित रूप से इस पर कोई न कोई फैसला करना होगा। कागज के बारे में इतना जरूर था कि लोग कागज खाकर फेंक भी देते तो पानी में जाकर गल जाता, खतम हो जाता। खेत में जाता, खाद में मिल जाता। जमीन में मिलकर मिट्टी में नष्ट हो जाता लेकिन यह तो 15 साल के बाद भी अगर जमीन में से निकालना चाहें तो यों की यों जैसे आपने उसमें डाली थी उस खड्ढे में से वैसी की वैसी निकल जाती है। तो सभी प्रकार से, उपजाऊपन से लेकर पर्यावरण की दृष्टि से एक तरह से तबाही की स्टेज आ गयी है। कई बार जब उस थैली में बांधकर कोई सामान भी घर में रख देते हैं, उसको बिलकुल पैक करके रख देते हैं तो वह सामान भी उसी तरह से खराब होकर बदबू देने लगता है, उसको भी फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है।

मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की समस्या के लिए जो संकल्प माननीय सदस्य लेकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आये हैं, इस पर यह सदन निश्चित रूप से विचार करे। कम से कम राजस्थान में हम इसकी शुरूआत करें। हो सकता है हम सम्पूर्ण राजस्थान में इसकी एक साथ शुरूआत नहीं कर सकें, पर कहीं न कहीं से, नगरपालिकाओं से, किसी न किसी स्तर से इसको प्रतिबंधित करने के लिए, इसका प्रचलन बन्द करने के लिए कोई न कोई आधार हम जरूर बनाएं और कानून में हम कोई न कोई तरमीम करें जिसके कारण से इस संकट से सारे प्रदेश को बचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प तो मैंने प्रस्तुत किया है, मुझे तो बोलने का अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपको मिलेगा न अवसर, सबसे ज्यादा आपको ही मिलेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, ज्यादा तो बोलने की बात नहीं, विषय के बारे में सारा कुछ आ जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प है, प्राइवेट मैम्बर संकल्प, आप यह राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम...

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ, आप क्या कह रहे हो ?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद : नियम 112 का चौथा क्लाज है इसमें कि संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और सम्बन्धित मंत्री प्रथम बार भाषण देते समय 30 मिनट या उससे अधिक तक अध्यक्ष की अनुज्ञा से भाषण दे सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना चाह रहे हो ?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें तो यह है कि मूवर को प्रस्तुत करते समय 30 मिनट बोलने का समय...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप विराजें। आप इसको वापस पढ़ों।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं इसको दुबारा पढ़ लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज। नीचे बैठकर आप तसल्ली से इसको पढ़ो।

मोहम्मद माहिर आजाद : Provided that the mover of the resolution ... (Interruption)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें न नीचे। नीचे बैठकर इसको पढ़ लो, फिर समझकर वापस बोल देना। आप विराजें, प्लीज। (व्यवधान) माननीय राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख जो संकल्प कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य लेकर आये हैं, मैं पुरजोर शब्दों में उस संकल्प का समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, हिन्दुस्तान के बाहर भी कई पर्यावरणविद् इस बात से चिन्तित हैं कि पूरे विश्व में प्लास्टिक की थैलियों का प्रचलन हो रहा है। उसके कारण से मनुष्य के जीवन पर जिस तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्लास्टिक ऐसा सिंथेटिक है कि इसका वर्षों-वर्षों तक बायोलोजिकल डीकम्पोजिशन होता नहीं है। जिस तरह माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षित किया है कि शहरों में नालियां रूक जाती हैं, इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, जहां यह प्लास्टिक गिरता है उसके नीचे की जमीन में वाटर रीचार्ज होना बंद हो जाता है। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सदन इस संकल्प पर विचार करके इसको पारित करे और सरकार इस पर कोई न कोई कानून बनाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पीपुल्स फार एनिमल संस्था ने राजस्थान में एक शोध किया था, उस शोध में आया कि 500 पशु-धन काल कवलित होते हैं जिनमें से 300 पशु शहरों के अन्दर इस प्लास्टिक की थैली के कारण होते हैं! मूक पशु प्लास्टिक की थैली में जो भी चीज आती है या उसका थोड़ा बहुत अवशेष रह जाता है, उसको खा लेता है। फिर यह प्लास्टिक की थैली उसकी आंत और श्वास नली से चिपक जाती है और तड़प-तड़प कर वह अपनी जान दे देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसको डीकम्पोज करने की कोशिश करें, जलाने की कोशिश भी करें तो इससे जिस तरह की कार्बन मोनोआक्साइड, कार्बन-डाई-ऑक्साइड, सल्फर-डाई-ऑक्साइड गैसें निकलती हैं वे मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक हैं। उसके बाद भी जो अवशेष बच जाता है वह डीकम्पोज होता नहीं है। किसी शहर में चले जाएं, शहर का सीवरेज सिस्टम कहीं ब्लाक होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह प्लास्टिक की थैली है। शहर के अन्दर नाली ब्लाक होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह प्लास्टिक की थैली है। उपाध्यक्ष महोदय, कई स्थानीय निकायों ने अपने स्तर पर प्रस्ताव पारित किये हैं। हमारी चूरू नगर पालिका ने भी प्रस्ताव पारित करके इस पर प्रतिबंध लगाया है। परन्तु कोई कानून इस तरह का बन जाए, पूरे राजस्थान में बन जाए। पूरे राजस्थान में कानून तब बनेगा जब यह संकल्प जो कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य लेकर आये हैं, पारित हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं एक स्थान पर पढ़ रहा था कि प्लास्टिक की थैली से पशु नहीं प्रभावित हैं, इस थैली में कोई सामान लेकर आते हैं तो इसके अन्दर जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उससे लीवर कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं। इसी कारण से स्काटलैण्ड और कनाडा जैसे प्रगतिशील देशों ने इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है। अगर यह प्रतिबंध हो जाएगा तो दो हाथ को काम भी मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि शहरों के अन्दर पहले गरीब लोग कागज की थैलियां बनाने का काम किया करते थे। अब इन प्लास्टिक की थैलियों ने उनका स्थान ले लिया है। जिस तरह से बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, थैलियों में अगर आप कोई सब्जी लेकर बंद करके छोड़ जाएं तो वह सब्जी भी खराब हो जाती है।

इसलिए लम्बी-चौड़ी बात नहीं करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा और मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की विधान सभा में बहुत वर्षों बाद आज पहली बार गैर-सरकारी संकल्प आया है और यह संकल्प इस रूप में आया है कि जिसका सीधा सम्बन्ध आम आदमी के जीवन से है। इसलिए इसको लम्बी चौड़ी बहस नहीं करके सर्वसम्मति से पारित करें और सरकार को यह भी निवेदन करें कि इस सन्दर्भ में निश्चित तौर पर कोई न कोई कानून सरकार बनाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रताप। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय देवीसिंहजी लाये हैं उसका मैं समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि इसको पास करना चाहिए।

थैलियों का जो दुष्प्रभाव है इससे हम सभी लोग भली-भांति परिचित हैं। बहुत सारी बातें चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बतायी हैं, आप गांवों में देखेंगे कि गांव के लोग घर का सारा कचरा निकालकर अपनी रेवड़ी में डालते हैं। रेवड़ी में उस कचरे को डालकर के साल भर तक वह कचरा इकट्ठा होता रहता है और जब गर्मी का समय होता है तो खाद के रूप में किसान उसको खेत में ले जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब खाद के रूप में उसको ले जाते हैं तो उसमें जो पोलीथिन मिला रहता है वह पूरे के पूरे खेत को खराब कर देता है, उसको उपजाऊ होने से रोकता है। उसके कारण से बहुत सारा नुकसान राष्ट्रीय उत्पादन में हम सब लोगों को होता है। यदि कहीं क्लोरीन गैस रखी रहे और इसको जला दिया जाए तो आक्सीजन की कमी वहां होगी और फास्जीन गैस बन जाएगी और फास्जीन गैस बन गयी तो निश्चित रूप से वहां कोई जीवित नहीं बच सकता। इसके अंदर भयंकर रासायनिक क्रिया होती है। हमने थोड़े से लोभ के लिए इसे अपनाया कि बड़ा आसानी से सामान ले जाया जा सकता है, आसानी से पकड़ कर ले जाया जा सकता है।

इसके बारे में हमें पुनर्विचार करके इस संकल्प को पास करना चाहिए। बहुत

(श्री मदन दिलावर)

खतरनाक ये पोलीथिन की थैलियां हैं, इन पर निश्चित रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। अन्यथा मैं यह कह सकता हूं कि आज तो फिर भी इसका दुष्परिणाम कम है, आज तो सफाई व्यवस्था फिर भी ठीक होगी, यदि निरंतर रूप से करते गये तो आज के पांच साल बाद आप जाएंगे कि किसी भी नाली को आप साफ नहीं कर सकते। यदि साइफन है तो वहां तो आप साफ कर ही नहीं पाएंगे। किस प्रकार से साफ कर पाओगे ? क्योंकि साइफन अवरूद्ध हो जाएगा।

आपने देखा होगा कि जब बरसात के समय में नालों में पानी आता है और नालों के आसपास खेजड़ी, बबूल लगे रहते हैं जब पानी निकलता है तो उस बबूल के आसपास सारी पोलीथिन की थैलियां चिपक जाती हैं। उनकी संख्या यदि आप देखें तो वे असंख्य होती हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता। वह ही वह दिखाई देती हैं। इसलिए निश्चित रूप से यदि हम लोग जनता का भला चाहते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहते हैं तो इस संकल्प को पास करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र के बारे में तो काफी यहां कहा जा चुका है कि ड्रेन सिस्टम सारा हमारा पेरेलाइज हो जाता है, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। हकीकत में, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी ग्रामीण अंचल का दौरा करते हैं, खेतों के अंदर जगह-जगह थैलियां उड़कर गिरती हैं और वहां का उपजाऊपन कम हो जाता है। इसके ऊपर थोड़ी-सी मिट्टी आते ही जैसा माननीय चूरू से आने वाले सदस्य ने कहा, पानी का सीपेज होकर वह भी रीचार्ज नहीं होता। जहां रोई और जंगल हैं वहां पर उड़-उड़ कर ये थैलियां इस प्रकार की जमावट कर लेती हैं कि जहां थैली पड़ी है वहां पर घास का एक तिनका तक नहीं उग सकता। इसका दुष्परिणाम आज शहरी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा नहीं हो रहा है, गांवों में भी इसका धीरे-धीरे असर होने लगा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, 3-4 दिन पहले अखबार में यह सूचना आयी थी, पूरी स्टडी करके जानकारी आयी थी कि यू.पी. के अन्दर औसतन तीन हजार गायें रोजाना मर रही हैं। कितना बड़ा संकट हो रहा है ? एक तरफ तो हम पशुधन को इतना अमूल्य मानकर इसको बचाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार से गायें बैमोत मरती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा रोग है कि यह धीरे-धीरे सारे क्षेत्रों में फैलता जा रहा है। न इससे रेगिस्तान बच रहा है, न कोई पहाड़ी क्षेत्र बच रहा है इन थैलियों के कारण से।

जैसा कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, लोगों को रोजगार मिला हुआ था। स्माल स्केल इण्डस्ट्री के हिसाब से कागज की थैलियां, पैकेट, ठूंगे बनाते थे। वह बिलकुल ही बंद हो गया। उनका रोजगार खतम हो गया। एक छोटी कोई भी मशीनरी लगाकर चालू कर दिया, उससे

(श्री देवीसिंह भाटी)

किसी को लाभ नहीं होता, एक व्यक्ति विशेष को ही ज्यादातर लाभ होता है। मैं इसमें आपको वह दिन भी याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में और आदिवासी क्षेत्र में कोई भी बाजार में जाता था तो वह एक कपड़े की थैली साथ में लेकर जाता था। बाजार में जो भी सामान लिया, उसके अन्दर सामान डाला और सामान लेकर घर आता था। उसके साथ में कशीदे की इतनी बढ़िया कारीगरी महिलाओं की तरफ से होती थी कि थैला भी संकेत करता था कि इस घर की महिला कितनी कुशल है जो इस प्रकार का कशीदा करती है। वह कला भी हमारी धीरे-धीरे खतम होती जा रही है।

(18:00 बजे)

यहां एक दफे यह मुद्दा सदन में उठा था। मुख्य मंत्रीजी ने भावना तो अपनी प्रकट की लेकिन साथ में उन्होंने दूसरी बाधाएं बता दीं कि यदि हम इन थैलियों का प्रचलन बंद करेंगे तो वापस कागज का उपयोग होना शुरू होगा और हमारे जंगल खतम हो जाएंगे। उसमें सिर्फ यह अगर हम सोच लें, सिर्फ जंगल की चिंता इस प्रकार से करें कि समस्या का निदान नहीं करें ? जहां कहीं भी इस प्रकार के पेड़ कटते हों सरकार की अनुमति से कटते हैं तो एक ही जगह आप चार पौधे लगवाइये, इसमें कहां दिक्कत है ? कहां हम जंगल की इस प्रकार से चिंता कर रहे हैं। यदि एक को हम यूज लेना बंद कर दें तो दूसरा हम इसका समाधान कर सकते हैं।

यह मैं मुख्य मंत्रीजी से भी चाहूंगा कि इस बात को अगर उनके दिमाग में चिंता है, तो ऐसे जो भी पर्यावरणविद् हैं, जो भी इस प्रकार के फोरेस्ट से संबंधित लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, इनसे राय-मशविरा करके इसके बारे में निर्णय लें। यह सरकार चिंता नहीं करे कि इससे जंगल कट जाएंगे। जंगल कटेंगे तो इसके लिए एक के बराबर हम दो या चार पौधे निश्चित रूप से कर दें। यह समस्या पूरे हिन्दुस्तान में उग्र रूप धारण किये हुए है। दिल्ली में इस प्रकार का उपयोग पूरे प्रदेश में बंद कर दिया गया है। अन्य प्रदेशों में भी इसमें पहल की गयी है।

अभी आपने पढ़ा होगा, परसों ही अखबार में आया था कि रेलवे वालों ने जयपुर स्टेशन के ऊपर इस प्रकार की थैलियों का उपयोग बिलकुल बंद कर दिया है। कोई भी एक शुरूआत करें, जरूर आपके दिमाग में यह आयेगी कि इसमें लोग विरोध करेंगे। एक पक्ष आयेगा कि हमारा रोजगार बंद हो गया। यह सारी चिंता लेकर हम बैठ जाएं और उससे डरे, उससे पार पड़ने वाली नहीं है। अगर हम यह इच्छा शक्ति रखेंगे तो इसका समाधान हो जाएगा।

इस बारे में सारी परिस्थितियों से सदन पूरा आगाह है, पहले भी सदन में लोगों ने इच्छा जाहिर की थी। 'यह तो एक गैर सरकारी संकल्प है, मैं चाहूंगा कि पूरा सदन क्योंकि इसमें कोई सरकार का

(श्री देवीसिंह भाटी)

विरोध है नहीं, सभी इसमें सहयोग दें और इस संकल्प को पारित करें। समय इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि दूसरे और भी संकल्प हैं, बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। एक राजस्थानी भाषा का भी संकल्प है, मैं चाहूंगा कि वह समय पर आ जाए इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। पूर्ण रूप से जो भी भावना यहां प्रकट हुई है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संकल्प को पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या समय सीमा है ? प्लास्टिक आज मानव जीवन में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान ले चुका है कि अब यह धीरे-धीरे सीमा से बाहर होता जा रहा है। हम अपने दैनन्दिन जीवन में बाजार से किसी तरह की कोई सामग्री लाना चाहें या हम अपने रोजमर्रा जीवन में अपने घर पर जो भी कार्य कर रहे हैं उन सबमें प्लास्टिक की भूमिका अहम हो गई है। घर में जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके अलावा भी खास तौर से प्लास्टिक के कैरी बैग्स पानी के गिलास, शराब के पाउचेज या अन्य कोई सामन आज डिसपोजेबल के नाम से प्लास्टिक के रूप में हमारे ज़ीवन में काम आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में यदि हम एक बहुत बड़ी समस्या के रूबरू हैं तो वह कूड़े की है। हजारों टन कूड़ा रोज मानव द्वारा फेंका जाता है और उसके इतने बड़े दुष्परिणाम सामने आये हैं कि कई बार महामारी मात्र कूड़े की वजह से फैली है। पिछले दिनों आपने देखा कि सूरत में भयंकर बाढ़ आई और बाढ़ के बाद में जो स्थितियां बनीं, पूरे हिन्दुस्तान की छवि कलंकित हुई। लोगों ने महीनों दर महीनों सूरत से और गुजरात की सीमा से पहरेज करना शुरू कर दिया था। उसका कारण सिर्फ यही था कि वहां गंदगी फैली और उस गंदगी में जो अहम हिस्सा था, वह था प्लास्टिक के कैरी बैग्स का। यह एक ऐसा पदार्थ है जो सैकड़ों वर्षों तक यदि जमीन में दफन रहे तब भी समाप्त नहीं होता, डिस्पोज नहीं होता। धीरे-धीरे इसकी भयावहता बढ़ती जा रही है। यदि आज जानते हुए भी इस चिंता का निराकरण करने में यदि हमने सोच नहीं बनाया तो आने वाले वर्षों में हम असहाय की भांति इसको देखेंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे।

इसलिए मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से और खास तौर से सरकार से यह अनुरोध रहेगा कि जो चीज हैल्थ हैजार्ड है, हमें पता है इस बात का, कि मानव जीवन में उसके दुष्परिणाम फायदे के बजाय ज्यादा हैं। हम केवल अपनी निजी थोड़े से लाभ के लिए पूरी मानव जाति को यदि इसके भयंकर परिणाम भुगतने के लिए धकेल देंगे तो आखिर चिंता कौन करेगा ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौनसा ऐसा क्षेत्र है ?

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बाजार में आदमी अपने आराम के तहत गया और सामान कैरी करके घर ले आया। इस आराम के अलावा इससे और कोई फायदा नहीं है। पहले आदमी जाता था, अपने घर से एक बैग लेकर जाता था। अपने थैले में अपना सामान रखकर ले जाता था, सुरक्षित सामान लेकर आता था। घर में किसी तरह की कोई गंदगी नहीं फैलती थी। अब इस समस्या के साथ-साथ एक दूसरी समस्या और जन्म लेने लगी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, वे तो अच्छे मैटेरियल के अच्छे ग्रेन्युअल्स के बैग्स बनाती हैं लेकिन बाकी जो छोटी-छोटी कम्पनियां हैं, जो छोटे-छोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, फाइनेंशल बर्डन उनके ऊपर पड़ता है उसकी वजह से वे उस स्टैण्डर्ड का माल काम में नहीं ले पाते हैं। इसलिए री-प्रोसेस होता है और उसको री-साइकिलिंग होते-होते एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां सिवाय पोइज़न के किसी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंचता है। खास तौर से ठेलों पर बिकने वाली सब्जियां हैं या जो छोटे-छोटे ठेलों में बैठकर अपना सामान बेचने वाले लोग हैं, गीले आइटम्स लेकर आते हैं, उसमें री-साइकिलिंग और री-प्रोसेस होकर जो बैग बनते हैं, उनकी वजह से शरीर को जो नुकसान पहुंचता है यह असहनीय है। आज हालत हमारी यह हो गई है कि डिस्पोजेबल सीरिंज उठाकर कूड़ेदान में डाल दी, समाप्त नहीं होती। डिस्पोजेबल पानी के गिलास, पीया, कूड़े में डाल दिया, समाप्त नहीं होता। हम केवल अपनी निजी सुविधा के लिए इन कैरी बैग्स और डिस्पोजेबल के आइटम्स का काम में लेकर फेंक देते हैं। हमने आज तक इस बात का चिंतन, मनन और विचार नहीं किया कि हम मौत को दावत दे रहे हैं।

बड़े-बड़े चरागाह हुआ करते थे शहरों के पास में, गांवों के पास में। आज उन चरागाहों की हालत यह हो गई है, हमने अभी दो दिन पहले अकाल पर चर्चा की थी, मैं आज 50 साल की उम्र में होने को आया, मैंने स्वयं ने देखा है, अपने घर के पास में बड़ा भारी चरागाह हुआ करता था। बरसात होते ही उस पूरे में हरियाली होती थी और पूरे छह महीने तक उसको उसमें मवेशी अपने चारे के रूप में इस्तेमाल करते थे। आज हालात ये हो गये हैं हजारों एकड़ में फैले हुए चरागाह कहीं पर 100 एकड़ में है, कहीं पर 50 एकड़ में है, कहीं पर 10 एकड़ में है, कहीं पर 20 एकड़ में है, केवल कचरेघर के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। आखिर समस्या का निदान कौन करेगा ?

मेरा सब माननीय सदस्यों से विशेष रूप से अनुरोध रहेगा कि इस बढ़ती हुई समस्या के निदान के लिए भले एक मुश्त नहीं तो धीरे-धीरे हमें यह संकल्प लेना होगा, हमें अपने मन को मजबूत करना होगा कि हम अपने क्षणिक फायदे के लिए आने वाली पीढ़ियों को बड़े संकट में नहीं

(श्री राजेन्द्र पारीक)

धकेलें। इसलिए प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध तत्काल यदि नहीं लगा सकें तो धीरे-धीरे किसी सीमा तक लगाएं। आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज विशिष्ट मंत्री के रूप में ये सारे काम इनको ही संभलाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ये वन इन आल हैं ना।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री देवीसिंहजी भाटी ने और उनके साथ में श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया और श्री राजेन्द्र पारीक ने अपने-अपने सुझाव भी दिये हैं और प्लास्टिक की थैलियों के बारे में अपने विचार भी व्यक्त किये हैं। बात सही है कि भारत के अन्दर इसका कोई नियंत्रण नहीं होने की वजह से सड़कों पर, गलियों में, जहां देखो वहीं ये थैलियां उड़ती रहती हैं, नालियों में शामिल हो जाती हैं। गायें घूमते-घूमते उन थैलियों को खा जाती हैं और उसका असर यह होता है कि गाय के पेट में 5-4 थैलियां गईं नहीं और उसका अपने-आप हाजमा बिगड़ जाता है और वे मर जाती हैं। मैं इस बात से बिलकुल एग्री करता हूं।

मुझे इत्तफाक से यूरोप, अमेरिका और जापान जाने का मौका मिला था, मैं उन देशों में भी देखकर आया हूं। मैं लंदन की ही बात आपसे कहता हूं कि इतनी क्राउडेड सिटी है, उसकी आबादी भी करीब एक करोड़ और कुछ लाख की है लेकिन लंदन में इस तरह की थैली मैंने नहीं देखी। जिनके यहां मैं ठहरा हुआ था मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हर चीज वहां आती थैलियों में हैं, अगर आप सब्जी भी लेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर से, जब आप कोई सब्जी भी खरीदेंगे, थैली के अन्दर मिलेगी। हर चीज थैली में मिलती है लेकिन वे थैलियां शामिल करके कहीं बाहर फेंक नहीं सकते। वहां पर केले का छिलका भी नहीं फेंक सकते, आप पीक नहीं कर सकते अगर पान खाते हैं तो। काई चीज आप सड़क पर फेंक नहीं सकते। अगर स्पीड से ज्यादा गाड़ी चलाते हैं तो उसी वक्त आपके जुर्माना होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर गड़बड़ की तो उसी वक्त पेशी करके जेल भेजा जाता है। वहां के कानून इतने स्ट्रिक्ट हैं। अपन भी इस बात को नहीं सोचेंगे और कानून स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो गाय तो बेचारी समझती नहीं है। भूखी गायें हैं अपने यहां पर, उनकी मेंटीनेंस भी कमजोर होती है। अपने इतने स्वार्थी लोग हैं, कहते जरूर हैं कि हम हिन्दू हैं और गाय की रक्षा करने वाले हैं लेकिन हकीकत में कहां अपन गाय की रक्षा करते हैं ? गाय ज्यों ही दूध देना बंद हुई, अपन गाय को छोड़ देते हैं। गाय बेचारी फिरती रहती है गलियों में और सड़कों पर। कई दफा उनके टक्कर लग जाती है, कई दफा पैर टूट जाते हैं लेकिन कोई चिंता नहीं उस बात की। ज्यादा से

(श्री खेतसिंह राठौड़)

ज्यादा कभी कोई ऐसा दिन आ गया कि आज पूनम है, वाइफ ने कह दिया कि कुछ चारा डाल देना तो चारा जरूर डाल देते हैं। उसको ही अपन मानते हैं कि बहुत बड़ा धर्म कर लिया।

लेकिन हकीकत यह है कि वास्तव में गायें और जानवर भी प्लास्टिक की थैली को भूखे मरते हुए खा लेते हैं। कई दफा थैली के अंदर कुछ सामान रह जाता है, मिठाई रह जाती है, कुछ भी रह जाता है, उस बहाने से वह खा लेती है और उसका नतीजा यह होता है कि गाय मर जाती है। इस बात को हम बिलकुल मानते हैं, इससे कोई डिसएग्री होने का सवाल नहीं। हरेक अपनी नजरों से देखता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब दूसरे देशों के मुकाबले अपने को बहुत समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। यूरोप वगैरह में जैसा मैंने कहा, कानून स्ट्रिक्ट है, कहीं पर यह है कि वहां का इन्सान खुद ही यह महसूस करता है कि हमारा देश है, हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इस तरह से भी है। अपने यहां आजादी तो बहुत है, इतनी आजादी आ गई कि उस आजादी के नाम पर अपन कई ऐसे काम कर लेते हैं कि जिससे जानवरों को और लोगों को नुकसान होता रहता है। आपने जो संकल्प प्रस्तुत किया, मैं यह मानता हूं, अच्छा संकल्प है, आपकी भावनाएं, आपने जो विचार व्यक्त किये, वह मैं हमारी कैबिनेट और हमारे मंत्री मंडल के सम्मुख रखूंगा। इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, इस बात को मैं महसूस करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, आप और कुछ...

श्री देवीसिंह भाटी : पारित करने के लिए अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : पारित किसको करें ?

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : चर्चा ही होती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पारित नहीं होता, हुजूर, चर्चा होती है। मैंने आपको जवाब दे दिया कि बहुत गंभीरता से आपके इस विषय को हम कैबिनेट के सम्मुख रखेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : बहुत-बहुत मेहरबानी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप विराजो।

श्री देवीसिंह भाटी : चेयर से इशारा हुआ न इसलिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप वापस ले लो। मैंने आपको आश्वासन दिया है।

श्रीमती कमला : नहीं, वह तो चर्चा होती है, वापस लेने की जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प सदन के सम्मुख आया तो पारित हो या फिर वापस हो।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन वापस ले लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, ले लिया, साहब। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : समर्थन ही किया है, केवल एक शब्द...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : प्राइवेट बिल, संकल्प जैसे बच्चों वाला झुनझुना है, खूब बजाओ आप इसको।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। प्रश्न यह है कि संकल्प में जो संशोधन श्री गुलाब चन्दजी कटारिया ने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लिया जाए, क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लिया गया।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री देवीसिंह जी भाटी ने प्रस्तुत किया, वह स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नो।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो न आप नहीं है तो। यू से नो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प स्वीकार नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या होगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं-नहीं, ऐसा है संकल्प...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : और क्या है ? आप 'ना' नहीं बोल रहे हैं, पूछ रहा हूं मैं आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बोला है, साहब, मैंने नो कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नहीं कहा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्री महोदय ने कहा है, सर।

श्री उपाध्यक्ष : वापस बोल देता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, वापस बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : वापस बोल देता हूं। प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री देवीसिंह जी भाटी ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाए ? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नो।

अनेक माननीय सदस्य : हां (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें है क्या, जो आप ना कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राठौड़ साहब, थोड़ा राठौड़ी का तो ध्यान रखो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वोट होता ही नहीं, आपने वोट ही क्यों कराई ? हां-ना का सवाल कहां पैदा होता है ? चर्चा हो गयी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधि मंत्रीजी, अभी दो मिनट पहले आपने अनुमोदन किया, नहीं, पारित हो गया यह तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, इस पर कोई वोट नहीं होता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पारित कर दिया। पारित हो गया। पारित कर दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प कोई लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है क्या ? इस संकल्प से आम जनजीवन पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है, मैं आपको निवेदन कर दूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आप बैठें तो मैं निवेदन करूं। ऐसा है कि सर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय, आप विराजें। आप विराजें तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार चेयर ने अनाउंस कर दिया...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा निवेदन यह है कि उस समय माननीय विधि मंत्रीजी ने पूर्ण सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा है कि मैं मंत्रीमण्डल के समक्ष सदन के विचारों को...(व्यवधान) एक मिनट सुनिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसीलिए तो पारित कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उसी को तो स्वीकार कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप स्वीकार करने के पश्चात् तो आपको...

श्री उपाध्यक्ष : यहीं तो कह रहे हैं कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा, उस भावना को स्वीकार की जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : संकल्प पारित के बाद आपको...

श्री उपाध्यक्ष : पारित नहीं कर रहे हैं हम।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय मंत्रीजी ने कहा है उस भावना को सरकार तक पहुंचाने का इन्होंने कहा है, उस बात को स्वीकार की जाए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां-हां, उसको स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष : यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसको स्वीकार कर रहे हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या हो रहा है ? (व्यवधान) आप क्या चाहते हैं ? एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संकल्प पारित हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ? आपने यह कहा...(व्यवधान) सुनिये, आप विराजें प्लीज। आप विराजें। विराजिये, इसमें कोई वोटिंग तो होता नहीं। (व्यवधान) विराजिये। वोटिंग आप कराते हैं तो वोटिंग करा दूं, वोटिंग में अस्वीकार हो जाएगा। आप विराजें। एक मिनट, आप विराजिए। आप विराजें तो सही।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप विराजें। माननीय भाटी साहब, माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि आपकी भावनाओं को मैं स्वीकार करता हूं, सरकार तक पहुंचाऊंगा। आप लोगों ने मेजें थपथपा दीं। उसी भावना को मैंने स्वीकार किया, उसमें क्या है ? (व्यवधान) वही बात है, आप क्या चाहते हैं ? इसमें वोटिंग तो होता नहीं। वोटिंग हो जाएगा, आपका संकल्प गिर जाएगा, उससे क्या फायदा होगा आपको। आपकी भावनाओं की कद्र कर ली सरकार ने यह कम बात है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप उसको पैण्डिंग कर दें।

श्री शिवनाथ सिंह : भाटी साहब, एक मिनट।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा...

श्री शिवनाथ सिंह : ..कि जब संकल्प हमारे सामने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वापस लेना चाहो तो भले ही वापस ले लो, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, नीचे विराजें।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो न, काहे को इसको उलझा रहे हो।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, जब संकल्प हमारे सामने पेश हुआ, उस पर डिस्कशन हुआ और गवर्नमैंट की तरफ से अच्छी भावना व्यक्त की गई। उसके बाद में माननीय जो सदस्य हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने संकल्प को वापस ले लें। आपकी भावनाओं को सरकार ने मंजूर किया है और उसको करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, माननीय उपाध्यक्षजी, यदि ऐसा नहीं होता है और माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : एक ही बात कहूंगा, एक ही बात।

श्री उपाध्यक्ष : वे बोल रहे हैं, उनको तो बोल लेने दो।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सदस्य यदि उसको वापस नहीं लेते हैं तो फिर हां और ना करके इसका फैसला करना पड़ेगा। इसलिए मैं पुनः माननीय भाटी साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी भावना मान लीं गई, या तो आप इसको वापस ले लीजिये और...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। पारित तो होता ही नहीं, विराजें प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : और वापस नहीं लेते हैं तो फिर हां-ना होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो एक निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समझिये इस बात को। (व्यवधान) एक मिनट। आपने मंत्री महोदय की बात स्वीकार कर ली, इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया, संकल्प वापस हो गया।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, संकल्प वापस...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप नहीं लेना चाहते तो वोट करा देता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसी मजबूरी हो तो संकल्प वापस ले लें लेकिन सदन की पूरी भावना इसके साथ जुड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : है न जुड़ी हुई तो ले ही रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : और मंत्री महोदय ने भी इस बात के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : भरोसा दिला दिया न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी भावना कोई गलत नहीं है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : कोई गलत बात नहीं है। लेकिन गैर-सरकारी संकल्प है, इसमें जिद्द काहे की है ? हमेशा संकल्प पास होते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप क्यों जिद्द कर रहे हैं। सुनिये....

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, हम तो एक अच्छी बात है इसके लिए यदि यह पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर आज अपन यह तय कर लेते हैं तो क्या एक महीने के बाद सब जगह हम ऐसा कानून लागू करके थैलियां बंद कर सकेंगे ? इसमें समय लगेगा, यह इतना आसान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका लाभ इसमें ही है। माननीय सदस्य, आपका लाभ इसमें है कि आप इसको विदड्रा कर लें।

श्री देवीसिंह भाटी : यह जिद्द की बात नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने आपको जवाब दे दिया, कृपयापूर्वक आप इसको विदड्रा कर लीजिये। इसके ऊपर कार्यवाही

(श्री खेतसिंह राठौड़)

करेंगे। नहीं तो आप वोट चाहो तो वोट करा लीजिये। और फिर क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका हित इसमें ही है कि आप विदड्रा कर लो। आपकी भावनाओं की कद्र की है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : रूल 118 में है मंत्री के पास पारित संकल्प की प्रति भेजना। जब सदन कोई संकल्प पास कर देता है तो वह मंत्री के पास जाता है। प्रत्येक संकल्प, जिसे सदन ने पारित किया है, उसकी एक प्रति संबंधित मंत्री के पास भेजी जाती है और उसके बाद मंत्री इस पर कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करता है। यही है संकल्प का मतलब, और क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : समय तो लगेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमें तो क्या लगेगा, आप ही की राय है। उसके बाद संकल्प है। सारा सदन चाहता है, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं, सब चाहते हैं, सब की भावना है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी राय से सहमत हैं न, अब क्या चाहते हैं आप ? विदड्रा करो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी और हमारी सब की इच्छा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कटारियाजी, आप तो स्वंय पुराने काफी अनुभवी आदमी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी राय से वे सहमत हैं, उसके बाद आप क्या चाहते हैं ? वापस ले लो संकल्प को। वह कार्य करेंगे, बात खतम हो गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है...।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो फिर वोट होगा। दोनों में से एक बात होगी। आपका संकल्प गिरे उसके बजाय आपके संकल्प की भावना गवर्नमेंट स्वीकार कर रही है, फिर क्या बात हुई ?

श्री देवीसिंह भाटी : नयी परम्परा डाल रहे हैं, साहब। एक अच्छा संकल्प आया, पूरे सदन की भावना है।

श्री उपाध्यक्ष : या तो विदड्रा कर लीजिये। सदन की भावना है तो वोट करा लीजिये। आप समझ नहीं रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : नियमों में प्रावधान है। प्रक्रिया और नियमों में यह सप्ष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की भावना है तो सदन स्वीकार कर ले, मैं कहां मना कर रहा हूं ?

श्री देवीसिंह भाटी : मना नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह....

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने कब मना किया है ? भावना है, आप उस भावना को

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कायम रखिये। वोट मत करवाइये, इससे कोई लाभ नहीं होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : वोट कराने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय भाटी साहब, एक मिनट मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने भी इस बात से अपनी सहमति जताई है कि समस्या गंभीर है और हमें इस पर तत्काल मनन करना चाहिए विचार करना चाहिए और इसका जो भी समाधान सम्भव हो, समय रहते किया जाना चाहिए। मैं, मान्यवर, निवेदन इतना ही करना चाहूंगा कि कानून बनेगा तब बनेगा लेकिन कम से कम आप कुछ जिलों को मॉडल के रूप में चुनें, जो बड़े शहर हैं उनको आप चुनें।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो प्रश्न ही नहीं है अभी। आप क्यों इस पर बोल रहे हैं ? यह प्रश्न ही नहीं है सामने अभी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप डी.एल.बी. के माध्यम से वहां पर छोटे-मोटे डाइरेक्शन तो दिलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न ही नहीं है अभी सामने। अभी तो प्रश्न यह है कि...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...(व्यवधान) ...जो संकल्प के बारे में प्रावधान है वह यह है कि जब अनेक विषयों के अन्तर्गत किसी संकल्प की चर्चा हो चुकी हो तो अध्यक्ष संकल्प को विभाजित कर सकेगा और वह उचित समझे तो प्रत्येक विषय पर कोई विषय मत के लिए अलग-अलग रख सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कहां से पढ़ रहे हैं आप ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह मत विभाजन का तो प्रोविजन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोविजन है न ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और उसी आधार पर आपने राय पढ़ी और राय पूछने के बाद आसन ने कहा कि संकल्प पारित किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने राय यह पूछी कि इन्होंने जो प्रस्ताव दिया...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सारे लोगों ने हां कर दी।

एक माननीय सदस्य : वोट करवाइये, ये ऐसे नहीं मानेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यह राय पूछी है, एक मिनट विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : ...(व्यवधान)...थैली का इस्तेमाल नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने मंत्रीजी की राय से सहमति प्रकट की। इसलिए मैंने पूछा कि मंत्रीजी की राय से आप सहमत हो तो

(श्री उपाध्यक्ष)

जो पक्ष में हों हां कहे और मंत्रीजी की राय से असहमत हों तो ना कहें। सब लोग हां कह रहे थे फिर हां हो गया और क्या है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा नहीं है साहब, खैर चाहे वह किसी प्रक्रिया से हो गया हो, एक अलग सवाल है लेकिन आपकी मंशा और हमारी सबकी मंशा और आपने जो पूछा था...

श्री उपाध्यक्ष : हमारी मंशा यही है कि....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ....वह संकल्प के बारे में पूछा था, संकल्प के बारे में सभी लोगों ने हां कही थी।

श्री उपाध्यक्ष : हमारी मंशा यह है कि इस संकल्प को गम्भीरता से लें। सरकार इसको बहुत गम्भीरता से ले रही है इसलिए इसे आप...एक मिनट सुनिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्रीजी की राय के बारे में नहीं पूछा, आप प्रोसीडिंग दिखवा लें। खैर, वह एक अलग बात है। आप क्या करें, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हो सकता है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि इस संकल्प को जितनी गम्भीरता से सरकार ले रही है। (व्यवधान) एक मिनट विराजिये। जितनी गम्भीरता से आपके इस संकल्प को सरकार ले रही है यदि वास्तव में आप इस संकल्प को कायम रखना चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे विदड्रा कर लें। जो सरकार ने कहा है उसको आप मान लीजिये, नहीं तो फिर वोट कर लें। दो ही रास्ते हैं, और कोई रास्ता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मंत्रीजी अगर इस संकल्प को पारित नहीं करना चाहते हैं तो यह संकल्प गिरने दीजिये. Let the message go. इतने अच्छे संकल्प में आपको तकलीफ क्या है ? इस संकल्प को पारित होने के बाद, कोई आप के लिए बाध्यकारी तो है नहीं। आप सहमत हों तो संकल्प की प्रतिलिपि मंत्रीजी को जाएगी। करना आपको ही है; संकल्प मात्र पारित करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। अब उपाध्यक्ष महोदय, इस स्टेज पर मैं बहुत विनम्रता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप यह सुझाव क्यों देते हो कि संकल्प वापस ले लो ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहां दे रहा हूं ? मैं तो इनसे पूछ रहा हूं, अगर ये लेना चाहते हैं तो लें, नहीं लेना चाहते हैं तो वोट कर लेंगे। यह तो पूछना ही पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको सुझाव दे रहे हैं कि हमारा संकल्प पारित होने दें। (व्यवधान) और वह हरिसिंहजी महुवा, माननीय मुख्य सचेतक ने जो व्हिप निकाली है वह मैं सभी क़ांग्रेसी माननीय सदस्यों से कह रहा हूं, उसमें उन्होंने यह लिखा है कि वे सदन में

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पूरे समय उपस्थित रहें और कांग्रेस पार्टी के जो सरकारी संकल्प हों या कोई मोशन हों उसके पक्ष में मतदान करें। अब इसमें सरकार तो है नहीं इसलिए आप लोगों को यह एन्टी डिफैक्शन लॉ एप्लाई करने वाला नहीं है। आप सब लोग तो वोट देवें और इस संकल्प को पारित करावें।

श्री उपाध्यक्ष : इससे क्या मतलब हुआ ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ...(व्यवधान)...मैं अपील कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : वे व्हिप को मानें या न मानें, उससे आपका क्या लेना-देना ? How are you concerned with that ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : व्हिप यही है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें वोटिंग कराएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हां तो कराएं न। कह दो कि वोटिंग हो इस पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान)... सरकार इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना रही है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री देवीसिंहजी भाटी ने जो संकल्प रखा है उसकी भाषा यह है कि यह सदन संकल्प करता है कि राज्य सरकार राजस्थान में प्लास्टिक की थैलियों का निर्माण, विक्रय, प्रचलन पर प्रतिबंध लगाएगी। अब इसमें टाइम लगता है, कोई एक साथ तो यह सब कुछ होता नहीं है। हमने आपसे कहा है कि आपने जो संकल्प रखा है उसको हम गम्भीरता से लेते हैं, इस पर हम विचार करेंगे कि किस प्रकार से थैलियों का यह सब बन्दोबस्त किया जा सकता है। इन थैलियों की जगह कागज की थैलियों का रिप्लेसमैंट हो सकता है, इट विल टेक टाइम। ये कहें कि वोट कराओ तो करा दो वोट।

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें आपकी मजबूरी कहां है ? आपको तुरन्त कानून बनाना पड़ेगा, यह कोई मजबूरी नहीं है। यह तो एक संकल्प है। रूल्स में ऐसा नही है कहीं भी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, अगर हम यह पास करा देतें हैं तो यह हमारे लिये जिम्मेदारी है।

श्री देवीसिंह भाटी : नो, नो, नो कोई कम्पलसरी नहीं है। रूल्स में बिलकुल स्पष्ट है। यह तो एक संकल्प है।

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प तो कोई कानून नहीं है, आप कानून बनाएंगे तो सिर्फ मोरल सपोर्ट है। आप खुद चिंतित हैं इस बात के लिए, इसमें आपकी हार कहां हुई ? It is not binding on you.

श्री उपाध्यक्ष : तो कह दिया न, आपके मोरल सपोर्ट को पारित कर रहे हैं। एग्री कर रहे हैं न।

श्री रामप्रताप : संकल्प सिर्फ आपको मोरल सपोर्ट देगा। अगर आप करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। इसमें कहां वोटिंग और डिवीजन की बात है ?

एक माननीय सदस्य : मानें नहीं तो आप घंटी बजाओं और वोट कराओ।

श्री अब्दुल अजीज : आज ये इतने मीठे बोल रहे हैं, साहब ये, सब समझ रहे हैं। लोग इतने मीठे बोले रहे हैं बी.जे.पी. वाले, इसे समझ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या फायदा है, आपकी बात को...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप : मान्यवर, ये केवल मोरल सपोर्ट देगा, इससे ज़्यादा इसमें है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ...(व्यवधान)...रूल्स में ही नहीं है। (व्यवधान) यह कर रहे हैं कि इसमें वोटिंग करा लो। इनकी सोच के ऊपर दया आती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान)...उस संकल्प के ऊपर भी वोट होगा। कृपया वह संकल्प भी गिरवाएं परिवार नियोजन वाले को। अब इस पर वोट कराएं, साहब जैसा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं आपको, प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री देवीसिंहजी भाटी ने प्रस्तुत किया है ...(व्यवधान)...क्या हो गया ?

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, संकल्प वापस नहीं लेंगे, साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, इससे गलत मैसेज जाएगा। मान्यवर, इसमें विदड्रा करा लें। मैं प्रतिपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में माननीय मंत्री महोदय ने अपनी सहमति, अपना एक अभिमत जाहिर किया है क्यों कि सरकार स्वयं यह चाहती है और समय रहते हुए इस पर कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी। मेरा प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों से निवेदन है कि अपने संकल्प को, जो अपनी प्रक्रिया है, उसको विदड्रा कर लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...(व्यवधान) ...नहीं, आपको चाहिए कि संकल्प को मानें। आप कोई समय सीमा में नहीं बंधने जा रहे हैं कि आपको कल का कल ही पालन कराना है। आपके पास पर्याप्त समय है। जब आप और हम सब एकमत में हैं कि इसका कानून बनाया जाए तो जितना समय आपको लगेगा उतने समय में आप कानून बना लीजिये। लेकिन यह आपकी मंशा है कि हम कानून ही नहीं बनाना चाहते हैं तो एक अलग बात है। आप बनाना चाहते हैं, आपकी मंशा भी यही है, हमारी मंशा भी यही है। यह पास होगा, एक अवधि लगती है, समय लगता है इसका, उस समय में आप कानून बना कर लाइये। यही इसकी मंशा है और कोई मंशा नहीं है।

श्रीमती कमला : हाउस में माननीय मंत्री महोदय ने जो एश्योरेंस दिया है, जो

(श्रीमती कमला)

विलिंगनैस दिखायी है, राज्य सरकार की सहमति बतायी है उसको हम बाद में ना करते हैं क्या ? लेकिन उसके लिए समय लगेगा, उसकी प्रक्रिया ढूंढनी पड़ेगी। आज आप यह कराना चाहते हैं, कल को स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि उन्हें प्रोलांग करना पड़े। तो इससे हम बंधने वाली स्थिति में नहीं आ सकते...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : बंधना इसमें कहां है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : मान्यवर, जयपुर रेलवे स्टेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप यहां पर प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से आप भी कहीं न कहीं कोई पर्टीकुलर एरिया पर लगा सकते हैं कि आप रोडवेज डिपो पर प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे या जयपुर नगर परिषद के इलाके में आप थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे या आप किसी भी पर्टीकुलर नगर पालिका क्षेत्र में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें कानून की कहां आपको आवश्यकता पड़ रही है ?

डा. चन्द्रभान : वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा रेलवे के लिए तो।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, नहीं, उन्होंने तो लगा दिया। उन्होंने आज यह लगा दिया कि रेलवे स्टेशन जयपुर पर आप इन थैलियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इन्होंने रखा है इसे हम किसी हालत में वापस नहीं लेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान की बहुत-सी ऐसी नगरपालिकाएं हैं जिन्होंने इस तरह के आदेश जारी किये हैं कि इस नगरपालिका क्षेत्र में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उदयपुर नगरपालिका ने भी कर रखा है। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको भी जानकारी है कि उदयपुरवाटी नगरपालिका ने भी यह प्रस्ताव ले लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चूरू में लिया है।

श्री शिवनाथ सिंह : मुझे पूरी जानकारी है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ...(व्यवधान) ...मेरा जो संकल्प है वह तो परिवार कल्याण की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण रखने का है, अगर उस पर भी सरकार वोट कराएगी और यही स्थिति रहेगी, सब पर यही प्रक्रिया अपनाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। यह तो एक प्रस्ताव है कि पूरा सदन एक भावना व्यक्त कर रहा है। सरकार उसको माने या नहीं माने, यह अलग बात हुई। इसमें कहां पारित कराने पर इनको एतराज की और विरोध की बात आ गई ?

एक माननीय सदस्य : हां, तो खाली चर्चा होने दो उस पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, चर्चा हो, पर यह क्या बात हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस सेंसिटिव इश्यू पर पूरा सदन चिंतित है, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, प्लास्टिक से पूरा सदन ही चिंतित है, सरकार भी चिंतित है। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया है। सरकार के प्रतिनिधि के नाते लॉ मिनिस्टर ने जब स्वीकार किया है तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए कि इस पर प्रतिबंध की बात नहीं सोची जाएगी। जिस पर पूरा सदन सहमत है और जिस स्थिति पर सारे सदन को चिन्ता है, उस इश्यू पर यदि केवल मूंछ का बाल बनाकर, प्रेस्टीज पाइंट बनाकर वोट की बात करें, इसका सरकार और विपक्ष के प्रति बाहर मैसेज गलत जाएगा। जिस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण रखा गया और जिस महत्व के साथ इस बात को समझा गया, निश्चित रूप से सरकार कानून बनाएगी, निश्चित रूप से सारे पहलुओं पर सरकार सोचेगी।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, अभी हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में एक रिसर्च हुई है। प्लास्टिक की थैलियों के मैटीरियल के साथ एक कैमिकल और मिलाया जा रहा है जिससे कि फैंकने के बाद यह गल जाए। एक नयी प्रकार की रिसर्च हुई है। दूसरी बात, पर्यावरण की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। हमारे माननीय विधि मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया है, पूरी सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है, विचार करने की बात कही है, इसको रोकने की बात भी कही है, ईमानदारी से चिन्ता की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रेस्टीज पाइंट न बनाकर इसे आप विदड्रा करें और सरकार पर भरोसा करें, इसका बाहर मैसेज अच्छा जाएगा। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो हाउस को कल तक के लिये एडजोर्न कीजिए, बात खतम हुई। इसको अननैसेसरी मुद्दा बनाने की जरूरत ही कहां है ? यह हमारा एक प्राइवेट संकल्प था, लोगों ने संकल्प ले लिया। हम लोगों ने आपसे यह राय ली नहीं कि आप इसे पारित करोगे कि नहीं करोगे। माननीय मंत्री महोदय ने अपनी राय जाहिर कर दी कि हम इसको लागू करना चाहते हैं। जब समय आएगा तब लागू करिएगा।

श्री उपाध्यक्ष : इनकी बात कैरी आउट हो रही है, सरकार मान रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फारमेशन। बहुत ही दु:खद समाचार है, भरतपुर के एम्युनिशन डिपो में आग लग गई है और सारा भरतपुर इस समय खाली हो रहा है, बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। माननीय मंत्री महोदय, थोड़ी जानकारी करके स्थिति के बारे में जानकारी दें कि क्या स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी तो सदन को स्थगित करके ही पता करवाएं। आपका

(श्री उपाध्यक्ष)

यह रह जाएगा सीधी बात है। आपका संकल्प भी रह जाएगा। बहुत ही दुःखद घटना का समाचार मिला है। आपका संकल्प स्टैंड कर जाएगा, आप समझ ही नहीं रहे हो। आपका संकल्प है, समझ ही नहीं रहे हो, इनको समझाओ।

श्री देवीसिंह भाटी : दो घण्टे का समय आपने निश्चित किया था।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : बहुत महत्वपूर्ण नगर है, नगर बहुत नजदीक है। यहां क्या कर लोगे, यह तो बाद में रख लेना, आपका पैंडिंग हो जाएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप खड़े होकर कर दो, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम इस संकल्प को वापस नहीं लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ ही नहीं रहे हैं, यह संकल्प रह जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम समझ रहे हैं, सरकार प्रतिष्ठा का सवाल बनाये हुए है।

श्रीमती कमला : सदन को स्थगित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : यह संकल्प रह जाएगा, वोटिंग नहीं होगी, अगली बार आ जाएगा।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि इसको वापस नहीं लेंगे तो इसका विकल्प है कि इसको पैंडिंग कर दो आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक आप दूसरा सब्जैक्ट ले लो।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। माननीय सदस्य, सरकार को जो सूचना मिली है, आपने दी है, इतनी गम्भीर घटना घट रही है। सरकार के सभी माननीय सदस्य इसके प्रति बहुत चिन्तित हैं और वे इसकी जानकारी लेना चाहते हैं। इसलिए इस संकल्प को इसी स्थान पर एज इट इज रख कर सदन की बैठक सोमवार दिनांक 1 मई, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18:34 बजे सोमवार; 1 मई, 2000 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

पंचायत समिति पाली/रानी/देसूरी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के काश्तकारों को फव्वारा सैट पर अनुदान

648. **श्री आत्माराम मेघवाल** (देसूरी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली में प्रदर्शन के लिये कुल कितना बीज वितरित किया गया ? उक्त में से पंचायत समिति पाली, रानी व देसूरी को कितना-कितना बीज कितने किसानों को वितरित किया गया ?

(2) उक्त पंचायत समितियों के कितने-कितने काश्तकारों को फव्वारा सैट दिये गये हैं ?

(3) वर्ष 2000-2001 में कितने फव्वारा सैट पाली जिले में वितरित करने के प्रस्ताव है ? उक्त में से अनुसूचित जाति/जनजाति के काश्तकारों को कितने दिये जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

(1) जिला पाली में प्रदर्शन के लिए वर्ष 1999-2000 में 184.47 क्विण्टल बीज वितरित किया गया। उक्त में से पंचायत समिति पाली में 35.89 क्विण्टल बीज 206 किसानों को, रानी में 9.11 क्विण्टल बीज 48 किसानों को तथा देसूरी में 25.36 क्विण्टल बीज 131 किसानों को (कुल 70.36 क्विण्टल बीज 385 किसानों को) वितरित किया गया।

(2) वर्ष 1999-2000 में पंचायत समिति रानी में 3, देसूरी में 34 कृषकों को फव्वारा सैट अनुदान पर दिये गये हैं। पंचायत समिति पाली के एक भी कृषक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण किसी को भी अनुदान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(3) वर्ष 2000-2001 में पाली जिले में 200 फव्वारा सैट वितरित करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावित लक्ष्यों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर 60 फव्वारा सैट अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को दिया जाना प्रस्तावित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशियों को पदोन्नति

649. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बोर्ड द्वारा आदेश क्रमांक 6559 दिनांक 9.2.99 के संशोधित चैनल ऑफ प्रमोशन 1997 के अन्तर्गत किनको

(श्री ललित भाटी)

पदोन्नतियां दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदोन्नति करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को जोन ऑफ कन्सीडरेशन से किस अनुपात में लेने का प्रावधान है ? क्या उक्त वर्गों के प्रत्याशियों को जोन ऑफ कन्सीडरेशन में लिया गया ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों ?

(3) खण्ड दो में वर्णित वर्गों के कितने प्रत्याशियों को खण्ड (1) में वर्णित आदेशानुसार पदोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) बोर्ड सेवा नियम 1997 के नियम 10 में क्या प्रावधान हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित आदेश से पूर्ण संतुष्ट एवं सहमत है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा संशोधित चैनल प्रमोशन, 1997 अनुमोदन होने के पश्चात् उक्त सेवा नियमों के अन्तर्गत का.आ.क्र. 6559 दिनांक 9.2.99 के द्वारा पदोन्नत किये गये अधिकारियों/कार्मिकों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) खादी बोर्ड में उक्त पदों पर पदोन्नति करते समय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सेवा नियमों के अन्तर्गत अनु.जाति/जनजाति को डी.पी.सी. नियमों के अनुसार रिक्त पदों पर 1 : 5 (एक अनुपात पांच) के अनुपात में रोस्टर बिन्दु अनुसार पदोन्नति देने का प्रावधान है। जी हां, उक्त वर्ग के प्रत्याशियों की उपलब्धता के अनुसार जोन ऑफ कन्सीडरेशन में लिये जाने का परीक्षण किया गया। लेकिन उक्त वर्ग के कोई भी प्रत्याशी का जोन ऑफ कन्सीडरेशन में उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी का चयन नहीं हुआ।

(3) खण्ड दो में वर्णित वर्गों के प्रत्याशियों में से अनु. जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कोई प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नत नहीं किया गया।

(4) बोर्ड सेवा नियम 1997 के नियम 10 में अनु. जाति/जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) जी, हां। नियमानुसार होने के कारण।

परिशिष्ट-'1'

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

क्रमांक :–के.बी.बी.एफ./संस्थापन/6559 दिनांक 9.2.99

कार्यालय आदेश

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमित कर्मचारी सेवा अधिनियम 1977 एवं संशोधित चैनल ऑफ प्रमोशन 1997 के अन्तर्गत गठित सेवा समिति की बैठक दिनांक 5.2.99 व कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 8.2.99 के प्रस्ताव संख्या 2 के निर्णयानुसार निम्नांकित कर्मचारियों को नियम 26 के अन्तर्गत उनके नाम के आगे अंकित पद पर कार्य पर उपस्थिति दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रोबेशन पर (परिवीक्षा अवधि पर) वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नत कर पदस्थापित किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	वर्तमान पद स्थापित स्थान	वेतन श्रृंखला	पदोन्नत पद एवं पद स्थापित स्थान
1	2	3	4	5
1.	श्री गुरूवसवराज, संगठक	प्र.का., जयपुर	5500-9000	विकास अधिकारी (ऊन) प्र.का., जयपुर
2.	श्री राधेश्याम गुप्ता, संगठक	प्र.का. जयपुर	5500-9000	मु. संगठक (खादी) प्र.का. जयपुर
3.	श्री रामप्रसाद शर्मा, संगठक	प्र.का. जयपुर	5500-9000	मु. संगठक (ग्रामोद्योग) प्र.का. जयपुर
4.	श्री रामजीलाल शर्मा, संगठक	जि.उ.के. स.माधोपुर	5500-9000	जिला उद्योग अधिकारी, जि.उ.के. जालौर
5.	श्री रमेशचन्द माथुर, संगठक	प्र.का. जयपुर	5500-9000	जिला उद्योग अधिकारी, जि.उ.के., बून्दी

1	2	3	4	5
6.	श्री विद्याधर सिंह, जि.उ.नि.	जि.उ.के. झुन्झुनूं	5500-9000	जिला उद्योग अधिकारी, जि.उ.के., सिरोही
7.	श्री द्वारकाप्रसाद शर्मा, संगठक	जि. उ. के. झालावाड़	5500-9000	जिला उद्योग अधिकारी, जि.उ.के. स.माधोपुर
8.	श्री शांतिस्वरूप शर्मा जि.उ.नि.	जि.उ.के., भरतपुर	5500-9000	जिला उद्योग अधिकारी, जि.उ.के. नागौर
9.	श्री लादूराम शर्मा, जि.उ.नि.	जि.उ.के. बीकानेर	5500-9000	निरीक्षक सहकार, जि.उ.के., बांसवाड़ा
10.	श्री स्वरूपचन्द लूणावत, संगठक	जि.उ.के., अजमेर	5500-9000	निरीक्षक सहकार, जि.उ.के., डूंगरपुर

क्रमांक 4, 6, 7, 8, 9 एवं 10 के कर्मचारी अपना चार्ज जिलाधिकारी (खादी) जिला उद्योग केन्द्र के (अनुसार)-निर्देशानुसार व्यक्ति को संभलवाकर कार्य मुक्त होंगे तथा पदोन्नत पदस्थापित स्थान पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति रिपोर्ट 7 (सात) दिवस में महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को प्रेषित करेंगे। क्रमांक 1 से 3 व 5 के कर्मचारी अपनी उपस्थिति रिपोर्ट निम्नहस्ताक्षरकर्ता को देंगे। पदोन्नत पद पर 7 (सात) दिवस में उपस्थिति की सूचना प्राप्त नहीं होने पर पदोन्नति निरस्त समझी जावेगी।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह०
सचिव
राज. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जयपुर

परिशिष्ट-2

10. RESERVATION OF VACANCIES FOR THE SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULE TRIBES :-

(i) Reservation vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be in accordance with the orders of the Govt. for such reservation in force at the time of recruitment i.e. by direct recruitment and by promotion.

(ii) The vacancies so reserved for promotion shall be filled in by merrit alone.

(iii) In filling the vacancies so reserved, the eligible candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list propared for direct recruitment by the Service Committee for posts filling in its purview, and by the Appointing Authority, in other cases and the Services Committee or the Appointing Authority as the case may be in the case of promotees, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(iv) Appointments shall be made strictly in accordance with the rosters prescribed separetely for direct recruitment and promotion in the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in a particular year, the vacancies of reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure, and the equivalent member of additional vacancies shall be reserved in the subsequent year. Such of the vacancies which remains so unfilled shall be carried forward to the subsequent three recruitment years in total and thereafter such vacancies and reservation would lapse.

Provided that there shall be no carry forward of the vacancies in posts of class/category/group of posts in any order of Service to which promotions are made on the basis of marit alone, under these Regulation.

11. DETERMINATION OF VACANCIES.

(i) Subject to the provisions of these Regulations and the decision of the Board, if any, the Appointing Authority shall determine at the commencement of each calander year the number of vacancies anticipated during the year and the number of persons likely to be recruited by each methed and shall initiate action in time for filling the vacancies.

(ii) Any vacancy which remains unfilled for non-availability of suitable candidates or otherwise shall be carried forward from year to year. Provided that the additional vacancies or such of them as are not filled shall lapse at the end of the second year.

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद नाम
1	2	3
1.	श्री गुरूबसवराज	संगठक
2.	श्री रामजी लाल शर्मा	संगठक
3.	श्री राधेश्याम गुप्ता	संगठक
4.	श्री राम प्रसाद शर्मा	संगठक
5.	श्री रमेश चन्द माथुर	संगठक
6.	श्री विद्याधर सिंह	जिला उद्योग निरीक्षक
7.	श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा	जिला उद्योग निरीक्षक
8.	श्री शांतिस्वरूप शर्मा	जिला उद्योग निरीक्षक
9.	श्री सुरेश चन्द जैन	जिला उद्योग निरीक्षक
10.	श्री लादूराम शर्मा	जिला उद्योग निरीक्षक
11.	श्री स्वरूप चन्द लूणावत	संगठक

1	2	3
12.	श्री रामस्वरूप शर्मा	संगठक
13.	श्री रामवतार गुप्ता	संगठक
14.	श्री बसन्ती लाल पारीक	संगठक
15.	श्री ब्रज मोहन मोदी	जिला उद्योग निरीक्षक
16.	श्री किशोर कुमार भार्गव	संगठक
17.	श्री कैलाश चन्द झालानी	जिला उद्योग निरीक्षक
18.	श्री महावीर प्रसाद शर्मा	जिला उद्योग निरीक्षक
19.	श्री रामवतार टेलर	जिला उद्योग निरीक्षक
20.	श्री कमल किशोर राठी	जिला उद्योग निरीक्षक
21.	श्री शुभ करण	जिला उद्योग निरीक्षक
22.	श्री आदेश कुमार शर्मा	जिला उद्योग निरीक्षक
23.	श्री कृष्ण कुमार शुक्ला	जिला उद्योग निरीक्षक
24.	श्री हरिमोहन शर्मा	जिला उद्योग निरीक्षक
25.	श्री प्रहलाद राय नाई	जिला उद्योग निरीक्षक
26.	श्री रघुनाथ वर्मा	पर्यवेक्षक प्रथम
27.	श्री रमेश स्वर्णकार	जिला उद्योग निरीक्षक
28.	श्री महेश चन्द गुप्ता	जिला उद्योग निरीक्षक
29.	श्री योगेन्द्र प्रसाद सैकडा	संगठक
30.	श्री रघुवीर सिंह	जिला उद्योग निरीक्षक

जिला बाड़मेर/जैसलमेर/जालौर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

650. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर में राजकीय चिकित्सालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कितने हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों तथा तकनीशियनों के अभाव में रोगियों के इलाज की माकूल व्यवस्था नहीं है ?

(3) क्या उक्त राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टरों, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ विशेषज्ञों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर में राजकीय चिकित्सालय (उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या सूची इस प्रकार है :—

	बाड़मेर	जैसलमेर	जालौर
चिकित्सालय/उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	11	4	9
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	66	16	56

(2) उपरोक्त जिलों के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद बाड़मेर में 53, जैसलमेर में 11, जालौर में 31 तथा तकनीशियन के बाड़मेर में 23 जैसलमेर में 2 तथा जालौर में 47 पद रिक्त हैं, फिर भी उपरोक्त चिकित्सालयों में रोगियों के इलाज की सामान्यतया संतोषजनक व्यवस्था है।

(3) उपरोक्त जिलों के चिकित्सालयों में डाक्टर वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

	वरिष्ठ विशेषज्ञ	उप नियंत्रक/कनिष्ठ विशेषज्ञ	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
बाड़मेर	1	14	38
जैसलमेर	—	1	10
जालौर	2	11	18

(4) जी हां, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनित अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

पैलेस ऑन व्हील के यात्रियों को बस सुविधा

651. **श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा** (बयाना) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भण्डारी ज्वैलर्स जयपुर को सरकार ने सैलानियों द्वारा की जाने वाली खरीददारी के लिए ब्लैक लिस्ट किया है ? यदि हां, तो टूरिस्टों को भण्डारी ज्वैलर्स की दुकान पर क्यों ले जाया जाता है ?

(2) क्या राजस्थान हैण्डी क्राफ्ट की सरकारी दुकान पर कांट्रेक्ट की बसें टूरिस्टों को खरीददारी के लिये ले जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और हां, तो गत वर्ष से मार्च, 2000 तक कितने परिचक्र बस दुकान पर पहुंची एवं कितने की खदीददारी हुई ?

(3) क्या वर्ष 1999 में टूरिस्टों को घुमाने के लिए बसों का कांट्रेक्ट सरकार से भण्डारी ज्वैलर्स जयपुर से हुआ है ? यदि हां, तो टेन्डर के मुताबिक निजी बस कैसी है ?

(4) क्या ट्रेवलर्स ब्यूरो आगरा, पैलेस ऑन व्हील्स के यात्रियों (टूरिस्टों) को भरतपुर, फतहपुर सीकरी घुमाने के लिये बस उपलब्ध कराता है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। राजस्थान हैण्डी क्राफ्ट की सरकारी दुकान 'राजस्थली' जयपुर पर सितम्बर, 99 से मार्च, 2000 तक 31 परिचक्र राजस्थान पर्यटन विकास निगम की अनुबंधित बसों ने लगाये हैं। पर्यटकों द्वारा की गई खरीददारी का हिसाब पर्यटन विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है।

(3) जी, नहीं।

(4) पैलेस ऑन व्हील्स के यात्रियों को भरतपुर, फतहपुर सीकरी घुमाने के लिए निगम ने वर्ष 1999-2000 में अरावली सफारी एण्ड ट्यूर्स से अनुबंध किया है।

प्रश्न संख्या-652

(स्थगित)

प्रश्न संख्या-653

(स्थगित)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के 91-आर.डी. पर पुल निर्माण

654. **श्री आदराम मेघवाल** (टिब्बी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की 91 आर.डी. (रावतसर-सूरतगढ़ मोड) पर काफी वर्षों से भी पुल नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त पुल के अभाव में जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(श्री आदराम मेघवाल)

यदि हां, तो उक्त पुल अब कब तक बना दिया जायेगा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। नहर निर्माण के समय केवल स्थापित मार्गों पर ही पुल बनाये गये थे। बुर्जी 84.000 तथा बुर्जी 99.500 पर स्थापित मार्गों पर ही नहर निर्माण के समय पुलों का निर्माण करवाया गया था। रावतसर-सूरतगढ़ सड़क का निर्माण नहर के निर्माण के बाद में हुआ था। अतः बुर्जी 91.000 पर जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुल का निर्माण करना या न करना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तय किया जाना उचित होगा। सिंचाई विभाग द्वारा बुर्जी 91.000 पर पुल बनाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(2) बुर्जी संख्या 84.000 एवं 99.500 पर पूर्व में ही पुल बने हुए हैं तथा यातायात उक्त पुलों से होकर गुजर रहा है। अतः सिंचाई विभाग द्वारा बुर्जी 91.000 पर पुल बनाने की कोई योजना नहीं है।

राज्य को विभिन्न संस्थाओं से ऋण

655. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 में किन-किन स्रोतों से कुल कितना-कितना ऋण लेने का प्रावधान रखा था ?

(2) अब तक विभिन्न स्रोतों से कितनी ऋण राशि ली जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने वर्ष 1999-2000 में विभिन्न स्रोतों से 4715 करोड़ 73 लाख रुपये ऋण लेने का प्रावधान रखा था। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में विभिन्न स्रोतों से 5427 करोड़ 75 लाख रुपये का ऋण लिया गया है। विवरण परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है। महालेखाकार कार्यालय द्वारा वर्ष के लेखों को अंतिम रूप देने के बाद अंतिम आंकड़े उपलब्ध होंगे।

परिशिष्ट-"अ"

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में विभिन्न स्रोतों से ऋण लेने हेतु रखे गये प्रावधान राशि का विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	ऋण का प्रकार	ऋण लेने हेतु रखे गये प्रावधान की राशि
1	2	3
	केन्द्र सरकार से ऋण	
1.	आयोजना ऋण	1084.33
2.	गैर आयोजना ऋण	1515.83
3.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	42.17
4.	मार्गोपाय अग्रिम	—
	योग :—	**2642.33**
	वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं बाजार ऋण	
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	15.39

1	2	3
2.	भारतीय साधारण बीमा निगम	14.69
3.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	
	(अ) राष्ट्रीय ग्रामीण साख (दीर्घ कालीन प्रवर्तन) निधि के अन्तर्गत ऋण	12.50
	(ब) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत ऋण	222.50
4.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	—
5.	हाउसिंग डवलपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन लि.	15.00
6.	आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हुडको)	—
7.	राजकीय उपक्रमों के माध्यम से प्राप्त ऋण पत्र	900.00
8.	राजस्थान राज्य विकास ऋण	893.32
	योग :–	**2073.40**
	कुल योग :–	**4715.73**

नोट :– सूचना ऋण से संबंधित है। इसमें लोक लेखों के अन्तर्गत वर्गीकृत "अन्य देनदारियां" सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट-"ब"

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ऋण राशि का विवरण।

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	ऋण का प्रकार	प्राप्त ऋण की राशि (संशोधित अनुमान के अनुसार)
1	2	3
	केन्द्र सरकार से ऋण	
1.	आयोजना ऋण	930.56
2.	गैर आयोजना ऋण	1721.17
3.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	34.60
4.	मार्गोपाय अग्रिम	870.00
	योग :-	**3556.33**
	वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं बाजार ऋण	
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	15.39
2.	भारतीय साधारण बीमा निगम	14.69

1	2	3
3.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	
	(अ) राष्ट्रीय ग्रामीण साख (दीर्घ कालीन प्रवर्तन) निधि के अन्तर्गत ऋण	10.92
	(ब) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत ऋण	100.00
4.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	14.80
5.	हाउसिंग डवलपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन लि.	30.00
6.	आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हुड़को)	100.00
7.	राजकीय उपक्रमों के माध्यम से प्राप्त ऋण पत्र	362.30
8.	राजस्थान राज्य विकास ऋण	1223.32
	योग :—	**1871.42**
	कुल योग :—	**5427.75**

नोट :— 1. सूचना ऋण से सम्बन्धित है। इसमें लोक लेखों के अन्तर्गत वर्गीकृत "अन्य देनदारियां" सम्मिलित नहीं है।

2. वर्ष के दौरान पिछले वर्षों के ऋणों के पुर्नभुगतान हेतु लौटायी गयी राशि उपरोक्त राशि में से कम नहीं की गयी है।

बन्दियों के लिये किये जाने वाले सुधारात्मक कार्य

656. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जेल विभाग में पुलिस विभाग तथा आर.ए.एस. अधिकारी लगाने के बाद बन्दियों के लिये किये जाने वाले सुधारात्मक कार्यों में बढ़ोतरी हुई है ?

(2) वर्ष 1985-86 से मार्च, 2000 तक हुए उद्योग शाला से जेल विभाग को हुई आय वर्षवार कितनी रही है ?

(3) क्या पुलिस अधिकारी से और आर. ए.एस. अधिकारी लगाने के बाद जेल विभाग की उद्योग शालाओं में उत्पादन गिरा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं ?

(4) खेती के प्रशिक्षण के लिए कैदियों को जेल के बगीचे में निकाला जाना क्या महानिदेशक के आदेश से रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ? क्या इससे जेल के बगीचे के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) जी, हां, जेल विभाग में पुलिस तथा आर.ए.एस. अधिकारी लगाने के बाद बंदियों के लिए किये जाने वाले सुधारात्मक कार्यों में बढ़ोतरी हुई है।

(2) राजस्थान राज्य की कारागृहों की उद्योगशालाएँ बिना लाभ व हानि पर चलाई जाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य बंदियों को प्रशिक्षित करना है। वर्ष 1985-86 से मार्च, 2000 तक उद्योगशालाओं में हुए उत्पादन का विवरण निम्नभांति है :–

क्र.सं.	वर्ष		राशि
1.	1985-86	रु.	32,81,907.24
2.	1986-87	रु.	27,16,932.52
3.	1987-88	रु.	26,98,163.38
4.	1988-89	रु.	11,95,295.49
5.	1989-90	रु.	13,96,974.82
6.	1990-91	रु.	22,23,3846.07
7.	1991-92	रु.	30,48,424.03
8.	1992-93	रु.	33,07,050.81
9.	1993-94	रु.	40,32,135.70
10.	1994-95	रु.	22,58,013.77
11.	1995-96	रु.	99,86,768.24
12.	1996-97	रु.	04,43,843.89
13.	1997-98	रु.	176,32,867.68
14.	1998-99	रु.	80,60,468.17
15.	1999-2000	रु.	59,91,558.06

(3) कारागार विभाग में पुलिस विभाग के और आर.ए.एस. अधिकारी लगाने के बाद केवल मात्र 1994-95, 1996-97 में उत्पादन कम हुआ है, जिसका कारण कच्चे

(राज्य मंत्री, कारागार)

माल की आपूर्ति पूर्ण न होना, खरीद पर प्रतिबंध एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होना तथा संस्थागत ढांचा पूर्ण रूप से विकसित न होना यथा पुराने उपकरण एवं माह सितम्बर, 1989 से 10/91 तक अधिकांश बंदियों का हड़ताल पर होना रहा है।

(4) जी, नहीं।

जिला भीलवाड़ा में छात्र अनुपात में विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदस्थापन

657. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा में जो समानीकरण के अन्तर्गत स्थानान्तरण हुए हैं वे राज्यादेशों के अन्तर्गत हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी परिवेदनाएं किस-किस अधिकारी को प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या सरकार माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगे हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी समानीकरण आदेशों की परिधी में लेकर प्राथमिक विद्यालय जहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है, वहां पर अन्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां अधिक कार्यभार नहीं है वहां से कम करके उन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार प्रदेश के विद्यालयों में छात्रों के अनुपात से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समानीकरण के आधार पर पद-स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। समानीकरण के तहत अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन सक्षम अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.5(188)शिक्षा-2/99 दिनांक 9.12.99 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया है। इस समायोजन के विरुद्ध 51 परिवेदनाऐं प्राप्त हुई।

(2) समानीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत पूल बजट के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग में स्वीकृत पदों (इन पदों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं), जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत थे, को प्रारम्भिक शिक्षा के आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा दोनों अलग-अलग विभाग होने के कारण पूल बजट के पदों के अतिरिक्त समानीकरण प्रक्रिया में आवश्यकता से अधिक अधिशेष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उसी संवर्ग के आवश्यकता वाले विद्यालयों में समायोजित कर दिया गया है।

(3) जी, हां। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत हाल ही में छात्र संख्या के आधार पर समानीकरण किया जाकर पदों को आवश्यकता वाले विद्यालयों में समायोजित

(शिक्षा मंत्री)

किया जा चुका है। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों का समानीकरण करने हेतु प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक को लिखा जा चुका है।

जिला डूंगरपुर में एनीकट निर्माण

658. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में भू-संरक्षण द्वारा काफी क्षेत्रों में कार्य करवाये गये हैं ? वर्ष 1995 में किस-किस पंचायत समिति में कितने हैक्टेयर क्षेत्रों में कितना-कितना कार्य हुआ है। और उस पर कितनी राशि व्यय हुई विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिलों में एनिकटों का भी निर्माण किया है ? यदि हां, तो वर्ष 1995 से फरवरी, 2000 तक क्षेत्रवार एनिकटों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि जिला डूंगरपुर में काफी क्षेत्रों में भू-संरक्षण कार्य करवाये गये हैं। वर्ष 1995 (वित्तीय वर्ष 1994-95) से वर्ष 1999-2000 तक 67231 हैक्टेयर क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य करवाये गये हैं जिस पर कुल 18.13 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। जिला डूंगरपुर में वर्ष 1993-94 में कुल 9 एनिकट कार्य स्वीकृत हुए थे जिन पर वर्ष 1995-96 तक निर्माण कार्य किया गया। उपरोक्त 9 कार्यों का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-'1'

जिला डूंगरपुर में पंचायत समितिवार किये गये भू-संरक्षण कार्यों का विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति	करवाये गये कार्यों का क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	व्यय राशि (लाखों में)
1.	डूंगरपुर	6804	233.75
2.	बिछीवाड़ा	11681	381.16
3.	सागवाड़ा	12428	409.56
4.	सिमलवाडा	17933	466.46
5.	आसपुर	18385	322.79
	योग :–	**67231**	**1813.72**

परिशिष्ट-'2'

जिला डूंगरपुर में बनाये गये एनीकट कार्यों का पंचायत समितिवार विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	केचमेन्ट क्षेत्र (है.)	खर्च की गई राशि	वर्तमान स्थिति (कार्य समाप्ति वर्ष)	राशि की आवश्यकता
1.	बिछीवाड़ा	चकमहुडी एनीकट	93-94	3.57	18	3.09	पूर्ण (95-96)	—
2.	बिछीवाड़ा	लोहारिया एनीकट	93-94	3.48	12	3.52	पूर्ण (95-96)	—
3.	सागवाड़ा	झाकरी एनीकट	93-94	4.96	19	3.59	अपूर्ण (94-95)	1.07
4.	सागवाड़ा	उदयपुरा एनीकट	93-94	4.10	20	2.60	अपूर्ण (94-95)	1.50
5.	सागवाड़ा	शिवपुरी एनीकट	93-94	4.04	31	3.22	पूर्ण (94-95)	—
6.	सिमलवाड़ा	कांगुड़वा एनीकट	93-94	3.91	13	3.53	पूर्ण (95-96)	—
7.	सिमलवाड़ा	भण्डारा एनीकट	93-94	2.98	22	2.73	पूर्ण (95-96)	—
8.	सिमलवाड़ा	देवगांव एनीकट	93-94	3.47	21	2.77	अपूर्ण (95-96)	0.70
9.	सिमलवाड़ा	वगवा एनीकट	93-94	2.50	25	2.50	पूर्ण (95-96)	—

राजकीय चिकित्सालयों के भंडार गृहों के पदस्थापन में अनियमितता

659. **श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजकीय चिकित्सालयों के भण्डारों में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन की क्या प्रक्रिया है ? क्या यह सही है कि गत कुछ वर्षों से उक्त प्रक्रिया का उल्लघंन किया जाता रहा है ? यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

प्रक्रिया सम्बन्धी राज्य सरकार के आदेश संलग्न है।

जी, हां। समस्त प्रकरणों की समीक्षा कर राज्य आदेशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनु.-1)

क्रमांक :– प.5(1)प्र.सु./अनु-1/समन्वय/96 जयपुर, दिनांक 7.10.96

परिपत्र

शासन के ध्यान में आया है कि विभिन्न विभागों के भण्डार गृहों (स्टोर्स) का समय पर भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है। वर्षों तक एक ही व्यक्ति स्टोर इन्चार्ज या स्टोर लिपिक बना रहता है, जिससे उसमें उसका स्वयं का हित निहित हो जाता है कि स्टोर का भौतिक सत्यापन न हो। समय पर स्टोर्स का भौतिक सत्यापन न हो पाने के कारण स्टोर सम्बन्धी कई प्रकार की अनियिमितताओं/गलतियों का समय पर पता नहीं चल पाता और संबंधित लिपिक/अधिकारी अनायास ही अनियमित कार्य की ओर अग्रेषित हो जाते हैं तथा उनके दुरुपयोग और दुराचरण की संभावना बढ़ जाती है।

अतः समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है कि स्टोर्स का समय पर भौतिक सत्यापन किया जावे एवं किसी भी लिपिक/अधिकारी को स्टोर्स का कार्य तीन वर्ष से अधिक नहीं दिया जावे। जहां तीन वर्ष से अधिक अवधि के लोग लगे हुए हैं उनका तुरन्त प्रभाव से स्थानान्तरण कर, उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाय तथा एक बार हटाने के पश्चात् हटाये गये व्यक्ति का कम से कम 5 वर्ष की अवधि से पहले उस स्थान पर पुनः पदस्थापन नहीं किया जावे।

इसी क्रम में समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्देश की अनुपालना सख्ती से की जाये एवं अनुपालना सुनिश्चित कर दो माह पश्चात् क्रियान्वयन के क्रम में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनु-1) विभाग को भिजवाया जावे कि उनके अधीनस्थ समस्त विभागों में, स्टोर्स के काम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तीन साल से अधिक वहां काम कर रहा हो।

कृपया इसकी प्राप्ति से भी विभाग को अवगत कराया जाये।

ह./–
(टी.आर. वर्मा)
शासन सचिव

गंगनहर प्रणाली की मरम्मत हेतु पंजाब सरकार को देय राशि

660. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंजाब सरकार ने गंगनहर प्रणाली की मरम्मत के लिए राशि की मांग की है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या राज्य सरकार ने यह राशि उपलब्ध करवा दी है ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

(3) क्या उक्त राशि पंजाब को उपलब्ध नहीं करवाई है ? यदि हां, जो राज्य सरकार कितनी राशि कब तक उपलब्ध कराना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। पंजाब सरकार के द्वारा गंगनहर प्रणाली की मरम्मत हेतु 158.26 लाख रुपये की राशि वर्ष 1999-2000 में भुगतान हेतु मांग की गई।

(2) पंजाब सरकार को इस नहर के लिए 26.45 लाख रुपये ए.जी. के माध्यम से एवं 15 लाख रुपये डी. डी. द्वारा अर्थात् कुल राशि 41.45 लाख रुपये वर्ष 1999-2000 के लिए वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार मार्च, 2000 तक दिये गये।

(3) भाग (2) में विवरण दिया जा चुका है।

राज्य कर्मचारियों को देय बोनस

661. **श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कर्मचारियों को बोनस कब से दिया जा रहा है ? उक्त सम्बन्ध में जब-जब भी निर्णय और घोषणा हुई की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य कर्मियों को किस-किस वर्ष में कितना-कितना बोनस दिया गया ?

उत्तर

(1) राज्य कर्मचारियों को बोनस वर्ष 1985-86 से वर्ष 1997-98 तक दिया गया है। वर्ष 1998-99 के लिए कोई बोनस स्वीकृत नहीं किया गया है। वर्ष 1985-86 से वर्ष 1997-98 के लिए स्वीकृत तदर्थ बोनस के आदेशों की प्रतियां (अनुसूची-1 पर) संलग्न है।

(2) राज्य कर्मचारियों को वर्ष 1985-86 से वर्ष 1997-98 के लिए तदर्थ बोनस स्वीकार किया गया, जिसका विवरण संलग्न अनुसूची-2 में दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कपासन में देय प्रशिक्षण

662. **श्री मोहन लाल चित्तौड़िया** (कपासन) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मोहन लाल चित्तौड़िया)

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कपासन में वर्तमान में फीटर/वेल्डर की ट्रेड चल रही है ?

(2) क्या सरकार उक्त प्रशिक्षण संस्थान में अगले सत्र में अतिरिक्त ट्रेड इलेक्ट्रीकल/वायरमेन/इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्यूटरिंग व सिलाई ट्रेड खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कपासन में वर्तमान में वैल्डर एवं फीटर ट्रेड चल रहे हैं।

(2) जी, नहीं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आगामी सत्र में कोई ट्रेड खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

पंचायत समिति दौसा के ग्रामों में मुफ्त चिकित्सा कार्ड

663. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा कार्ड दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसके क्या नियम हैं ? उक्त कार्ड बनवाने की क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्ड बनवाने में काफी भेदभाव किया गया एवं उच्च वर्ग के लोगों को ऐसे कार्ड बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(3) क्या सरकार समाज में विधवा/तलाकशुदा महिलाओं/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग जिनको उक्त कार्ड चयनित परिवार से नहीं चुने गये हैं बल्कि ग्राम सरपंच, ग्राम सचिव, बी.डी.ओ. द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि अमुक व्यक्ति गरीब है, को भी राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क सुविधाएं देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पंचायत समिति दौसा के अधीन कितने गांवों में उक्त मुफ्त चिकित्सा कार्ड वितरित किये गये हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति में कई व्यक्ति जो चयनित परिवार में है उनको ये कार्ड नहीं मिले हैं ? यदि हां, तो कितने ग्रामों में कब तक उक्त कार्ड बना दिये जावेंगे।

उत्तर

(1) जी, हां, राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा हेतु कार्ड दिये गये हैं। मेडिकेयर रिलीफ कार्ड उपलब्ध करवाये जाने के निर्देश राज्य सरकार के परिपत्र

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

क्रमांक प.13(6)चिस्वा/2/99 दिनांक 2.6.99 द्वारा जारी किये गये उक्त परिपत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी, नहीं, मेडिकेयर कार्ड नियमित प्रक्रिया के तहत बिन्दु संख्या-1 अनुसार जारी किये गये हैं।

(3) उपलब्धता के आधार पर इन श्रेणियों को भी राजकीय चिकित्सालयों में यथासंभव निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(4) खण्ड विकास अधिकारी, दौसा से प्राप्त सूचनानुसार पंचायत समिति दौसा के अधीन 222 गांवों में 7835 गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा हेतु कार्ड वितरित किये गये।

(5) जी, नहीं, खण्ड विकास अधिकारी, दौसा से प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त पंचायत समिति के सभी चयनित परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा हेतु सभी कार्ड 31 मार्च, 2000 तक बांट दिये गये हैं।

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :– प.13(6)चि.स्वा./2/99 जयपुर, दिनांक : 2.6.1999

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
....

परिपत्र

विषय :– गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मेडिकेयर रिलीफ कार्ड का वितरण।

1. राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, गरीब व्यक्तियों में स्वास्थ्य के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने तथा पात्र व चिन्हित व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरीय व ग्रामीण परिवार जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं को मेडिकेयर रिलीफ कार्ड्स वितरित किये जाते हैं।

2. प्रत्येक जिले में उपलब्ध गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नगरीय व ग्रामीण परिवारों की संख्या के आधार पर मेडिकेयर रिलीफ कार्ड्स राज्य सरकार द्वारा मुद्रित करवाये जाकर शीघ्र ही उपलब्ध करवा दिये जाएंगे। मेडिकेयर रिलीफ कार्ड का प्रारूप परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

3. ये मेडिकेयर रिलीफ कार्ड्स जुलाई, 1999 के अंत तक प्रत्येक पात्र परिवार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों के इन पहचान पत्रों को संबंधित पंचायत समिति द्वारा चयनित परिवारों की नवीनतम सूचियों के आधार पर तैयार कर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात् संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित किये जावेंगे। सरपंच ग्राम पंचायत इन कार्डों पर हस्ताक्षर कर संबंधित परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान पहचान-पत्रों पर लगवाएंगे। इन कार्डों का वितरण ग्राम पंचायतों में संबंधित व्यक्तियों को किया जावेगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह कार्य नगरपालिकाओं/नगर परिषद/नगर निगमों के कार्यकारी अधिकारी द्वारा संपादित किया जाएगा। जिले में मेडिकेयर रिलीफ कार्ड्स के वितरण के लिए जिला कलेक्टर पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे, एवं जिला कलेक्टर जिले में कार्ड्स वितरण के लिए प्रत्येक पंचायत समिति/नगरपालिका क्षेत्र के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेंगे। प्रत्येक वार्ड/पंचायत के लिए कार्ड को

तैयार करने एवं वितरण के लिए ग्राम पंचायत के सचिव एवं नगरपालिका के कर्मचारियों को नियुक्त किया जावे एवं उनकी ट्रेनिंग का कार्य यथा शीघ्र पूर्ण करवा लिया जावें।

4. सभी पहचान पत्रों पर नम्बर व कोड अंकित होगा ताकि इनका दुरुपयोग नहीं हो सके। जिला कलेक्टर कोड व नम्बर सम्बन्धी निर्णय अपने स्तर पर लेकर उचित निर्देश विकास अधिकारियों को कृपया जारी कर दें।

5. मेडिकेयर रिलीफ कार्ड धारक व्यक्ति, परिवार एवं इनके सदस्यों (जिनके नाम कार्ड में अंकित हैं) को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा जिसमें दवायें, नैदानिक जांच तथा बहरिंग व अर्न्तवासी विभाग में उपलब्ध सुविधाएं सम्मिलित होंगी, उपलब्ध करवायी जाएंगी। इसके लिए इन निःशुल्क सेवाओं पर होने वाला समस्त व्यय संबंधित राजकीय चिकित्सालय द्वारा वहन किया जाएगा।

6. प्रत्येक चिकित्सा संस्थान जहां मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी कार्यरत है, सोसायटी की आय का 25 प्रतिशत मेडिकेयर रिलीफ कार्ड धारकों को सेवा उपलब्ध कराने पर व्यय करेगा। जिला कलेक्टर इसे सुनिश्चित करेंगे।

7. मेडिकेयर रिलीफ कार्ड धारकों को असाध्य रोगों के निदान व उपचार सम्बन्धी चिकित्सा की उचित अभिशंषा पर 'मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष' से सहायता उपलब्ध रहेगी।

8. योजना के संचालन व क्रियान्विति हेतु जिलों को परिशिष्ट-'ख' के अनुसार राशि का आवंटन किया जा रहा है।

9. इस कार्य को 31 जुलाई, 1999 तक अनिवार्य रूप से सम्पन्न किया जाना है। कृपया इसी अनुरूप योजना लागू करते हुए आपके जिले की प्रगति की सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्ता को अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में भिजवाने का कष्ट करें।

ह०/–
(रामलुभाया)
शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

परिशिष्ट-'क'

राजस्थान सरकार

नाम जिला.. नम्बर....................................

नाम पंचायत समिति...

गरीबों हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कार्ड

1. परिवार के मुखिया का नाम
   व पिता/पति का नाम
2. पूरा पता
3. चयन सूची क्रम संख्या
4. परिवार की सदस्य संख्या

क्रम संख्या	सदस्यों के नाम	उम्र	मुखिया के साथ रिश्ता
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

हस्ताक्षर व मोहर सरपंच ग्राम पंचायत/ वार्ड मेम्बर	हस्ताक्षर व मोहर विकास अधिकारी आयुक्त/अधिशासी अधिकारी	परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठा

पाली कोषागार में बकाया बिलों का निस्तारण

664. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला पाली के कोषागार में किस-किस विभाग के कितने-कितने समय से मेडिकल/यात्रा भत्ता/सामान्य भविष्य निधि ऋण व वतेन स्थिरीकरण आदि के बिल बकाया हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया बिलों को रोके रखने के क्या कारण हैं ?

(3) अब उक्त बकाया प्रकरणों का निस्तारण कितनी अवधि में कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला पाली के कोषागार में दिनांक 22.3.2000 को मेडिकल, यात्रा भत्ता, सामान्य भविष्य निधि एवं वेतन स्थिरीकरण आदि के कोई बिल बकाया नहीं हैं।

(2) कोई बिल बकाया नहीं होने के कारण कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(3) कोई बिल बकाया न होने के कारण कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

पंचायत समिति रानीवाड़ा एवं जसवंतपुरा को स्वीकृत राशि

665. **श्री रतना राम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पंचायत समिति रानीवाड़ा एवं जसवंतपुरा है ? उक्त पंचायत समितियों में कितनी-कितनी पंचायत आती हैं ?

(2) उक्त पंचायतों में वर्ष 1990 से 1999 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में स्वीकृत हुई ? उक्त में से कितने काम पूर्ण हुये और कितने अपूर्ण हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। पंचायत समिति रानीवाड़ा में 28 एवं पंचायत समिति जसवंतपुरा में 23 ग्राम पंचायतें हैं।

(2) पंचायत समिति रानीवाड़ा एवं जसवंतपुरा की ग्राम पंचायतों हेतु वर्ष 1990 से 1999 तक विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत राशि एवं उक्त राशि के अन्तर्गत पूर्ण एवं अपूर्ण रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 व 2 के अनुसार संलग्न है।

परिशिष्ट-'1'

कार्यालय विकास अधिकारी पं.सं. रानीवाड़ा

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में वर्ष 1990 से 1999 के स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि पूर्ण व अपूर्ण कार्यों की सूचना

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र/पं. स. का नाम	योजना का नाम	कुल स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि (लाखों में)	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
1.	पं.स. रानीवाड़ा	जे.आर.वाई. (सामान्य)	27	63.036	26	01
	की विधान सभा	जे.आर.वाई. (ग्राम पं.)	290	220.925	285	05
	क्षेत्र रानीवाड़ा	सु.रो. योजना	51	125.828	51	निल
	के अन्तर्गत ग्राम	इंदिरा आवास योजना	865	111.000	833	32
	पं .की संख्या	निर्बन्ध राशि योजना	02	7.15	02	निल
	कुल 28	अपना गांव अपना काम योजना	63	118.962	59	04
		सम्बल ग्राम विकास योजना	02	3.00	02	निल
		सांसद योजना	02	4.72	02	निल
		आई.आर.डी.पी. योजना	02	1.31	02	निल
		ग्रामीण विकास केन्द्र (RVC)	06	10.57	05	01
		आई.पी.पी. नवम	06	18.00	05	01
		शिक्षामद	02	2.96	02	निल
		महायोग	1318	687.461 लाख	1274	44

ह०/–
विकास अधिकारी
पंचायत समिति रानीवाड़ा
रानीवाड़ा जिला जालौर

परिशिष्ट-'2'

कार्यालय विकास अधिकारी पं.सं. जसवंतपुरा

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में वर्ष 1990 से 1999 के स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, पूर्ण व अपूर्ण कार्यों की सूचना

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र/पं. स. का नाम	योजना का नाम	कुल स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि (लाखों में)	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
1	2	3.	4	5	6	7
1.	विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र जसवन्तपुरा रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्थित पंचायतों की संख्या–23	समन्वित घास व चारा विकास योजना	16	1.47	16	–
		वन विकास कार्य	49	18.25	49	–
		जीवन धारा कूप	94	26.634	94	–
		इन्द्रा आवास	681	91.775	681	–
		अकाल राहत जवाहर रोजगार योजना	12	1.85	12	–
		नवां वित्त आयोग मद	2	3.00	2	–
		कृषि विस्तार कार्यकर्ता भवन	4	3.35	4	–
		ग्रामीण गृह निर्माण	115	1.725	115	–
		निर्बन्ध राशि योजना	4	5.086	4	–
		ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना	3	2.46	3	–
		जे.आर.वाई 20% एवं 15% डी.आर.डी.ए.	17	32.551	17	–

1	2	3	4	5	6	7
		जे.आर.वाई (पंचायत) एवं जे.जी.एस.वाई.	417	152.892	417	—
		अपना गांव अपना काम योजना	22	46.214	22	—
		सुनिश्चित रोजगार योजना	79	185.736	79	—
		रूरल ग्रोथ सोर्स योजना.	5	8.648	5	—
		सांसद योजना	2	5.67	2	—
		अकाल राहत कार्य	137	130.838	105	32
		जे.आर.वाई 15% (पं.स.)	3	8.55	3	—
		इंदिरा आवास अप-ग्रेडेशन मकान	104	14.40	104	—
		आई.पी.पी.-9 मद (उप स्वास्थ्य केन्द्र)	4	12.00	4	—
		योग	**1770**	**749499**	**1738**	**32**

ह०/–
विकास अधिकारी
पंचायत समिति जसवंतपुरा
जिला जालौर

विधान सभा क्षेत्र नदबई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

666. **श्री यशवन्त सिंह (रामू)** (नदबई) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ?

(2) उक्त में से कितने चालू/कितने बंद हैं और बंद रहने का क्या कारण है ?

(3) उक्त केन्द्रों में कितने डॉक्टर, कम्पाण्डर तथा नर्स कार्यरत हैं और कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई में कुल पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिसमें से एक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक केन्द्र है।

(2) उक्त पांचों चिकित्सा संस्थान चालू हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नदबई में स्थापित चिकित्सा संस्थानों में एक पद चिकित्सा अधिकारी का 1.5.99 से तथा एक पद कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) का 1.3.96 से रिक्त है। नर्सिंग संवर्ग का पद रिक्त नहीं है।

(4) जी, हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर तथा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना संभव हो सकेगा।

जिला सवाईमाधोपुर के भूमिहीनों को कृषि भूमि का आवंटन

667. **श्रीमती यासमीन अबरार** (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत वर्ष जिला सवाईमाधोपुर में भूमिहीनों को कृषि भूमि आवंटित करने के लिए कितने केम्प कहां-कहां लगाए गए तथा उसमें कितने व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई और जिन्हें भूमि आवंटित की गई उसमें कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के एवं कितने अल्प संख्यक थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भूमिहीनों को भूमि आवंटित करने के सरकार के क्या मानदण्ड हैं ? क्या सरकार उक्त मानदण्डों में अब कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

(3) उक्त जिले में कितनी भूमि कृषि योग्य ऐसी है जो भूमिहीन कृषकों को आवंटित की जा सकती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 में तहसील सवाईमाधोपुर में 11 कैम्प, खण्डार में 16, बौंली में 14, मलारना डूंगर में 10, चौथ का बरवाड़ा में 17 एवं गंगापुर में 20 केम्प लगाये गये। केम्पों की सूचना की प्रति संलग्न है।

आवंटियों का विवरण निम्नप्रकार है :–

क्र.सं.	तहसील	कुल आवंटी	अजा	अजजा	अल्प संख्यक	अन्य
1.	सवाईमाधोपुर	57	20	14	13	10
2.	खण्डार	181	53	24	11	93
3.	बौंली	69	10	12	04	43
4.	मलारना डूंगर	172	02	06	88	76
5.	चौथ का बरवाड़ा	113	42	16	02	53
6.	गंगापुर	382	37	165	11	169
7.	बामनवास	–	–	–	–	–
		974	164	237	129	444

(2) व्यक्ति भूमिहीन होना चाहिए। उसके पास आवंटित भूमि को सम्मिलित करते हुए कुल असिंचित भूमि दस एकड़ अथवा कुल सिंचित भूमि 5 एकड़ से अधिक न हो।

राज्य सरकार का इन मापदण्डों में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(3) जिले में उपलब्ध भूमि का तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है :–

तहसील	कमाण्ड	नान-कमाण्ड	योग
सवाई माधोपुर	–	2528	2528 है.
चौथ का बरवाड़ा	–	456	456 है.
बौंली	60	1098	1158 है.
मलारना डूंगर	234	950	1184 है.
खण्डार	18	298	316 है.
गंगापुर	–	926	926 है.
बामनवास	293	1097	1390 है.
योग	605	7353	7958 है.

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सीमेन्ट व प्लास्टिक पाइपों पर समान बिक्री कर की वसूली

668. **डा. के. सी. चौधरी** (ब्यावर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सीमेंट व एस बेस्टस पाइप तथा पी.वी.सी. प्लास्टिक के पाइप व फिटिंग पर बिक्री कर कितनी-कितनी दर से वसूला जा रहा है ? क्या दोनों की दरों में अन्तर है ? यदि हां, तो अन्तर के क्या कारण है ?

(2) क्या एस. बेस्टस/सीमेन्ट तथा प्लास्टिक के उत्पादों का उपयोग समान रूप से कृषि कार्यों एवं भवन मरम्मत में होने के बावजूद दोनों की बिक्री कर की दरों में भारी अन्तर होने से प्रदेश की ऐसी सीमेन्ट पाइप फिटिंग की अनेक फैक्ट्रियां रूग्णतावश बंद होने के कगार पर हैं ?

(3) क्या सरकार बिक्री कर के इस अन्तर को समाप्त कर दोनों उत्पादों पर समान बिक्री कर लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक अन्तर समाप्त कर दिया जाएगा और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के सीमेन्ट व एसबेस्टस पाइप व फिटिंग पर बिक्री कर दर 12 प्रतिशत है तथा पी.वी.सी. प्लास्टिक के पाइप व फिटिंग पर बिक्री कर 4 प्रतिशत है।

इन दोनों दरों में अन्तर का कारण यह है कि सीमेंट व एसबेस्टोस पाइप का उपयोग भवन निर्माण आदि में किया जाता है, जबकि पी.वी.सी. पाइप का उपयोग वाटर पम्पिंग सैट के साथ कृषि कार्यों में किया जाता है। अतः कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पी. वी.सी. पाइप व फिटिंग पर कर दर 4 प्रतिशत की गई है।

(2) एसबेस्टस/सीमेन्ट की उत्पादों का उपयोग भवन निर्माण आदि में किया जाता है। पी.वी.सी. पाइप का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। वित्त निगम से सहायता प्राप्त एसबेस्टोस सीमेंट तथा प्लास्टिक की फिटिंग से संबंधित कुल 44 औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें से 26 इकाइयां बंद पड़ी हुई हैं एवं 4 इकाइयां निगम के कब्जे में हैं तथा एक इकाई बंद होने के कगार पर है।

(3) जी, नहीं। क्योंकि पी.वी.सी. पाइप का उपयोग वाटर पम्पिंग सैट के साथ होता है, जिसका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। जबकि सीमेंट व एसबेस्टस पाइप का उपयोग भवन निर्माण आदि में किया जाता है। इस प्रकार दोनों के उपयोग में अंतर है।

प्राचार्यों द्वारा व्याख्याताओं के स्थानान्तरण

669. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) वर्ष 1999 में कितने व्याख्याताओं के स्थानान्तरण किये गये ? ऐसे कितने प्रकरण स्थानान्तरण के सामने आए जिनमें एक ही स्थान पर कई व्याख्याताओं का पदस्थापन कर दिया गया और इसके क्या कारण थे ?

(2) क्या यह सही है कि कई प्राचार्यो द्वारा भी व्याख्याताओं के स्थानान्तरण के प्रकरण भी सामने आए हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में दिनांक 19.5.1999 से 23.3.2000 तक 856 व्याख्याताओं के स्थानान्तरण किये गये। दिनांक 11.7.99 से लोक सभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में स्वीकृत पदों से अधिक 125 व्याख्याता कार्यमुक्त नहीं होने के कारण पदस्थापित रह गये थे।

(2) जी, नहीं। प्राचार्यों को व्याख्याता पद का स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग में संचालित राजकीय महाविद्यालय के किसी भी प्राचार्य ने व्याख्याता का स्थानान्तरण नहीं किया है अतः इस सम्बन्ध में जांच करने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रावतभाटा के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

670. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रावतभाटा (बेगूं) की स्वीकृति कब हुई है व कितने पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में चिकित्सालय किस भवन में चल रहा है ?

(3) क्या रावतभाटा की आबादी को मद्दे नजर रखते हुए भवन के लिए कोई बजट में प्रावधान रखा है ? यदि हां, तो कब व कितना और नहीं, तो क्यों ? अब कब तक उक्त कार्य हेतु राशि स्वीकृत की जायेगी ?

उत्तर

(1) पूर्व में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतभाटा को वित्तीय वर्ष 1988-89 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति जारी की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतभाटा में वर्तमान में निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं :—

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
चिकित्सा अधिकारी	1
नर्स श्रेणी-प्रथम	1
नर्स श्रेणी-द्वितीय	4
महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
महिला स्वा. कार्यकर्ता	1
रेडियोग्राफर	1
लैब टैक्निशियन	1
वरिष्ठ लिपिक	1
कनिष्ठ लिपिक	1
वाहन चालक	1
वार्ड बाय/स्वीपर	7

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतभाटा वर्तमान में आर.ए.पी.पी. के द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में चल रहा है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावत-भाटा, हेतु भवन का निर्माण समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं करवाया जा सका है। आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त संस्थान का भवन निर्माण राज्य के अन्य भवन रहित संस्थानों के साथ विचार कर करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

तहसील सांगोद (कोटा) के भूमिहीनों को भूमि आवंटन

671. **श्री हेमन्त कुमार** (दीगोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील सांगोद जिला कोटा में कहां-कहां कितनी सिवाय चक भूमि है ?

(2) उक्त भूमि पर किस-किसने कितनी-कितनी भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है ?

(3) क्या सरकार अतिक्रमणियों को हटाकर गरीब भूमिहीनों को भूमि आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील सांगोद जिला कोटा के 213 ग्रामों में कुल 21,806 बीघा 03 बिस्वा सिवाय चक भूमि है। सूची-"अ" संलग्न है।

(2) उक्त भूमि पर 1999-2000 में 6178 व्यक्तियों ने 20,315 बीघा भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा था। जिसमें से 5445 व्यक्तियों को 17,942 बीघा भूमि पर से बेदखल कर दिया गया है। वर्तमान में 733 व्यक्तियों का 2372 बीघा भूमि पर अतिक्रमण है। सूची-"ब" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-842 की सूचना)

पेंशनरों को 100/– रुपये प्रतिमाह मेडिकल भत्ता दिये जाने का विवरण

क्र.सं.	कोषालय	कुल प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	स्वीकृतियां जारी की गई	दिनांक 31.3.2000 तक कुल भुगतान (रुपये में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	310	310	1,79,850	
2.	ब्यावर	191	191	1,35,500	
3.	अलवर	–	–	–	
4.	भरतपुर	2	1	800	
5.	धौलपुर	–	–	–	
6.	दौसा	22	22	23,180	
7.	सीकर	630	630	6,30,000	
8.	–	1049	1049	5,72,204	

1	2	3	4	5	6
9.	सवाई माधोपुर	–	–	–	
10.	बीकानेर	3	3	2,360	
11.	श्रीगंगानगर	–	–	–	जिला कलेक्टर से सूचना प्रतिक्षित है।
12.	हनुमानगढ़	–	–	–	जिला कलेक्टर से सूचना प्रतिक्षित है।
13.	चूरू	–	–	–	
14.	नागौर	–	–	–	
15.	जोधपुर	–	–	–	जिला कलेक्टर से सूचना प्रतिक्षित है।
16.	जालौर	–	–	–	जिला कलेक्टर से सूचना प्रतिक्षित है।
17.	बाड़मेर	22	–	–	प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने से लौटाये।
18.	जैसलमेर	–	–	–	
19.	पाली	6	6	7,200	
20.	सिरोही	100	100	47,346	
21.	कोटा	–	–	–	जिला कलेक्टर से सूचना प्रतिक्षित है।
22.	बारां	220	220	2,54,000	

1	2	3	4	5	6
23.	बून्दी	—	—	—	जिला कलेक्टर से सूचना प्रतिक्षित है।
24.	झालावाड़	277	277	1,42,800	
25.	टोंक	101	101	75,207	
26.	उदयपुर	—	—	—	
27.	राजसमन्द	—	—	—	
28.	चित्तौडगढ़	58	58	42,300	
29.	भीलवाड़ा	29	—	—	
30.	डूंगरपुर	1	—	—	
31.	बांसवाडा	—	—	—	जिला क़लेक्टर से सूचना प्रतिक्षित है।
32.	करौली	13	13	14,800	
33.	जयपुर	188	101	—	
34.	प्रतापगढ़	—	—	—	
	योग	3229	3082	2127547	

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-845 की सूची)

परिशिष्ट-'1'

सहयोग अपार्टमेन्ट विद्याधर नगर में राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये आवासों की सूची

तृतीय श्रेणी आवास—106

ब्लाक नं.	आवास क्रमांक
ए-1	2, 3, 9, 11, 15 एवं 16
ए-2	18, 27, 28, 31 एवं 32
ए-3	34, 38, 40, 42, 43, 45 एवं 46
ए-4	49, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62 एवं 63
ए-5	65, 66, 68, 72, 76, 77, 78, 79 एवं 80
ए-6	81, 82, 83, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 95 एवं 96
ए-7	100, 101, 103, 105, 109 एवं 112
ए-8	113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 एवं 128
ए-9	129 से 144
ए-10	145, 146, 148, 151, 153, 155 एवं 157
ए-11	164, 169, 170, 171, 174 एवं 176
ए-12	179, 184, 186, 189, 191 एवं 192
	कुल आवास— 106

पंचम श्रेणी आवास--85

ब्लाक नं.	आवास क्रमांक
बी-1	2, 10 से 16
बी-2	18, 19, 23 से 27, 29, 30, 32
बी-3	33 से 35, 38 से 40, 42, 44, 47 एवं 48
बी-4	49, 51, 53, 54, 57, 61, 62 एवं 64
बी-5	65, 66, 69, 72, 76, 77, 79 एवं 80
बी-6	81, 83, 85, 88, 89, 91 एवं 94
बी-7	100, 102, 103, 104, 107, 109 से 112
बी-8	116, 119, 120, 122, 123, 125 एवं 128
बी-9	134 से 137, 139, 140, 142 एवं 144
बी-10	146, 148 से 150, 152 से 154, 158 से 160
	कुल आवास-- 85

महायोग	कुल आवास	तृतीय श्रेणी	106
		पंचम श्रेणी	85
		महायोग	191

परिशिष्ट-'2'

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर

शिकायतों के निराकरण सम्बन्धी सूची

शिकायतों की प्रगति	फ्लैट्स जिनके सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई	शिकायतें प्राप्ति एवं निराकरण का दिनांक
बिजली, पानी, टूट-फूट, सैनेट्री एवं अन्य प्रकार की शिकायतें।	164 ए, 123 बी, 54 बी, 80 बी, 30 बी, 23 बी, 26 बी, 76 बी, 51 बी, 65 बी, 153 बी, 40 बी, 81 बी, 35 बी, 2 बी, 120 बी, 150 बी, 116 बी, 100 बी, 153 बी, 40 बी, 148 बी, 40 बी, 146 बी, 65 बी, 116 बी, 85 बी, 29 बी, 69 बी, 51 बी, 49 बी, 40 बी, 24 बी, 54 बी 25 बी, 10 बी, 102 बी, 179 ए, 184 ए, 106 ए, 189 ए, 146 ए, 94 ए, 80 ए, 121 ए, 101 ए, 57 ए, 3 ए, 109 ए, 123 ए, 128 ए, 38 ए, 117 ए, 59 ए, 114 से 118 ए, 100 से 110 ए, 1 से 4 ए, 52 ए, 132 ए, 100 ए, 136 ए, 127 ए, 143 ए, 2 इ, 135 ए, 142 ए, 101 ए, 103 ए, 125 ए, 79 ए, 48 ए, 117 ए, 80 ए, 146 ए, 117 ए, 136 बी, 159 बी, 125 बी, 153 बी, 151 ए, 179 ए, 146 बी, 150 बी, 154 बी, 100 बी, 53 बी, 142 बी, 29 बी, 107 बी, 148 बी, 170 ए, 2 बी, 145 ए, 148 ए, 64 बी, 94 बी, 27 ए, 81 ए, 90 ए, 101 ए।	समय-समय पर

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-846 की प्रति)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

प्रेषिति :– 1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

2. समस्त संभागीय आयुक्त।

3. समस्त जिला कलेक्टर।

क्रमांक :– प.9(11)राज./ग्रुप-1/84 जयपुर, दिनांक 4.10.1996

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 1.8.84 एवं 23.2.94 के द्वारा नये राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में लेख है कि राजस्व ग्राम न केवल राजस्व प्रशासन बल्कि समस्त प्रशासन की मूल इकाई है, तथा जलप्रदाय योजना/औषधालय/चिकित्सालय/विद्युत/विद्यालय/डाक घर/यातायात/रेल्वे स्टेशन एवं अन्य विकास कार्यों के लिए भी मूल इकाई एवं आधार बिन्दु हैं, लेकिन कहीं-कहीं बड़ी आबादी या मूल गांव से सुदूर बसी ढाणियां अलग से राजस्व गांव घोषित नहीं होने के कारण विकास की सुविधाओं से वंचित रह जाती हैं। अतः इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह आवयश्यक है कि मूल राजस्व ग्राम में दूर बसे आबादी क्षेत्र एवं सुदूर ढाणियों को भी राजस्व ग्राम घोषित किया जावे। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि नया राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वहां के निवासियों की इस आशय की मांग हो, बल्कि यदि राजस्व अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि ऐसे गांव जिनकी आबादी ढाणियों में बसी है, और उनका क्षेत्र काफी फैला हुआ है या मूल गांव से दूर आबादी है, तो उन्हें अपने स्तर से भी ये प्रस्ताव जिलाधीश/राजस्व मण्डल के मार्फत राज्य सरकार को भिजवाने चाहिये। ऐसे प्रस्ताव भेजते समय यह ध्यान रखा जावे कि प्रस्तावित नये गांव की आबादी 250 से कम नहीं हो लेकिन यह आवश्यक है कि नया राजस्व ग्राम घोषित होने पर मूल गांव की आबादी 250 से कम न रहें। जहां प्रस्तावित नये राजस्व गांव की आबादी टुकड़ों में बिखरी हुई, ढाणियों अथवा मजरों में बसी हुई हो उस प्रस्तावित गांव के लिए सुविधाजनक स्थान पर एक केन्द्र बिन्दु स्थापित कर लिया जाये, ताकि वहां आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सके। यह भी ध्यान

रखना चाहिये कि गांव के केन्द्र बिन्दु के लिए आबादी विस्तार एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए भूमि की क्या उपलब्धता है। राजकीय सिवाय चक या चारागाह इत्यादि भूमि उपलब्ध होने पर ऐसी भूमि को खसरा नम्बर का विवरण देकर नये प्रस्तावित गांव की आधारभूत सुविधाओं/आबादी विस्तार के लिए आरक्षित की जानी चाहिये। जहां उपरोक्त राजकीय/चरागाह भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां यदि ग्रामीणजन भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो तो उसको भी नियमानुसार आधारभूत सुविधाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।

नये राजस्व ग्राम के प्रस्ताव भेजते समय निम्न सूचना आवश्यक रूप से भिजवाई जावे :–

1. जिले का नाम
2. मूल गांव का नाम
3. नये प्रस्तावित गांव की आबादी/ढाणी/मजरे का प्रचलित नाम मय खसरा नम्बर।
4. प्रस्तावित नये गांव का नाम :–
   (1) प्रस्तावित नाम
   (2) क्षेत्रफल
   (3) आबादी का क्षेत्रफल
   (4) रकबा-एक फसली
   (5) रकबा-दो फसली
   (6) भू-राजस्व
5. प्रस्तावित ग्राम में आधारभूत सुविधाएं हैं अथवा नहीं :–
   (1) डाक घर
   (2) विद्युतीकरण
   (3) जलप्रदाय
   (4) रेल्वे स्टेशन

(5) सड़क

(6) औषधालय/चिकित्सालय

(7) अन्य

6. प्रस्तावित गांव की रेल्वे स्टेशन तथा डाकघर से दूरी।

7. नया राजस्व ग्राम बनाया जाने के पश्चात रेल्वे स्टेशन, डाकघर इत्यादि का नाम बदलना आवश्यक हो तो बताया जावे।

8. नया राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के फलस्वरूप पंचायत/पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक के मुख्यालय में कोई प्रस्तावित परिवर्तन।

9. प्रस्तावित गांव की मुख्य आबादी/केन्द्र बिन्दु की वर्तमान गांव से दूरी।

10. प्रस्तावित गांव का मुख्य केन्द्र बिन्दु जहां आधारभूत सुविधाएं प्रस्तावित हैं।

अतः नये ग्राम का प्रस्ताव भेजते समय उपरोक्त सभी सूचना सहित प्रस्ताव राजस्व मण्डल के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाये जावें, ताकि उन पर विचार कर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व गांव घोषित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जा सकें।

ह./—
(आई.सी. श्रीवास्तव)
प्रमुख राजस्व सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :— प.3(18)राज-1/99 जयपुर, दिनांक 12.4.1999

समस्त जिला प्रमुख
राजस्थान।

विषय :— राज्य में मजरें/ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार निवेदन है कि मूल गांवों के सुदूर बसी ढाणियां अलग से राजस्व ग्राम घोषित नहीं होने के कारण विकास की सुविधाओं से वंचित रहती है, इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि मूल राजस्व ग्राम से दूर बसे आबादी क्षेत्र एवं सुदूर ढाणियों को भी राजस्व ग्राम घोषित किया जावे। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.9(11)राज-1/84 दिनांक 4.10.96 की प्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

आपके क्षेत्र में प्रस्तावित नये राजस्व गांवों की आबादी टुकड़ों में बिखरी हुई ढाणियों अथवा मजरें में बसी हुई हो तो उस प्रस्तावित गांव के लिए सुविधाजनक स्थान पर एक केन्द्र बिन्दु स्थापित कर लिया जाये ताकि वहां आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सके। प्रस्ताव प्रेषित करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि गांव के केन्द्र बिन्दु के लिए आबादी विस्तार एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए भूमि की क्या उपलब्धता है और प्रस्तावित नये राजस्व ग्राम की आबादी 250 से कम न हो। ऐसे प्रस्ताव जिला कलेक्टर एवं राजस्व मण्डल, अजमेर के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाये जाने चाहिये।

अतः निवेदन है कि कृपया उक्त परिपत्र की प्रति जिले के समस्त विधायकगण एवं पंचायत राज के जनप्रतिनिधिगण को उपलब्ध कराएं तथा परिपत्र में अंकित बिन्दुओं के अनुसार नवीन राजस्व ग्राम सृजन किए जाने के प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्व मण्डल, अजमेर व राज्य सरकार को भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०/—
(वेद प्रकाश)
उप शासन सचिव

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	डॉ. श्रवण कुमार मोदी, भीनमाल	भरत नर्सिंग होम, भीनमाल	भीनमाल	2239	5/16 एकड़	एफ 12(3)(44)राज/88/ 3745-52 दि. 10.5.89	प्राईवेट नर्सिंग होम चालू है।
5.	श्री महावीर जैन श्वेताम्बर पेडी भाण्डवपुर (भुण्डवा)	राजकीय अस्पताल के भवन का निर्माण हेतु	भुण्डवा	207	3 बीघा	एफ 12(3)(9)राज/89/ 6169-6187 दि. 5.10.89	अस्पताल के भवन का निर्माण करा दिया है। सरकार द्वारा ए.एन.एम. का पदस्थापन किया हुआ है।
6.	श्री महावीर जैन श्वेताम्बर पेडी भाण्डवपुर (भुण्डवा)	धर्मशाला, प्याऊ एवं चिकित्सालय भवन हेतु	भुण्डवा	207	5 बीघा	एफ 12(3)(10)राज/89/ 771-778 दि. 31.1.90	धर्मशाला भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ है केवल परकोटा बना है।
7.	चिकित्सा विभाग	सार्व. चिकित्सालय भवन	सुराना	470	5 बीघा 10 बिस्वा	एफ 12(3)(154) राज/89/ 1256-66 दि. 7.3.90	अदाणी चेरिटेबल ट्रस्ट सुराना का भवन निर्माण हेतु आदेश दिए गए थे। जिसके क्रम में भवन का निर्माण हो चुका है वर्तमान में अस्पताल चल रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	चिकित्सा विभाग	सार्वजनिक जनाना अस्पताल, मोदरा	मोदरा	314	5 बीघा	एफ 12(3)(154)राज/89/ 1619-27 दि. 5.4.90	श्रीमती फाऊदेवी पत्नि तिलोकचंद मोदरा द्वारा भवन निर्माण कराया गया है। अस्पताल चालू है।
9.	पशु पालन विभाग	राजकीय पशु चिकि. भवन हेतु	भीनमाल	2239	5/16 एकड़	एफ 12(3))राज/90/ 2173-79 दि. 30.4.90	दानदाता घेवरचंद बाबूलाल नाहर भीनमाल द्वारा भवन का निर्माण कराया जा चुका है, अस्पताल चालू है।
10.	अध्यक्ष श्री राव समाज सेवा समिति, भीनमाल	सरस्वती छात्रावास हेतु	भीनमाल	1588	5/16 एकड़	एफ 12(3)(54)राज/90/ 2927-32 दि. 21.5.90	एक कमरा बना हुआ है बाकी नींव भरी हुई है।

1	2	3
16.	रेडियोग्राफर	6
17.	सहायक रेडियोग्राफर	11
18.	फिजियोथेरेपिस्ट	1
19.	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट	1
20.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	74
21.	होस्पिटल केयर टेकर	3
22.	वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	1
23.	लैब टैक्नीशियन	60
24.	डेन्टल टैक्नीशियन	1
25.	टेलर	1
26.	वाहन चालक	40
27.	कार्यालय अधीक्षक	1
28.	कार्यालय सहायक	1
29.	कनिष्ठ लेखाकार	9
30.	वरिष्ठ लिपिक	42
31.	कनिष्ठ लिपिक	47
32.	सांख्यिकी सहायक	2
33.	कुक	2
34.	वार्ड बॉय/स्वीपर/जमादार	429
35.	ई.पी.ओ.	1
36.	सहायक लेखाधिकारी	—

1	2	3
37.	प्रशासनिक अधिकारी	—
38.	सहायक मलेरिया अधिकारी	1
39.	डिप्टी ई.पी.ओ.	—
40.	बी.एच.एस. (महिला/पुरूष)	10
41.	मलेरिया निरीक्षक	7
42.	नेत्र सहायक	1
43.	संगणक	3
44.	एस.आई.ई.एम.	1
45.	वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षक	1
46.	स्वास्थ्य निरीक्षक	5
47.	क्षय स्वास्थ्य दर्शक	2
48.	बी.सी.जी. टेक्नीशियन	2
49.	सेक्टर सुपरवाइजर	10
50.	एस.एम.पी.डब्ल्यू.	—
51.	फार्मासिस्ट कम कम्पाउण्डर	1
52.	खाद्य निरीक्षक	1
53.	एम.पी.डब्ल्यू.	98
54.	मैकेनिक	1
55.	परिवार कल्याण कार्यकर्ता	4
56.	खलासी	1

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-859 का विवरण)

परिशिष्ट-'अ'

चम्बल बेसिन की चिन्हित सिंचाई परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	नाम	जिला	राशि (करोड़ रु.)	सी.सी.ए. (हैक्टेयर)
1	2	3	4	5
वृहद् सिंचाई परियोजनाएं				
1.	पीपल्दा जलोत्थान	सवाई माधोपुर	18.00	12930
2.	इन्दिरा जलोत्थान	सवाई माधोपुर	225.00	104000
3.	कालीसिंध	झालावाड़	145.00	28000
4.	मनोहरथाना	झालावाड़	45.00	54000
5.	परवन	झालावाड़	118.00	57750
मध्यम सिंचाई परियोजनाएं				
1.	हथियादेह	बारां	50.00	6885
2.	गागरिन	झालावाड़	52.00	7943
3.	हिन्दलोट	बारां	22.00	2916
4.	गलवा द्वि.	सवाई माधोपुर	18.00	2388
5.	ओलवाड़ा जलोत्थान	करौली	5.00	5509
6.	तकली	कोटा	55.00	7386
7.	करई	बारां	62.00	6900
8.	रीवा	झालावाड़	13.00	1708

1	2	3	4	5
9.	कनवाड़ा	झालावाड़	20.00	2640
10.	करेली	सवाईमाधोपुर	25.00	3290
11.	कालीरवार	झालावाड़	16.50	2200
12.	अंधेरी	बारां	13.00	7700
13.	घारगंगा	झालावाड़	24.00	3200
14.	क्यासरी	झालावाड़	20.04	5700
15.	रोधीन जलोत्थान	करौली	फिजिबिलिटी रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर	
16.	डांगरिया जलोत्थान	करौली	उपरोक्तानुसार	
17.	राजगढ़	झालावाड़	उपरोक्तानुसार	
18.	भैंसखेड़ा जलोत्थान	बून्दी	उपरोक्तानुसार	
19.	ल्हासी	बारां	26.99	5755
20.	गुलेण्डी	झालावाड़	19.00	3530
21.	गरडदा	बून्दी	39.51	9189

लघु सिंचाई परियोजनाएं

क्र.सं.	नाम	जिला	क्र.सं.	नाम	जिला
1.	बंधा धरमपुरा	कोटा	20.	हाथुना	कोटा
2.	गिरनारपुरा	कोटा	21.	कुरेर	कोटा
3.	चांद बावरी	कोटा	22.	जुलवी	कोटा
4.	मंडालगढ़	कोटा	23.	धोती	कोटा
5.	जोधपुर	कोटा	24.	गिरदरपुरा	कोटा
6.	गांधीफाली	कोटा	25.	नालोदिया	कोटा
7.	जाखोरा	कोटा	26.	संध्याफेरी	कोटा
8.	किशनपुरा	कोटा	27.	बक्शापुरा	कोटा
9.	दाददेवी	कोटा	28.	रामपुरिया	कोटा
10.	अमरपुरा	कोटा	29.	बटवारा	कोटा
11.	भावपुरा	कोटा	30.	डिनिया	कोटा
12.	ढानी	कोटा	31.	बालापुरा	कोटा
13.	बगर नाला	कोटा	32.	कोलाना	कोटा
14.	अनवा	कोटा	33.	नीमखेरा	कोटा
15.	सलवाद	कोटा	34.	किशोरपुरा	कोटा
16.	रेलगांव	कोटा	35.	लाडपुरा	कोटा
17.	जाखोड़ा	कोटा	36.	मंगलपुरा	कोटा
18.	किशनपुरा	कोटा	37.	नृसिंहपुरा	कोटा
19.	मोतीपुरा	कोटा	38.	देवनारायण	कोटा

क्र.सं.	नाम	जिला	क्र.सं.	नाम	जिला
39.	पोंडला	कोटा	59.	सुखनेरी	बारां
40.	मोई कलां	कोटा	60	मलोनी	बारां
41.	शम्भूपुरा	कोटा	61.	महाराजपुरा	बारां
42.	खेड़ी पचकुई	बारां	62.	सिजानिया	बारां
43.	खेड़ा	बारां	63.	मोखनपुरा	बारां
44.	सारण खेड़ा	बारां	64.	जोधपुरा (I)	बारां
45.	बोरखेड़ा	बारां	65.	जोधपुरा (II)	बारां
46.	चालव खो	बारां	66.	रामपुरा	बारां
47.	बलदेवपुरा (ए)	बारां	67.	देवाली	बारां
48.	बलदेवपुरा (बी)	बारां	68.	भैंसरा	बारां
49.	डकारी खो	बारां	69.	अथांना	बारां
50.	बोरीखेड़ा	बारां	70	काचरा	बारां
51.	सरथाल	बारां	71.	अटोन	बारां
52.	अमेरपुरा	बारां	72.	हरिपुरा	बारां
53	बडोरा	बारां	73.	सलाईया	बारां
54.	चलारखो	बारां	74.	नागदा	बारां
55.	दिगोद (जागिर)	बारां	75.	रामपुरा	बारां
56.	बेरदा	बारां	76.	महेशपुरा	बारां
57.	हरिपुरा	बारां	77.	संधास	बारां
58.	बिलेंडी	बारां	78.	फुलसरा	बारां

क्र.सं.	नाम	जिला	क्र.सं.	नाम	जिला
79.	बरोडिया	बारां	99.	दुरजनपुरा	बारां
80.	बरसातगढ़ (I)	बारां	100.	मायदा	बारां
81.	सतकोलु	बारां	101.	मोदारी	बारां
82.	कालपा	बारां	102.	लाखरा	बारां
83.	कोटरा भगवान	बारां	103.	खेरी	बारां
84.	पारलिया	बारां	104.	रिपपुरा	बारां
85.	मिसरोली	बारां	105.	भैरूपुरा	बारां
86.	खाडला	बारां	106.	धोती	बारां
87.	टुमेरा	बारां	107	ब्रेदरा	बारां
88.	दरी	बारां	108.	सार	बारां
89.	कलमंडा	बारां	109.	बरोदा	बारां
90.	बरोड़ा	बारां	110.	टाण्डा	बारां
91.	कालीमाटी	बारां	111.	ताना—कस्बा	बारां
92.	कोलुखेरी	बारां	112.	सुन्दरी	बारां
93.	महोदरा	बारां	113.	सुनवारा	बारां
94.	समरानिया	बारां	114.	भरोली	बारां
95.	बरानखेड़ा	बारां	115.	सराखेरा	बारां
96.	समदेह	बारां	116.	पुरानी	बारां
97.	माधोपुरा	बारां	117.	बनवार	बारां
98.	बिसलाई	बारां	118.	मण्डी सरजना (मेरी)	बारां

क्र.सं.	नाम	जिला	क्र.सं.	नाम	जिला
119.	मण्डी (स्नेउरा) (ए)	बारां	139.	मंडी	बून्दी
120.	मण्डी (स्नेउरा) (बी)	बारां	140.	ब्यौरा	बून्दी
121.	भीलखेरा बांग	बारां	141.	करूंदी	बून्दी
122.	हरीनगर	बारां	142.	टुमीपुरा	बून्दी
123.	आसतरा	बारां	143.	तलवास	बून्दी
124.	बंजारी	बारां	144.	करोश्वर महादेव	बून्दी
125.	बरफू	बून्दी	145.	गरधानी	बून्दी
126.	लाम्बा खो	बून्दी	146.	पीपलिया	बून्दी
127.	नारोली	बून्दी	147.	सांगादिया (I)	बून्दी
128.	देवरी का झोपड़ा	बून्दी	148.	देवगढ़	बून्दी
129.	पिलिया	बून्दी	149.	लक्ष्मीपुरा	बून्दी
130.	दासोलिया	बून्दी	150.	अंकोड़ा (I)	बून्दी
131.	खारा	बून्दी	151.	परेटा	बून्दी
132.	राजपुरा	बून्दी	152.	कंजोरी सिलोर	बून्दी
133.	सिलवालिया	बून्दी	153.	मुरडिया हेरड़ा	बून्दी
134.	दादुण्दा	बून्दी	154.	पालका	बून्दी
135.	मांछली	बून्दी	155.	खरीपुर	बून्दी
136.	सेवरा	बून्दी	156.	हरिपुरा	बून्दी
137.	किशनपुरा	बून्दी	157.	गोपालपुरा	बून्दी
138.	जालोटी	बून्दी	158.	गरडदा–I	बून्दी

क्र.सं.	नाम	जिला
159.	बसोली	बून्दी
160.	दोहरी का खान	बून्दी
161.	नालीपुरा	बून्दी
162.	सांदीला	बून्दी
163.	केड़ा खो	बून्दी
164.	देवरी	बून्दी
165.	गुजरखेडी	बून्दी
166.	नाथ नाथड़ी	बून्दी
167.	बंसी	बून्दी
168.	खैरूना	बून्दी
169.	बडीप्रिया	बून्दी
170.	छोटीप्रिया	बून्दी
171.	टहला	बून्दी
172.	दांता	बून्दी
173.	पनीधल	बून्दी
174.	अकोलिया	
175.	आकोड़ा—II	
176.	रामेश्वर	बून्दी
177.	लखमीपुरा	बून्दी
178.	देवरी बंजारी	बून्दी
179.	गुंवार	बून्दी
180.	ग्रेड—II	बून्दी
181.	भांड गांव	बून्दी
182.	सांगेडिया—II	बून्दी
183.	गुड़ली	बून्दी
184.	बेथली	बून्दी
185.	भैरूपुरा—II	बून्दी
186.	किशोरपुरा	बून्दी
187.	बिसधोरी	बून्दी
188.	खेओलाहोरा	बून्दी
189.	अरीअली	बून्दी
190.	करवर	बून्दी
191.	नारायणपुरा	बून्दी
192.	चमनगंज	बून्दी
193.	मनी	बून्दी
194.	आजाद नगर—I	बून्दी
195.	आजाद नगर—II	बून्दी
196.	बालपुरा—I	बून्दी
197.	मुई	बून्दी
198.	हरिपुरा—I	बून्दी

क्र.सं.	नाम	जिला	क्र.सं.	नाम	जिला
199.	कुकती	झालावाड़	219.	पिपलदा	झालावाड़
200.	सेमली भवानी	झालावाड़	220.	धनोद खुर्द	झालावाड़
201.	कोलवी	झालावाड़	221.	धनोद कलां	झालावाड़
202.	संगरिया	झालावाड़	222.	दूढी	झालावाड़
203.	जसवंत सागर	झालावाड़	223.	मायाखेरी	झालावाड़
204.	मोरी	झालावाड़	224.	प्रहलादपुरा	झालावाड़
205.	बांसखोर	झालावाड़	225.	पिपलोद	झालावाड़
206.	सारखेरी	झालावाड़	226.	धानोडी	झालावाड़
207.	रसूलपुरा	झालावाड़	227.	गुर्दिया खुर्द	झालावाड़
208.	रिजोड़ा	झालावाड़	228.	सती	झालावाड़
209.	चिताबा	झालावाड़	229.	सोहनखेरी	झालावाड़
210.	बारखेरा खुर्द	झालावाड़	230.	अनन्तपुरा	झालावाड़
211.	कंवरपुरा	झालावाड़	231.	भवानीपुरा	झालावाड़
212.	हरिगढ़	झालावाड़	232.	हथियागौर	झालावाड़
213.	चांदपुरा	झालावाड़	233.	हरिसिंह का खेरा	झालावाड़
214.	बोरडा	झालावाड़	234.	गुरारिया कलां	झालावाड़
215.	काकवासा	झालावाड़	235.	जाजनी	झालावाड़
216.	ब्रह्मखेरी	झालावाड़	236.	मोरखेरी	झालावाड़
217.	ठिकरिया	झालावाड़	237.	सिलेहगढ़	झालावाड़
218.	चांदखेरा	झालावाड़	238.	सरवन	झालावाड़

क्र.सं.	नाम	जिला	क्र.सं.	नाम	जिला
239.	रामपुरिया	झालावाड़	259.	जीतापुरा	झालावाड़
240.	किशरिया	झालावाड़	260.	मोलगिया कलां	झालावाड़
241.	देवची	झालावाड़	261.	बारखेरा खुर्द	झालावाड़
242.	काचराखेरी	झालावाड़	262.	गणेशपुरा	झालावाड़
243.	पटेहगढ़	झालावाड़	263.	रायप्ला	झालावाड़
244.	मोखमपुरा	झालावाड़	264.	खेजरियां खाल	झालावाड़
245.	लोलरा	झालावाड़	265.	सामरी	झालावाड़
246.	तालकाखेरा	झालावाड़	266.	लाखरिया	झालावाड़
247.	देवरिया	झालावाड़	267.	कुटिक्या	झालावाड़
248.	मालीखेरा	झालावाड़	268.	सलवाड़खुर्द	झालावाड़
249.	नारायणखेरा	झालावाड़	269.	झाला	झालावाड़
250.	तालियाखेरी	झालावाड़	270.	हरिपुरा डांडिया	झालावाड़
251.	असोन्दिया	झालावाड़	271.	पारलिया	झालावाड़
252.	दानियां	झालावाड़	272.	खानपुरा	झालावाड़
253.	दोबंरा	झालावाड़	273.	अकयेदकलां	झालावाड़
254.	गुरारा	झालावाड़	274.	देओख	झालावाड़
255.	बजरंगपुरा	झालावाड़	275.	खेमपुरा	झालावाड़
256.	पालखंड़ा	झालावाड़	276.	पीपलिया	झालावाड़
257.	देवली	झालावाड़	277.	पीपल्डी	झालावाड़
258.	सेमलीकलां	झालावाड़	278.	रिचारी	झालावाड़

क्र.सं.	नाम	जिला
279.	लाडपुरा	झालावाड़
280.	रामपुरिया	झालावाड़
281.	चालडिया	झालावाड़
282.	भुडवारा	झालावाड़
283.	मेराव	झालावाड़
284.	आंखखेरी	झालावाड़
285.	पिन्दोला	झालावाड़
286.	मावसा	झालावाड़
287.	पाचटा	झालावाड़
288.	साहतखेरी	झालावाड़
289.	लक्ष्मीपुरा	झालावाड़
290.	जूनापरी	झालावाड़
291.	थारोली	झालावाड़
292.	बारवा	झालावाड़
293.	थानावड़	झालावाड़
294.	रामपुरा	झालावाड़
295.	पाटली	झालावाड़
296.	सारखा	झालावाड़
297.	गोडिया महेश	झालावाड़
298.	पारलिया	झालावाड़
299.	मानुपरा	झालावाड़
300.	अमेरपुरा	झालावाड़
301.	उदयपुर	झालावाड़
302.	नारायणपुरा	झालावाड़
303.	घलसरन	झालावाड़
304.	मदनपुरा	झालावाड़
305.	पीपल्डी	झालावाड़
306.	घेरोखेरी	झालावाड़
307.	बालनपुरा	झालावाड़
308.	भोरबंद	झालावाड़
309.	बरोदा	झालावाड़
310.	बांसखेरी	झालावाड़
311.	बोरखेरी	झालावाड़
312.	आसलपुर	झालावाड़
313.	बदलाई	झालावाड़
314.	दारिया	झालावाड़
315.	नयागांव	झालावाड़
316.	पिर्थीपुरा	झालावाड़
317.	डाबली	झालावाड़
318.	धिनखारियाखेड़ी	झालावाड़

क्र.सं.	नाम	जिला	क्र.सं.	नाम	जिला
319.	मोतीपुरा	झालावाड़	330.	खांनपुरिया	झालावाड़
320.	गोरियाखेरा	झालावाड़	331.	झांझुरी	झालावाड़
321.	धामेता	झालावाड़	332.	नाग्यारखेरी	झालावाड़
322.	झिरी	झालावाड़	333.	रामपुरा	झालावाड़
323.	झुनुनिया	झालावाड़	334.	चांदीपुरा	झालावाड़
324.	रूपाहेरा	झालावाड़	335.	सेओरती	झालावाड़
325.	खांखरा	झालावाड़	336.	अर्जुनपुरा	झालावाड़
326.	कुरी	झालावाड़	337.	फूटीबड़ौद	झालावाड़
327.	भुमारिया	झालावाड़	338.	काचरिया खुर्द	झालावाड़
328.	बांधा	झालावाड़	339.	बोरखेरी–I	झालावाड़
329.	चाचोनी	झालावाड़	340.	बोरखेरी–II	झालावाड़

प्रस्तावित लघु सिंचाई परियोजनाओं की कुल सिंचाई क्षमता : 68,524 हैक्टेयर

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-861 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

मनोहरथाना सिंचाई परियोजना के तहसीलवार लगभग सिंचित क्षेत्र

क्र.सं.	तहसील	कुल ग्रामों की संख्या	प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र हैक्टर में
1.	अटरू	69	20,243
2.	मनोहरथाना	67	9,293

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-870 की सूची)

(राशि लाखों में)

क्र.स.	जिला	पाठशाला भवनों की निर्माण संख्या	निर्माण पर कुल लागत	निर्माण पर व्यय राशि					योग (कुल व्यय)
				10वां वित्त आयोग	राज्य वित्त आयोग	अकाल राहत	अन्य	जनसहयोग से प्राप्त राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	161	344.54	142.51	25.98	99.91	0	14.59	282.99
2.	अलवर	340	727.60	500.13	145.26	0	0	0	645.38
3.	बांसवाड़ा	320	684.80	449.47	56.78	0	178.55	0	684.80
4.	बारां	125	267.50	131.61	131.61	0	0	0	263.22
5.	बाड़मेर	377	806.78	204.04	0	117.60	194.13	0	515.77
6.	भरतपुर	189	404.46	340.28	0	0	17.56	37.07	384.91
7.	भीलवाड़ा	350	749.00	296.07	198.75	209.06	8.84	0	712.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	बीकानेर	185	395.90	231.90	0	129.06	0	0	360.96
9.	बून्दी	143	306.02	175.59	35.69	0	36.07	0	247.35
10.	चित्तौड़गढ़	391	836.74	487.25	312.45	0	0	0	799.70
11.	चूरू	100	214.00	170.93	0	41.82	0	1.50	214.25
12.	दौसा	187	400.18	239.09	131.93	0	0	0	371.02
13.	धौलपुर	120	256.80	122.11	81.12	0	0	0	203.23
14.	डूंगरपुर	236	505.04	140.23	168.98	0	0	0	472.80
15.	गंगानगर	175	374.50	108.55	86.85	163.10	0	0	195.40
16.	हनुमानगढ़	203	434.42	278.08	0	11.28	54.19	0	343.55
17.	जयपुर	463	990.82	857.23	0	45.06	0	25.66	927.95
18.	जैसलमेर	119	254.66	122.33	0	107.92	0	0	230.25
19.	जालौर	230	492.20	176.54	158.06	129.60	0	0	460.30
20.	झालावाड़	153	327.42	230.45	0	32.89	0	0	263.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	झुन्झुनूं	195	417.30	306.58	57.24	42.80	0	0	406.62
22.	जोधपुर	296	633.44	175.95	156.00	281.39	0	0	613.34
23.	करौली	210	449.40	358.12	0	0	0	0	358.12
24.	कोटा	120	256.80	127.43	99.56	0	23.39	0	250.38
25.	नागौर	397	849.58	264.52	264.52	0	0	0	529.04
26.	पाली	202	432.28	131.91	87.75	209.84	0	0	429.50
27.	राजसमंद	194	415.16	145.50	135.80	155.20	0	0	436.50
28.	स.माधोपुर	142	303.88	141.79	141.79	0	0	0	283.58
29.	सीकर	290	620.60	484.38	0	115.92	0	0	600.30
30.	सिरोही	116	248.24	161.02	0	67.58	0	2.40	233.40
31.	टोंक	176	376.64	228.37	0	112.15	0	0	340.52
32.	उदयपुर	483	1033.62	426.93	273.63	288.96	29.30	0	1018.82
	कुल योग	**7388**	**15810.32**	**8356.89**	**2723.77**	**2361.14**	**542.03**	**81.22**	**14080.01**

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-873 की प्रति)

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
गणेश बाग, देवपुरा,
बून्दी (राज.)

विषय :— राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, केशवराय पाटन में हो रही गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केशवराय पाटन के प्रधानाध्यापक द्वारा आदेश क्रमांक 40 दिनांक 11.12.93 प्रसारित कर कार्यरत अध्यापक श्री गोपाल ओझा को दिनांक 1.1.94 तक केश बुक का चार्ज एवं अन्य लेखा सम्बन्धी महत्वपूर्ण पत्रावलियां अन्य अध्यापक को संभलाने के आदेश प्रसारित किये इसके उपरांत भी श्री ओझा द्वारा चार्ज नहीं संभलाया। परिणामस्वरूप पुनः चार्ज संभलाने बाबत् आदेश क्रमांक 60 दिनांक 2.3.94 प्रसारित किया। किन्तु श्री ओझा द्वारा अब तक भी केश बुक व लेखा सम्बन्धी पत्रावलियां नहीं संभलाई है।

मैं आपको यह भी अवगत कराना उचित समझूंगी कि राजकीय रोकड़ 2 वर्ष की अधूरी थी जो एक साथ बैठकर पूर्ण की गई है एवं रोकड़ में 45,000 का अंतर होना शाखा प्रधान द्वारा बताया है। श्री ओझा द्वारा केश बुक अभी नहीं संभलाने पर नई केश बुक, रोकड़ बनाकर लेखा सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है जो पूर्व बैलेन्स के बिना ही चल रही है जो गंभीर अनियमितता है। उक्त के अतिरिक्त मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगी कि संस्था की क्रय नीति अनुसार राशि 1000/—से अधिक की राशि का सामान क्रय करने पर विभाग की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है एवं पंजीकृत संस्था से ही क्रय करने का नियम है। इन नियमों को ताक में रख कर शाखा प्रधान द्वारा 4 रजाई के खोले खरीदे जो अधिक राशि में खरीदे जिसकी विभाग से कोई स्वीकृति नहीं ली गई एवं

बिना पंजीकृत संस्था से क्रय की गई। इस प्रकार राजकीय नियमों का उल्लंघन किया जो गंभीर अनियमितता है।

साथ ही आपको यह भी अवगत करवाना चाहूंगी की फर्नीचर की मरम्मत के नाम पर शाखा प्रधान द्वारा राशि 500/–अपनी जेब में रख रखे हैं।

इस प्रकार विद्यालय में हो रही गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की गंभीरता की अविलम्ब जांच कर दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने का श्रम करें तथा की जाने वाली कार्यवाही से मुझे भी अवगत करवाने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

भवदीय
ह०/–
(संतोष शर्मा)

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-875 का विवरण)

परिशिष्ट-'1'

पंचायत समिति, चूरू में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत पंचायत समिति मुख्यालय/ग्राम पंचायतों में स्वीकृत दुकानों का विवरण

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत/ग्राम	स्वीकृत दुकानों की संख्या	स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4
1.	पंचायत समिति मुख्यालय, चूरू	25	8.3.2000
2.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, ढाढ़र	5	6.3.2000
3.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, धाधू	5	6.3.2000
4.	ग्राम उटवालियां, ग्राम पंचायत, थैलासर	5	29.3.2000
5.	ग्राम रायपुरिया, ग्राम पंचायत, सातड़ा	5	29.3.2000
6.	ग्राम पंचायत मुख्यालय लाखाऊ	5	6.3.2000
7.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, झारियां	5	6.3.2000
8.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, जसरासर	5	6.3.2000
9.	ग्राम पंचायत, बालरासर आथूणा (1) ग्राम बालरासर-3 (2) ग्राम कुनसीसर-2	5	29.3.2000
10.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, रिबीयां	5	6.3.2000
11.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, खण्ड़वा	5	6.3.2000
12.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, चलकोई बनिरोतान	5	6.3.2000

1	2	3	4
13.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, सहजूसर	5	6.3.2000
14.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, कड़वासर	5	6.3.2000
15.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, दूधवाखारा	5	6.3.2000
16.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, सहनालीछोटी	5	6.3.2000
17.	ग्राम पंचायत, आसलखेड़ी (1) ग्राम रिड़खला-3 (2) ग्राम आसलखेड़ी-2	5	29.3.2000
18.	ग्राम गिनंड़ी पट्टा राजपुरा ग्राम पंचायत, लालासर बनिरोतान	5	29.3.2000
19.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, बुटियां	5	29.3.2000
20.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, इन्द्रपुरा	5	29.3.2000
21.	ग्राम पंचायत मुख्यालय, खासोली	5	29.3.2000

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-876 का विवरण)

परिशिष्ट-"अ"

ग्राम पंचायत कैलाई के गत 5 वर्षों में स्वीकृत कार्यों का विवरण तथा पंचायत समिति सिकराय

क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आगनबाड़ी केन्द्र, कैलाई	EAS	8.6.95	82500	82500	पूर्ण
2.	प्रा.वि. खेज़डी ढाणी दो कमरा नि.	EAS	12.12.95	108000	107724	पूर्ण
3.	उ.प्रा.वि. कैलाई दो कमरा नि.	EAS	20.12.95	166000	165635	पूर्ण
4.	प्रा.वि. कालेड़ा में दो कमरा नि.	EAS	20.12.95	108000	107570	पूर्ण
5.	प्रा.वि. भोजपुरा में दो कमरा नि.	EAS	6.1.96	108000	107597	पूर्ण
6.	प्रा.वि. गिरधरपुरा दो कमरा बरामदा नि.	EAS	6.2.97	226000	226000	पूर्ण
7.	प्रा.वि. संस्कृत दो कमरा निर्माण धूमरी कोठी	EAS	27.2.97	155000	154969	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
8.	एनीकट निर्माण, भोजपुरा	EAS	27.2.98	319000	318628	पूर्ण
9.	ग्रेवल सम्पर्क बीचलादास भोजपुरा	MPLAD	31.3.97	150000	149854	पूर्ण
10.	ग्रेवल सम्पर्क निहालपुरा से कैलाई का बास	MPLAD	31.3.97	100000	90694	पूर्ण
11.	उप स्वा. केन्द्र नि. कैलाई	SUB-CENTRE	8.1.99	300000	214732	पूर्ण
12.	सामु. विकास भवन नि. कैलाई	JRY	12.12.95	98500	97984	पूर्ण
13.	सामु. विकास विस्तार कैलाई	JRY	5.12.96	57000	57000	पूर्ण
14.	ग्रेवल खरंजा नि. पुलिया से आम रास्ता कालेड़ा	JRY	15.7.98	14205	14205	पूर्ण
15.	सेप्टी टैंक निर्माण एवं नाली नि. कैलाई	JRY	15.7.98	19640	19640	पूर्ण
16.	खुर्रा एवं गड्डा भराई पनघट कूप हरिकिशन कन्हैया पटेल के बास के बीच में कैलाई	TFC	26.1.99	50558	50454	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
17.	रा.प्रा.वि. बासडा व मरम्मत व बरामदा	JRY	3.12.99	72400	72400	पूर्ण
18.	राजीव गांधी पाठशाला पुरानी का बास भोजपुरा	TFC	5.5.99	210000	210000	पूर्ण
19.	सार्व. कूप पर पारा निर्माण बैरवा मोहल्ला गिरधरपुरा	TFC	31.3.99	25750	25750	पूर्ण
20.	उ.प्रा.वि. कमरा निर्माण कैलाई	AGAK	26.4.97	35316	34946	पूर्ण
21.	सामु. विकास भवन की चार दीवारी कैलाई	AGAK	26.4.97	39760	39760	पूर्ण

क्रम संख्या 1 से 21 तक कार्यों के पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं।

ह०/–
अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)
दौसा

(2) निर्माण कार्य स्वीकृत राशि में शीघ्र पूर्ण कराया जावेगा।

(3) कार्य का मूल्यांकन विस्तृत रूप से किया जावेगा।

(4) कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 2 तारीख तक अभिकरण को आवश्यक रूप से भिजवानी होगी।

(5) कार्य पूर्ण होने पर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में तुरन्त अभिकरण को प्रस्तुत करना होगा।

(6) शेष शर्तें योजनान्तर्गत राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेंगी।

ह०/–
अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)
दौसा

परिशिष्ट-'स'

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दौसा

क्रमांक :– एफ2( )ईएएस/एनिकट दिनांक :

वित्तीय स्वीकृति आदेश

सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत स्वीकृत निम्नलिखित एनिकटों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी करने के फलस्वरूप निम्नलिखित एनिकटों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशा. स्वीकृति का विवरण क्रमांक/दिनांक	राशि	वित्तीय स्वीकृत राशि (लाख)	प.सं.
1.	एनिकट निकटपुरी ग्रा.पं. पीलोडी	4506/10.2.97	2.50	2.70	सिकराय
2.	एनिकट भोजपुरा ग्रा.पं. कैलाई	4650/27.2.97	2.50	3.19	सिकराय
3.	एनिकट सीकरी ग्रा.पं. पीपलकी	4929/19.3.97	3.00	3.00 (तीन लाख)	सिकराय

निर्माण कार्य की शर्तें प्रशासनिक स्वीकृति की यथावत रहेगी।

ह०/–
अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)
दौसा

क्रमांकः–एफ 2 ( ) ईएएस/एनिकट/8522-30 दिनांक 27.2.98

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विधायक महोदय, सिकराय
2. प्रधान/विकास अधिकारी, पं.स. सिकराय
3. अधिशाषी अभियंता, कार्यालय हाजा
4. लेखा शाखा (सुरोधो) कार्यालय हाजा
5. सरपंच, ग्रा.पं. पीपलकी/पीलोडी/कैलाई
6. गार्ड फाईल

ह०/–
अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)
दौसा

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-878 की सूचना)

परिशिष्ट-"क"

विधान सभा क्षेत्र चूरू में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों को वर्ष 1999-2000 में औषध सप्लाई सीमा (बजट), वास्तव में औषधियों की सप्लाई की राशि, औषध सप्लाई दिनांक व वार्षिक रोगी संख्या का विवरण

क्र.सं.	स्थान औषधालय	औषध सप्लाई सीमा (रुपयों में)	औषध सप्लाई की दिनांक	औषधि सप्लाई राशि (रुपयों में)	रोगी सं. (नवीन व पुरातन सहित)
1	2	3	4	5	6
1.	"अ" श्रेणी चूरू	81100	2.3.2000	146053.20	53893
2.	"अ" श्रेणी रतननगर	38372		5986.53	22595
3.	भामासी	15996	27.12.99	5986.53	6049
4.	जसरासर	15336	27.12.99	5986.53	11426
5.	खण्डवा	18862	24.12.99	5986.53	9592
6.	धांधू	5000	27.12.99	5986.53	6661
7.	धीरासर	13360	30.12.99	5986.53	6448
8.	सांतडा	29216	17.7.99 21.12.99	6547.93	71103
9.	सहनाली बड़ी	29444	10.1.2000	5986.53	14733
10.	लाखाऊ	22242	27.12.99	5986.53	8858
11.	पीथीसर	17434	24.12.99	5986.53	8430

1	2	3	4	5	6
12.	देपालसर	37742	2.3.2000	5986.53	5731
13.	नाकरासर	19866	24.12.99	5986.53	10850
14.	मेघसर	20302	28.12.99	5986.53	10515
15.	सहजूसर	10392	11.1.2000	5986.53	9950
16.	जासासर	18804	25.12.99	5986.53	10276
17.	करणपुरा	13018	3.1.2000	5986.53	7008
18.	ऊंटवालिया	15942	10.1.2000	5986.53	9560
19.	श्यामपुरा	9870	24.12.99	5986.53	4693
20.	दूधवाखारा	5000	3.4.2000	5266.53	2712

नोट :– रतननगर की औषधियां अभी रतनगढ़ में ही रखी हुई है।

परिशिष्ट-'ख'

वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र चूरू में आयुर्वेदिक औषधालय/ चिकित्सालयों के किए गए निरीक्षणों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम निरीक्षण अधिकारी	औषधालय का नाम जिसका निरीक्षण किया गया	निरीक्षण तिथि
1	2	3	4
1.	उपनिदेशक, आयुर्वेद, बीकानेर	"अ" श्रेणी, चूरू	9.9.99
2.	जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरू	"अ" श्रेणी, चूरू	14.8.99
3.	जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरू	आयुर्वेद औषधालय, धांधू	3.4.99
4.	जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरू	आयुर्वेद औषधालय, पीथीसर	14.8.99
5.	जिला आयुर्वेद अधिकारी, चूरू	आयुर्वेद औषधालय, रतननगर	18.2.2000
6.	वरिष्ठ चिकित्सक "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय, चूरू	1. राज. आयु. औष. पिथूसर	12.9.99
		2. –"– देपालसर	16.9.99
		3. –"– मेघासर	16.9.99
		4. –"– सहनालीबडी	17.9.99
		5. –"– भामासी	15.10.99
		6. –"– जसरासर	20.10.99
		7. –"– नाकरासर	20.10.99
		8. –"– जसासर	20.10.99
		9. –"– पीरासर	20.10.99
		10. –"– सातडा	21.10.99
		11. –"– श्यामपुर	21.10.99
		12. –"– ऊंटवालिया	22.10.99
		13. –"– रतननगर	22.10.99